(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का छब्बीसवां दिवस [संख्या : 12

सोमवार

17 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर. पी. शर्मा।

अजान बन्ध (भरतपुर) की भराव क्षमता

326. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर के अजान बन्ध (कोहनी बन्ध) की पानी की भराव क्षमता क्या है ?

(2) गत वर्ष उक्त बन्ध में कितना पानी आया ?

(3) गत वर्ष भरे गये बन्ध के पानी से कितनी कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती थी ?

(4) क्या जितनी सिंचाई की जा सकती थी, उतनी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) भरतपुर जिले में स्थित अजान बांध (कोहनी बांध) की कुल भराव क्षमता 635 एम. सी. एफ. टी. है।

(2) गत वर्ष उक्त बांध में 688.34 एम. सी. एफ. टी. पानी भरा गया।

(3) गत वर्ष उक्त बांध में भरे गये पानी से लगभग 20,000 एकड़ भूमि में सिंचाई संभव थी।

(4) जी नहीं। सिंचित क्षेत्र में कमी होने का कारण अजान बान्ध के पानी का उपयोग अन्य प्रयोजनों जैसे, डिग्गिया भरना, सुजान गंगा को पानी देना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी देने आदि के काम में लेना है।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा स्वयं मंत्रीजी ने प्रश्न संख्या 3 में माना है कि उक्त पानी से बीस हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती थी और प्रश्न संख्या 4 में उन्होंने जवाब दिया है कि जितनी सिंचित हो सकती थी वह भूमि सिंचित नहीं हुई, इस सम्बन्ध में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अजान बांध की तीन नहरें हैं, एक अजान नहर, दूसरी रामनगर दो मोरा और डाकन मोरी, इन तीनों के बैंक खराब हो चुके हैं और इनके तल ऊंचे हो गये हैं तथा तलों में झाड़ी, पेड़-पौधे उग चुके हैं, आउटलेट सब खराब पड़े हैं। अजान नहर अकेली से 10 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती थी उसमें मुश्किल है 1 हजार एकड़ भूमि सिंचित हो पायी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री आर. पी. शर्मा)

पानी आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज पीने का पानी नहीं है और हमारा पानी वेस्ट जा रहा है। वह पानी जो हमारी 20 हजार एकड़ भूमि सिंचित करता उससे सिर्फ 10 हजार एकड़ भूमि सिंचित हुई है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उक्त बांध 20 हजार एकड़ भूमि सिंचित होती थी, उस बांध में भविष्य में जितना पानी भरा जाए उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो। किसानों को पानी मिले, गांव वालों को पीने के पानी की सुविधा हो क्योंकि भरतपुर का जल स्तर आज बहुत नीचा हो गया है। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप मुझे इस बात का आश्वासन दें कि भविष्य में जितना पानी उपलब्ध होगा उस पानी का पूर्ण रूप से उपयोग किसानों और पीने के पानी के लिए किया जायगा, चाहे उसमें कितना भी खर्चा आये।

श्री अरूण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बार, माननीय सदस्य, मूल प्रश्नकर्त्ता कर लें फिर बाद में।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वास्तव में किसानों के हित की बात को उठाया है और वह उचित भी है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि इसमें हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ती है। पेटा काश्त के अंदर हमने 10,413 एकड़ भूमि में काश्त करवायी है। भरतपुर शहर की डिग्गियों में पशुधन के पेयजल हेतु हमें आवश्यक रूप से पानी छोड़ना पड़ता है जिसमें 40 एम सी. एफ. टी. पानी हमने उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि भरतपुर में जो घना का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी पानी देने में हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है इसमें भी 192 एम. सी एफ.टी. पानी हमें छोड़ना पड़ा। माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है कि इसके जो सिस्टम बने हुए हैं, कम से कम उन कैनाल्स में पानी चले और जो काश्तकार वर्षों से इसके ऊपर आश्रित हैं उनको बराबर पानी मिले। हकीकत यह है कि इसमें हमें मेंटीनेंस का पैसा कम उपलब्ध होता है। इस वर्ष भी हमने 35 हजार रुपये खर्च किये। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम इस वर्ष में इसको प्राथमिकता से लेकर इन नहरों की रिपेयर करवाकर आपके टेल तक पानी पहुंचायेंगे।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ क्वेश्चन यह है कि जो पानी आपको उपलब्ध हो उसका पूर्ण रूप से उपयोग होने के लिए पैसे की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो और बांध जब तक भरे तब तक यह काम पूरे हो जायं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अजान नहर मुझे नहीं लगता कोई बड़ा खर्चा है। बैंकों की मरम्मत, आउटलेट की मरम्मत और तलों को नीचे करने का कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहां एक मैन ड्रेन है उसमें सभी ड्रेनों से पानी आता है। जितने पुल है उन पुलों पर अगर आयरन गेट्स डल जाते हैं, जो मैन ड्रेन हैं वह लगभग दो सौ मीटर चौड़ी और 20 फीट ऊंची है और जिसकी लम्बाई 25 किलोमीटर

(श्री आर. पी शर्मा)

है उसका पानी हम रोक लेते हैं तो हमारा जो पानी यू. पी. जाता है उसमें आयरन गेट्स की आवश्यकता है, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खास तौर से इस काम को करवायेंगे, यह आश्वासन चाहता हूं और कोई मतलब नहीं है । नहीं तो भरतपुर में यह हालत है कि कितना खारा पानी हो चुका है, हमारी जमीन खारी होती जा रही है । पानी अगर पिला दें तो जानवर मरने लगे हैं आस-पास के गांवों में । इससे हमारी दो समस्याएं सोल्व होती हैं, एक तो वाटर लेवल ऊंचा हो जाता है और जब वाटर लेवल ऊंचा होगा तो निश्चित रूप से किसान अपने ट्यूबवैलों से, कैसे भी अपनी जमीन सिंचित कर लेंगे और पीने के पानी की सुविधा होगी । इसलिए आप मुझे यह आश्वासन दें कि हम इन सब कामों को अतिशीघ्र करवा देंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी यह निवेदन किया कि आपने जो सुझाव दिये हैं उसको मैं दिखवा लेता हूं । एक तो मैन ड्रेन के माध्यम से हमारा जो पानी यू पी. में जाता है उसको हम यहां ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, यहां पर कुओं का जल स्तर बढ़े, पानी पम्प करके लेवें, इसको मैं दिखवा लूंगा । पर मैं आपको इस हाउस के अंदर बिलकुल आश्वस्त करता हूं कि जहां तक भी काश्तकारों का जितना हित हो सकता है उसको हम प्राथमिकता देकर इसके अंदर निश्चित तौर पर काम करवायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय अरूण सिंहजी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपने कहा कि मैं इस काम को दिखवा लूंगा, इसका तात्पर्य क्या समझा जाए ? आश्वासन दे रहे हैं हाउस में (व्यवधान) दिखवा लूंगा । मंत्री आम तौर पर यह कहते हैं कि दिखवा लूंगा । दिखवा क्या लूंगा ? देखने वाले आप हैं, आपके बायीं तरफ करने वाले बैठे हैं, दोनों इसका कर दो फैसला कि रोकोगे कि नहीं रोकोगे । ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : पहले आप जवाब देते थे जिस भाषा में, उस में ही बोल रहे हैं ।

श्री अरूण सिंह (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भरतपुर का एक बड़ा प्राचीन सिस्टम है इर्रिगेशन का और मेंटीनेंस के बगैर वह सिस्टम नष्ट हो रहा है । मुझे खुशी है, आपने आश्वासन दिया । पर कोरे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा । हमारा सारा पानी उत्तर-प्रदेश जाता है । अब हम भीख मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पानी बड़ी मुश्किल से वह देते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : वह भी नहीं देते हैं ।

श्री अरूण सिंह : दे रहे हैं अभी एक-दो पोखर ही भरी हैं । तालाब तो भरे ही नहीं । फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह उम्मीद करता हूं कि इस यमुना वाटर पर वे ओर ध्यान देंगे ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

Page No. 4

(6)

श्री अरुण सिंह : कमिटमेंट चाहिए, कुछ पैसा तो देओ ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये । श्री राजेन्द्रजी चौधरी (व्यवधान)

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामों की पेयजल योजना

327. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग 40 लीटर से 70 लीटर पेयजल उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अब तक कौन-कौन से ग्रामों के लिए कौन-कौनसी योजनाएं बनायी गयी हैं, कौन-कौनसी योजनाएं स्वीकृत हैं एवं किन-किन योजनाओं पर कार्य चल रहा है ?

(3) कौन-कौन से ग्रामों को इस योजना का वर्तमान में लाभ मिल रहा है व कब-कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री जसवंत सिंह विश्नोई) : (1) राज्य के मरुस्थलीय जिलों में ही वर्ष 86–87 से इस प्रकार के संवर्हन के लिए प्रयास जारी हैं ।

(2) वर्तमान में यहां कुल 87 ग्रामों में से 50 ग्रामों को 40 से 70 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनकी सूची प्रपत्र "अ" पर दर्शायी गयी है । योजनाओं, जिन पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, का विवरण भी प्रपत्र "अ" में दिया गया है । शेष 37 ग्रामों की योजनाएं बनाने हेतु प्रयास जारी हैं । जिन्हें प्राथमिकता पर करवाने के प्रयास किये जायेंगे ।

(3) वांछित विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें ।)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के प्रथम भाग में माननीय मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि 86-87 से 40 से 70 लीटर की योजनाओं को बनाने का काम चल रहा है । मेरा पहला प्रश्न यह है, 86–87 में यह योजना लागू हो गयी, आपने इन योजनाओं के निर्माण की संख्या भी दी है तो उन पर कितना पैसा भारत सरकार से मिला ?

नम्बर दो, इन योजनाओं में से कितनी योजनाओं के ऊपर काम पूरा हो गया ? काम एक पर भी पूरा नहीं हुआ ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इसमें विलम्ब हुआ है । मैं आपको यह कह सकता हूं कि जिसके कारण विलम्ब हुआ है उनको निश्चित रूप से दण्डित किया जायेगा । दूसरा आश्वासन यह देता हूं कि अब जो बचा हुआ काम है वह अविलम्ब इसी बजट सत्र में पूरा करने की कोशिश करूंगा और आपसे मैं इसमें सहयोग चाहूंगा क्योंकि इसमें सोर्स ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है । सोर्स में कई बार विफल भी हो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जाते हैं और यह कारण भी देरी के रहे हैं। तो ऐसा है कि आप थोड़ा सहयोग करें। मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर सोर्स ढूंढने का काम आप करें बाकी योजना में जो खर्चा होगा उसमें कमी नहीं आने देंगे। इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करूंगा, यही मैं कह सकता हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के उत्तर से पूर्ण सन्तुष्ट हूं क्योंकि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह बहुत भारी गलती हुई है और जो पैसा मिला है उसका उपयोग नहीं हुआ है। मेरा पूरा सहयोग स्थानीय जो हमारे अधिकारी हैं उनको रहेगा। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन में पी.एच.ई.डी. के स्थानीय एक्स. ई. एन., एस. ई. से और चीफ इन्जीनियर से बात नहीं करता होऊं। मैं बराबर उनसे सम्पर्क कर रहा हूं लेकिन उनके +++ ऐसी स्थिति है। इसलिए मुझे मजबूर होकर यह बात यहां उठानी पड़ी जो लाभ मिला चाहिए था और भारत सरकार से जो पैसा मिलता है उसका लाभ हम नहीं ले सके, हालत इस तरह की है। इसलिए जब भी आप मुझे बुलायेंगे मैं इसमें पूरा सहयोग दूंगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : यह प्रश्न तो सारे रेगिस्तान के क्षेत्रों का है 40 लीटर से 70 लीटर करने का। तो हमारे क्षेत्र में भी यह समस्या है इसलिए इसको जल्दी किया जाना चाहिए।

प्रश्न संख्या 328
(स्थगित)

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री ओमप्रकाश जी।

रामगंज बालाजी (बूंदी) की अधिगृहित भूमि

329. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी शहर के पास 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में (रामगंज बालाजी के पास) उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की कोई योजना वर्ष 1991 से 1994 के मध्य बनी थी और कोई कार्यवाही भी की गयी थी ? यदि हां, तो वर्तमान में भूमि अधिग्रहण की क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि कोई भी उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जहां पानी नहीं होता वहां उद्यमी उद्योग नहीं लगाना चाहता है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा बिना पानी वाली भूमि को ही अधिग्रहण करने के लिए महत्व क्यों दिया गया ?

(3) क्या सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी मूलभूत

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपायों पर विचार करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) जी हां, यह सही है कि बूंदी के निकट रामगंज बालाजी की 525,16 बीघा निजी खातेदारी व 75.06 बीघा राजकीय भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ अवाप्त आवंटित करने के लिए रीको द्वारा उद्योग विभाग को दिनांक 10-12-92 को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रस्तावों पर उद्योग विभाग द्वारा 29-1-93 को भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रसारित की गयी। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) कलक्टर, बूंदी द्वारा धारा 5ए का प्रतिवेदन एक वर्ष की अवधि के अन्तर्गत नहीं भिजवाये जाने के कारण यह अधिसूचना स्वतः ही प्रभाव हो चुकी है। अब पुनः धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना प्रसारित करने के रीको के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर, बूंदी से भूमि की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अवाप्ति की कार्यवाही पुनः आरम्भ करने के लिए अभिशंसा आमन्त्रित की गयी है।

(2) यह सही है कि पानी अधिकांश उद्योगों हेतु एक महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधा है, परन्तु कुछ उद्योग पानी पर आधारित नहीं होने के कारण अल्पजल उपलब्धता वाले क्षेत्र में भी पनप सकते हैं। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चयन करते समय क्षेत्र विशेष में पनपने वाले उद्योगों के लिए आवश्यक जल उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। रीको द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ग्राम रामगंज बालाजी में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है।

(3) जी हां। सरकार का यह प्रयास है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के की जाय।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 29-1-93 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 1894 के अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना प्रसारित की गयी थी यह मंत्री महोदय भी मान रहे हैं, भूमि अवाप्ति अधिकारी ने धारा 5ए का प्रतिवेदन एक वर्ष की अवधि में नहीं भिजवाया, तो क्यों नहीं भिजवाया ? धारा 5ए का प्रतिवेदन नहीं भेजने से अधिसूचना स्वतः ही प्रभाव शून्य जिन अधिकारियों की मिलीभगत से हुई उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? और नहीं की, तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

नम्बर दो, मंत्री महोदय ने कहा है कि पूर्ति बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के की जाय। यह तीसरे प्रश्न का जवाब दिया है। मैंने पूछा है कि कब तक भूमि के अन्दर लोग उद्योग लगाना चाहें तो उनको जमीन मिलेगी ? या फिर दो साल तक कभी धारा 4, कभी 5 और कभी धारा 6 के नोटिस जायेंगे और कार्यवाही होती रहेगी ?

मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि इस भूमि के अतिरिक्त अन्य कौन-सी ऐसी कितनी भूमि उद्योग लगाने के लिए वर्तमान में रीको के पास मौजूद है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मैंने इस पूरी फाइल को देखा है, इसमें एस. डी. एम. स्तर पर और जिला कलक्टर के स्तर पर देरी हुई है और उसका एक कारण उसमें उन्होंने यह बताया है कि इस भूमि की अवाप्ति में रामगंज बालाजी के ग्रामवासियों का विरोध हुआ और प्रधान मंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री जी का पत्र 9-7-93 को प्राप्त हुआ उसकी जांच कलक्टर और एस. डी. ओ. ने की, उसमें समय लगा। जांच करने के बाद कलक्टर ने इस भूमि को अवाप्त न करने की सिफारिश की जिसके ऊपर रीको ने पुनः उनको लिखा कि इसके अतिरिक्त और कोई जमीन वहां उपलब्ध नहीं है और यही जमीन है जो कि उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। यह पत्र लिखने के बाद अब दुबारा धारा 4(1) में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कलक्टर की अभिशंसा के लिए पत्र गया हुआ है। अभी तक उन का पत्र नहीं आया है। लेकिन यह बात सही है कि इसमें जो देरी हुई है उसको निश्चित रूप से मैं जांच करवाऊंगा और यदि इसमें कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में रीको के पास उद्योग लगाने के लिए ऐसी कौनसी भूमि मौजूद है ? यह भी मंत्री महोदय बतायें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : वर्तमान में अभी कोई अलाटमेंट करने के लिए जमीन नहीं है इसीलिए इसकी अवाप्ति कर रहे हैं और जैसे ही अवाप्त होगी, जैसा कि आपने खण्ड 3 में पूछा है, प्लाट अलाट करने में हमारे यहां देरी नहीं होगी। अवाप्त होते ही प्लाट्स अलाट कर दिये जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : कलक्टर ने यह लिखा है कि इस भूमि को अवाप्त नहीं किया जाय। इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताये कि इस भूमि को क्यों नहीं अवाप्त किया जाय ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : कलक्टर ने यह कारण बताया कि यह सिंचित भूमि है और कमाण्ड एरिया में आती है इसलिए इसमें किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। यह कलेक्टर ने लिखा। रीको ने फिर दुबारा जांच करके कहा कि इसके सिवाय अन्यत्र भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए यहां औद्योगीकरण के लिए इसी भूमि की आवश्यकता है। इसमें मामला पैन्डिंग है।

श्री रामनारायण चौधरी : रीको तो इस पर्टिकूलर जमीन में इंटरेस्टेड हो सकता है और किसानों की यह सिंचित भूमि है और कलक्टर ने वाजिब ही देखा होगा, उचित माना होगा तभी तो यह सिफारिश की होगी। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि रीको को आप एक पार्टी मानिये। क्या सरकार अपने तरीके पर, आपके लेवल पर इसकी जांच करवायेगी कि जमीन इसके बजाय दूसरी भी उपलब्ध है जो कि रीको के काम में आ सकती है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : इस सम्बन्ध में कलक्टर का प्रतिवेदन आने पर मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा और यदि वहां कहीं अन्यत्र जमीन उपलब्ध है और काश्तकारों

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

को लाभ दिया जा सकता है तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कलक्टर को लिखेंगे कि दूसरी जमीन अवेलेबल है क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह तो सारी जानकारी करनी पड़ेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप लिखेंगे ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : लिखूंगा ही नहीं मैं खुद जानकारी करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो मौके पर भी जाऊंगा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मंत्रीजी ने स्वयं ने माना है कि 75.06 बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है । वहां पर जो उस समय कलक्टर थे उन लोगों ने और जिनकी जमीन थी अवैध, उन्होंने मिलकर यह कार्यवाही ड्राफ्ट करवायी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल जांच हो । मैं यह नहीं चाहता कि वही जमीन हो । उसके अलावा पानी जहां उपलब्ध है यदि वह जमीन मिलती है जहां उद्योग लग सकें तो वह जमीन उपलब्ध कराई जाय ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा . निश्चित रूप से इसकी भी जांच कराई जायेगी ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, नीतियों के हिसाब से ही जवाब रहे थे इसलिए पूछ रहा हूं । सिंचित जमीन, उपजाऊ जमीन, बहुत अच्छी जमीन जिससे कृषि उत्पादन की सम्भावनाएं ज्यादा हैं वह जमीन रीको न लेकर के बंजर और ऐसी जमीन जो कम उपजाऊ है लेने की बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार की है तो आबू रोड में 1100 बीघा जमीन ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिए ।

श्री टीकमचन्द कान्त : नीतिगत मामला है, इसलिए कह रहा हूं । 1100 बीघा जमीन सर्वश्रेष्ठ उपजाऊ जमीन है, उसके बदले में अन्य जमीन उपलब्ध थी, फिर भी रीको ने उसको क्यों लिया ?

श्री अध्यक्ष : उनके पास इसका जवाब नहीं हूं । आफहैण्ड कैसे सूचना दी जा सकती है । बिराजिए आप ।

प्रश्न संख्या 330

श्री रूपाराम जी ।

(अनुपस्थित) (कृपया आगे देखें)

श्री तैयब हुसैन जी ।

जिला अलवर एवं भरतपुर में वर्ष 1994-95 में वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज सम्पत्तियां

331. **श्री तैयब हुसैन** (कामां) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक ?9 (3) देव 91 दिनांक 9-10-92

Page No. 9

(9)

(श्री तैयब हुसैन)

व 9-90/राज/7/87 दिनांक 19-2-1992 के मुताबिक कितनी वक्फ सम्पत्तियों को अनधिकृत अतिक्रमियों से छुड़ाकर वक्फ के नाम दर्ज किया गया है ?

(3) उक्त आदेश के तहत सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) भरतपुर एवं अलवर जिले में वर्ष 1994-95 में कितनी सम्पत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज की गयी हैं ?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री रोहिताश्व) : - (1) वक्फ सम्पत्तियों को अतिक्रमियों से छुड़वाने के प्रावधान व प्रक्रिया दी राजस्थान प्रिमिसेज (इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड आक्यूपेंट्स) एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करके की जाती है। एवं राज्य सरकार ने वक्फ सम्पत्तियों पर से अनधिकृत अतिक्रमियों पर कार्यवाही करने के लिये एक सम्पदा अधिकारी का न्यायालय जयपुर में बनाया गया है। इस न्यायालय द्वारा 222 मामलों में बेदखली के फैसले करके वारंट जारी किये गये हैं। प्रश्न में अंकित तिथियों में कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। अपितु भू-राजस्व अभिलेखों में रिकार्ड दुरूस्ती के लिये दिनांक 19-12-92 को आदेश क्रमांक प. 10 (4) राज/7/देव/87 जारी हुआ है किन्तु इस आदेश के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

(2) वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत अतिक्रमियों को हटाने के लिये सम्पदा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण प्रश्न के भाग संख्या-1 में दे दिया गया है।

(3) केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वक्फ समितियों का प्रबन्ध पूर्णतः वक्फ बोर्ड में निहित किया गया है। तथा वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1994–95 में भरतपुर एवं अलवर जिले में 19 सम्पत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज की गयी हैं।

श्री तैयब हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो 19-12-92 का आदेश है उसे हाउस में पढ़ दें ताकि सारा हाउस यह जान ले कि वह आदेश क्या है और अगर उसका कोई मतलब नहीं है तो उसे जारी करने की क्या जरूरत थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके दो हिस्से हैं, एक तो नाजायज कब्जों को छुड़वाने की बात है, दूसरा वक्फ प्रापर्टीज का इन्द्राज दूसरों के नाम है। इसमें जो 19 प्रापर्टीज का जिक्र किया गया है, जो भाग (3) में हैं उसकी डिटेल बता दें वह कौन-कौनसी प्रापर्टीज हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम आ गयी हैं।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि 19–12–92 का क्या आर्डर है। 19–12–92 का आर्डर है :—

"**देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग**

क्रमांक प. 10 (4) राज 171 देव 187

प्रेषिति —

समस्त जिलाधीश

विषय : वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने बाबत...... (व्यवधान)"

श्री तैयब हुसैन : सारे को पढ़ दीजिए, कोई लम्बा चौड़ा नहीं है। फिर इसका कोई मतलब नहीं है तो इसको जारी क्यों किया गया है ?

श्री रोहिताश्व : इसमें जो प्रापर्टीज हैं, उनको दर्ज करने के लिए है।

श्री तैयब हुसैन : वही मेरा पाइंट है। एक तो कब्जा छुड़वाना और एक उसकी प्रापर एन्ट्री in the revenue record. These are two points and you have mixed up the both.

श्री रोहिताश्व : नहीं-नहीं, मिक्स नहीं कर रहा हूं।

श्री तैयब हुसैन : These are two points. One is the entry and other is regarding illegal possession.

श्री रोहिताश्व : यह जो लैटर जारी हुआ है, इसको पढ़ देता हूं।

"राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि वक्फ संस्थाओं से सम्बन्धित समितियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में नहीं किया जा रहा है व कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज वक्फ की बजाय उनके मुतावल्लियों, मुजाविरों व अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के नाम कर दिया गया है। इस प्रकार गलत इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाकर ऐसे लोग वक्फ सम्पत्तियों का लाभ स्वयं उठा रहे हैं या अवैध रूप से हस्तान्तरण कर रहे हैं। राज्य सरकार के ध्यान में यह भी लाया गया है कि वर्ष 1965-66 में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज-पत्र भाग 2 (क) में वक्फ सम्पत्तियों का जिलेवार प्रकाशन हो चुका है उसके अनुसार वक्फ सम्पत्तियों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो जाना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। कुछ सम्पत्तियों का इन्द्राज इसलिये भी नहीं किया गया क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में सम्पत्तियों का खसरा नम्बर या परिसीमन दर्ज नहीं है।

उपरोक्त मामले में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ. 20 (20)/राजस्व/ग्र/111/79 दिनांक 22-7-82 द्वारा निदेश दिये गये थे कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान और मकबरों की सम्पत्ति जिनमें मुआफी, बिस्वेदारी, इनाम या खातेदारी दर्ज थी और जिनको उनके मुतवल्लियों, व्यवस्थापकों, खादिमों, सज्जादानशीनों, मुजाविरों व देख-रेख करने वालों के नाम दर्ज कर दी गयी है उन्हें उचित कार्यवाही कर ओकाफ के नाम दर्ज किया जावे और जब भी ऐसा मामला सामने आये तो रिकार्ड दुरुस्ती की कार्यवाही तुरन्त की जाय।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मामलों में निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार पालना की जावे :—

(1) जो सम्पत्ति राजस्थान राज-पत्र भाग 2 (क) 1965–66 में वक्फ अंकित की गयी है उनका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित ओकाफ के नाम में किया जाय। जिन भूमियों का खसरा नम्बर राज-पत्र में दर्ज नहीं उन्हें मौके पर कब्जे के आधार पर अब दर्ज किया जावे।

(2) जिन शहरी सम्पत्तियों में स्वामित्व या परिसीमन गजट नोटिफिकेशन में दर्ज नहीं है उसका इन्द्राज वास्तविक कब्जे के आधार पर किया जावे।

(श्री रोहिताश्व)

(3) जिन वक्फ भूमियों या सम्पत्तियों का इन्द्राज सम्बन्धित वक्फ के नाम न होकर अन्य के नाम दर्ज कर दिया गया है उन्हें राज्य सरकार के परिपत्र एफ. 20 (20) राजस्व/ग्र./111/79 दिनांक 22-7-82 की अनुपालना में वक्फ सम्पत्ति दर्ज किया जावे व जमाबन्दी एवं अन्य अभिलेखों में दुरुस्ती की जावे ताकि अवैध नामान्तरकरण न खोले जा सकें।

(4) जहां नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर व क्षेत्रफल में भिन्नता हो वहां राजस्व अभिलेख के अनुसार सही खसरा नम्बर अथवा क्षेत्रफल का सम्बन्धित औकाफ के नाम अंकन किया जाय।

(5) जहां नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर सही दर्ज है किन्तु क्षेत्रफल सही दर्ज नहीं है तो राजस्व अभिलेख से उसे शुद्ध कर सम्बन्धित औकाफ के नाम दर्ज किया जाय।

(6) जहां नोटिफिकेशन में खसरा नम्बरान, क्षेत्रफल और परिसीमा कुछ भी अंकित नहीं है तो औकाफ की मौके की स्थिति व वास्तविक कब्जे में धारित भूमि के खसरा नम्बर व क्षेत्रफल सम्बन्धित औकाफ के नाम दर्ज किया जाय।"

श्री तैयब हुसैन : मोहतरम स्पीकर साहब, जो मोअज्जिज वजीर साहब ने पढ़ा है, कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आया है उन्होंने क्या फरमाया है।

श्री अध्यक्ष : वह इतना लम्बा हो गया है।

श्री तैयब हुसैन : मेरा सवाल तो बहुत ही पाइंटेडली और बहुत छोटा-सा है कि जो 1992 में नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके तहत इन्होंने जवाब में कहा कि इसमें कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। तो नोटिफिकेशन जारी करने की क्या जरूरत थी? मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं उस नोटिफिकेशन के तहत कि प्रापर्टीज के जो गलत इन्द्राज हो गये थे वह वक्फ बोर्ड के नाम कितनी प्रापर्टीज हैं? नम्बर दो, जो इन्होंने भाग (3) में कहा है, 19 प्रापर्टीज का जो चेन्ज इन एन्ट्री हो गया है उन प्रापर्टीज का वह नाम बता दें। Sir, it is so simple a matter. I don't know how he is making it so compound.

श्री अध्यक्ष : आपने स्वयं कहा है कि पूरा पत्र पढ़िये और अब आप कह रहे हैं कि सो सिम्पल।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पढ़कर सुनाओ तो मैंने पढ़कर सुना दिया। 19-12-92 का जो आदेश है उसके अन्तर्गत बेदखली करने की कार्यवाही करने का आदेश नहीं है। यह केवल सम्पत्तियों...

श्री तैयब हुसैन : मैं 'केवल' ही पूछ रहा हूं। यह 'केवल' ही बता दीजिये आप कि 'केवल' क्या है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में न बोलें।

एक माननीय सदस्य : यह आदेश किसका है?

(३)

श्री रोहिताश्व : इस आदेश का मतलब यह परिपत्र है। जो गवर्नमेंट के पास बार-बार शिकायतें आ रही थीं अवैध कब्जों की, तो डायरेक्टिव है कलक्टर्स को। यह जो 10.12 का आर्डर है, यह डायरेक्टिव है।

श्री तैयब हुसैन : डायरेक्टिव का क्या है यह तो बता दीजिये।

श्री रोहिताश्व : पढ़कर सुना दिया।

श्री तैयब हुसैन : उसके मुताबिक क्या एक्शन हुआ और कितनी प्रापर्टी ...

श्री रोहिताश्व : हां, यह मैं बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह बताने लगते हैं और आप बीच में खड़े हो जाते हो।

श्री तैयब हुसैन : बीच में खड़ा नहीं हुआ, मैं तो इजाजत से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। पांच बार पूछ लिया आपने। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : अलवर और भरतपुर में वर्ष 1994–95 में वक्फ नाम दर्ज 19 सम्पदाओं का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) अलवर में कब्रिस्तान बामौजा, ग्राम बामौजा, तहसील लक्ष्मणगढ़। इसका दर्ज करने का दिनांक 12-7-94 है।

(2) मस्जिद कर्बला, ग्राम बामौज, तहसील लक्ष्मणगढ़। यह दिनांक 12-7-94 का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आपकी जो 19 की लिस्ट है, यह आप मिल करके बात कर लें। यह लिस्ट आप माननीय सदस्य को दे दें और बाद में बात कर लें। श्री रमाकान्त जी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें कि वक्फ बोर्ड के गजट नोटिफिकेशन में जो सम्पत्तियां दरगाह, मस्जिद, या कर्बला में दर्ज हैं, अब से नहीं पिछले काफी वर्षों से हैं और उसको राजस्व विभाग के तहसीलदार या एस. डी. ओ. मनमर्जी से लोगों को अलाट करते जा रहे हैं, उसकी रोक के लिए मंत्री महोदय क्या करना चाहते हैं जिससे कि वक्फ बोर्ड की प्रापर्टी को दूसरों के नाम हस्तान्तरित न किया जाय और जो अवैध कब्जे हैं उनको कैसे हटवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया, अवैध कब्जे हटाने के लिए सैण्ट्रल वक्फ अधिनियम बना हुआ है और राजस्थान प्रिमिसेज (इविक्शन आफ अन-आथोराइज्ड आपक्यूमेण्टस) एक्ट है इस एक्ट में जितने केसेज दर्ज हुए हैं राजस्थान में और उनके फैसले भी हुए हैं, उनका अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं विवरण दे सकता हूं।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, आपके तहसीलदार, एस. डी. ओ. इसमें सहयोग नहीं करते हैं, जान-बूझकर जो प्रापर्टी वक्फ बोर्ड की है उसको व्यक्तिगत लोगों के नाम करा रहे हैं उनको आप कैसे रोकेंगे ? उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रोहिताश्व : अगर आपकी कोई पर्टिकूलर प्रापर्टी के बारे में शिकायत हो तो

(श्री रोहिताश्व)

आप मुझे बतायें। ऐसा है कि जो सैण्ट्रल वक्फ अधिनियम बना हुआ है उसमें सारे पावर बोर्ड को है, न कि सरकार को। वह सारे पावर बोर्ड को हैं। आप मुझे बतायें, मैं बोर्ड से कहूंगा, वह एक्शन करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्तजी।

श्री जुबेर खान : बोर्ड का सहयोग करते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय रमाकान्तजी का प्रश्न हो रहा है।

श्री जुबेर खान : वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने प्रापर्टी को चाहे जिसको दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। दूसरा प्रश्न हो रहा है, सुनिये। श्री रमाकान्तजी शर्मा।

पंचायत समितियों में विकास अधिकारी का चार्ज कनिष्ठ अधिकारी को दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

332. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वरिष्ठ अधिकारी के उपलब्ध होते हुए उससे कनिष्ठ अधिकारी को पंचायत समिति में विकास अधिकारी का चार्ज दिया जा सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि प्रशासनिक नियमों के अन्तर्गत जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ जांच होकर जांच में आरोप सही पाये जायें तथा सक्षम अधिकारी द्वारा पदावनति का दण्ड नहीं दिया जावे तब तक उस अधिकारी को किसी पद से पदच्युत कर उससे कनिष्ठ अधिकारी के अधीन नहीं किया जा सकता ?

(3) यदि हां, तो इस प्रकार किये गये मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी हां।

(2) किसी अधिकारी को किसी पद का चार्ज दिलाना या न दिलाना पदोन्नति/पदावनति की श्रेणी में नहीं आता और चार्ज न दिलाने के लिए विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(3) कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, थानागाजी पंचायत समिति में दो शिक्षा प्रसार अधिकारी हैं, श्री दयाभानू और पाठक। यह तो माननीय मंत्रीजी ने इस जवाब में एग्री किया है कि दयाभानू वरिष्ठ हैं, पाठक कनिष्ठ हैं। यह भी मंत्रीजी की जानकारी में है कि दयाभानू थानागाजी से पहले विराटनगर में विकास अधिकारी का कार्यवाहक रूप से कार्य कर चुके हैं और उनकी वहां काफी सराहना हुई है।

अध्यक्ष महोदय, दयाभानू 21-2-94 को थानागाजी के अन्दर विकास अधिकारी

(४)

(श्री रमाकांत शर्मा)

कार्यवाहक बनाये गये । 21-2-94 को जिस वक्त बनाये गये उस समय पाठक भी वहां पर मौजूद थे क्योंकि वे उनसे कनिष्ठ थे इसलिए दयाभानू को वहां पर बनाया गया । 7 महीने के बाद में अचानक विभाग को न जाने क्या सूझी, 8-9-94 को न जाने क्या परिस्थिति आ गयी कि दयाभानू को तो हटा दिया गया और पाठक, जो उनसे कनिष्ठ है, जो उनके अधीन कार्य कर रहे थे, को वहां पर विकास अधिकारी का चार्ज दिलाया गया । आदेश यह हैं, शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, थानागाजी को कार्यवाहक विकास अधिकारी नियुक्त किया जाता है । इसमें लिखा गया है कि नियुक्त नहीं किया गया । जबकि आदेश मेरे पास मौजूद है सरकार का कि नियुक्त किया गया है ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि विभाग में कहीं पर 15 एक ही श्रेणी के अधिकारी हों और 15वें नम्बर का जो जूनियर मोस्ट हो क्या उसको यह चार्ज दिलवा सकते हैं और 14 आदमी उसके नीचे काम कर सकते हैं ? यदि ऐसा है, तो यह कौनसे नियमों के अन्तर्गत हैं ? यह नियम मुझे बता दीजिये । क्या राजस्थान के अन्दर किसी भी विभाग में इस प्रकार का पहले कोई उदाहरण है जिसके अन्दर कि सीनियर आदमी तो बैठा हुआ है और जूनियर आदमी को उसके ऊपर अधिकारी बना करके नियुक्ति दे दी जाय और सीनियर आदमी को कहा जाए कि वह उसके नीचे काम करे ? ऐसा करने से एक अराजकता पैदा हो जायेगी सारे राजस्थान में ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया यह कन्वेंशन है कि यदि अधिकारी नहीं होता है तो उसकी जगह जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है उसको चार्ज दिलाया जाता है । सामान्यतया यही कन्वेंशन है । लेकिन यदि सीनियर व्यक्ति को चार्ज दिलाने के बाद कार्यकाल के अन्दर उसके खिलाफ कोई गम्भीर अनियमितताएं पायी जाती हैं और उसके द्वारा कोई नियमों का गम्भीर उल्लंघन किया जाता है या कोई उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वैसी स्थिति में जिलाधीश या सी.ई.ओ. को यह अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्ति को चार्ज दिला सकते हैं और उस स्थिति में उससे जो नैक्स्ट व्यक्ति होता है उसी को चार्ज दिलाना पड़ता है । चूंकि दयाभानू शर्मा के खिलाफ गम्भीर अनियमितता की शिकायतें जिलाधीश, अलवर को प्राप्त हुई, उसके आधार पर जिलाधीश, अलवर ने डायरेक्टर पंचायत को भी लिखा और उसी के आधार पर जब जिलाधीश प्राइ-माफेसी यह सन्तुष्ट हो गये कि इनके ऊपर गम्भीर अनियमितता की शिकायतें हैं और इनके द्वारा जो कार्य करवाये जा रहे हैं उनके अन्दर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस आधार पर उन्होंने यह निर्णय लिया और जो नैक्स्ट व्यक्ति पाठक सीनियर मोस्ट था, उसको चार्ज दिलवाया गया । डायरेक्टर, पंचायत को भी यह लिखा गया कि इनके खिलाफ गम्भीर अनियमिता की शिकायतें हैं । 16 सी. सी. ए. की कार्यवाही के लिए भी उन्होंने प्रस्तावित किया जो डी. ओ. पी. में भेजी गयी है । दयाभानू के द्वारा अकाल राहत कार्यों में और पंचायत समिति

(श्री अनंगकुमार जैन)

के माध्यम से जो भी कार्य करवाये जा रहे थे उनके अन्दर गम्भीर अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई इसलिए उनसे चार्ज हटवा करके नैक्स्ट व्यक्ति, जो पाठक थे, उनको चार्ज दिलवाया गया।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने सदन को बहुत बुरी तरह से गुमराह किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ में कोई चार्जेज हैं, चाहे कितने ही गम्भीर हों, तो उसकी चार्ज शीट दी जाती है, उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद में आदेश दिये जाते हैं। पदावनति के भी आदेश दिये जा सकते हैं, राज्य सेवा से निष्कासन के भी आदेश दिये जा सकते हैं, वेतन वृद्धि भी रोकी जा सकती है। परन्तु यह सारा का सारा कार्य जब होता है जबकि जांच करने के बाद में सक्षम अधिकारी को यह पता लग जाए कि इसके अन्दर इसने यह काम गलत किया है और वह साबित हो जाए। जब ही आदेश के द्वारा ऐसा हो सकता है। मनमाने तरीके से, आपके मन में वहम हो जाए कि फलां आदमी ने खराबी की है उससे उसकी पदावनति नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा मंत्रीजी से सवाल यह है कि इन्होंने तीन दफा गम्भीर, गम्भीर, गम्भीर शब्द यूज किया है। यह चार्ज शीट मेरे पास मौजूद है। इनको 17 के तहत यह चार्ज शीट दी है कि मानकोर, सुरजनपुर और जोगिया के तहत जो काम हो रहा था उसका आप इंस्पेक्शन करने नहीं गये। 17 की चार्ज शीट सिर्फ यह है कि आप इंस्पेक्शन करने नहीं गये। इसके अलावा कोई चार्ज शीट नहीं है इनको। उसके बाद मनमाने ढंग से अराजकता के आधार पर केवल मात्र द्वेष के कारण से इस अधिकारी को पदावनत ही नहीं किया गया है बल्कि ह्यूमिलिएट भी किया गया है।

श्री अनंगकुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को निवेदन किया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पद का चार्ज दिलाना... (व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : यह कौनसा नियम है ? मैं माननीय मंत्रीजी से पूछ रहा हूं कि आप नियमों का हवाला दे रहे हैं, सारा काम आर एस आर. के तहत होता है, नियमों के तहत होता है, मनमाने तरीके से नहीं होता है। नियम कौनसा है, यह जरा बता दें ?

श्री अनंगकुमार जैन : नियम बताने का तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया जब भी कोई तत्कालीन अधिकारी वहां नहीं रहता है तो जिलाधीश और सी. इ. ओ., दोनों को यह अधिकार है कि वहां पर जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसको चार्ज दिलाया जाये। यदि मनमाने ढंग से किया जाता तो फरवरी, 1994 के अन्दर श्री दयाभानू शर्मा को चार्ज क्यों दिलवाया गया। जब जिलाधीश की नालेज में यह आ गया कि यह आदमी गम्भीर अनियमितताएं कर रहा है तो उन्होंने राज्य सरकार को रिपोर्ट किया है, डायरेक्टर, पंचायती राज विभाग को रिपोर्ट किया है। ऐसी स्थिति में राज्य

(श्री अनंगकुमार जैन)

सरकार आंख मींच कर नहीं बैठ सकती कि जो व्यक्ति विकास कार्यों में गम्भीर अनियमितताए करे, राजकोष का दुरुपयोग करे उसी आदमी से सारा काम करवाया जाता रहे। उस स्थिति में जिलाधीश, अलवर के द्वारा यह आवश्यक हो गया था कि उसके ऊपर जांच करें और प्राइमाफेसी जब वह सन्तुष्ट हो गये कि इस व्यक्ति के द्वारा गम्भीर अनियमितताएं की गयी हैं, उन्होंने उसके बावजूद भी अग्रेषित किया है, डायरेक्टर पंचायत विभाग को भी लिखा कि इस व्यक्ति के द्वारा गम्भीर अनियमितताएं की जा रही हैं इसलिए इस व्यक्ति से आगे कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए जो नैक्स्ट व्यक्ति है, जो इमीजिएट नैक्स्ट व्यक्ति हैं, श्री पाठक को चार्ज दिलवाया गया। अगर कोई दुर्भावना होती तो उनसे और नैक्स्ट को दिलवाया जाता। माननीय सदस्य स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और अपने कार्यालय में कई बार ऐसा किया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री अनंग कुमार जैन : जब इनके पास गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें आती थीं तो आप भी इस प्रकार के एक्शन लिया करते थे और राज्य सरकार को अग्रेषित करते थे। इसमें कौन-सी गलती हो गयी ?

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मेरा पाइंटेड प्रश्न है कि क्या केवल मात्र जानकारी के आधार पर किसी अधिकारी की पदावनति की जा सकती है ? यदि ऐसा है, तो कौन-से नियम हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि पदावनति नहीं की गयी है, इनसे जूनियर को चार्ज दिलवाया गया है। यह प्रशासनिक मैटर है इसमें किसी दूसरे व्यक्ति को चार्ज दिलवा दिया गया और 16 सी. सी. ए की कार्यवाही अपेक्षित है....(व्यवधान)...

श्री रमाकान्त शर्मा : 16 सी. सी. ए. की नहीं है, 17 सी. सी. ए. की है। 16 सी. सी. ए की हो तो आप कुछ भी उसका करिये और 16 सी. सी. ए. के अन्तर्गत भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री रमाकान्त शर्मा : 16 सी. सी. ए. में जब तय हो जाय तब कार्यवाही की जा सकती है। गम्भीर अनियमितता की गयी है, अराजकता की गयी है राज्य सरकार द्वारा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

गूलर बन्ध (जयपुर) की मरम्मत

333. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नेवटा (जयपुर) के बन्धे में पानी गूलर के बन्धे से आता हैं ? यदि हां, तो गूलर के बन्धे की मरम्मत के

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

लिए धनराशि स्वीकार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : जी हां। गूलर बांध वर्ष 1992 की अतिवृष्टि से टूट गया था। गूलर बांध के निर्माण से आबादी का क्षेत्र डूब में आता है एवं इस बांध के संशोधित फ्लड डिस्चार्ज हेतु उपयुक्त नींव उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक रूपांकन फाइनेलाइज नही किया जा सका है। अतः इस बांध के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष भी यह सवाल किया था और यही जवाब आया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि हमारी सरकार जो यह कहती है कि हम किसानों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, आज 3 साल होने के बाद भी, 2 बार सर्वे होने के बाद भी, मैंने साथ जाकर सर्वे करवाया, वह यह मानते हैं कि नेवटा बन्धे में पानी गूलर बन्धे के द्वारा जाता है उसके बाद में कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। आपने क्या उसके बारे में निर्णय किया है ? अगर नहीं जा सकता है तो इसका मतलब यह है कि उधर की सिंचाई आप बन्द कर रहे हैं। नेवटा के लिए फिर आपने पैसा क्यों मंजूर किया है ? जब गूलर के बन्धे से पानी जाता है और गूलर के बन्धे के बारे में आपके पास कोई योजना ही नहीं है कि कैसे ठीक होगा तो फिर नेवटा का बान्ध बनाने का मतलब क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता। इतनी गम्भीर समस्या है, सिंचाई नहीं होने से लोगों को तकलीफ हो रही है, किसानों का इतना नुकसान हो रहा है। इसके अलावा फिर पानी की इतनी गम्भीर समस्या है। वहां पत्थर अलग नीचे आ गया, पानी का स्तर नीचे चला गया, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आपने सिरानी में टंकी बनायी लेकिन पानी नहीं आ रहा है। पत्थर नीचे आ गया इसलिए कुआ खोद कर छोड़ दिया। आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं है। इतनी गम्भीर समस्या है और आप उसका इतना हल्का-फुल्का, लाइटली जवाब दे रहे हैं कि साहब नींव नहीं मिलने के कारण मंजूर नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, पाइंटेड प्रश्न पूछें आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। किसानों की समस्या का इस तरह से यह जवाब नहीं है। इसका जवाब स्पष्ट मिलना चाहिए कि आप क्या रहे हैं गूलर के बन्धे को ठीक करने के सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह सबको विदित है कि 1981 में अति-वृष्टि हुई थी, ग्राउण्ड बस्ट हुआ था उसके कारण से गूलर डाइवर्शन...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि उसके बाद भी टूटा है, उसके बाद की बाढ़ में गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं बता रहा हूं आपको।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप जी, थोड़ा सुन लें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सुनें तो जब स्पष्ट जवाब आये।

श्री देवीसिंह भाटी : डाइवर्शन बांध टूटने के बाद में 1983 में इसका पुन-निर्माण करवा दिया गया था और 1992 में फिर अतिवृष्टि होने से, पानी ज्यादा आने से यह बांध फिर टूट गया। इसी दौरान यह सारा देखा गया कि कभी भी पानी इस तेजी से आ सकता है तो इसका स्थायी समाधान किया जाय। इसके लिए जे. डी. ए. ने कंसल्टेंटों से, अन्य सलाहकारों से पूरा सर्वेक्षण करवाया गया। उसमें आया कि अधिकतम फ्लड डिस्चार्ज 33,306 क्यूसेक हो सकता है और उसके हिसाब से ही इसका वेस्टवेयर बनाया जाय वरना यह फिर क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो जायेगा। यह सारा कुछ इसके अन्दर विचाराधीन था। जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, इसके लिए वेस्टवेयर लम्बा चौड़ा बनायेंगे तो उसके लिए नींव के लिए जब तक सही जगह नहीं मिल जाय जब तक सम्भव नहीं हो पायेगा। वह मिल नहीं रही है। आपको यह भी जानकारी है, कि इतना बड़ा बनायेंगे तो सांगानेर कस्बा क्षेत्र का जो भाग डूब में आयेगा तो इस कारण यह अभी तक लम्बित पड़ा है। (व्यवधान)...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने 3 साल तक इसके बारे में कोई सोचा नहीं, आपने कोई ध्यान नहीं दिया कि कितनी किसानों को परेशानी हो रही है और अभी भी आप यह जवाब दे रहे हैं कि हम सोचेंगे, किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि कितने दिन में यह निर्णय हो जायेगा और कितने दिन में आप उसको बनाकर तैयार करवा देंगे ताकि उससे जाने वाले पानी को नेवटा बांध में काम में लाया जा सकेगा?

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आपके समय में हो जायेगा क्या? ....(व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, तकनीकी दिक्कत आ रही है इसी कारण से...(व्यवधान), आप चाह रहे हैं उस प्रकार से निर्माण कराने की स्थिति में नहीं हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : कैसे करना चाहते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : बांध की मरम्मत कराना चाहते हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : बनाने से फिर टूट जायेगा। इसको बड़ा बनाने के लिए हमारे सामने यह समस्या....(व्यवधान) ..1981 में अतिवृष्टि हुई....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपके पास योजना बनाने वाले इंजीनियर नहीं हैं तो नये इंजीनियर बुलवाइये, अगर आपके पास सही काम करने वाले लोग नहीं हैं तो। आपने वहां पर भ्रष्टाचार करवाया होगा, नहीं तो कैसे टूट जायेगा। कोई न कोई कमी रह गयी होगी, नहीं तो कैसे टूट जायेगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : 1983 में यह बांध बना था तो उस समय पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया इसलिए 1992 में टूट गया। यदि उस समय ध्यान दिया जाता तो 1992 में यह बांध टूटता नहीं। जैसा अभी मंत्रीजी ने बताया, देखिये, इसको सरकार नहीं बनाना चाहती है, यह नहीं है। सवाल यह है कि एक तो इसके लिए जमीन चाहिए और दूसरा उसकी कैपेसिटी कितनी है। इसलिए जब तक यह समस्या दूर नहीं होती है, इसका समाधान नहीं होता है तब तक बनाने का परिणाम वही होगा जो 1983 में बनाया और 1992 में टूट गया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहती हूं कि मेरे जीतने के बाद में यह बांध बनाने में तकलीफ हो रही है ? पहले तो बांध बना और अब मैं आ गयी हूं इसलिए वहां बांध नहीं बनाया जायेगा। इसलिए उसको लटकाया जा रहा है ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो सर्वस्व आपके लिए तैयार हूं।....(व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा मंत्री महोदय को एक और निवेदन है कि सिर्फ यही बांध नहीं है, मुख्य मंत्रीजी ने बीलवा गांव में चन्दलाई, रामचन्द्रपुरा का बांध था उसके लिए अनाउसमेंट किया कि यह बांध एक महीने के अन्दर बन जायेगा। आठ-दस महीने हो गये उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मैं जानना चाहती हूं कि उसके सम्बन्ध में क्या प्रावधान है ?

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस करने से तो सदन का समय यों ही व्यर्थ जायेगा, अपन अलग से बैठकर बात कर लेते हैं। आपके पास ऐसे सुझाव हों तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तकनीकी दिक्कत तो है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपने कभी बुलाया नहीं। (व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, मैं तैयार हूं आपके लिए।(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या राजस्थान के सिंचाई विभाग में किसी की जान का अभाव हो गया है, उसका दिवाला निकल गया है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न चला गया है और कभी सिंचाई की कोई बात आ जाय तो आप उस समय उठायें। श्री रामेश्वर जी भारद्वाज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप बहुत संकुचित होते जा रहे हो ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : ये उपाध्याय जी की तरह - (व्यवधान) मदद करो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : 1980 में विद्याजी पाठक एम. एल. ए. थीं, यहां की, 1980 में विद्याजी पाठक आपकी पार्टी की एम. एल. ए. थीं उनके कहने से उनके प्रस्ताव पर उसकी दो दफा मरम्मत कराई गयी और आप माननीय सदस्या के कहने से एक बार भी मरम्मत नहीं करना चाहते हैं, यह है आपकी कंजूसी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका जवाब इतना छोटा क्यों होता जा रहा है? आप इतने संकुचित क्यों हो रहे हो? आप थोड़ा दिल बड़ा करो (व्यवधान) और आप घोषणा करो कि आप इसकी मरम्मत करायेंगे (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं जीतकर आयी हूं उस दिन से टूटे पड़े हैं सारे बांध मेरे इलाके के।

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे बांध टूट गये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बहुत छोटा दिल कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर जी भारद्वाज।

विद्याधर नगर योजना (जयपुर) के पार्कों का विकास

334. श्री रामेश्वर भारद्वाज : (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नये विद्याधर नगर की मूल योजना में कितने पार्क बनाने की योजना थी? सैक्टरवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक इन पार्कों में से कितने पार्कों का विकास हुआ तथा शेष बचे पार्कों का विकास कार्य कब तक पूरा करा लिया जा जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि सैक्टर-1, प्लाट नं. 346, 347, 357, 380 के पास वाले पार्क का विकास कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो कितना कार्य और शेष है एवं इसे सरकार कब तक पूरा करने का विचार रखती है?

(4) विद्याधर नगर के विकास कार्यों पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) नये विद्याधर नगर की मूल योजना में कुल 34 पार्कों का विकास किया जाना प्रस्तावित है?

जिनका सैक्टरवार विवरण निम्नानुसार हैं :—

सैक्टर	पार्कों की संख्या
1	8
2	3
3	4
4	2
5	2
6	7
7	4
8	2
9	2
कुल सैक्टर-9	34 पार्क

(2) नये विद्याधर नगर योजना में कुल 34 पार्कों में से 4 का पूर्ण विकास तथा 2 पार्कों का आंशिक रूप से विकास किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(श्री भंवरलाल शर्मा)

क्र. सं.	विवरण	कम्पाउण्ड वाल का निर्माण	बोरिंग का निर्माण
1.	विद्याधर नगर सैक्टर–1	3/4 भाग में कम्पाउण्ड वाल बना दी गयी है	एक बोरिंग लगा दिया गया है
2.	,, ,, 2	कम्पाउण्ड वाल बना दी गयी है	,,
3.	,, ,, 3	,, ,,	,,
4.	,, ,, 4	,, ,,	एक बोरिंग खोल दिया गया हे
5.	,, ,, 7	,, ,,	,,
6.	,, ,, 9	,, ,,	,,

शेष 28 पार्कों का विकास विभिन्न चरणों में प्राथमिकता एवं वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जा सकेगा।

(3) विद्याधर नगर सैक्टर–1 में स्थित पार्क का विकास आंशिक रूप से दूब आदि लगाकर किया गया है। इस पार्क क्षेत्र में से 510 वर्ग मीटर भूमि जिला आपूर्ति एवं विपणन संस्था को आबंटित की गयी है जिसके कारण पार्क की कम्पाउण्ड वाल का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। पार्क की कम्पाउण्ड वाल का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पार्क का पूर्ण विकास किया जायेगा।

(4) वृहद् विद्याधर नगर (नया) पर अब तक 1580.40 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, कुल 34 पार्क उन्होंने बताये हैं, 4 पार्क का पूर्ण विकास किया गया है और 2 का आंशिक। यह लघु जयपुर बसाने की एक महत्वपूर्ण योजना थी। इन पार्कों को विकसित इसलिए किया जाना था कि इससे पर्यावरण की समस्या दूर हो। तो क्या माननीय मंत्रीजी इसके लिए कोई अलग से प्रावधान करने की मंशा रखते हैं ?

प्रश्न के भाग तीन का जवाब जो उन्होंने दिया है, डी.आर.डी.ए. को एक भवन बनाने के लिए भूमि का आबंटन किया है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस दिन, कौनसे वर्ष में यह निर्णय लिया गया और उसको

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

पार्क में ही देने के पीछे क्या उद्देश्य था ? जिन पार्कों को हम महत्वपूर्ण समझते हैं, उन पार्कों में भवन बनाने की अनुमति देने का क्या औचित्य था ? इस योजना में जिस दिन भी यह भूखण्ड अलाट करने की योजना बनी, चार बार नक्शे बदले गये। डिस्पेंसरी और सार्वजनिक भवन बनाने के लिए स्थान को बदला गया। शापिंग सेण्टर को भी बदला गया। क्या माननीय मंत्रीजी इसकी जांच करवायेंगे और जिन अधिकारियों ने गुमराह करने जैसा जवाब दिया है, उन पर कोई उचित कार्यवाही करेंगे ?

अभी-अभी जनवरी, 1995 में 1500 गज जगह दिखाकर उसमें से 510 गज जगह देने का विभाग के अधिकारियों ने जो उत्तर भेजा है वह भी गलत है। वहां 1500 मीटर जगह ही नहीं है। वहां पहले से ही ट्यूबवैल बना हुआ है। जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताया, उसी के पास एक और भूखण्ड डी. आर.डी.ए. को भवन बनाने के लिए देना किस योजना के तहत है ? जबकि वहां के नागरिक बीसों बार माननीय मंत्रीजी से मिल चुके हैं, उसका विरोध कर चुके हैं। तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जांच करवाओगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो पार्क की आप चर्चा कर रहे हैं, पूर्व में विद्याधर नगर के सैक्टर एक में मानचित्र में इसे ग्रीन ही दिखाया गया था, साथ ही विद्याधर नगर के लैण्ड यूज प्लान/संस्था/वी डी एन/88/39 में इस पार्क में से 1500 वर्गमीटर भूमि सी-5 के नाम से शापिंग सेण्टर हेतु आरक्षित दिखायी गई है इसमें से 570 वर्ग मीटर भूमि में प्राधिकरण द्वारा जिला आपूर्ति एवं विपणन संस्था को आवंटित कर दी गयी थी। उक्त दोनों मानचित्रों में भिन्नता होने के कारण ही यह विवाद उत्पन्न हुआ है। विद्याधर नगर के नागरिकों की यह मांग है कि यह आबंटन रद्द किया जाय। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, यह बात सही है कि मानचित्रों में इसके उपयोग भिन्न-भिन्न दिखाये गये हैं। अब भिन्न दिखाने में किसी की शरारत है या और कोई कारण है, मैं इसकी जांच करूंगा और अगर इसमें कोई हेराफेरी की गयी है तो निश्चित रूप से उसको ठीक भी करूंगा और उसको दण्डित करेंगे ? साथ ही मैं आपसे यह भी चाहूंगा किसी समय आप वहां चलें खुद भी और अगर वहां जमीन उपलब्ध नहीं है, उसकी भी जांच करके ठीक कर देंगे।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : मैं तो इस सम्बन्ध में कई बार आपसे मिल भी चुका हूं। मेरा तो यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मिल लेना और।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर में जितनी भी आवासीय कालोनियां बनी हैं, चाहे वे हाउसिंग बोर्ड ने बनाई हैं, चाहे जे. डी.ए. ने बनाई हैं, चाहे नगर निगम ने बनाई हैं, सब में पार्कों के लिए जमीन तो छोड़ते हैं परन्तु उनमें से 10 प्रतिशत

(श्री कालीचरण सराफ)

पार्कों का भी विकास नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि वहां कचरे के ढेर रहते हैं या जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे उन पर कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं। जहां ये पर्यावरण सुधार के लिए पार्क हैं उसकी जगह गंदगी के ढेर बने रहते हैं। चाहे आप जवाहर नगर ले लीजिये, चाहे मालवीय नगर ले लीजिये, जयपुर में कम से कम 2000 पार्कों के लिए जगह छोड़ी हुई हैं उनमें से 100 पार्क भी विकसित नहीं हैं। तो सरकार की क्या योजना है पार्कों को विकसित करने के लिए? इसके बारे में माननीय मंत्रीजी बतायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये आप। नहीं, श्री गोपीराम जी।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : सैक्टर 2 में भी एक पार्क में भवन बनाने की अनुमति दी है, उसकी भी जांच करवा लें कि किस नियम के तहत दी गयी?

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के द्वारा कृषि भूमि पर जो आवासीय कालोनियां बसाई गयी हैं उनमें भी पार्क छोड़े गये हैं, क्या उन पार्कों में अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार के पास बाउण्ड्री वाल बनाने का और उनको विकसित करने का कोई कार्यक्रम है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता मेरी चिन्ता है और इसीलिए हमने यह तय किया है, जो भी पार्क जिस-जिस कालोनी में हैं, यदि वहां के नागरिक यह चाहें और उसके विकास करने का दायित्व लें तो उसकी बाउण्ड्री वाल और यदि पानी उपलब्ध है तो एक टेप वहां पर और बिजली, यह व्यवस्था हम करके दे देंगे और फिर वहां के नागरिक उसको मेन्टेन करें। हम यह एक योजना बना रहे हैं। इसके अन्तर्गत कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है और लिया भी है। जयपुर शहर में जितने पार्क हैं उनमें जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक उनको मेन्टेन करना कठिन लगता है। इसीलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप शहर के विधायक हैं, इस योजना के क्रियान्वयन में जनता का सहयोग लें। हम दीवार बना देंगे और बिजली लगा देंगे, उसके लिए हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में नहीं, सारे राजस्थान में हो रहा है। पार्क तो नगरपालिकाएं बेच रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे बड़ी खुशी होगी कि पूरे राजस्थान में यह लागू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

(12.00)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

दूदू क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें

328. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दूदू क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें, जनसंख्या के अनुसार आबंटित है ? यदि हां, तो कितनी उचित मूल्य की दुकानें आवंटित है ?

(2) क्या इनमें जनसंख्या के अनुसार राशन सामग्री की उपलब्धता नहीं है ? यदि हां, तो कब से एवं इसकी कब तक पूर्ति करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन सिद्धांत रूप से जनसख्या के आधार पर ही किया जाता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से सामान्यतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उचित मूल्य की दुकान का आबंटन किया जाता है। यदि राशन की दुकान पर राशन यूनिटस की कुल संख्या 2,000 से अधिक हो जाती है तो नयी दुकान खोले जाने का प्रावधान है। विधान सभा क्षेत्र दूदू में कुल 76 उचित मूल्य की दुकानें आबटित है।

(2) केन्द्र सरकार से राज्य को प्राप्त राशन सामग्री का मांग एवं जनसंख्या के आधार पर जिलों को उप आबंटन किया जाता है। उसके पश्चात् इसी प्रकार जिला स्तर पर तहसीलवार उप आबंटन किया जाता है। नियन्त्रित वस्तुओं में से कुछ जैसे चीनी और कैरोसिन की उपलब्धता राज्य की जनसंख्या एवं राशन यूनिट्स के अनुपात में कम है। इसे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से निरन्तर निवेदन कर उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं।

पंचायत समिति मकराना में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत निर्मित विद्यालय भवन

330. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो कितने तथा वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ?

(2) इन भवनों पर वर्ष 1993 से 1 जनवरी, 1995 तक कितनी राशि स्वीकृत हुई थी और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

(3) क्या स्वीकृत राशि व्यय हो गई है ? यदि नहीं, तो शेष राशि किस काम में ली गई ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समित मकराना में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में पांच विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ था एवं इन्हें पूर्ण करा दिया गया है।

(राज्य मंत्री, सहायता)

(2) इन भवनों पर वर्ष 1993 से 1 जनवरी, 1995 तक कुल 2,15,000 रु. की राशि स्वीकृत हुई थी और अब तक 2,11,180 रुपये की राशि व्यय की गई है।

(3) स्वीकृत राशि कुल 2,15,000/– रुपये में से केवल 2,11,180/–रुपये खर्च किये गये हैं, शेष राशि रुपये 3820/– राजकोष में जमा करा दी गई है।

अतारांकित–प्रश्नोत्तर

वित्त निगम द्वारा पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन

479. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा वर्ष 1993-94 और 1994-95 में किस-किस पत्र-पत्रिका को कितना-कितना विज्ञापन राज्य के अन्दर और बाहर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(1) विज्ञापन देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) किस पत्र-पत्रिका को कितना विज्ञापन देना है, इसका निर्णय किस स्तर पर किया जाता है?

(4) क्या उक्त अवधि में विभिन्न स्मारिकाओं में भी विज्ञापन दिया गया? यदि हां, तो कौन-कौनसी स्मारिका को कितना-कितना?

उत्तर

(1) वित्त निगम द्वारा सन् 1993-94 और 1994-95 में निविदा सूचनाओं एवं विज्ञापनों पर किये गये खर्चों का ब्यौरा, राज्य के अन्दर और बाहर दिये गये पत्र-पत्रिकाओं का, संलग्न किया जा रहा है। (परिशिष्ट–"अ")

(2) वित्त निगम ने विज्ञापन संबंधी प्रक्रिया के लिए प्रासीजर बनाया हुआ है। सरकूलर नम्बर आर. एफ. सी./पी. एण्ड जी/387/दिनांक 22-9-90 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-"ब")

(3) विज्ञापन दिये जाने के संबंध में निर्णय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक स्तर पर किये जाते हैं।

(4) जी हां। वित्त निगम द्वारा विभिन्न स्मारिकाओं में भी विज्ञापन दिये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट–"स")

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर परिषद्/नगरपालिकाओं में बने होटलों को जनरेटर हेतु अनुदान

480. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अथवा नगरपालिकाओं की सीमाओं में

(श्री रतन लाल ताम्बी)

बनाये गये अथवा बनाये जा रहे होटल को उद्योग मानकर अनुदान दिया जा रहा है ?

(2) क्या होटलों पर लगाये जाने वाले जनरेटर सैट हेतु भी अनुदान दिया जाता है ?

उत्तर

(1) पर्यटन विकास हेतु राज्य पूंजी विनियोजन योजना 1993 के अनुसार उक्त योजना के क्लाज 4 में उल्लेखित नगर परिषद् अथवा नगरपालिकाओं की सीमाओं में बनाये गये अथवा बनाये जा रहे होटलों को उद्योग मानकर अनुदान दिया जा रहा है ।

(2) राज्य में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से होटलों में लगाये जा रहे जनरेटिंग सैट्स क्रय करने हेतु दी राजस्थान ग्रान्ट आफ सबसिडी टू टूरिज्म यूनिट फार पर्चेज आफ डीजल जनरेटिंग सैटस रेगूलेशन्स, 1994 के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है ।

उद्यमी द्वारा एक मुश्त ऋण जमा कराने पर ब्याज में छूट

481. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उद्यमी द्वारा दो लाख रुपये का ऋण एक मुश्त (बकाया ऋण) जमा करवाने पर सरकार की ब्याज वसूलने की क्या प्रक्रिया एवं नीति निर्धारित है ?

(2) क्या सरकार दो लाख के ऊपर की ऋण राशि उद्यमी द्वारा एक साथ जमा कराने पर ब्याज तथा ऋण मय ब्याज वसूलने का विचार रखती है ?

(3) क्या इन मामलों में न्यायालय के आदेश के बावजूद ऋण किस्तों की पुनर्निर्धारण की कार्यवाही वित्त निगम द्वारा की गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में उद्योग द्वारा समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत कर ऋण किस्त की पुनर्निर्धारण के अनुसार भुगतान करने की स्थिति में सरकार के दण्डनीय ब्याज की छूट के संबंध में क्या कोई नीति, नियम है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस नीति को बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा 2.00 लाख रुपये का ऋण एक मुश्त जमा करवाने पर अलग से कोई प्रक्रिया एवं नीति निर्धारित नहीं की है । उद्यमी द्वारा एक मुश्त जमा करवाने पर निगम द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर उसे दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की जाती है ।

(2) जी हां । निगम द्वारा ऋण मय ब्याज वसूल किया जाता है ।

(3) निगम द्वारा न्यायालय के आदेशों की पूर्णतया पालना की जाती है । अगर किसी इकाई का समझौता प्रस्ताव निगम को प्राप्त होता है तो उस पर गुणावगुण के आधार पर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय लिया जाकर निगम के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर दण्डनीय ब्याज में छूट दी जाती है । राज. वित्त

(उद्योग मंत्री)

निगम ने दण्डनीय ब्याज में छूट देने की एक निर्धारित प्रक्रिया बना रखी है, जिसके अन्तर्गत इकाई द्वारा मापदण्डों को पूरा करने पर दण्डनीय ब्याज में छूट दी जाती है। निगम ने 1-4-95 से 2.00 लाख रुपये तक के ऋण के मामलों में दण्डनीय ब्याज नहीं लेने का निर्णय लिया है।

ग्राम घुर्सीकापुरा (हिण्डोन) के व्यक्तियों को ड्रिप योजना के तहत ऋण

482. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993–94 में ग्राम घुर्सीकापुरा तहसील हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर के किस-किस व्यक्ति को ड्रिप योजना के तहत चक्की स्पेलर लगाने हेतु 60,000 रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त ऋण का मुगतान संबंधित बैंक मैनेजर द्वारा ऋणियों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त ऋण का मुगतान शीघ्र कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार ऐसे ऋणों के मुगतान में विलम्ब करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1993–94 में ग्राम घुर्सीकापुरा तहसील हिण्डोन, जिला सवाई माधोपुर में ड्रिप योजनान्तर्गत चक्की स्पेलर लगाने हेतु किसी भी व्यक्ति को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

(2) ऋण स्वीकृत नहीं किया गया। अतः भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) लागू नहीं।

अजमेर जिले के खराब हैण्डपम्प

483. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले की किस-किस तहसील में कितने-कितने हैण्डपम्प हैं ?

(2) वर्तमान में अजमेर जिले की किस-किस तहसील में कितने-कितने हैण्डपम्प खराब हैं और उन्हें कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में, अजमेर जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विभागीय हैण्ड पम्पों की संख्या क्रमशः तहसील अजमेर में 2942, तहसील ब्यावर में 2438, तहसील केकड़ी में 1252, तहसील किशनगढ़ में 1830, तहसील नसीराबाद में 385, तहसील सरवाड़ में 572 है।

(2) वर्तमान में अजमेर जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील अजमेर में 131 हैण्डपम्प, तहसील ब्यावर में 299 हैण्डपम्प तहसील केकड़ी में 161 हैण्डपम्प,

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तहसील किशनगढ़ में 87 हैण्डपम्प, तहसील नसीराबाद में 39 हैण्डपम्प, तहसील सरवाड़ में 30 हैण्डपम्प खराब हैं। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्प पंचायत समिति स्तर पर मरम्मत कर ठीक कराये जाते हैं। विभाग द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों को सुधारने का विशेष अभियान इसी माह एक अप्रेल, 95 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जो सम्भवतः जुलाई मध्य तक जारी रहेगा। इस अभियान में ठीक होने योग्य सभी हैण्डपम्पों को ठीक कराने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम मीठड़ी (लाडनूं) के कनिष्ठ अभियन्ता का मुख्यालय

484. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग के उपखण्ड लाडनूं खण्ड डीडवाना के ग्राम मीठड़ी में कनिष्ठ अभियन्ता मुख्यालय है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त स्थान पर नियुक्त कनिष्ठ-अभियन्ता कहां रहते हैं?

(2) क्या विभाग के उच्चाधिकारियों ने कभी इस बात की जांच की हैं कि उक्त कनिष्ठ अभियन्ता वहां पर रहते हैं या नहीं? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त कनिष्ठ अभियन्ता ने लाडनूं शहर में ही स्थाई रूप से किराये पर मकान ले रखा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इनका मुख्यालय ग्राम मीठड़ी ही है और लाडनूं शहर इनके कार्यक्षेत्र में नहीं है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) मुख्यालय और कार्यक्षेत्र से बाहर जाने व स्थाई निवास करने के बारे में सेवा नियमों में क्या व्यवस्था है? क्या उनकी इस मामले में पालना हुई है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस प्रकरण में नियमों की अवहेलना हो रही है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो इस गांव में मुख्यालय बनाने का क्या उद्देश्य था?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय निर्देशों के अनुसार नियुक्त कनिष्ठ अभियंता को अपने कार्य क्षेत्र में ही रहना होता है। फिर भी कनिष्ठ अभियंता की मुख्यालय पर नहीं रहने सम्बन्धी तथ्यों की जांच करवाना प्रस्तावित है।

(2) समय-समय पर कनिष्ठ अभियंता स्तर से ऊंचे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान इस प्रकार की जांच की जाती है। किसी विशिष्ट अवधि का उल्लेख किये जाने पर ही विशिष्ट तथ्य उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पाया गया है कि वर्तमान में पद स्थापित कनिष्ठ अभियंता की धर्मपत्नी पंचायत समिति लाडनूं के ग्राम जसवंतगढ़ में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं एवं उन्हीं के द्वारा कोई मकान वहां लिया हुआ है। अभी उल्लेखित कनिष्ठ

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

अभियंता का मुख्यालय "मीठड़ी" ही है तथा लाडनूं में उनके उच्चाधिकारी सहायक अभियंता का कार्यालय है। लाडनूं शहर के लिये अलग से कनिष्ठ अभियंता का पद है।

(4) राज्य सरकार के नियमानुसार अभी राज्य कर्मचारियों को मुख्यालय व अपने क्षेत्र में ही निवास करने के निर्देश हैं। राज्य कार्य हेतु अन्य स्थानों पर भी यात्रा करने का नियमों में प्रावधान है। इस प्रकार राज. टी. ए रूल्स आदि विधान सभा के पुस्तकालय में पहले ही उपलब्ध होंगे या वहां से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(5) मुख्यालय, मीठड़ी ग्राम को, निकट वाले ग्रामों की योजना पर सुदृढ़ नियत्रण रखने के कारण मुख्यालय घोषित किया गया था। नियमों की अवहेलना के सम्बन्ध में विशिष्ट तथ्य उपलब्ध कराये जाने पर ही जांच करानी सम्भव होगी।

जोधपुर शहर के विचाराधीन उच्च जलाशय

485. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में कितने उच्च जलाशय बनवाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? इन जलाशयों के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

(2) क्या वाईजी का तालाब क्षेत्र में भी उच्च जलाशय बनवाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो यह जलाशय कब तक बन जायेगा ?

(3) जोधपुर शहर में कुल कितना पानी वितरित किया जाता है और कितने पानी की आवश्यकता है ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर के उल्लेखित क्षेत्र में दो उच्च जलाशयों का निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन है। इन जलाशयों हेतु भूमि का आवंटन अभी होना है। जिसके उपरांत ही निर्माण कार्य सम्भव होगा।

(2) जी हां। उच्च जलाशय हेतु, चयनित भूमि विभाग को प्राप्त होने पर ही कार्य आरम्भ करा कर इस प्रकार के कार्य छः माहों में पूर्ण किया जाना सम्भव होता है।

(3) वर्तमान में विभिन्न स्रोतों से पिछले चार माह के औसत (नवम्बर 94 से फरवरी 95) आधार पर लगभग 217.00 लाख गैलन पेयजल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। वर्ष 94-95 में जोधपुर लिफ्ट केनाल के परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर जोधपुर शहर की प्रतिदिन वर्तमान आवश्यकता लगभग 327 लाख गैलन संगणित की गई थी।

ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने पर व्यय

486. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994-95 में ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मात्रा बढ़ाने अथवा

(श्री हरिसिंह)

नये ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने पर कुल कितनी धनराशि 31–1–1995 तक व्यय की गई ? विधान सभा क्षेत्रवार व्यय हुई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वित्तीय वर्ष 94–95 में जनवरी, 95 तक नये ग्रामों में एवं संवर्धन योजनाओं में पेयजल उपलब्ध कराये जाने पर 66.86 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं खण्डवार एवं जिलेवार खर्चे की सूचना संलग्न प्रपत्र 'अ" में उपलब्ध है क्योंकि विभाग वर्तमान वित्तीय प्रणाली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार लेखें नहीं रखता है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के गांवों एवं ढाणियों की पेयजल योजनायें

487. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव एवं ढाणियां पेयजल की किन-किन योजनाओं से जुड़े हुए हैं ?

(2) किन-किन गांवों एवं ढाणियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल रहा है एवं कहां-कहां पर पेयजल आपूर्ति में किन कारणों से बाधा आ रही है ?

(3) क्या विभाग बाधाओं को दूर करने के प्रयास कर रहा है ? यदि हां, तो ग्राम वार किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के समस्त 87 गांव एवं 39 ढाणियां पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं, जिसका विवरण प्रपत्र "अ" में दर्शाया गया है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के 47 गांवों एवं 20 ढाणियों में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल रहा है, सूची प्रपत्र "ब" में दर्शायी गयी है 140 गांवों एवं 19 ढाणियों में जहां पेयजल आपूर्ति में वर्तमान में कुछ समस्यायें हैं, का विवरण प्रपत्र "स" में दर्शाया गया है।

(3) जी हां, वांछित विवरण भी प्रपत्र "स" में दर्शाया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम दयालपुरा एवं बाढ़ बाबूपुरा के हैण्डपम्प

488. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील बस्सी के ग्राम दयालपुरा एवं बाढ़ बाबूपुरा में कितने-कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हैं ? वर्तमान में कितने हैण्डपम्प चालू हैं और कितने हैण्डपम्प कब से खराब पड़े हैं ? क्या सरकार दोनों ग्रामों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को शीघ्र ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(श्री भीखाभाई)

(2) क्या सरकार ग्राम दयालपुरा की अनुसूचित जाति की बस्तियों में लगे सभी हैण्डपम्प खराब होने के कारण नये हैण्डपम्प, कुओं व ओवरहैड टैंक बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने हेतु राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार के द्वारा यह कार्य किया गया ? वर्ष 1994-95 का विवरण ठेकेदार के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी के ग्राम दयालपुरा में अभी विभाग द्वारा कुल 6 हैण्डपम्प, एवं ग्राम बाढ़ बाबूपुरा में एक हैण्डपम्प स्थापित किया हुआ था। हैण्डपम्पों के संधारण का कार्य सामान्यतया पंचायत समितियों के अन्तर्गत है। वर्तमान में ग्राम दयालपुरा में एक हैण्डपम्प तलाई के पास चालू है। शेष 5 हैण्डपम्पों में से 2 हैण्डपम्प परित्यक्त है। विभाग द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी के अनुसार एक हैण्डपम्प 2 माह पूर्व बोरिंग गिर जाने से बन्द है व अन्य 2 हैण्डपम्प भी मरम्मत योग्य हैं पर करीब गत 3 माह से बन्द है। ग्राम बाढ़ बाबूपुरा का एक हैण्डपम्प गत लगभग 3 वर्ष से बन्द है, तथा परित्यक्त है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। वर्तमान माह में विभाग द्वारा विशेष "हैण्डपम्प मरम्मत अभियान" प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत समस्त मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ठीक कराने के प्रयास जारी हैं। ग्राम बाढ़ बाबूपुरा की समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(2) उक्त (1) के अनुसार ग्राम दयालपुरा की बस्तियों में लगे 2 हैण्डपम्पों को शीघ्र ही ठीक करा दिया जावेगा। कुएं व ओवर हैड टैंक की योजना अभी प्रस्तावित नहीं है क्योंकि ग्राम दयालपुरा की वर्ष 1991 की जनगणनानुसार आबादी 678 है एवं निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं है।

(3) जैसा कि उपरोक्त (1) में बताया गया है, राज्य सरकार की वर्तमान नीति निर्देशानुसार, जयपुर जिले में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने का कार्य पंचायत समिति स्तर पर कराया जाता है व इस प्रकार की लेखा-सम्बन्धी सूचना यह विभाग नहीं रखता है। गत वर्ष ग्रीष्मकाल में भी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर, हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य, विभागीय स्तर पर ही कराया गया था।

सहायक अभियंता, जायल (नागौर) द्वारा खरीदे गये सामान के भुगतान में विलम्ब

489. डा. शंकरलाल (कपासन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जायल जिला नागौर को दो वर्ष पूर्व मुकेश इलेक्ट्रिक स्टोर जायल द्वारा एम. बी. नं 1165 व 1418 द्वारा कुल 14813 रुपये का सामान प्रदाय किया

(डा. शंकरलाल)

गया था, जिस पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता के हस्ताक्षर भी हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इतनी लम्बी अवधि के बाद भी उक्त बिलों का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त राशि का भुगतान मय ब्याज के कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बिलों के सम्बन्ध में प्रश्न में अन्य विशिष्ठ तथ्यों जैसे बिल संख्या अथवा दिनांक आदि अंकित करने पर और अधिक गहन परीक्षण किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) उपर्युक्त (1) के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

(3) पुराने बिलों के सम्बन्ध में भुगतान हेतु विभाग ने प्रक्रिया निर्धारित की हुई है जिसकी पालना कर इस प्रकार के प्रकरण निर्णीत किये जाते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार इस प्रकार के भुगतान देते समय ब्याज देय नहीं होता है।

पुनासा (जालोर) की जल प्रदाय योजना

490. श्री चेनाराम (डीडवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना पुनासा तहसील रानीवाड़ा जिला–जालौर से ग्राम भाटीप को पानी की पाइप लाइन से जोड़ा गया है ? यदि हां, तो इससे किन-किन गांवों को पानी दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों को पुनासा से महीने में केवल 10–15 दिन ही पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुनासा में मीटर जल जाने पर 20–20 दिन तक उसे ठीक नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) उक्त लापरवाही बरतने के लिये सरकार ने दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुनासा से दांतिवा, सामरानी, कोडका, भाटिप, पमाणा, फागोतरा, सारियाणा, जोगाऊ, थाबाऊ, बनों की ढाणी, वाडानया, कुका, पुरियाखेड़ा, मेंडा ब्राह्मणा, हायु की ढाणी, भालनी, जोधावास व अपखोल; ग्रामों में पानी दिया जाता है।

(2) उल्लेखित योजना का स्रोत पुनासा में एक खुला कुंआ एवं एक नलकूप है जो डायरेक्ट फिडर से विद्युतीकृत हैं। जब कभी विद्युत की आपूर्ति की कटौती होती है अथवा तकनीकी व्यवधान होता है पेयजल आपूर्ति कम होती है क्योंकि यह योजना 16 घण्टे विद्युत उपलब्धता पम्पिंग आधारित डिजायन पर बनी है।

(3) जी नहीं, पुनासा खुले कुंए में स्टेण्डबाई पम्प सैट है। यदि इस सम्बन्ध

Page No. 33

(33)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

में विशिष्टतथ्यों का उल्लेख किया जावे, तो गहनता से जांच करानी सम्भव होगी।

(4) उक्त (1) एवं (2) के अनुसार यदि विशिष्ट तथ्य उपलब्ध कराये जायें तभी कार्यवाही, जांच उपरांत सम्भव हो सकती है।

करौली क्षेत्र के ग्रामों में पीने के पानी की समस्या का समाधान

491. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार करौली क्षेत्र के ग्रामों में गर्मियों में अकाल राहत के अन्तर्गत किसानों व मवेशियों के पीने के पानी की समस्या का हल करने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो करौली क्षेत्र के ग्रामों में इस वर्ष कितने हैण्डपम्प लगाये गये और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्रामों में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के आधार पर अभी किन्हीं भी ग्रामों को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है लेकिन राज्य सरकार करौली क्षेत्र के ग्रामों में गर्मियों में पेयजल समस्या के समाधान के लिये पूर्णतया प्रयासरत है एवं कटिबद्ध है।

(2) वर्ष, 1994–95 के समर कन्टीजेन्सी कार्यों के तहत करौली क्षेत्र में 12 हैण्डपम्प बनाये गये थे तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत भी 31-3-95 तक 13 हैण्डपम्प लगाये गये हैं। इस गर्मी में तुरन्त राहत पहुंचाने हेतु शून्य सेवा स्तर के 14 ग्रामों में 20 हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाकर गर्मी में पेयजल उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

(3) सामान्यत: हैण्ड पम्पों के संधारण का कार्य पंचायत समितियों के अन्तर्गत कराया जाता है। विभाग द्वारा खराब पड़े हैण्ड पम्पों की विशेष मरम्मत अभियान इस माह प्रारम्भ किया गया है जिसके दौरान सर्वेक्षण करा, मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को ठीक किया जावेगा। वर्तमान विभागीय अभियान माह जुलाई, 95 तक चलने की सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 492

(स्थगित)

नागौर जिले को डार्क-जोन से मुक्त करना

493. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डार्क जोन घोषित करने के मानदण्ड क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले को डार्क-जोन घोषित करने से किसानों को कुएं खोदने के लिए बैंकों से ऋण तथा अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं ?

(34)

(श्री रूपाराम)

(3) क्या सरकार नागौर जिले से डार्क-जोन हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भूजल आंकलन समिति के मापदण्ड के अनुसार जिस पोटेन्शियल जोन में भूजल विकास का स्तर 85% से अधिक हो उस क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया जाता है ।

(2) जी हां, नागौर जिले के डार्क-जोन घोषित क्षेत्र में नाबार्ड व अन्य बैंकों द्वारा कुएं खोदने के लिये ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं होती है । जिन क्षेत्रों में अधिक दोहन के लिए भूजल उपलब्ध ही नहीं है वहां इसके दोहन के लिए ऋण स्वीकृत करना जनहित में नहीं होगा ।

(3) भूजल संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन लगातार किया जाता है । वर्ष, 1994 के आंकड़ों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । प्रतिवेदन के भूजल आंकलन समिति द्वारा अनुमोदन पश्चात् ही पुनर्निर्धारण सम्भव हो सकेगा । अगर भूजल का निकास, आवक के 85% से कम रहा तो इसे डार्क जोन से हटाया जा सकेगा ।

जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों का नियमन

494. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कैम्प लगाकर कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी कुछ सहकारी समितियों द्वारा बसाई हुई आवासीय कालोनियों का नियम करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौनसी समितियों की कौन-कौनसी आवासीय योजनाएं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार शेष रही आवासीय कालोनियों को भी नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में कैम्प लगाकर कार्यवाही की गई है । जिन सहकारी समितियों की योजना को कैम्प लगाकर नियमित किया गया है उनकी सूची संलग्न है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18-2-94 को जारी परिपत्र एवं रूपान्तरण नियम, 1981 के प्रतिवेदन के अनुरूप सभी मापदण्डों को पूर्ण करने वाली आवासीय कालोनियों को नियमन किया जा रहा है । दिनांक 18-2-94 के पश्चात् नियमन में कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है । अभी तक नियमित की गई

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सहकारी समितियों की योजनाओं की स्थिति प्रश्न के भाग एक में दी गई सूची से स्पष्ट है ।

(3) उन सभी आवासीय कालोनियों का जो रूपान्तरण नियम, 1981 एवं तदोपरान्त राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों में वर्णित मापदण्डों को पूरा करती है नियमन किये जाने की प्रक्रिया जारी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 495

(स्थगित)

आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों में मूलभूत सुविधाएं

496. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों के निवासियों को क्या-क्या मूलभूत सुविधायें मण्डल द्वारा उपलब्ध करवायी जाती हैं ?

(2) चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर में कौन-कौन सी सुविधायें आवासन मण्डल द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है ।

(3) क्या सरकार चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड कालोनी जोधपुर में 11 व 12 नम्बर सेक्टर में एक कम्यूनिटी हॉल एवं खेल मैदान के निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मकानों के निवासियों को बोर्ड द्वारा निम्नलिखित मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवायी जाती हैं :—

(क) कालोनी में सड़कों का निर्माण करवाना,

(ख) बिजली व पानी की लाइनें बिछवाना,

(ग) विभिन्न सेक्टरों में स्वीकृत प्लान के अनुसार पार्क विकास कार्य करवाये जाते हैं,

(घ) विभिन्न कालोनियों में शापिंग सेन्टर बनवाये जाते हैं,

(च) कालोनी में सीवरेज की निकासी हेतु सीवर लाइन या सोक पिट्स का निर्माण कार्य करवाना,

(छ) कालोनी में स्कूलों का निर्माण करवाया जाता है एवं स्कूल हेतु भूखण्डों का आबंटन भी किया जाता है ।

(2) चौपासनी आवासन बोर्ड, जोधपुर में वर्तमान में उपरोक्त सभी मूलभूत सुविधाएं बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।

(3) चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर के सेक्टर 11 एवं 12 में एक कम्यूनिटी हॉल एवं एक खेल मैदान हेतु भूखण्ड आरक्षित किये हुये हैं, जिन्हें विकसित करने का आवासन मण्डल में प्रावधान निम्नानुसार है :—

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राज्य सरकार के आदेश संख्या 4457 दिनांक 15-9-94 के अनुसार आवासन मण्डल, जोधपुर में कम्यूनिटी हॉल का निर्माण नागरिकों द्वारा प्रस्ताव आने पर एवं निम्न अनुपात में राशि उपलब्ध कराये जाने पर कर सकता है :—

(अ) राज्य सरकार का अंश	50 प्रतिशत
(ब) राजस्थान आवासन मण्डल	20 प्रतिशत
(स) स्थानीय नागरिक	30 प्रतिशत

आवासन मण्डल में प्रति नियुक्ति पर लगे अधिकारी कर्मचारी

497. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आवासन मण्डल के कितने अभियन्ता व कितने लेखा कर्मचारी व अधिकारी आवास विकास संस्थान में कब से प्रतिनियुक्ति पर गये व इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि कब समाप्त हुई ? क्या इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई ? यदि हां, तो कब-कब ?

(2) आवासन मण्डल में कुल कितने वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन वर्कचार्ज कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन व अन्य भत्तों की राशि कुल निर्माण कार्यों की लागत से 2 प्रतिशत अधिक है ?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल के 65 अभियन्ता एवं 12 लेखा अधिकारी/कर्मचारी आवास विकास संस्थान में वर्ष, 1989 से समय-समय पर प्रतिनियुक्ति पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए भेजे गये थे। (सूची संलग्न है) चिन्हित स्टार (×) के अलावा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की एक वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त हो चुकी है तथा किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति अवधि नहीं बढ़ाई गई है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल में कुल 822 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

रामनाथपुरी (झोटवाड़ा जयपुर) में सड़क पर अनाधिकृत निर्माण

498. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा क्षेत्र की रामनाथपुरी में सड़क पर स्थानीय लोगों द्वारा दुकानों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त दुकानों के निर्माण के बारे में शिकायत हुई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में विधायकों ने भी पत्र लिखे हैं ? यदि हां, तो किन-किन विधायकों के पत्र प्राप्त हुए ?

(4) क्या विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही कर उन्हें सूचित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कालवाड़ रोड़ झोटवाड़ा की रामनाथपुरी की सड़क पर श्रीमती धापा देवी पत्नि गौरीशंकर खण्डेलवाल द्वारा 8 दुकानों का निर्माण किया था। इस सम्बन्ध में पूर्व प्रवर्तन अधिकारी श्री शमशेर खां ने धारा 72 जविप्रा अधिनियम के अन्तर्गत विशेष थाना जयपुर शहर में मुकदमा नम्बर 1/94 दर्ज करवाया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त श्रीमती धापा देवी की माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, जयपुर नगर से दिनांक 10-1-94 को जमानत हो चुकी है तथा मामला अपर मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नम्बर–2 में विचाराधीन है।

(2) श्री गोपीराम जाट माननीय सदस्य विधान सभा से उक्त दुकानों के निर्माण के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। कार्यवाही विवरण बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में अंकित है।

(3) जी हां। मात्र एक विधायक श्री गोपीराम जाट, माननीय सदस्य विधान सभा से शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था।

(4) मा. विधायक श्री गोपीराम जाट के पत्र पर की गई कार्यवाही से पूर्व उन्हें अवगत नहीं करवाया गया है। अब अवगत कराया जा चुका है।

नन्दपुरी चौराहा (जयपुर) से न्यू सांगानेर रोड तक स्वीकृत सड़क

499. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नन्दपुरी चौराहा, जयपुर से स्वेज फार्म होते हुए विवेक, न्यू सांगानेर रोड़ तक सड़क स्वीकृत है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या विभाग को ज्ञात है कि इस रोड़ के नहीं बनने से पूरे रामनगर, सोडाला के निवासियों को निकटतम टैम्पो स्टेण्ड यथा सोडाला थाना, बाईस गोदाम आने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस महत्व-पूर्ण लिंक रोड को जो कि सांगानेर-मानसरोवर को बाईस गोदाम से जोड़ती है, का निर्माण, कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि स्वेज फार्म क्षेत्र सहकारी समितियों द्वारा बसाया गया क्षेत्र है व अधिकांश योजनायें अनुमोदित नहीं है। नन्दपुरी चौराहा से महादेव नगर तक सड़क निर्मित है, जो सेक्टर सड़क है।

(2) रामनगर सोडाला क्षेत्र जो हवा सड़क के समीप है, सोडाला टेम्पो स्टेण्ड से जुड़ा हुआ है। नन्दपुरी चौराहा से स्वेज फार्म होते हुऐ विवेक बिहार, न्यू सांगानेर रोड़ तक सड़क बनाने का प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

उदयपुर नगर परिषद् व नगर विकास न्यास द्वारा जारी भू-खण्डों के पट्टे

500. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर परिषद् व नगर विकास प्रन्यास द्वारा जनवरी, 1990 से आज तक की अवधि के दौरान आवासीय एवं व्यावसायिक भू-खण्डों के पट्टे जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो ये पट्टे किस-किस के नाम कब-कब तक जारी किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने पट्टों हेतु नगर विकास प्रन्यास के बोर्ड से प्रस्ताव पारित किये गये और कितने जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा जो कि प्रन्यास के प्रशासक हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा जारी किये पट्टों की सूची संलग्न है। नगर परिषद्, उदयपुर द्वारा वर्ष, 1990 से आज तक आवासीय प्रयोजनार्थ कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। 20 अप्रेल, 1992 में 6 व्यक्तियों को नीलामी से भूमि विक्रय कर पट्टे जारी किये गये हैं। जिनके नाम हैं- 1. मोहम्मद हुसेन पिता मोहम्मद अल्लानूरजी, 2. मोहम्मद शरीफ पिता मो. अल्लानूर, 3. फैज खां पिता हमीद खां जी, 4. असलम खां पिता युसुफ खां, 5. फारूख खां पिता रहयात खां, 6. अब्दुल पिता अब्दुल रहमान।

(2) आवासीय प्रयोजनार्थ आबंटित/विक्रय की गई भूमि/भूखण्ड के पट्टे जारी करने हेतु बोर्ड या न्यास मण्डल के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। भूमि का आबंटन/विक्रय राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के तहत बने भूमि निष्तारण नियम, 1974 के प्रावधानान्तर्गत किया जाता है एवं पट्टे नियम 20 के तहत जारी किये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर की बाइस गोदाम से दुर्गापुरा फाटक तक की सड़क निर्माण में बाधा

501. श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन के पश्चिम में बाइस गोदाम से दुर्गापुरा फाटक तक जे. डी. ए. सेक्टर रोड पर पूर्व से ही मकान बने होने के कारण निर्धारित माप के अनुसार नहीं बन पाई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क के बनने के बाद किस-किस व्यक्ति ने सड़क निर्माण पर बाधा डालकर मकान निर्माण करा लिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस सेक्टर रोड को निर्धारित माप में निर्मित करने के लिए प्रश्न के भाग-1 व 2 में वर्णित व्यक्तियों के मकान हटाने के लिए जे. डी. ए. ने अब तक क्या कार्यवाही की है और किस-किस अदालत में

(श्री महादेवसिंह)

मुकदमे कब-कब से चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) सेक्टर रोड निर्माण में आ रही बाधा को कब तक हटा दिया जायेगा ?

(5) क्या इस वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष में जे. डी. ए. की योजनानुसार इस सड़क पर कार्य करवाये जावेंगे ?

(6) इस सड़क के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए और टोंक रोड का ट्रेफिक इस पर स्थानान्तरित करने हेतु क्या सरकार इसके प्रारम्भ से अन्त तक रोड लाइट लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राधिकरण की जोन न 2-ए में क्षेत्र करतारपुरा फाटक से वाइस गोदाम तक है । सेक्टर प्लान में इसे 100 फीट रोड दिखाया गया है जिसके एक तरफ पूरी पट्टी पर ही दुकानों एवं मकानों का अतिक्रमण है जिनकी सं. 200 से भी अधिक है । जिनका जोन से कभी सर्वे नहीं हुआ है कि इस पट्टी पर कौन-कौन व्यक्ति सड़क को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या 200 से अधिक है ।

(2) किसी भी व्यक्ति ने इस सड़क बनने के बाद अतिक्रमण किया हो ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है ।

(3) सर्वे के आदेश दिये हैं, सर्वे कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी । किस-किस अदालत में मुकदमे किन-किन के चल रहे हैं इसकी सूची संलग्न की जा रही है ।

(4) विभाग पुराने कब्जा धारियों को हटाने के सम्बन्ध में सर्वे की कार्यवाही की जा रही है ।

(5) भूमि की उपलब्धता के अनुरूप योजनानुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है ।

(6) कार्य की प्राथमिकता व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय किया जावेगा ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 502

(स्थगित)

दी कृष्णा हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड जयपुर को स्कीम नम्बर 7 के नक्शों में परिवर्तन

503. श्री महादेवसिंह (खण्डेला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी कृष्णा हाऊसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जयपुर की आवासीय स्कीम नम्बर 7 के सम्बन्ध में सर्वप्रथम नक्शा कब प्रस्तुत किया गया और कब-कब नक्शे में परिवर्तन कर नया नक्शा कब प्रस्तुत किया गया ? नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में किस-किस व्यक्ति को कौन-कौन सा प्लाट आवंटन किया जाना बतलाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दी कृष्णा हाऊसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी लि. जयपुर की आवासीय स्कीम संख्या एस–7 के सम्बन्ध में समिति द्वारा प्रथमप्रथम नक्शा दिनांक 28–2–83 को प्रस्तुत किया गया, और इस नक्शे में दिनांक 1-6-84, 5-12-84, 23-12-87 एवं 30-9-94 को परिवर्तन कर नये नक्शे प्रस्तुत किये। पांच बार प्रस्तुत नक्शे की केवल एक सेट में एक एक प्रति संलग्न है अतिरिक्त प्रतियां तैयार करवाने में होने वाली अत्यधिक कठिनाई की वजह से शेष प्रतियां प्रस्तुत नहीं करने की छूट प्रदान की जावे यदि फिर भी आदेश होंगे तो अतिरिक्त प्रतियां पेश कर दी जावेंगी।

(2) समिति द्वारा प्रस्तुत नक्शे में किस-किस व्यक्ति को कौन-कौन से प्लाट आबंटन किये जाने बतलाये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम से तोड़े गये मंदिर

504. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर नगर विकास न्यास गठित होने के बाद अतिक्रमण हटाने के नाम पर अनेक मंदिर तोड़े गये हैं? क्या उन मंदिरों को न्यास की मिटिंग में स्वीकृति लेकर तोड़े हैं?

(2) अलवर में और कितने मंदिरों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़े जाने की सूची नगर विकास न्यास ने बना रखी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर नगर विकास न्यास द्वारा इसके गठन के बाद से वैधानिक रूप से निर्मित किसी भी मन्दिर को नहीं तोड़ा गया।

(2) जी नहीं। इस तरह की कोई सूची न्यास द्वारा तैयार नहीं की गई है क्योंकि विधिक रूप से बने हुए मन्दिरो को तोड़ने की न्यास की कोई नीति नहीं है।

जयपुर शहर की लाल कोठी योजना पर अनधिकृत कब्जे

505. श्री लक्ष्मण सिंह (मीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में लाल कोठी योजना कब बनी तथा इनमें कौन-कौन से खसरा नम्बर की भूमि में से कितना-कितना रकबा किस-किस उद्देश्य हेतु रखा गया? सूची तथा नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन-कौन सी भूमि पर इसके उद्देश्य को बदलते हुये किनके हक में आदेश दिये गये?

(3) उपरोक्त भूमि में से किन-किन व्यक्तियों को किस-किस कारण किन-किन शर्तों पर कितनी-कितनो भूमि आबंटित की गई?

(श्री दलीचन्द)

क्या हैं तथा यह पदवार कितनी राशि की सीमा तक निविदा स्वीकृत कर सकते हैं ?

(2) वर्ष 1994–95 में माही बजाज सागर परियोजना में कितनी राशि की निविदाएं स्वीकृत की गयी ? क्या यह स्वीकृत बजट के अनुसार ही थी ?

(3) क्या यह सही है कि निकट भविष्य में मुख्य अभियन्ता माही परियोजना की सेवा निवृत्ति होनी है ऐसी स्थिति में जनवरी, 1995 से मार्च, 1995 के बीच भारी मात्रा में निविदाएं आमन्त्रित की गई, जिसमें से अधिकांश नहरों के रिमोडलिंग कार्यों से सम्बन्धी है ?

(4) क्या सरकार जल्दबाजी में आमंत्रित की गई निविदाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) वर्ष 1994–95 में माही बजाज सागर परियोजना में कुल 1313.74 लाख रु के कार्यों की निविदाएं स्वीकृत की गई हैं जो कि बजट प्रावधान के अनुसार ही थी।

(3) जी हां। मुख्य अभियन्ता, माही दिनांक 31–3–1995 को सेवा निवृत हो चुके हैं। जनवरी, 1995 से मार्च, 1995 के बीच 187 कार्यों के लिए 1856 लाख रुपये की लागत की निविदाएं आमन्त्रित की गई, इनमें से रिमोडलिंग से सम्बन्धित 45 कार्यों की निविदाएं आमन्त्रित की गई जिनकी लागत 949 लाख रु. हैं। कुल निविदाओं में से 11 कार्यों (लागत रु. (143 लाख रु.) की निविदाऐं उच्च दरों पर होने के कारण निरस्त कर दी गयी एवं 1259 लाख रु की निविदायें विचाराधीन हैं।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

अम्बापुरा बांध (केकड़ी) का निर्माण

514. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अम्बापुरा बांध (केकड़ी) बाढ़ के कारण कब और कितना प्रतिशत क्षतिग्रस्त हुआ ? क्या क्षतिग्रस्त बांध की जांच करवायी गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बांध के निर्माण में किन-किन अभियन्ताओं का योगदान रहा ? पूर्व में बांध का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ करवाया गया एवं कब तक चला तथा कितनी राशि व्यय की गयी ?

(3) क्या सरकार अम्बापुरा बांध (केकड़ी) के पुनर्निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अम्बापुरा बांध दिनांक 10-8-92 को क्षतिग्रस्त हुआ था। बांध के टूटने की जांच करवाई गई, जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) बांध निर्माण की अवधि में कार्यरत अभियन्ताओं की सूची परिशिष्ट–"ब" पर संलग्न है। बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1984–85 में प्रारम्भ हुआ तथा वर्ष 1992-93 तक चला। इस पर कुल 72.93 लाख रुपये व्यय किये गये।

(3) जी हां, बांध के रूपांकन का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तिम निर्धारक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर पुनः निर्माण सम्भव हो सकेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील अनूपगढ़ के काश्तकारों को पानी का वितरण

515. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील अनूपगढ़ में 1 जुलाई, 1993 से आज तक किन-किन काश्तकारों की पानी की बारी काटी गई तथा इनमें से किन-किन काश्तकारों की बारी वापिस चालू कर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तहसील अनूपगढ़ में एक जुलाई, 1993 से आज तक 87 काश्तकारों की पानी की बारी काटी गई, उनमें से तहसील द्वारा रकबा खारिज होने के कारण 44 काश्तकारों की, दो या दो से अधिक फसलों का आबयाना जमा नहीं करवाने के कारण 41 काश्तकारों की एक काश्तकार की बारी पानी चोरी करने के आरोप एवं एक मुरब्बा जिसमें रकबा नया कमाण्ड किया गया है, को सम्बन्धित काश्तकार जिसके मुरब्बे में से खाता जाना था, न दिये जाने के कारण पानी की बारी काटी गई। (विवरण परिशिष्ट "अ" पर) इनमें से राजस्व विभाग कोर्ट से बहाल स्थगन आदेश के तहत 33 काश्तकारों एवं आबयाना जमा करवाने पर 32 काश्तकारों कुल 65 काश्तकारों की पानी की बारी पुनः चालू कर दी गई है। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

ग्राम शोदानपुरा (सहण) को पाठशाला भवन

516. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम केदार की झोपड़ियां भजर्रा आंतरदा एवं ग्राम शोदानपुरा (सहण) के 1990 से निर्माणाधीन पाठशाला भवन अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक ये पूर्ण रूप से निर्मित हो जायेंगे?

(2) क्या उक्त प्राथमिक पाठशाला भवनों में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाने बाबत कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो कब तक भूमि आवंटित हो जावेगी?

उत्तर

(1) यह सही है ग्राम केदार की झोंपड़ियां पंचायत मजरा आंतरदा के 1990 से निर्माणाधीन पाठशाला भवन का निर्माण राशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो सका था। अब राशि उपलब्ध हो चुकी है निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो जावेगा।

ग्राम शौदान के पाठशाला भवन का निर्माण कार्य दिनांक 18-10-94 को स्वीकृत किया गया है। राशि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करा दिया जावेगा।

(2) जी हां। प्राथमिक पाठशाला भवनों में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन करवाने हेतु संबंधित तहसीलदारों को आवेदन करने हेतु विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जावेगी।

श्री फतेहसिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ऊंती जयपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

517. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ऊंती, पंचायत समिति सांगानेर के पूर्व सरपंच श्री फतेहसिंह की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो शिकायती पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शिकायत की जांच की गई थी ? यदि हां, तो विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री फतेहसिंह में अमानत राशि बकाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अमानत राशि जमा कराने का नोटिस दिया था ?

(4) क्या सरकार अमानत में खयानत के प्रकरण में एफ. आई. आर. दर्ज कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायती पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर दी गई है।

(3) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सांगानेर द्वारा समय-समय पर अमानत राशि जमा करवाये जाने के नोटिस जारी किये गये हैं।

(4) शिकायत की जांच पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम पंचायत चन्द्राई (नागौर) की आडिट रिपोर्ट

518. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चन्द्राई पंचायत समिति लाडनूं जिला

(श्री हरजीराम बुरड़क)

नागौर की ऑडिट हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1989-90 से 1992–93 तक की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उपरोक्त ऑडिट एतराजों की अनुपालना की गई ? यदि हां, तो किसके द्वारा कब की गई ? अनुपालना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त ऑडिट रिपोर्टों की अनुपालना नहीं करने में किसके द्वारा लापरवाही बरती गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि ग्राम पंचायत, चन्द्राई पंचायत समिति, लाडनूं जिला–नागौर की आडिट हुई है । सन् 1989–90 से 1992–93 की आडिट रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं ।

(2) उपरोक्त आडिट एतराजों की अनुपालना नहीं की गई, अतएव प्रति रखना संभव नहीं है । संबंधित ग्राम सेवकों की लापरवाही के कारण अनुपालना नहीं की गई है ।

(3) उक्त आडिट रिपोर्ट की अनुपालना नहीं करने में निम्न कार्यरत ग्राम सेवकों ने लापरवाही बरती है ।

1. श्री मल्ले मोहम्मद
2. श्री शिवदयाल पारीक
3. श्री रघुनाथराम

कार्यालय पंचायत समिति, लाडनूं के पत्रांक 3673–3700 दिनांक 26-12-91 एवं पत्रांक 840–55 दिनांक 8-12-92 के द्वारा अनुपालना करने हेतु पाबन्द किये गये थे जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न है । पूर्व में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई है तथा पत्रांक 277–79 दिनांक 25-3-95 के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के नोटिस पंचायत समिति द्वारा जारी कर दिये गये हैं जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

पंचायत समिति धोद के विद्यालय

519. श्री अमराराम (धोद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति धोद में स्कूलवार अध्यापकों एवं छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) छात्र-अध्यापक अनुपात की पालना क्यों नहीं की गई व अब कब तक कर दी जायेगी ?

(3) पंचायत समिति धोद में कन्याशालाओं में कितने पुरुष अध्यापकों की नियुक्ति की हुई है ? महिला अध्यापक होने के बावजूद ऐसा क्यों है ?

(4) पंचायत समिति धोद में कितनी सह शालाएं कब से चल रही हैं और किस आदेश के तहत ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धोद जिला सीकर में 132 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 335 अध्यापक कार्यरत हैं व 13526 छात्र अध्ययनरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अध्यापकों के पद कम स्वीकृत होने के कारण छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापक नहीं लगाये जा सकें हैं। अध्यापकों के नये पद स्वीकृत होते ही यह कमी दूर कर दी जावेगी।

(3) पंचायत समिति, धोद की 10 कन्या शालाओं में 17 पुरुष अध्यापक कार्यरत हैं। स्थानान्तरण पर रोक हटने के तुरन्त पश्चात् उक्त 17 पदों पर भी महिला अध्यापिकाओं का समायोजन कर दिया जायेगा।

(4) पंचायत समिति धोद में नामांकन वृद्धि हेतु पंचायत समिति के स्थाई समिति के निर्णयानुसार 5 सह-शालायें चल रही है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

सह-शाला का नाम	कब से चल रही हैं
1. बिडोली कन्या	1985–86
2. माण्डोला कन्या	,,
3. उत्तरी ढाणी घोराती	1986–87
4. पूर्व ढाणींया जेरठी	1988–89
5. दक्षिणी ढाणियां आकवां	1991–92

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

पंचायत समिति धौलपुर के अध्यापकों का यात्रा भत्ता

520. श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सितम्बर, 1994 से फरवरी, 1995 तक पंचायत समिति धौलपुर में कार्यरत अध्यापकों में किस-किस ने कितने रुपये यात्रा भत्ता के रूप में प्राप्त किये उन अध्यापकों के नाम व जहां जिस स्कूल में कार्यरत हैं उसका स्थान एवं यात्रा का प्रयोजन सहित विवरण सदन को मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अवधि में किस-किस अध्यापक ने पंचायत समिति की जीप से किस प्रयोजन से यात्रा की और उन्होंने कितनी राशि के यात्रा बिल बनाकर रुपये प्राप्त किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त अवधि में उठाये जीप यात्रा बिलों के अध्यापकों ने विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज की है ? यदि हां, तो विकास अधिकारी द्वारा सत्यापित रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपरोक्त फर्जी यात्रा भत्ता बिलों के प्रकरण में फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति धौलपुर में कार्यरत जिन अध्यापकों ने सितम्बर, 94 से फरवरी, 95 तक की अवधि में यात्रा भत्ता

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

के रुपये प्राप्त किये उनके नाम, कार्यरत स्कूल का नाम, यात्रा का प्रयोजन एवं यात्रा भत्ता की प्राप्त की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सितम्बर 94 से फरवरी 95 तक की अवधि में जिन अध्यापकों ने पंचायत समिति की जीप से यात्रा की उन अध्यापकों के नाम, यात्रा का प्रयोजन यात्रा भत्ता के रुपये प्राप्त करने का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

पंचायत समिति रेलमगरा एवं राजसमन्द की प्राथमिक शालाएं

521. श्री शान्तिलाल खोईवाल (राजसमंद) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेलमगरा एवं राजसमंद पंचायत समितियों में वर्ष 1994-95 में कितनी-कितनी एवं कहां-कहां पर नई प्राथमिक शालायें खोलने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई है ?

(2) उक्त स्वीकृति के विरुद्ध कहां-कहां पर कब-कब नई पाठशालायें खोली जा चुकी और कितनी खोलनी शेष हैं ?

(3) शेष शालायें कब तक खोल दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में पंचायत समिति रेलमगरा एवं राजसमन्द में निम्न ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई :—

पं. स. रेलमगरा	पं. स राजसमन्द
1. बंजारों का खेड़ा (मेहन्दूरिया)	1. कीरों का ओडा
2 बंजारों का खेड़ा (सादड़ी)	2. रघुनाथपुरा
3 बंजारों का खेड़ा भराई	3. पीलांत्री खुर्द
4 जीतावास (कन्या)	4. फतहपुरा

(2) उक्त स्वीकृति के विरुद्ध निम्न प्राथमिक विद्यालय उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को खोली जा चुकी हैं।

पं. स. रेलमगरा	प्राथमिक विद्यालय खोलने का दिनांक	पं. स. राजसमन्द	प्राथमिक विद्यालय खोलने का दिनांक
1. बंजारों का खेड़ा (मेहन्दूरिया)	13-1-95	1. कीरों का ओडा	26-12-94
2. बंजारो का खेड़ा (सादड़ी)	12-1-95	2. रघुनाथपुरा	16-12-94
3. जीतावास (कन्या)	14-1-95	3. पीपलांत्री खुर्द	25-3-95

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

(3) शेष स्वीकृति दो प्राथमिक शालायें क्रमशः पंचायत समिति, रेलमगरा में बंजारों का खेड़ा भराई की आबादी निर्धारित मानदण्ड से कम होने एवं पंचायत समिति, राजसमन्द में फतहपुरा में पूर्व से प्राथमिक विद्यालय चलने के कारण विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

पंचायत समिति भोपालगढ़ एवं ओसियां के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

522. श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ व ओसियां में कितने-कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) इन प्राथमिक विद्यालयों में समितिवार कितने अध्यापक लगे हुए हैं तथा कितने अध्यापक स्वीकृत पदों से कम हैं एवं यह कमी कितने समय से है ?

(3) क्या सरकार इन रिक्त पदों या कम अध्यापकों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ में 103 व पचायत समिति ओसियां में 194 प्राथमिक विद्यालय हैं।

(2) पंचायत समिति भोपालगढ़ व ओसियां में निम्न प्रकार से अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं।

नाम पंचायत समिति	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4
भोपालगढ़	276	235	41
ओसियां	494	453	41

पद कब से रिक्त हैं :—

भोपालगढ़ 4/92

ओसियां 3/94

(3) रिक्त पदों को भरने हेतु नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है व शीघ्र ही नियमानुसार नियुक्ति कर रिक्त पद भर दिये जावेंगे।

तहसील फागी के प्राथमिक विद्यालय

523. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1994–95 में तहसील फागी में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) पंचायत समिति फागी के किस-किस विद्यालय में अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं तथा इन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 94–95 में पंचायत समिति फागी में 13 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई थी। जिस में से दो ग्राम सालरसू एवं गुलाबपुरा उर्फ

(राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज)

गोपालपुरा में पूर्व में विद्यालय चलने के कारण वहां प्राथमिक शाला नहीं खोली गई शेष निम्न 11 ग्रामों में प्राथमिक शालायें खोली गई हैं।

1. शेरपुरा
2. रामपुरा चौखावाला
3. रेवतपुरा
4. रामपुरा रेलवे
5. झरानाखुर्द
6. झोपड़िया
7. जयमालपुरा गुजरीवाला
8. बडहाली
9. दोसराखुर्द
10. सरस्वतीपुरा
11. हरबंशपुरा

(2) वर्ष 1994-95 में पंचायत समिति फागी में कुल 60 अध्यापकों के पद रिक्त थे। जिनमें से 32 अध्यापक जिला परिषद, जयपुर द्वारा आवंटित किये गये हैं, जिन्हें शीघ्र ही रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 28 रिक्त रहे जिन्हें जिला परिषद से अध्यापक उपलब्ध कराने पर शीघ्र ही भरने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

524. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के किन-किन अध्यापकों को किन-किन कारणों से वर्ष 1990 से मार्च, 1995 तक यात्रा भत्ता दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 1989 से 1994 तक किन-किन अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के कुल 177 अध्यापकों को वर्ष 1990 से मार्च, 1995 तक यात्रा भत्ता दिया गया। यात्रा भत्ता देने के कारणों सहित अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 1989 से 1994 तक कुल 62 अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई। प्रतिनियुक्ति आदेशों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला भरतपुर में राजस्थान पथ परिवहन निगम के डिपो

525. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो कहां-कहां पर स्थित हैं?

(2) भरतपुर जिले में कार्यरत डिपो से कहां-कहां के लिए किस-किस समय पर किस-किस मार्ग से बसें प्रस्थान करती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में परिवहन निगम के दो आगार भरतपुर शहर में ही स्थित हैं।

(2) भरतपुर जिले में स्थित दोनों आगारों द्वारा वर्तमान में जिन-जिन मार्गों पर वाहन संचालन किया जा रहा है, उनकी मार्गवार समय-सारिणी दर्शाते हुए विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट-1)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा विभिन्न श्रेणी की बसों का संचालन

526. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में डीलक्स, सुपर डीलक्स, एक्सप्रेस और सामान्य श्रेणी की कुल कितनी बसें चल रही हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर से विभिन्न शहरों के लिए वातानुकूलित बसें संचालित की जा रही हैं ? यदि हां, तो किन-किन शहरों के लिए यह व्यवस्था है और जयपुर से उदयपुर के लिए वातानुकूलित बस चलाने में क्या कठिनाई है ?

(3) उदयपुर से बीकानेर के लिए जो एक्सप्रेस बस संचालित है क्या वह सुविधाजनक है? यदि नहीं, तो डीलक्स बस चलाने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम की 168 डीलक्स, 7 सुपर डीलक्स 1282 एक्सप्रेस और 2601 सामान्य श्रेणी की (कुल 4058) बसें चल रही हैं। जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) जयपुर से दिल्ली एवं आगरा शहरों के लिये वातानुकूलित बसें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में अतिरिक्त वातानुकूलित बसें उपलब्ध न होने के कारण जयपुर से अन्य शहरों के लिए वातानुकूलित बसें नहीं चलाई जा रही हैं।

(3) जी हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

527. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर सेवा में लिए जाने का प्रावधान है ?

(2) यदि हां, तो क्या मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियमित वेतन शृंखला में नियुक्ति दी जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आदेश क्रमांक एच. ओ./डी. ओ. पी./6/एफ. 24/

(श्री रमाकान्त)

92/1645, दिनांक 8 सितम्बर, 1992 के द्वारा श्री राकेश कुमार गौड़ पुत्र स्व. श्री राजकुमार गौड़ को मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित के बतौर दैनिक वेतन पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति नियमित वेतन श्रृंखला की अपेक्षा दैनिक वेतन पर किये जाने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार श्री राकेश कुमार गौड़ को नियमित वेतन श्रृखला में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 एवं 2) जी नहीं। विशेष परिस्थितियों में, मण्डल की आज्ञा से, मृतक के आश्रित को पृथमतः दैनिक वेतन पर नियुक्ति दी जा सकती है।

(3 एवं 4) निगम के निर्णयों के अनुसार नियमित कार्यवाही की जाती है।

जयपुर से मेई तक संचालित बसों की आय

528. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर से मेई वाया रेनवाल, कांकरा, डासरोली, जोवनेर (जयपुर आगार की बस) बस से माह मार्च, 1995 में हुई आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आय को देखते हुए इस मार्ग पर सरकार और बसें शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दूर के यात्रियों की सुविधा हेतु उक्त बस को रेनवाल तक नॉन-स्टाप करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर से मेई वाया रेनवाल, कांकरा, डासरोली, जोबनेर (जयपुर आगार की बस) मार्ग पर निगम द्वारा संचालित की जा रही बस सेवा की आय माह मार्च, 95 में 7·88 रुपया प्रति कि. मी. रही है।

(2) जी नहीं, क्योंकि मार्ग पर संचालित सेवा की आय, व्यय की तुलना में कम है।

(3) जी नहीं। उक्त सेवा स्थानीय साधारण सेवा है। द्रुतगामी सेवा/नान स्टाप सेवा संचालन करने पर पर्याप्त यात्री भार मिलने की सम्भावना नहीं है।

नगरपालिका सोजत में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति

529. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ की जायदाद को बेचने बाबत कानून में क्या प्रावधान किये गये हैं ?

(2) सोजत नगरपालिका क्षेत्र में वक्फ जायदाद कहां-कहां पर कितने-कितने रकबे की है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री माधवसिंह दीवान)

(3) क्या यह सही है कि खसरा सं. 4760 को बेचने बावत वक्फ बोर्ड द्वारा आदेश जारी किये गये ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आदेशों की अवहेलना कर उक्त भूमि व्यक्ति विशेष को बहुत ही कम दामों में बेच दी गई जिसका एतराज समय-समय पर सोजत के मुस्लिम समाज द्वारा किया जाता रहा ? यदि हां, तो कहां-कहां पर शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वक्फ जायदाद को बेचने बावत केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 29, 1954 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं :–

धारा 15 (2) (जे)

धारा 36 ए

Functions of the Board; 15(2) :

Without prejudice to the generality of the foregoing power, the function of the Board shall be :

(j) to sanction in accordance with the Muslim law, any transfer of immovable property of a wakf by way of sale, gift, Mortage, exchange of lease, as required by saction 36 A :

36 A. Notwithstanding anything contained in the wakf deed, no transfer of any immovable property of a wakf by way of :

(i) Sale, gift mortage or exchange : or

(ii) lease for a period exceeding three years in the case of agricultural land, or for a period exceeding one year in the case of non-agricultural land.

Shall be valid without the previous sanction of the Board.

(2) सोजत नगरपालिका क्षेत्र में वक्फ सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. जामा मस्जिद बाजार में कुवा।
2. ईदगाह पक्की ख. नं. 198-1 बीघा 17 बिस्वा।
3. दरगाह मियां मस्तान मोहल्ला अलीशाह मकबरा कुवा।
4. सराय दरगाह मियां मकरा मोहल्ला अलीशाह कमरे 7।
5. छोटा तालाब दरगाह मियां मस्तान शाह।
6. मकान छीपा हाजी अजीम खजानी।
7. मस्जिद मोहल्ला सिलावटान कुवा–1।
8. पत्थर की खान जैतारण गेट ख. नं. 3436।
9. मकान मोहल्ला सिलावटान।
10. मकान सरदार बासनी पक्का।
11. मस्जिद काजियान कुवा।
12. मकान कच्चा काजी कमकदूम वक्ष।
13. तकिया तालाब पाल।
14. चबूतरा इमामबाड़ा मस्जिद काजियान के सामने।
15. मदरसा इसलामिया मोहल्ला खरादियान।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

16. मकान मस्जिद मुनीदान के पास ।
17. मस्जिद मोहल्ला खरादियान कुंवा ।
18. तकिया पिजारान ।
19. दरगाह नवगाजा पीर मजार (कुंवा)
20. तालाब नवगाजा पीर 5 बीघा ।
21. मस्जिद कलन्दरी नियर जयमल कुंवा ।
22. मस्जिद कलन्दरी चौक पचपीरान इमामबाड़ा ।
23. कर्बला कुतुबखाना ।
24. कर्बला ताजिया शेरखान नवापीर ।
25. इमामबाड़ा ताजिया मोहल्ला सिपाहियान ।
26. मस्जिद खवास खान बड़े कब्रिस्तान के पास ।
27. मजार खवाबखान पहाड़ी पर ।
28. तकिया कर्बला आराजी ख. नं. 305/305/1 से 7·8 बीघा 5 बिस्वा कुंवा ।
29. मस्जिद कलार सिपाहियान कुंवा ।
30. तकिया नायला मय आराजी ख. नं. 365, 370/1 से 3–58 बीघा 12 बिस्वा ।
31. मस्जिद व्योपारियान कुंवा-1 मकान-1 ।
32. मदरसा मस्जिद व्योपारियान ।
33. मस्जिद मोहल्ला गोधन कुंवा-1 ।
34. थाला हाजी गर्दाजी ।
35. मस्जिद शेखान कुंवा-1, इमामबाड़ा ।
36. मकान मस्जिद शेखान पक्का ।
37. मस्जिद मोहल्ला शेखान कुंवा इमामबाड़ा नवापुरा ।
38. मजार सैयद मोहम्मद शाह ।
39. मस्जिद मोहल्ला मनीदान कुंवा, बायलाजी ।
40. मजार दो पीर बर्नजी और सैयद बायलाजी ।
41. मस्जिद पक्की दूसरे भाग में ।
42. मजार पक्का खान नेनाजी के पास ।
43. दरगाह पक्की अन्नाशाह मय मजार ।
44. कब्रिस्तान बारला तकिया के पास ख. नं. 304–10 बीघा ।
45. कब्रिस्तान पाल कापडिया तालाब ख. नं. 198–2 बीघा ।
46. कब्रिस्तान बेरून बिलाड़िया दरवाजा 15 बीघा ।
47. मस्जिद कब्रिस्तान में बिलाड़िया गेट ।
48. पुराना कब्रिस्तान ख. नं. 267 5 बीघा ।
49. कब्रिस्तान पीर साहिबान ख. नं. 298 2 बीघा 7 बिस्वा ।
50. बड़ा कब्रिस्तान ख. नं. 317–45 बीघा 11 बिस्वा ।
51. मस्जिद बड़ी व कब्रिस्तान पक्का ।
52. कब्रिस्तान घोवियान व कब्रिस्तान सिपाहियान 0·73 एयर व 0·93 एयर ।
53. कब्रिस्तान जयनारायण दरवाजे के बाहर खानियों में जाने वाले रास्ते पर 10·17 एयर ।

(3) आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(4) यह जांच का विषय है तथापि इस सम्बन्ध में श्री अमीन खां द्वारा एक सिविल वाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सोजत सिटी पाली में दायर किया गया है जो लम्बित है । इस दावे में अग्रिम पेशी 24-4-95 है ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें ।)

दरगाह अमानीशाह, शास्त्रीनगर जयपुर की भूमि

530. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दरगाह अमानीशाह शास्त्रीनगर, जयपुर की भूमि को वक्फ बोर्ड व मुतवल्ली दरगाह की मिलीभगत से मय, लीज व अन्य प्रकार से खुर्दबुर्द की जा रही है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को किसी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को मय लीज इकरारनामा या अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित की गई है या की जा रही है ? यदि हां, तो किसी को किस प्रकार व किस-किस के द्वारा हस्तान्तरित की गई या की जा रही है एवं क्यों ? विवरण मय दस्तावेज सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह वक्फ एक्ट की धारा 36 (ए) व वक्फ मैनुअल के अनुसार नियमानुसार व दरगाह में आने वाले जायरीनों के हित में है ?

(4) क्या यह सही है कि वक्फ एक्ट व मैनुअल के अनुसार भूमि के लीज, किराया व अन्य प्रकार के हस्तांतरण हेतु समाचार पत्रों व सार्वजनिक सूचनाओं द्वारा लोगों से आपत्तियां मांगी जाना व प्राप्त आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करना आवश्यक है ? यदि हां, तो उक्त दरगाह के मामले में इस प्रक्रिया के सभी कागजात मय समाचार पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त दरगाह की भूमि को लीज व अन्य प्रकार के हस्तांतरण हेतु वक्फ बोर्ड व मुतवल्ली द्वारा जनता से नियमानुसार आवेदन पत्र मांगे गये हैं और राशि भी जमा की गई है ? यदि हां, तो किस हिसाब से राशि किन-किन लोगों से कितनी-कितनी भूमि व किस तरह ली गई ? राशि वक्फ बोर्ड व मुतवल्ली द्वारा किस प्रकार हस्तांतरित कर उपयोग में ली गई ? क्या भूमि का कोई प्लान नक्शा भी वक्फ बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया है ? यदि हां तो प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या दरगाह के मुतवल्ली या वक्फ बोर्ड द्वारा वक्त दर वक्त न्यायालयों में शपथ-पत्रों के साथ दावा, किसी भी प्रकार के आवंटन या भूमि को खुर्द-बुर्द पर रोक लगाने हेतु पेश किया था ? यदि हां, तो फिर अब स्वयं मुतवल्ली दरगाह व वक्फ बोर्ड द्वारा किस प्रकार उक्त दरगाह की भूमि खुर्द-बुर्द कर, शपथ-पत्र के विपरीत व न्यायालयों में दिये गये लिखित कथनों के विपरीत कार्य क्यों कर रहे हैं ?

(7) क्या सरकार इस तरह के गैर-कानूनी कार्य करने वाले वक्फ बोर्ड के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(8) क्या सरकार उक्त दरगाह की भूमि के बेचान, लीज या किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण की कार्यवाही को रोकना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या उक्त दरगाह की भूमि राजस्व खसरा नं. 113/2 रकबा 5 बीघा खसरा

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

नं. 113/3 रकबा 24 बीघा की भूमि का तहसील जयपुर में नामान्तरकरण दिनांक 17 मार्च, 1994 को हुआ है ? यदि हां, तो किस नाम से ?

(10) क्या उक्त मामले में नामान्तरकरण दरगाह के नाम न होने बाबत फैसला जिलाधीश जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/4/94/653-54 दिनांक 14 फरवरी, 1994 द्वारा दिया गया था, बावजूद उसके वक्फ बोर्ड के बजाय दरगाह के नाम किस वजह से व किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

(11) क्या तहसील स्तर के अधिकारी को जिलाधीश का फैसला बदलने के अधिकार हैं ? यदि नहीं, तो फिर सरकार द्वारा उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

(12) क्या नामान्तरकरण दुरुस्त कर दोषी तहसील अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार कार्यवाही करना चाहती है ? यदि हां, तो किस प्रकार की व कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि दरगाह अमानीशाह की भूमि को वक्फ बोर्ड मुतवल्ली से मिलीभगत कर खुर्द बुर्द कर कर रहा है। तथ्य तो यह है कि वक्फ बोर्ड ने अपने आदेश क्रमांक 1538 दिनांक 28-2-94 से मुतवल्ली को यह स्पष्ट आदेश दिये हैं कि वह दरगाह से संबंधित भूमि को किसी भी तरह नहीं बेचे और न ही जरिये बय हिबा तबादला या लीज या अन्य किसी रूप से हस्तान्तरित करे।

(2) वक्फ बोर्ड द्वारा कोई हस्तान्तरण नहीं किया गया है तथा उसने मुतवल्ली द्वारा भी किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण पर अपने आदेश क्रमांक 1538 दिनांक 28-2-94 से रोक लगा दी है। आदेश की प्रति संलग्न है। अतः हस्तान्तरण का कोई प्रश्न ही नही उठता।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इस भूमि के हस्तान्तरण करने के कानूनी अधिकार के संबंध में दो रिट याचिकाएं एस. बी. रिट पिटीशन नं. 5081/94 उनवानी दरगाह अमानीशाह बचाओ कमेटी बनाम राज. वक्फ बोर्ड एवं एस. डी. सिविल पिटीशन नं. 2714/94 अब्दुल हई फारूकी बनाम वक्फ बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर की गयी है, जो लम्बित है। इन रिट याचिकाओं में यह बात भी अदालत के विचाराधीन है कि क्या वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली मिलीभगत कर अपने फायदे के लिये हस्तान्तरण कर रहे हैं। अतः यह पूरा मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में सबज्युडिस है।

(3) जब भूमि के हस्तान्तरण पर रोक लगायी जा चुकी है तो प्रश्न में वर्णित स्थिति उत्पन्न नहीं होती है।

(4) जी नहीं। वक्फ एक्ट के अन्तर्गत भूमि के हस्तान्तरण हेतु समाचार पत्रों व सार्वजनिक आपत्तियां मांगे जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(5) वक्फ बोर्ड द्वारा इस भूमि को बेचने अथवा हस्तान्तरण हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गये न ही वक्फ बोर्ड द्वारा इस भूमि के हस्तान्तरण हेतु लोगों से राशियां वसूली गयी हैं। जहां तक मुतवल्ली का प्रश्न है, इस संबंध में वक्फ बोर्ड में भी मुतवल्ली के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, जिन पर वक्फ एक्ट की धारा 45 के अन्तर्गत जांच का आदेश दे दिया गया है। यह जांच क्वासी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी है। अतः इस क्वासी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट से पूर्व इस सम्बन्ध में कुछ कहना उचित प्रतीत नहीं होता।

वक्फ बोर्ड द्वारा इस भूमि के विकास की योजना बनायी गयी थी और तदर्थ रूप से नक्शे भी तैयार किये गये थे परन्तु इसके उपरान्त कोई कार्यवाही वक्फ बोर्ड से नहीं हुई, वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 28-2-94 को अपने आदेश क्रमांक 1538 द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण व विकास आदि पर रोक लगा दी गयी, शिकायत व जांच आदेश की प्रति संलग्न है।

(6) वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में कोई दावा किया है। मुतवल्ली द्वारा इस संबंध में की गयी तथा-कथित कार्यवाही के सम्बन्ध में वक्फ अधि-नियम के तहत में जांच लम्बित है। यह क्वासी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी है। जांच अभी विचाराधीन है।

(7) वक्फ बोर्ड द्वारा गैर कानूनी कार्यवाही करने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया है।

(8) वक्फ बोर्ड द्वारा इस भूमि के किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण पर वक्फ अधिनियम के तहत पाबन्दी लगा दी गयी है।

(9) जी हां। यह सही है कि ग्राम किशनबाग तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा नं. 113/2 रकबा 5 बीघा व 113/3 रकबा 24 बीघा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 54 व 55 को दिनांक 17-3-95 अमानीशाह दरगाह के नाम तस्दीक किया गया है।

(10) जिला कार्यालय में श्री अजीजुर्-रहमान पुत्र श्री मौलवी मोहम्मद अब्दुल वहीद दरगाह अमानीशाह शास्त्रीनगर, जयपुर द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दरगाह के नाम खातेदारी दर्ज कराने बाबत लिखा गया। इस पर जिला कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/iii/4/94/1652 दिनांक 14-2-94 द्वारा प्रार्थी को यह लिखकर सूचित कर दिया गया है कि जिस भूमि को वे दरगाह के नाम अंकित कराना चाहते हैं वह भूमि वक्फ की सम्पत्ति है जिसकी खातेदारी विधिक प्रावधानों के तहत नहीं दी जा सकती है। यदि उक्त सम्पत्ति पर आपका किसी प्रकार का अधिकार हो तो उसकी घोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करें। दरगाह के नाम भूमि का नामान्तरकरण करने के लिये सचिव, वक्फ बोर्ड, जयपुर ने सीधे ही तहसीलदार जयपुर को आवेदन किया था। उक्त आवेदन पत्र के क्रम में तहसीलदार, जयपुर द्वारा दिनांक 15-3-94 को भूमि का नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये गये।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(11) तहसील स्तर के अधिकारी को जिलाधीश का फैसला बदलने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार, जयपुर ने न्यायालय तहसीलदार जयपुर की हैसियत से दरगाह के नाम भूमि का नामान्तरकरण करने की कार्यवाही की है। इस कार्यवाही करने बाबत जिलाधीश, जयपुर की ओर से कोई आदेश या रोक जारी नहीं की गयी है।

(12) जी नहीं, नामान्तरकरण दुरुस्त करने की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

राज्य बीमा विभाग में रिक्त पद

531. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा मई, 1991 में रिक्त पदों की सूची जारी की गई थी ? यदि हां, तो किन-किन पदों के कितने-कितने स्थानों हेतु ?

(2) उक्त पदों में से कनिष्ठ लिपिकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(3) क्या इन रिक्त पदों की सूचना समय-समय पर शासन सचिवालय कार्मिक विभाग को दी जाती रही है ? यदि हां, तो कब-कब तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विभाग द्वारा अप्रेल/मई, 1991 में कनिष्ठ लिपिक के 92 पदों की सूची कार्मिक विभाग को अभ्यर्थियों के आवंटन हेतु जारी की गई थी।

(2) उक्त पदों में से वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है क्योंकि इन सभी 92 पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के दिनांक 9-9-91 एवं 9-10-92 को प्राप्त होने से भर लिया गया है।

(3) मई, 1991 में जारी सूची के रिक्त पद चूंकि भर दिये गये थे, अतः इनकी सूचना पुनः कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय को भेजने की आवश्यकता नहीं रही थी।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पर्यवेक्षकों की स्थानांतरण नीति

532. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या राज्य बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर में पर्यवेक्षकों की स्थानांतरण नीति क्रियान्वित की जा रही है ? यदि हां, तो कितने पर्यवेक्षकों का वर्ष 1994–95 में अन्य जिलों से जयपुर में एवं जयपुर से बाहर के जिलों में स्थानांतरण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में जयपुर मुख्यालय में 7 पद पर्यवेक्षकों के रिक्त हैं ? यदि हां, तो पर्यवेक्षकों की स्थानांतरण नीति के अन्तर्गत जिनको 3 वर्ष से अधिक समय बाहर जिलों में हो गया है उनको रिक्त पद होते हुए क्यों नहीं स्थानान्तरण किया गया एवं सरकार अब

(श्री भीखा भाई)

कब तक जयपुर स्थानांतरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण की नीति को यथा सम्भव क्रियान्वित किया जा रहा है। इस नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 1994-95 में 11 पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण अन्य जिलों से जयपुर में तथा 19 पर्यवेक्षकों का स्थानांतरण जयपुर से बाहर के जिलों में किया गया है।

(2) जी नहीं, जयपुर मुख्यालय में वर्तमान में पर्यवेक्षकों के केवल सात पद रिक्त हैं। इनमें से तीन पद 30 जून के पश्चात् समय-समय पर सेवानिवृत्ति से और चार पद माह जनवरी, 1995 में पदोन्नति से रिक्त हुए हैं। रिक्त पद शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के पश्चात् उपलब्ध होने के कारण बाहर जिलों से 11 के अतिरिक्त अन्य पर्यवेक्षकों को जयपुर स्थानांतरित नहीं किया गया। सरकार अब स्थानांतरण नीति के अनुसार शीघ्र ही पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण जयपुर करने का विचार रखती है।

विधान सभा क्षेत्र नगर में अतिवृष्टि से हुई क्षति हेतु क्षतिपूर्ति राशि

533. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1994–95 में पहाड़ी अनुभाग, नगर विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से बचाव हेतु राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो किस किस मद में कितनी राशि आवंटित की गई थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आबंटित राशि का उपयोग किया गया ? यदि हां, तो कहां पर और कितनी-कितनी राशि किस-किस काम में ली गई और कितनी-कितनी राशि किस-किस मद की अधिशेष रही ?

(3) क्या यह सही है कि अधिशेष बची राशि का उपयोग नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि आबंटित राशि व्यपगत हो गई है ? यदि हां, तो क्यों एवं किस-किस मद की कितनी राशि ?

(5) क्या यह सही है कि आबंटित राशि का पूर्ण उपयोग करने में अधिकारियों ने लापरवाही की ? यदि हां, तो क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पहाड़ी अनुभाग नगर विधान सभा क्षेत्र हेतु अलग से जिला कलक्टर, भरतपुर को वर्ष 1994–95 में अतिवृष्टि से बचाव हेतु राशि आबंटन नहीं की गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति भोपालगढ़ के अकाल राहत कार्य

534. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ में गत अकाल में क्या क्या कार्य हुए एवं कुल कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होते हुए भी पूर्ण भुगतान किया गया ?

(3) भौतिक सत्यापन किन अधिकारियों द्वारा किया गया तथा निरीक्षण के दौरान क्या-क्या खामियां पाई गई ?

(4) क्या पंचायत समिति में इस प्रकार के निरीक्षण की रिपोर्ट का ब्यौरा उपलब्ध है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति भोपालगढ़ में गत अकाल (सम्वत् 2050) में कराये गये राहत कार्यों एवं व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"अ", "ब"।

(2) समस्त निर्माण कार्यों का भुगतान मापदण्ड के अनुसार किया गया है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का भौतिक सत्यापन सहायक अभियंता द्वारा किया गया तथा पंचायत समिति के कार्यों का भौतिक सत्यापन विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता द्वारा समय-समय पर किया गया। निरीक्षण दौरान राहत कार्यों में कोई खामी नहीं पाई गई।

(4) पंचायत समिति में इस प्रकार के निरीक्षण की रिपोर्ट का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील खाजूवाला, पूंगल व छतरगढ़ उपनिवेशन की ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य की दूकानें

535. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या खाद्य व नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खाजूवाला, पूगल व छतरगढ़ उपनिवेशन तहसीलों की ग्राम पंचायतों में कोई अधिकृत राशन विक्रेता नहीं है ? यदि हां, तो पंचायतवार अधिकृत विक्रेता कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वर्तमान में नियुक्त अधिकृत विक्रेताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाजूवाला, पूंगल एवं छतरगढ़ उपनिवेशन तहसीलों की 36 ग्राम पंचायतों में से 28 ग्राम पंचायतों में अधिकृत राशन विक्रेता नियुक्त हैं। शेष 8 ग्राम पंचायतें जो नई गठित हुई हैं, में विभागीय आदेश दिनांक 18-7-94 के अन्तर्गत राशन विक्रेताओं की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(राज्य मंत्री, खाद्य व नागरिक आपूर्ति)

(2) वर्तमान में नियुक्त अधिकृत राशन विक्रेताओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

(स्थगित प्रश्न)

गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 1995

नगर निगम, जयपुर द्वारा ध्वस्त निर्माण कार्य

199. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 1994-95 में व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण कार्यों को गिराया गया? यदि हां, तो किस-किस को किस-किस आधार पर? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्लाट नं. पी-94 श्रोजी की मोरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के प्रथम तल पर हो रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया था? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से किन नियमों के आधार पर? आदेश एवं नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ध्वस्त किये गये निर्माण कार्य की आड़ में विभागीय अधिकारियों द्वारा 25 वर्ष पुरानी टीनशेड मय दीवारों के तोड़ी गयी? यदि हां, तो क्यों एवं किन नियमों के तहत? पीड़ित पक्षकार को दिये गये नोटिस, तोड़ने के आदेश की प्रति, नियमों की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य एवं पुरानी दीवार को गिराने के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही पीड़ित पक्षकार द्वारा नक्शा नवीनीकरण के लिए निगम में आवेदन-पत्र मय नक्शों के प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो अभी तक भी नक्शा नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया? कारण सहित प्रस्तुत आवेदन-पत्र मय नक्शा की प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज. नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170/254 के तहत नोटिस देकर आयुक्त के आदेश से ध्वस्त किया गया। आदेश व नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। प्रश्न के उत्तर भाग-2 के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(5) जी हां। नवीनीकरण हेतु नक्शे दिनांक 17-12-94 को आवेदन किया। आयुक्त ने मानचित्र 1977 का होने के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कारण नये मानचित्र पेश करने के लिए दिनांक 20-12-94 को आदेश दिये गये। प्रार्थी द्वारा अभी तक नया मानचित्र पेश नहीं किया गया है।

(सूची एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर शहर में स्थित पेट्रोल पम्प

201. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 6 (1)(1)परि/73, दिनांक 20 जनवरी, 1976 सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर को प्रेषित किया गया? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्र में पेट्रोल पम्पों को अन्यत्र स्थानों पर स्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र की पालना की गई? यदि हां, तो कहां तक? पालना रिपोर्ट सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इसके लिए कौन अधिकारी / कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अभी भी उक्त आदेश की पालना कर पेट्रोल पम्पों को अन्यत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रश्नगत पत्र 20 साल पुराना है। न्यास के समय का है। काफी तलाश किया। ऐसा पत्र आना प्रतीत नहीं होता है।

(2) जब पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ तो अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर मेडिकल कालेज के छात्र-छात्राओं पर दिनांक 7 अप्रेल, 1995 को कथित लाठीचार्ज व उससे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को आज इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से दिये जाने वाले वक्तव्य पर प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

(2) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से थाना पूंगल जिला बीकानेर में अनुसूचित जाति/जनजाति

(श्री अध्यक्ष)

अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमा नम्बर 15/95 में मुलजिमान के खिलाफ पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के फलस्वरूप नामजद मुलजिमान के चक 12 बी. एल. डी. में आकर औरतों के साथ मारपीट व बदसलूकी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर जिले में नरबलि की कथित घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगत प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

(1) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमान्त क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या एवं ग्रस्वच्छ जल वितरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुन्झुनूं की की ग्राम पंचायत बिरमी, हमीरवास में भू-माफिया द्वारा गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(3) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में आतंककारियों की गतिविधियां बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है। उक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य बहस के दौरान चर्चा कर ली है और राज्य सरकार की ओर से भी समुचित उत्तर दिया गया है फिर भी माननीय सदस्य को पुलिस विभाग की अनुदान की मांगों पर विचार के समय और अवसर उपलब्ध है। उस समय आप अपने विचार रखें।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नारायणलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से धरियाबाद तहसील में अवैध देशी शराब का निर्माण एवं बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवरसिंह डांगावास, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेड़ता में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले की कतिपय आदिवासी बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 31-1-85 को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील कोलायत के ग्राम बीकमपुर के विभिन्न चकों की कृषि भूमि पूंजीपतियों को आवंटित करने की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे के कन्या माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रेवतीप्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर के वैर निर्वाचन क्षेत्र के कतिपय गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर जिले की तहसील बौंली के ग्राम मिचपुरा को तुरन्त पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर शहर में गत वर्षाकाल में ध्वस्त हुए मकानों का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री एमादुदीन अहमद खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तिजारा तहसील के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में उचित साधनों सहित फायर स्टेशन तुरन्त खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रेवतराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेडिकल कालेज के व्याख्याताओं को स्थायी किये जाने तथा भर्ती में बैकलॉग पूरा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय रिछपालजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह आपको पत्र दिया था जीरो आवर के लिए....

श्री अध्यक्ष : हां, विराजिये आप।

श्री गोपी चन्द (नगर) : माननीय स्पीकर साहब, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्य सरकार इस बात का आदेश प्रसारित कर चुकी कि गौवंश को राजस्थान से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा उसके बावजूद भी गौवंश के साथ क्या हो रहा है, टौंक के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री गोपी चन्द : अब विराजने की ग्रावश्यकता नहीं है माननीय स्पीकर साहब, यह सवाल गौवंश का है। माननीय स्पीकर साहब, ग्राज फैसला इस बात का होगा कि राजस्थान के ग्रन्दर गौवंश बचेगा या राजस्थान सरकार बचेगी। दो में से एक का फैसला करना पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ग्राप। विराजिये ग्राप।

श्री गोपी चन्द : गौवंश का हत्यारा राजस्थान सरकार है या कसाई है, माननीय स्पीकर साहब, यह चंद पैसों में मजदूर काम करते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय, विराजें आप।

श्री गोपी चन्द : यह चलने योग्य नहीं है माननीय स्पीकर साहब, मैं ग्रापको याद दिलाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये। ग्रंकित नहीं होगा।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्राप विराजिये अब।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था में योगदान दें।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था में योगदान दें, विराजिये आप।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ग्राप।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये अब, विराजिये। आप विराजिये।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाह रहे हैं इस तरह से, किसी भी माननीय सदस्य को सारे सदन को रोकने की ग्रनुमति नहीं है।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्राप अकेले सदन को ..

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : × × ×

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : × × ×

श्री अध्यक्ष : ग्राप विराजिये।

श्री गोपी चन्द : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 160 के तहत मैं उस मुद्दे को उठा रहा हूं जो सिर्फ क्वेश्चन ग्रावर के बाद उठाया जा सकता है....

× × × अध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में उठा लेना, आप विराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, इसके बाद नहीं उठाया जा सकता । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक ब्रीच आफ प्रीविलेज मोशन दिया था, करीब दस दिन का समय हो गया ...

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । मैंने जानकारी मंगवायी है, आप विराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, नियम 160 के तहत यह मुद्दा मैं इसी समय उठा सकता हूं । मैंने सदन के नेता के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का एक मामला उठाया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा में 24 मार्च, 1992 की कार्यवाही और 4 अप्रेल, 1995 की कार्यवाही को आधारित किया है

श्री अध्यक्ष : या तो आप यह कह दीजिये कि आज शून्यकाल नहीं रखना है । विराजिये आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं जानना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव मैंने दिया था, जो सदन के नेता से सम्बन्धित है, जिसका आधार राजस्थान विधान सभा का रिकार्ड है ..

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी तक कन्सेंट 160 में दी नहीं है, जवाब मंगवाया है, सारी जानकारी हो रही है । बिराजिये आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के रिकार्ड पर ही अपनी बात को आधारित किया है, सरकार जवाब कहां से देगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि 24 मार्च, 1992 को विधान सभा में यह कहा गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : 4 अप्रेल, 1995 को यह कहा गया कि इन दोनों के अन्दर किसी प्रकार का कोई रिकन्साइल नहीं किया जा सकता है । यदि एक बात सच है तो दूसरी बात असत्य है । माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात जो बिलकुल अर्थमेटिकल है, एक और एक को दो ...

श्री अध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके विधान सभा के रिकार्ड से सम्बन्धित है । इस प्रकार के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के जवाब की आवश्यकता है ही नहीं और 10 दिन के पश्चात् भी यदि इस मामले में वांछित गम्भीरता नहीं दर्शायी जाती है तो ..

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप मुझसे चैम्बर में मिल लें और रूलिंग यह है कि विशेषाधिकार प्रश्न पर जब तक अध्यक्ष द्वारा विचार नहीं किया जाय ..

श्री जगदीप धनखड़ : मैं नहीं उठा रहा हूं उस बात को ।

श्री अध्यक्ष : सदन में लिये जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं विशेषाधिकार के हनन के प्रस्ताव पर बिना अनुमति ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित हो गया है और आप कह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजें माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं विनम्र रूप से आपको निवेदन करता हूं कि बिना अनावश्यक देरी के, चूंकि मामला सदन के नेता से सम्बन्धित है, विधान सभा में दिये गये वक्तव्य से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ : उनमें विरोधाभास है।

श्री अध्यक्ष : आज समय बहुत कम है। विराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता को पूरा न्याय विधान सभा से प्राप्त होता है, इसी के माध्यम से प्राप्त होता है मैं यह मांग कर सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : कि कल तक इसके बारे में आप कोई निर्णय ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि क्या कल तक इसके बारे में कोई निर्णय ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। मुझसे चैम्बर में मिल लें, बात कर लेंगे। विराजें आप। श्री रिछपाल सिंह जी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में मुझे बोलना है। सीमान्त क्षेत्र पर दी गयी व्यवस्था के बारे में, मेरे क्षेत्र की पेयजल समस्या के बारे में मुझे कहना है।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर). माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर आपने समाप्त कर दिया क्या? जीरो आवर में बोलने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। जीरो आवर में एक मामले में मैंने आपसे अनुमति मांगी है।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में नहीं लेना चाहते हैं?

श्री विष्णु मोदी : जीरो आवर की ही बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको कह रहा हूं, आप कोई सुनने को ही तैयार नहीं हैं। आप बिराजें।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी व सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान, राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर महीने में 20 दिन ट्रेफिक जाम होता है, उसके सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो जयपुर के चुंगी नाके हैं इनको थोड़ा आगे की तरफ जहां जगह ज्यादा है उस तरफ ले जाया जाय।

एक माननीय सदस्य : बन्द ही कर दिया जाय।

श्री रिछपाल सिंह : बन्द कर दो तो आपकी मरजी है। सबसे ही अच्छा है बन्द कर दो तो।

श्री भीमसेन चौधरी : सीमान्त क्षेत्र में जो गांवों में पानी की पेयजल की

श्री रिछपाल सिंह : आप कह देना पेयजल की बात बाद में। मैं कह रहा हूं फिर आप बीच-बीच में कह रहे हो।

श्री अध्यक्ष : रिछपाल सिंह जी बोल रहे हैं। आप माननीय सदस्य बोलिये, शीघ्रता करें।

श्री रिछपाल सिंह : तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चुंगी नाके बाहर की तरफ ले जाये जाकर पार्किंग व्यवस्था सही की जाय और जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 पर हाइवे पेट्रोल पुलिस व्यवस्था करने के लिए लगायी गयी है वही पुलिस व्यवस्था बिगाड़ती है, अव्यवस्था करती है। इसकी चेकिंग के डर के मारे गाडी वाले लाइन लगाकर खड़े होते हैं और ट्रेफिक जाम करते हैं, इस वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। छोटी गाड़ी वालों को इन ट्रक वालों के साथ से निकलना भी मुश्किल हो जाता है तो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रिछपाल सिंह : इस समस्या की तरफ ध्यान दें। गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इस अवैध पुलिस चेकिंग की व्यवस्था को बन्द किया जाय, इनसे चेकिंग के पावर लिए जाय और इनको चेकिंग करने का कोई अधिकार नहीं रहे, यह व्यवस्था की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीमान्त क्षेत्र में जहां पेयजल की व्यवस्था की हुई है उसमें क्लोरिनेशन पूरा नहीं मिलता इसलिए गन्दे पानी का वितरण किया जाता है, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही मैंने यह स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। मैं समझता हूं कि खाजूवाला, जो 15 हजार की जनसंख्या की मण्डी है उसमें बिलकुल गन्दा पानी वितरित किया जाता है। वहां का फिल्टर मीडिया है वह खराब पड़ा है, बार-बार खराब हो जाता है उसमें ठेकेदार और अधिकारी मिलकर के और जो फिल्टर मीडिया है उसको ठीक किया जाना चाहिए। वहां स्वच्छ बजरी सप्लाई नहीं करने से जनता को पूरा पानी साफ नहीं मिलता इसलिए बार-बार खराब हो जाता

(श्री भीमसेन चौधरी)

है । इसके बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है । हर चक आबादियों में क्लोरिनेशन पूरा नहीं मिलता इसलिए सरकार को जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसकी ठीक ढंग से व्यवस्था की जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । श्री रामनारायण जी चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने झुन्झुनू जिले की गोचर भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था और राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी मैंने यह प्रश्न उठाया था ।

मान्यवर, तत्कालीन व्यवस्था उस जमाने की रियासतों की थी और जागीरी व्यवस्था थी तब हर गांव के अन्दर गोचर भूमि आरक्षित की गयी थी और उसकी बाकायदा हिफाजत होती थी । अब गांव के लोग, एक गांव में नहीं, हर गांव में उस पर भयंकर अतिक्रमण हो रहे हैं । मेरे सामने ग्राम पंचायत बिरमी ने एक प्रस्ताव भेजा कि उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर गांव हमीरीवास में गांव के भू-माफिया एकत्रित होकर जबरदस्ती गोचर भूमि पर निर्माण कार्य चला रहे हैं । पंचायत ने उसका फैसला किया, पुलिस से मदद मांगी, तहसील से मदद मांगी लेकिन न तहसीलदार ने मदद की, न नायब-तहसीलदार ने मदद की और न पुलिस ने मदद की । नतीजा यह हुआ कि उन भू-माफियाओं ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया और निर्माण शुरू कर दिया । मैंने आपको इस मामले में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि राज्य सरकार से इसकी जानकारी और तद्नुसार कोई व्यवस्था ऐसी की जाय कि पूरे राजस्थान की गोचर भूमि की रक्षा हो । राज्य सरकार ने कमिशनर्स, एडीशनल कमीशनर्स लगा रखे हैं, हिफाजत करना इनका दायित्व है । राज्य सरकार ने नाम मात्र की ग्राम पंचायतों को कस्टोडियन बना दिया, उनकी देखभाल करने का जिम्मा उनको सौंप दिया, अधिकारियों के पास कुछ है नहीं । सरकारी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी ग्राम पंचायतों को सहयोग नहीं कर रहे हैं । उनके आवेदनों को अनसुना कर रहे हैं, कोई इमदाद उनको नहीं दे रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप मेहरबानी करके सरकार को आदेश दें कि गोचर भूमि की सारे राजस्थान के अन्दर हिफाजत की जाय और इस ग्राम पंचायत बिरमी की पंचायत के अनुरोध को स्वीकार कर सारी गोचर भूमि उन लोगों से मुक्त करायें जिन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान मेरे क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं उनमें जो अव्यवस्था है और छात्रों की जो दयनीय स्थिति है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के जो छात्रावास हैं उनमें जो छात्र रहते हैं उनको प्रति छात्र 250 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : 350 रुपये हो गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : 350 रुपये हो गये।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने राशि बढ़ायी है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु उन छात्रावास भवनों की हालत बहुत खराब है, बिजली के पंखे सब खराब हो रहे हैं। जैसे मेरे बरलियास का छात्रावास है उनके पंखे सारे खराब हो रहे हैं, बिजली की फिटिंग जगह-जगह से उखड़ गयी है, यह सारी स्थितियां हैं। उनके रख रखाव के लिए और सरकार कुछ राशि ग्रांट करे जिससे उनका रख-रखाव भी ठीक हो।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : दूसरी एक छोटी-सी बात और है अध्यक्ष महोदय, वहां पर केवल एक वार्डन होता है, वार्डन के अलावा कोई पोस्टेड नहीं होता है तो रसोइया और कम से कम एक फोर्थ क्लास तो वहां परमानेंट नियुक्त हों उन छात्रावासों में जिससे छात्रों को सुविधा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी मीणा।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एस. एम. एस. हास्पिटल में बर्न यूनिट की जो दुर्दशा है वह बहुत दयनीय है। सवेरे 4 बजे कालबेलिया जाति के 2 छोटे-छोटे बच्चे, एक उनकी मां रात्रि को मच्छरों के बचाव के लिये धुआं करते हैं, आग में वे जल गये। मैं अभी 11 बजे उन ट्रोलियों को देखकर आया हूं, एक महिला नीचे पड़ी हुई है और उन स्ट्रेचरों के ऊपर बच्चे अभी भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। दूसरी देवकी नाम की महिला है, वह नीचे फर्श पर पड़ी है। बड़े दुःख का विषय है कि इस प्रकार के जो बर्निंग के केस होते हैं जिनको आई. सी. यू. में रखा जाए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बर्न यूनिट में सवेरे चार बजे से वे मरीज अभी 11 बजे तक भी वहां पड़े रहे। डाक्टर, जो बर्न यूनिट की इंचार्ज हैं, उनसे मैंने जाकर के इस बारे में कहा कि 4 बजे से पड़े हुए हैं अभी तक इनको बिस्तर पर नहीं ले जाया जा रहा है, इनके इंफेक्शन हो जायेगा। वे बोलती हैं कि मैं सब जानती हूं कि इंफेक्शन हो रहा है और यहां जो मरीज आ रहे हैं, यह भी भली-भांति जानती हूं कि यहां 99 प्रतिशत पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। इस बात को मानते हुए मैं दुःखी हूं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह डाक्टर वहां खड़े-खड़े अपनी आंखों से आंसू बहाने लगीं। उन्होंने कहा कि यहां बर्न यूनिट में एक तो डाक्टरों की इतनी कमी है कि कोई डाक्टर देखने वाला नहीं है और डाक्टरों की कमी की वजह से यहां पर जितने भी मरीज आते हैं, बर्न यूनिट में अलग से 10 बेड लगा रखे हैं वहां कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं हैं, वहां कोई डाक्टर नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप आज ही दौरा करना

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

चाहें, मंत्री महोदय तो मैं भी साथ चलकर आपको बताऊं कि किस प्रकार की हालत मैंने अस्पताल की बर्न यूनिट की देखी है और किस प्रकार से यह मुकेशनाथ, सुगननाथ, प्रभातीनाथ और श्रीमती देवकी देवी, ये चारों ही चार बजे से अपनी मौत और जिन्दगी के बीच में झूल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसके अलावा कोई 10–15 पेशेंट्स की ऐसी हालत है कि कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं, एक मात्र कम्पाउंडर उस पूरे वार्ड के अन्दर, अकेला सवेरे से देख रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : किसी की ड्रिप बंद हो गयी है, किसी में क्या हो गया। तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाए और व्यक्तिशः देखकर के कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : श्री पराक्रमसिंह जी।

श्री पराक्रम सिंह (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. एच. ई. डी. और स्वास्थ्य मंत्रीजी दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बनेड़ा के अन्दर उल्टी-दस्त की एक महामारी चली। 8 अप्रेल से लोग इससे पीड़ित थे और प्रशासन की नींद 15 तारीख को खुली। प्रशासन को इत्तला देने के बाद भीलवाड़ा से एक टीम भेजी गयी, उसका डाक्टर कावरा वहां पहुंचा और एक घण्टे के अन्दर किसी का उपचार न करते हुए ही वापस भीलवाड़ा चला गया।

यही हालत पेयजल विभाग की भी है कि इनके पास ब्लीचिंग पाउडर नहीं था और 4 दिन तक उन्होंने वहां की टंकी की सफाई वगैरह कुछ नहीं की। इस तरह यह बीमारी फैलती गयी। मैं आपके माध्यम से दोनों मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री महेन्द्रजी मीणा।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने 1 अप्रेल से गांव में नाकारा पड़े हैण्ड पम्पों को सुधारने का काम शुरू किया था, आज 17 दिन हो चुके हैं, कहीं पर भी एक भी हैण्ड पम्प नहीं सुधारा गया है। मैंने मालूम किया तो कहा कि हमारे विभाग के द्वारा तो पंचायत समितियों को यह अधिकार दे दिये गये हैं। वहां भी मालूम किया तो कहा साहब, हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं आया है। मान्यवर, जिस गांव में एक ही हैण्ड पम्प है और वह भी नाकारा पड़ा है तो पब्लिक को एक-एक, दो-दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आपका जो आश्वासन है वह असत्य है। यह असत्य है तो इन हैण्ड पम्पों को सुधारने का आपका अभियान कब से शुरू किया जाएगा? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री महावीर जी भगोरा।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : कोई नहीं चल रहा है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या अभी समय जाया नहीं करें। श्री महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान पत्रिका के उदयपुर अंक में दिनांक 11 अप्रेल, 95 को एक खबर छपी है कि निजी चिकित्सक द्वारा भूरकी नाम की महिला, जो कोटड़ा तहसील में रहती है, उसकी बच्चेदानी का आपरेशन किया गया और उससे उसकी मौत हो गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गत वर्ष स्वयं जिला कलक्टर महोदय ने दो डाक्टरों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज कराये थे उन पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र में निजी क्लीनिक कुकुर-मुत्तों की तरह जगह-जगह उग आये हैं। वे इस तरह की दवाइयां देते हैं जिनका उनको किसी तरह का ज्ञान नहीं है और इन दवाइयों के रिएक्शन से गरीब लोग लूटे ही नहीं जाते है, उनकी जिन्दगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने अपने बीकानेर प्रवास के दौरान गत नवम्बर को एक स्टेटमेंट दिया था। इसमें आपने यह आश्वासन दिया था कि चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में राज्य सरकार नीतिगत निर्णय करेगी, प्रदेश में नीम हकीम व अयोग्य चिकित्सकों पर रोक लगायी जाएगी। इस तरह से निजी चिकित्सालयों में भी अनिवार्य योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री महावीर भगोरा : प्रदेश में ऐसे बहुत से, अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है। आदिवासी इलाकों में ऐसे बहुत से चिकित्सालय बिना पंजीयन के चल रहे हैं और इनके माध्यम से गरीब लोगों को लूटा ही नहीं जा रहा है उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। एक जोधपुर का लेख आया है, आपने पढ़ा होगा, 20 दिसम्बर, 1994 का है, जिसमें लिखा है कि डाक्टर एक रोग का विशेषज्ञ और फर्जी डाक्टर अनेक रोगों का विशेषज्ञ। यह आर्टिकल पूरे पेज में आया है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री महावीर भगोरा : मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, पंजीकृत डाक्टरों के बारे में भी कुछ निर्णय करें कि आप ऐसे क्लीनिक खोल पायेंगे या क्या स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जनजाति क्षेत्र में कम से कम एक सर्वे करवायें कि कितने ऐसे नाजायज क्लीनिक चल रहे हैं

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जो गुजरात से 6 महीने के लिये सीखकर आ जाते हैं किसी प्राइवेट डाक्टर के साथ में और वहां आदिवासी समाज के साथ में एक तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं। यानि किसी बबूल, नीम और महुवे के नीचे सुलाकर ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाते हैं। कई जगह तो इस तरह के हादसे हो चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां भी माइन्स एरिया है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। आप बोल चुके हैं। विराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : मेरे यहां सैंकड़ों लोग (व्यवधान) बैग लेकर घूमते हैं, लोग मरते हैं, मेरे यहां भी यही हालत है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं, एक-आध हो तो....(व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : बोलने का नहीं, यह मामला बड़ा गम्भीर है अध्यक्ष महोदय ...

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बांदीकुई में चुंगी नाके पर कल भारतीय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभू दयाल मीणा, जो वर्तमान में केन्द्रीय राज्य मंत्री (कृषि) के प्राइवेट सैक्रेटरी हैं, इनके साथ दो प्रशासनिक अधिकारी, आई.ए.एस. केडर के और थे। तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारियों का चुंगी नाके पर सामान खोला गया, उन पर लाठी से वार किया गया। लाठी बरामद भी की गयी इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बांदीकुई में जो चुंगी का ठेका है, वहां पर चुंगी के ठेकेदारों ने मारपीट चालू कर रखी है, लूटमार कर रखी है। आये दिन हर किसी का सामान लूटते हैं। इस पर सबसे पहले 10 तारीख को 140/95 रिपोर्ट अशोक कुमार ने की। दंत मंजन का वह व्यापारी है और उसको पीटा गया। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 11 को रामअवतार सोनी का एक किलो तीन सौ ग्राम चांदी का तार निकाल लिया गया। वहां पर एक गिरोह बना रखा है। सारे हिस्ट्रीशीटरों को चुंगी के ठेकेदारों ने रख रखा है, जिस पर एफ. आई.आर. नम्बर 142/95 कायम हुआ। उसके बाद कल दिनांक 16 को ही मुकेश पुत्र श्री रामस्वरूप अग्रवाल से भी मारपीट की गयी। व्यापारी को थप्पड़ मारे, उसके कपड़े फाड़े गये और उसकी अटेची रख दी गयी और उसकी बीवी के सामने सारा सामान फैंका गया। अन्तिम रूप से कल तीन बजकर 30 मिनट पर मैं खुद बांदीकुई थाने में गया, मैंने देखा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो कि कृषि राज्य मंत्री के प्राइवेट सैक्रेटरी हैं। उन्होंने मेरे को यह कार्ड दिया और रोते हुए उन्होंने यह बताया कि मैं बार-बार कह रहा था कि मैं कलक्टर दो बार रह चुका हूं। मैं भी जानता हूं कि चुंगी कैसे वसूल होती है तो चुंगी के ठेकेदार के लोगों ने कहा कि बांदीकुई में आने वाला हर आदमी अपने आपको कलक्टर से ऊंचा समझता है। हर आदमी कहता है मैं कलक्टर हूं, आप रहने

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

दीजिये और लाठी लाकर उन पर वार किया। उनके साथ में पत्नी थी, 2 बच्चे थे। एक दूसरे प्रशासनिक अधिकारी थे, मिस्टर बी. एस. मीणा जो कि दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन में डिप्टी कमिश्नर थे। तीसरे प्रशासनिक अधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि दो का मुंह काला हो गया, मेरा नाम मत पूछो एम.एल.ए. साहब। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। इसके बाद एस.पी. साहब से भी मैंने बात की लेकिन +++ की बात है, +++ है इस प्रशासन को, इस सरकार को कि रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और एफ.आई.आर. भी नहीं लिखी गयी मात्र उनको प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में 151 में अरेस्ट कर लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि राजस्थान की जनता को हम इस तरीके से लूटने नहीं देंगे, पीटने नहीं देंगे, इस तरीके से नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक उड़न दस्ता बनाने ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी। रामस्वरूपजी मीणा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के जन-जन की बात है ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : थानेदार जो वहां पर बैठे हुए हैं उनको हटवाइये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आक्रोश है। इस तरीके से लूट कर लिये गये हैं। करोड़ों रुपयों की वसूली नहीं हो सकी है।.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप। आप संक्षिप्त में बोल चुके हैं, बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, इस प्रश्न का जवाब दें और माननीय गृह मंत्रीजी यह बतायें कि किस तरीके से आपने ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चुंगी के ठेकेदारों को ठेके दे दो। आपको उनको कहना चाहिए। हिस्ट्रीशीटर हैं ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। यह उत्तेजित होने की बात नहीं है। आपने अपनी बात रख दी, अब बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी तो कुछ भी नहीं है। पूरा राजस्थान त्राहिमाम्-त्राहिमाम् हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये। आपको पूरा मौका दिया शून्यकाल में बात रखने का ... (व्यवधान) ...

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आई. ए. एस. कैडर के आदमी के साथ यह हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आम जनता के लिये क्या कर सकती है यह सरकार ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इस बारे में जानकारी दें ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आखिर बिना काम के ... (व्यवधान) ..

श्री जगदीप धनखड़ : यह काम की बात है। . (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनता मर रही है, पानी बन्द हो रहा है, थानों का घेराव हो रहा है और आप कहते हैं कोई बात नहीं। तो क्या लोग मर जाएंगे तब होगा ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप उनका क्या कर रहे हैं ? उनका क्या भविष्य है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। मैंने आपको पूरा मौका दे दिया है। आपने अपनी बात रख दी है, उसके बाद .. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार इस पर क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : एक ही बात को इतनी देर रिपीटेडली कहना (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, ऐसा वाकया कल के पब्लिकेशन में भी आया है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रामस्वरूपजी।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, कोई सामान्य नागरिक है तो .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला सवाई माधोपुर में पशुओं की बीमारी के कारण मौत हो रही है। पिछले महीने से लगातार वहां पर पशु रहे हैं। किसान के जो दुधारू पशु हैं, वह ज्यादातर मर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने इसके बारे में निवेदन किया था, लिखित में भी दिया था कि इस प्रकार की बीमारी जो फैल रही है उस बीमारी को रोका जाए वरना किसान बरबाद हो जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमारी इतनी भयंकर है, पशु को एकदम से सर्दी जैसी लगती है, चक्कर आता है, वह गिर जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से सैंकड़ों पशुओं की मौतें अब तक हो चुकी है। पिछली बार अभी जब छुट्टियां आयी थीं तो मैं स्वयं ग्राम टोडावाली में, पानड़ा में गया था, वहां जाकर मैंने देखा है वहां पर पांच-पांच, सात-सात पशु इस प्रकार एक-एक दिन में मर रहे हैं। किसान बरबाद हो रहा है, उसके बारे में हमने वहां निवेदन भी किया था। यह अखबारों में भी इस बात का समाचार आया है, देखो हड्डियों का ढेर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हालत है, जानवर मर रहे हैं, मूक जानवर मर रहा है,

(श्री रामस्वरूप)

15-15, 20-20 हजार की भैंसें मर रही हैं, गायें मर रही हैं और इस बारे में सरकार चुप बैठी हुई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि पशुओं की रक्षा की जाए, किसानों के धन की रक्षा की जाए। यह अखबारों में, यह देखो–यह हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं, यह बताया गया है। लोकल अखबार में सारी बातें बतायी गयी हैं उसके बाद भी आज तक सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।. अस्पताल के अन्दर दवाइयां नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पशुओं की मौत को रोका जाए और किसान जो बरबाद हो रहे हैं उनकी रक्षा की जाए। अगर उसके बारे में सरकार ने विचार नहीं किया तो जनता वहां आन्दोलन करेगी। किसान मरेगा उसकी जिम्मेदारी सदन की होगी.... (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : आप थोड़े धीमे ... (व्यवधान) .. बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : इसलिये आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अब जो जानवर मर रहे हैं उन जानवरों की रक्षा की जाए।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : और दवाइयां भिजवायी जाएं।

श्री अध्यक्ष : काफी बात कह दी आपने।

श्री रामस्वरूप : स्पेशल टीम भिजवायी जाए।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्दजी। .. (व्यवधान) ..

श्री रामस्वरूप : पालड़ा, टोडावली में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री टीकमचन्दजी। माननीय मंत्रीजी बात कह रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय सदस्य ने जो बात उठायी है। सदन के माध्यम से उन्होंने आकर यह चीज बतायी है . (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : ढेर वहां देखा होगा, जो ठेके होते हैं, उन ठेकों का कोई ढेर देख लिया होगा। वह तो राजस्थान में जब से कांग्रेस का राज था तब से है (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराजिये। बात करने दीजिये। टीकमचन्द जी आप बिराजिये, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री, पशुपालन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी, रोज माननीय सदस्य यहां पर मिलते हैं, कभी भी माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई बात नहीं बतायी। हमने सभी जिला कलक्टरों को यह निर्देश दे रखा है, कहीं पर भी किसी तरह की बीमारी है तो मुझ से सीधे सम्पर्क करें और मैं तुरन्त वहां पर

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

टीम भिजवाने की व्यवस्था करता हूं। मात्र अखबार को लेकर कोई ऐसी बात है तो मैं सुनने को तैयार हूं। मैं वहां इलाज.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री टीकमचन्दजी।

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, अखबार के जरिए जो सूचना मिलती है, आप अखबार को महत्व नहीं दे रहे हैं। अखबार बहुत इम्पोटेंट है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप भी थोड़ा राउण्ड लेकर पता लगायें, फिर बोलें तो अच्छा लगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं राउण्ड लेता हूं। पूरे क्षेत्र का राउण्ड लेकर आया हूं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा किया राउण्ड लिया तो, धन्यवाद। बिराजिये आप।

श्री रामस्वरूप : आज ही वहां पर आप एक टीम भिजवाइये ताकि पशुओं को मरने से बचाया जा सके, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री टीकम चन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात कुछ ज्यादा ही गम्भीर है। सरकार का नीतिगत मामला आ जाए और राजस्थान सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री ने परसो 15 तारीख को एक समाचार प्रसारित करवाया और हैडिंग उसका यह बना "अनुसूचित जाति के गरीबों को मिलने वाले ऋण के लिए प्रश्न चिन्ह", कुल मिलाकर जब इसको पढ़ा गया तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब लोगों के लिए विशेष प्रकार की योजनाएं चलायी जाती हैं, जिनके अन्दर उनको आर्थिक मदद देकर गरीबी की रेखा से नीचे जो जी रहे हैं उनको ऊपर उठाने का कार्यक्रम, उस समाज के उत्थान का कार्यक्रम होते हैं। तब तक भी इस समाचार को महत्व नहीं देता लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया कि मंत्रिमण्डल एक नीतिगत निर्णय लेने जा रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों को, गरीब लोगों को मिलने वाला ऋण बन्द कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली राशि, उसके लिए राजस्थान की सरकार गारंटी देती है। 22 हजार रुपये साल का मुश्किल से कमाने वाला अनुसूचित जाति के परिवार को दस हजार रुपये, 12 हजार रुपये, छह हजार रुपये की छोटी-मोटी जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के लिये राशि दी जाती है। उसको पांच हजार, छह हजार, तीन हजार ऐसी कुछ सब्सिडी होती है, सहायता राशि होती है। अब उसके माध्यम से व्यक्ति कितना ऊपर उठता है, कितना आगे जाता है, उसकी आय कितनी बढ़ती है लेकिन थोड़ी सहायता जरूर मिलती है। गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को थोड़ा उत्थान का मौका जरूर मिल जाता है, थोड़े पैरों पर खड़े हो जाते हैं। कई राज्यों की सरकारों के, न मालूम कितने बड़े-बड़े यह उपक्रम हैं, करोड़ों रुपयों का नुकसान करते हैं, लेकिन मामूली

(श्री टीकम चन्द कान्त)

सी कुछ लाखों की, करोड़ों की प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि, इससे कम से कम आज 80 लाख जनसंख्या अनुसूचित जाति की इस प्रदेश के अन्दर है उसके 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं, करीब 56 लाख उन व्यक्तियों को मामूली सी दी जाने वाली राशि पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। राजस्थान का मंत्रिमण्डल यह निर्णय लेने जा रहा है, यह संकेत है इसके अन्दर।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। शीघ्रता करें।

श्री टीकम चन्द कान्त : इस प्रकार के समाचार प्रसारित और प्रवाहित करवा रहे हैं। यहां बैठे हुए माननीय सदस्य अनुसूचित जाति के हैं, उनके मन में आघात लगता है। गरीब को गणेश मान कर चलने वाली सरकार, इस राजस्थान के खजाने के पैसे पर पहला हक गरीब का है, इस प्रकार की घोषणा करने वाली सरकार के... (व्यवधान) ..

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री टीकम चन्द कान्त : यदि इस प्रकार का समाचार प्रसारित करती है तो वह उचित है या अनुचित है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे शक नहीं है माननीय मुख्य मंत्री की नीति पर, लेकिन यह मनोवृत्ति किस प्रकार की करी। इस प्रकार का विश्लेषण करने में लग गया, गरीब के उत्थान के लिये अगर राजस्थान के गरीब का हिसाब-किताब देखने लग गया कोई मंत्रिमण्डल या सरकार या कोई मंत्री तो फिर यह उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, यह मामूली बात नहीं है, यह सरकार अपने आप में पूरे प्रदेश के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्य गारंटी दे ताकि यह समाचार वापस प्रसारित हो कि राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को मिलने वाला ऋण, सहायता बन्द नहीं की जाएगी। यह इस सदन के अन्दर आज घोषणा करें ताकि समाचार (व्यवधान) ...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इधर वालों को चुप कर दो और उधर वालों को बोलने दे ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं है, शून्यकाल में जिसने दिया है उसी का है। आप विराजिये। ऐसा नहीं है, बीच में .. (व्यवधान) ...

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आक्रोश जाहिर किया है उसको मैं उचित मानता हूं लेकिन जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सहायता बन्द नहीं की है। हम छह हजार तक की सब्सिडी का, लोन .. (व्यवधान) पूरा सुन लीजिये। मेरी आप सुन लीजिये।

श्री टीकम चन्द कान्त : कहलवा दीजिये कि मंत्रिमण्डल ऐसा निर्णय नहीं लेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 करोड़ रुपये लेप्स कर दिये और उसके बावजूद भी ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : यह +++ मंत्रीजी क्या जवाब देंगे, जब उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं, उप मुख्य मंत्रीजी जवाब दे।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : मंत्रीजी ने जैसा जवाब दे दिया कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बन्द नहीं कर रहे हैं और न ही विचार हो रहा है। क्या जवाब दे इसका ? न चल रहा है, न कोई विचार हो रहा है। .. (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

एक माननीय सदस्य : बंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं समझता हूं अब यह कोई बहस का विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : नहीं, बहस का कहां विषय है, मैं तो कहता हूं घोषणा करें इस पर आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : बैठिये आप।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री हरिशंकर भामड़ा : इन्होंने अखबार में पढ़कर के मामला उठा दिया। हमने स्पष्ट कर दिया है कि न इस तरह की सहायता बंद करने का कोई विचार है और न बंद की गयी है। खतम हुई बात।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। श्री विष्णुजी मोदी। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अनुसूचित जनजाति ..

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह बहस का विषय नहीं है, यह नीतिगत निर्णय है इस पर बहस नहीं हो सकती। मेरी इस पर आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : यह कोई बहस का विषय नहीं है। आपने कोई बात कही और मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सदन को चलाने का प्रयास नहीं करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अखबार में पढ़ कर ऐसा कहा। मैं सदन के समक्ष इस मामले को यह कह कर उठा चुका हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहकारी निगम के प्रबन्ध निदेशक ने एक पत्र मुझे लिखा। उस पत्र में कहा कि राज्य के किसी भी जिले में....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। अब आप विराजिये न। अब क्या मतलब है।

श्री जगदीप धनखड़ : जनजाति के लोगों को हम ऋण नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार ने गारण्टी नहीं दी है। ..

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये अब ।

श्री जगदीप धनखड़ : तो यह सरकारी रिकार्ड यह कहता है कि राज्य में ...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : जनजाति के लोगों के विकास में यह बाधक बने हुए हैं । माननीय सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, देरी से उठाया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । कब तक ...

श्री जगदीप धनखड़ : और जहां 20 करोड़ रुपये लैप्स हो गये, कोई जांच तो करवायें ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : कौन दोषी है ? गरीब का 20 करोड़ रुपया यह खा गये, लैप्स हो गये ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार को निश्चित रूप से कुछ कहना चाहिए इस बात पर । पूरा सदन एक राय का है कि....

श्री अध्यक्ष : आप अब तो बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : जनजाति विकास में यह सरकार बाधक क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करो आप । अब अंकित नहीं होगा ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । श्री विष्णु मोदी ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की शुरू से यह नीति रही है कि इस सदन को बाइपास किया जाए । पिछली 6 तारीख को जब यह सदन चल रहा था तो राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया और वह नीतिगत निर्णय था, राजस्थान पावर जनरेशन कारपोरेशन कम्पनी को रजिस्टर कराने का । अध्यक्ष महोदय, यह कम्पनी वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक के दबाव में बनायी गयी है, यह कम्पनी राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के टुकड़े करने के लिए बनायी गयी है । इस कम्पनी का राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को तीन टुकड़ों में करने का एक नीतिगत निर्णय था । जबकि यहां विधान सभा चल रही थी लेकिन विधान सभा में घोषणा नहीं करके इन्होंने चुपचाप, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था कि यह वर्ल्ड बैंक और एशियन डवलपमेंट बैंक के प्रेशर के कारण यह कम्पनी रजिस्टर करवा रहे हैं इसलिए इस सदन को बाइपास किया गया ।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है, इस सदन की गरिमा रही है और 10 दिसम्बर, 1959 को औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष दिये गये मुख्य मंत्री के वक्तव्य पर श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने यह निर्णय देते हुए कहा,

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया ।

(श्री विष्णु मोदी)

"इस प्रकार सदन के बाहर वक्तव्य दिया जाना विशेषाधिकार के हनन की गणना में नहीं आता" यहां पर मैं इतना अवश्य बतलाना चाहूंगा कि जब कभी सरकार द्वारा इस तरह के नीति सम्बन्धी कोई निर्णय लिये जाएं उस समय सदन की बैठकें चालू हों तो उन निर्णयों की सूचना सदन को सर्वप्रथम दी जानी चाहिए। मेरी समझ में यह स्वस्थ परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री विष्णु मोदी : मैंने बात तो खतम ही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि जब यह इस सदन की परम्परा रही है

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : यह आपके कहने से ब्रीच आफ प्रिविलेज है क्या ?

श्री विष्णु मोदी : मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात ही नहीं कर रहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर बात क्या कर रहे हैं ? ब्रीच आफ प्रिविलेज की बात नहीं है तो किन नियमों के अन्तर्गत आप बात कर रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : मैं नियम में जीरो आवर में बात कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जीरो आवर में भी कोई खुली नहीं है छूट।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, खुली नहीं है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि मर्जी आये सो बात उठा दें। किन नियमों में उठा रहे हैं जीरो आवर में ? ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है, जीरो आवर में कोई नियम नहीं है, यह मतलब है क्या आपका ?

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : यह स्वस्थ परम्पराओं की बात कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं परम्परा की बात कर रहा हूं, मैं इस विधान सभा की गरिमा की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : जो विधान सभा के नियम हैं उसकी अवहेलना तो यह सरकार जब से बनी है जब से करती आयी है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इस सदन की नियमावली में यह है कि सदन के तीन सत्र हों, मिनिमम 60 बैठकें हों....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : जब से यह सरकार रही है तो उन नियमों की बात करना ...

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कह चुके, विराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इस सरकार के सामने कतई अनुचित है। मेरा प्रश्न यह था

(श्री विष्णु मोदी)

कि यह सरकार सदन की अवमानना करती है। जब इस सदन की यह परम्परा रही है, जब सदन की यह गरिमा रही है कि कोई भी नीतिगत फैसला सदन की बैठक चालू हो तो पहले सदन में किया जाएगा बाहर नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : और इस से सरकार ने वर्ल्ड बैंक के, यह मेरा इस सरकार पर आरोप है ..

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप। अब अंकित नहीं करें। अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलालजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि से नुकसान का मुआवजा

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ष डूंगरपुर जिले में अतिवृष्टि से काफी जन-धन की हानि हुई है। सेंकड़ों घर ढह गये हैं, खेत, कुएं, पेड़ आदि भारी मात्रा में बरबाद हो गये हैं। यहां तक कि कुएं, खेत मौके पर नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर जिले में सर्वे कराकर जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है उसे दिलवाया जाए। जिन-जिन काश्तकारों के खेत और कुए नष्ट हो गये हैं उन्हें वापस आबाद कराया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जीवनधारा के चालू कुएं भी ढह गये जिनका अधिकांश भुगतान बाकी था। काश्तकार भुगतान के बिना वापस मलबा निकालने की स्थिति में नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि जो भी जीवकधारा के स्वीकृत कुएं हैं उन्हें मौके पर जांच कर भुगतान कराया जाए ताकि काश्तकार अपने कुओं को पुनः आबाद कर सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायण लालजी।

धरियावद तहसील में अवैध देशी शराब का निर्माण और विक्रय

श्री नारायण लाल (लसाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के माध्यम से धरियावद तहसील में अवैध देशी शराब के निर्माण और विक्रय की ओर माननीय आबकारी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, धरियावाद तहसील मुख्यालय उदयपुर जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर है एवं सघन वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहां अवैध शराब का धन्धा करने वाले ठेकेदार, तस्कर स्थानीय कर्मचारियों के माध्यम से देशी शराब जिसमें भारी मात्रा में उर्वरकों का निर्माण करना

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नारायण लाल)

भी है, स्थानीय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एवं आये दिन कई मासूम लोगों की असामयिक मृत्यु हो रही है। अतः मेरा आबकारी मंत्रीजी से अनुरोध है कि कृपया विभागीय अधिकारियों को पाबंद करायें कि अवैध शराब निर्माण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगायें जिससे गांव के लोगों की अकाल मौत को रोका जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंहजी डांगावास।

मेड़ता में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत श्रीमान् शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

विद्यार्थियों का मानसिक विकास करने के लिए शारीरिक विकास परम आवश्यक है। शरीर का सही विकास नहीं होगा तो मानसिक विकास भी नहीं होगा। इस कारण से यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक शारीरिक शिक्षकों की व्यवस्था हो।

यदि इस तथ्य के आधार पर शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित कर दिये जाएं तो प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों की बेरोजगारी खतम हो जाएगी। मैं तो यही प्रस्ताव करता हूं कि उक्त मानदण्ड के आधार पर प्रतिवर्ष रिक्तियों का अनुमान लगाकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जहां तक प्रशिक्षण महाविद्यालय के स्थान चयन का प्रश्न है, मैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, मेड़ता शहर, जो राजस्थान का केन्द्र बिन्दु है, वहां शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

डूंगरपुर की आदिवासी बस्तियों का विद्युतीकरण

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में आदिवासी बस्तियों का विद्युतीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। सरकार की नीति के अनुसार इनके कुओं अथवा घरों का विद्युतीकरण होना सम्भव नहीं है। आदिवासियों की बसावट की दृष्टि से सक्षम आदिवासी भी विद्युतीकरण नहीं करा सकता है। उदाहरण के लिए, सरकार ने जिन-जिन गांवों को विद्युतीकृत किया है उनमें मात्र गांव में एक-दो घरों या कुओं को कनेक्शन दिया गया है बाकी सारे गांव ज्यों के त्यों अंधेरे में जीवनयापन कर रहे हैं।

श्रीमान् जी, कांग्रेस शासन में आदिवासी या अन्य गरीब व्यक्तियों को कनेक्शन लेने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन आज के शासन में तो विद्युतीकरण के लिए भारी समस्या खड़ी हो गयी है। श्रीमान्, आपके माध्यम से एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि कई ऐसे गांव हैं

(श्री नाथूराम अहारी)

जिनकी डिमाण्ड नोटिस की रकम जनजाति विभाग से स्वीकृत होकर तीन-चार सालों से विद्युत विभाग में जमा है लेकिन अभी तक इन्हें विद्युतीकृत नहीं किया है और पुनः डिमाण्ड नोटिस 500 से 1000 रुपये तक आ जाने से गरीब आदिवासी विद्युतीकरण से वंचित हैं। पिछले वर्षों जनजाति विभाग से आदिवासी गांवों या ढाणियों को विद्युतीकरण के लिए काफी रकम दी जाती थी और आदिवासी को विद्युत कनेक्शन दिया जाता था लेकिन आजकल वो भी नहीं के बराबर है।

अतः मैं, आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि आदिवासी पालों, गांवों या ढाणियों का विद्युतीकरण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम जनजाति विभाग से स्वीकृत करायी जाए ताकि अंधेरे में जीवन-यापन करने वाले लोगों को फायदा मिल सके, अन्यथा ये लोग आजादी के 100 साल बीत जाने के बाद भी ज्यों के त्यों ही रह जाएंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी मीणा (अनुपस्थित) श्री शिवनाथ सिंहजी (अनुपस्थित) श्री रेवती प्रसाद जी कोली (अनुपस्थित) श्री हीरालाल जी मीणा (अनुपस्थित) श्री राधेश्याम जी।

गंगानगर शहर में वर्षा से ध्वस्त मकानों का मुआवजा

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्षाकाल में श्री गंगानगर शहर में अत्यधिक वर्षा होने के कारण गरीबों के सैंकड़ों की संख्या में मकान गिर गये। इतना ही नहीं बड़े-बड़े पक्के और मजबूत मकान, जिनकी कीमत लाखों रुपयों में थी, वे भी क्षतिग्रस्त और धराशायी हो गये। यह एक ऐसी मानवीय समस्या थी जिस पर प्रशासन को तुरन्त बिना किसी भेदभाव के ध्यान देना चाहिए था और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गरीब और अमीर की मदद प्रशासन को करनी चाहिए थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित गरीब व्यक्तियों को वर्षाकाल में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ीं और आकाश के नीचे बिना छत उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आपदा के कारण गरीबों की लाखों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गयी और जो गरीब मेहनत-मजदूरी करके अपनी रोजी-रोटी का इन्तजाम करते हैं, उनके लिए अपने रहने के लिए पुनः मकान बनाना बहुत कठिन ही नहीं असम्भव हो गया।

इस समस्या का जायजा लेने के लिए मैं तुरन्त प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने गया। प्राकृतिक आपदा से ग्रसित रोते-बिलखते लोगों को समस्याओं को मैंने सुना और प्रभावित व्यक्तियों की समस्या से प्रशासन को मैंने स्वयं अवगत कराया तथा प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रशासन को समय-समय पर कहा। जिलाधीश ने स्वयं भी अपने स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जन साधारण की समस्याओं को सुना और मौखिक रूप से गरीबों को राहत देने का ढांढ़स भी बंधाया। इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र का सर्वे भी करवाया गया एवं सर्वे के अन्तर्गत किस-किस व्यक्ति को क्या नुकसान हुआ है इसका लेखा-जोखा भी बनाया गया। लेकिन अभी तक कोई भी

(श्री राधेश्याम)

राहत प्रदान नहीं की गयी है। कुछ लोग मकान के अभाव में सड़कों पर भटक रहे हैं और आकाश की छत के नीचे ही सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर्दी के मौसम में भी कड़कड़ाती सर्दी में इनको बिना मकान के अपना जीवन-यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सैकड़ों की संख्या में मकान क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हुए हैं और इनके पुनः निर्माण या मरम्मत के लिए लाखों रुपये व्यय होना अवश्यम्भावी है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण लाखों रुपयों की हुई क्षति का मुआवजा प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान के रूप में धनराशि देकर क्षतिपूर्ति करना सरकार का पुनीत कर्तव्य ही नहीं बल्कि कानूनन बाध्यकारी कर्तव्य है।

अतः मैं इस समस्या को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार को यह निर्देश प्रदान करें कि सरकार अब अविलम्ब इस मानवीय समस्या के समाधान के लिए आर्थिक मदद करे और प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक मदद करने में कोई भेदभाव नहीं बरते। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से तिजारा क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में उचित साधनों के साथ कोई फायर स्टेशन नहीं होने बाबत् गृहमंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(1) भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ता है व इसमें काफी तादाद से उत्पादन होता है। पूरा औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़े क्षेत्र में फैला है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी व दुर्घटना होने पर कोई बचाव के उपयुक्त साधन नहीं हैं और न ही आगजनी पर काबू पाने हेतु उचित साधनों के साथ फायर ब्रिगेड व फायर स्टेशन ही है, न ही फायर से बचाव के नवीनतम उपकरण हैं। क्षेत्र के लोगों को नागरिक सुरक्षा व फायर आदि के बचाव का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, न ही कोई योजना दिखायी दे रही है। उक्त क्षेत्र से अलवर शहर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां फायर स्टेशन है। वहां से कोई प्रभावी उपयोग इस क्षेत्र के लिए नहीं है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र के पास काफी तादाद में आबादी टपूकड़ा सब तहसील, तिजारा तहसील व सब तहसील कोटकासिम में निवास करती है। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है। कस्बों में व्यापारिक गतिविधियां भी काफी हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में तुरन्त उचित साधनों के साथ फायर स्टेशन कायम करवा कर उचित मात्रा में फायर ब्रिगेड रखी जावे। फायर से बचाव हेतु नवीनतम उपकरण उपलब्ध करवाये जावे। स्थानीय नागरिकों को नवीनतम उपकरणों की जानकारी दी जाए व नागरिक सुरक्षा के पूर्ण इन्तजाम करवाये जाएं उक्त फायर स्टेशन से क्षेत्र के

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

किसानों की फसलों की भी सुरक्षा हो पाएगी। साथ ही कस्बों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी फायदा मिल सकेगा।

अतः उक्त मामले में तुरन्त कार्यवाही कर फायर स्टेशन खोलकर उपरोक्त सभी इन्तजाम अविलम्ब करवाने हेतु सरकार को आदेश दिया जाए ताकि भविष्य में कोई गम्भीर दुर्घटना घटने पर उससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवतराम जी पंवार।

मेडिकल कालेज के व्याख्याताओं का स्थायीकरण एवं बैकलाग

श्री रेवतराम पंवार (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, एकेडमिक कालेज व्याख्याताओं को अस्थायी से स्थायी किये जाने की भांति मेडिकल कालेज व्याख्याताओं को अस्थायी से स्थायी नहीं किये जाने व मेडिकल कालेज व्याख्याताओं के पदों पर भर्ती हेतु बैक-लॉग पूरा नहीं किये जाने का मामला नियम 295 के तहत उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्री मण्डल की बैठक दिनांक 06 मार्च, 1995 को हुई। इसकी जानकारी मुझे समाचार पत्रों से मिली। मुझे मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने सरकारी कालेजों में वर्षों से कार्यरत अस्थायी व्याख्याताओं को स्थायी करने की प्रक्रिया तय कर दी है। इस प्रकार की जन-कल्याणकारी नीतियों के कारण काफी लोगों को मदद मिलेगी। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं या जो आइन्दा निकट भविष्य में ओवर एज होने वाले हैं उन्हें यदि एम. फिल. या पी. एच. डी. करने एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से आने से बचाना आवश्यक था। इसके लिए राज्य सरकार की मैं प्रशंसा करता हूं।

एकेडमिक कालेज के व्याख्याताओं के समान ही मेडिकल कालेज के व्याख्याताओं को भी इस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से मेडिकल डाक्टर मेडिकल कालेजों में व्याख्याताओं के पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्त हैं और इन डाक्टर व्याख्याताओं को 6–6 माह के लिये एक्सटेंशन दिया जा रहा है। इन व्याख्याताओं से नियमित रूप से भर्ती किये गये व्याख्याताओं के बराबर काम लिया जा रहा है। इनको वेतन, भत्ते आदि नियमित भर्ती डाक्टर व्याख्याताओं के समान ही देय है। मेडिकल कालेज के व्याख्याता भिन्न-भिन्न विषयों में एम. एस. एवं एम. डी. तक शिक्षित हैं। आर. पी. एस. सी. से भर्ती के लिये इन पदों के लिये निर्धारित योग्यता, एवं अनुभव ये व्याख्याता रखते हैं। इन मेडिकल डाक्टर व्याख्याताओं की भर्ती केन्द्रीय चयन समिति द्वारा की गयी थी जिसमें विषय का विशेषज्ञ भी शामिल होता है।

इन अस्थायी भर्ती किये गये मेडिकल कालेज डाक्टर व्याख्याताओं के समक्ष यह गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है कि ये डाक्टर अब ओवर एज होने को हैं एवं वर्ष 1995 तक आर. पी. एस. सी. से भर्ती का इनको अवसर सुलभ नहीं हुआ है। आर. पी. एस. सी. ने अगस्त, 1990 में मेडिकल कालेज में व्याख्याताओं की भर्ती के लिये

(श्री रेवतराम पंवार)

विज्ञापन प्रसारित कर 85 पदों के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये। इन पदों में से 41 पद अनुसूचित जाति के तथा 23 पद अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिये आरक्षित रखे गये थे। इसी प्रकार आयोग की विज्ञप्ति सितम्बर, 1991 में जारी की गयी व इसमें संशोधन की विज्ञप्ति दिनांक 01 मई, 1993 को जारी की गयी।

(13.00)

यह विज्ञप्ति पूर्व में जारी अगस्त, 90 की नियुक्तियां नहीं होने एवं उपरोक्तानुसार समय समय पर बढ़ने वाली और भी नियुक्तियों को शामिल करते हुए जारी की गयी थी। उपरोक्त सभी विज्ञप्तियों में अगस्त, 1990 तक के बैंक लॉग को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे लेकिन इन विज्ञप्तियों में वर्णित विषयों के लिए कोई भर्ती नहीं की गयी। दूसरी ओर अस्थायी मेडिकल डाक्टर व्याख्याता रिक्त पदों पर कार्यरत रहे। ये व्याख्याता यह इन्तजार करते रहे कि उन्हें आर. पी. एस. सी. से कोई अवसर नियमित नियुक्ति का मिल जाए।

इस क्रम में आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब दिनांक 29-7-94 को आर. पी. एस. सी. ने 110 नये डाक्टर व्याख्याताओं की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जिसमें पुराने बैकलॉग को ठुकराते हुए अगस्त, 90 तक के बैकलॉग के पदों को समाप्त कर दिया और नियमित आरक्षण तक ही विज्ञापन से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को सीमित रखा।

यहां यह गम्भीर चिन्ता का प्रश्न उठता है कि सन् 1990 में बैकलॉग को भरने की नीयत से राज्य सरकार ने जिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के डाक्टरों को मेडिकल कालेजों में व्याख्याता के पदों पर तदर्थ नियुक्ति दी और आर. पी. एस. सी. से नियमित भर्ती का रास्ता रूका रहा उनके लिए और भी कठिन समय आ गया कि बैकलॉग को समाप्त कर दिया गया। इससे राज्य सरकार के समक्ष मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन डाक्टर व्याख्याताओं के भविष्य पर प्रश्न चिह्न लग गया है जो बैकलॉग के 72 निर्धारित पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए और उस दिनांक तक राज्य की सेवा कर रहे हैं।

यहां समाज में असमानता का एक गम्भीर मामला सामने आया है कि राज्य सरकार एक तरफ कालेज व्याख्याताओं, जिनके पास निर्धारित योग्यता का अभाव है, को एक समिति बनाकर नियमित एवं स्थायी करने हेतु चिन्तन कर रही है तथा दूसरी तरफ मेडिकल व्याख्याताओं को जो कि सरकार की केन्द्रीय चयन समिति द्वारा चयनित होकर निर्धारित योग्यता के होने के कारण राज्य की सेवा में संलग्न हैं और उनके नियमित नियुक्ति के सभी रास्तों पर अवरोध उत्पन्न हो गये हैं, साथ ही ये डाक्टर अब ओवर एज होने की स्थिति में भी आ गये हैं, इस प्रकार इनके समक्ष रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है।

मैं राज्य सरकार का इस समय विशेष रूप से यह ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि तदर्थ आधार पर नियुक्त डाक्टरों में

(श्री रेवतराम पंवार)

अधिकांश डाक्टर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं। कितनी गरीबी की स्थिति को पाटते हुए कठिन परिश्रम कर समाज का यह पिछड़ा वर्ग अपना अध्ययन कार्य सम्पन्न करता है और इसका किस प्रकार से शोषण होने की स्थिति सामने आ गयी है।

अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सरकार के इस असमान व्यवहार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर पुरजोर शब्दों में यह मांग करता हूं कि तदर्थ आधार पर नियुक्त मेडिकल कॉलेज, व्याख्याताओं की नियुक्ति को स्थायी नियुक्ति में तब्दील करने हेतु ठोस कार्यवाही करें।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी। (अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल गरासिया, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति एक प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1994-95 का तृतीय प्रतिवेदन

श्री चुन्नीलाल गरासिया (सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1994-95 का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन, सभापति, प्रवर समिति, राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994 पर गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रेवती प्रसाद कोली, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्री रेवती प्रसाद कोली : अध्यक्ष महोदय, "जनता खुशी मनाती जब आयी सरकार, पब्लिक प्यासी मर गयी धन्य मेरी सरकार"। आदरणीय, 295 के तहत पेयजल का संकट इतना भारी मेरे विधान सभा क्षेत्र में ...

श्री अध्यक्ष : 295 नहीं है। आपकी एक पिटीशन है। 295 के समय तो आप बाहर कहीं नाश्ता करने पधारे थे।

याचिका का उपस्थापन

बयाना से छोकरवाड़ा एवं सलेमपुरकलां से वैर वाया हातोड़ी एवं वैर से नदबई वाया जटलवाई, हलेना परिवहन निगम की रात्रि बस सेवा चलाने विषयक

श्री रेवती प्रसाद कोली (वैर) : अध्यक्ष महोदय, रात्रि बस सेवा बयाना से छोकरवाड़ा एवं सलेमपुरकलां से वैर वाया हातोड़ी एवं वैर से नदबई वाया जटवलाई, हलेना परिवहन निगम की बस चलाने विषयक पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

यातायात मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बयाना में 9 बजे से सवारी वहीं पड़ी रहती है रेल्वे स्टेशन पर ही। अब तक साल भर से कहते-कहते परेशान हो गया और फिर मैं गाने बनाकर गाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा इसलिए वहां बस लगा दी जाए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, हो गयी आपकी याचिका। विराजो आप।

श्री कैलाश जी मेघवाल, गृह मंत्री, उदयपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं पर दिनांक 7 अप्रेल, 1995 को कथित लाठी चार्ज व उससे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य देंगे।

शासकीय वक्तव्य

उदयपुर मेडिकल कालेज के छात्रों पर कथित लाठीचार्ज

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कालेज, उदयपुर के छात्र श्री जय सुराणा ने दिनांक 31 मार्च, 1995 को पुलिस थाना हाथीपुर पर अभियोग दर्ज कराया कि उसे कालेज के वरिष्ठ छात्रगण रेगिंग के लिए बार-बार परेशान करते हैं तथा मार-पीट आदि करते हैं और दिनांक 31-3-1995 को दिन में एक बजे कुछ छात्र उसको कालेज के डिसेक्शन हाल से जबरदस्ती उठाकर ले गये और उसके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस थाना हाथीपुर पर अभियोग संख्या 49/95, धारा 147, 149, 341, 323, 365 व 448, भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। इसके बाद दिनांक 2-4-1995 को जय सुराणा द्वारा नामजद अभियुक्तों में से एक श्री कृष्ण मालव ने भी एक अभियोग पुलिस थाना हाथीपुर में दर्ज कराया कि दिनांक 30-3-1995 को जय सुराणा व चार-पांच अन्य छात्रों ने उसके साथ होस्टल के कमरे में प्रवेश कर मार-पीट की। मेडिकल कालेज के प्रशासन ने छात्रों के रेगिंग के मामले को गम्भीरता से लेते हुए श्री कृष्ण मालव तथा चार अन्य छात्रों को दिनांक 3-4-1995 को निलम्बित कर दिया। दिनांक 5-4-1995 को श्री विधान चन्द्र सरकार व छह अन्य छात्रों ने मेडिकल कालेज के डाक्टरों सर्व श्री वी. एस. बम्ब, एच. एम. एस. भटनागर, बी. शारदा, श्रीमती पेन्सी व आई.एम.एस. नरूला द्वारा उन्हें जान बूझकर फेल करने का आरोप लगाते हुए एक के बाद एक आत्मदाह करने की रिपोर्ट प्रिंसिपल आर.एन.टी. मेडिकल कालेज को दी। इसी सन्दर्भ में दिनांक 6-4-1995 को फिर छात्र राम प्रसाद चावला ने एक

(श्री कैलाश मेघवाल)

नोटिस दिया कि अगर 6-4-1995 सायं काल 6 बजे तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह दिनांक 7-4-1995 को सुबह 10.30 बजे कालेज प्रशासनिक भवन के सामने आत्मदाह करेगा।

दिनांक 5-4-1995 को अभियोग संख्या 49/95 में नामजद चार छात्रों सर्व श्री कृष्ण मालव, संदीप सक्सेना, अजय गुप्ता एव दीपक रहेजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया जिन्हें दिनांक 6-4-1995 को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया जो दिनांक 7-4-1995 को जमानत पर रिहा हुए। छात्रों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही के विरोध में दिनांक 3-4-1995 से मेडिकल छात्र हड़ताल पर चले गये और दिनांक 6-4-95 को कलक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की व रेंगिग के विरुद्ध की गयी कार्यवाही को वापस लेने की मांग का ज्ञापन दिया।

छात्रों द्वारा आत्मदाह की धमकी को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 7-4-1995 को समुचित पुलिस प्रबन्ध किये गये। उस दिन से छात्रों के समर्थन में रेजिडेंट डाक्टर भी हड़ताल पर चले गये। लगभग 10 40 ए.एम. पर 200–250 छात्र–छात्राएं प्रशासनिक भवन के सामने आये। श्री रामप्रसाद चावला को घेरे में बैठा दिया एवं रामप्रसाद अमर रहे आदि के नारे लगाये। इसी दौरान एक छात्र ने बोतल से कैरोसीन रामप्रसाद पर डाल दिया तथा आग लगाने का प्रयास किया। इस पर उपस्थित पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने चेतावनी देकर भीड़ को तितर-बितर किया। छात्रगण नारे लगाते हुए रामप्रसाद को लेकर होस्टल में घुस गये व चैनल गेट पर ताला लगा दिया। गेट के बाहर छात्र-छात्राओं ने घेरा बना लिया। होस्टल के अन्दर से धुआं दिखने तथा शहीद चावला अमर रहे के नारे सुनायी देने पर रामप्रसाद चावला को बचाना अति आवश्यक होने पर कालेज प्रशासन की अनुमति से पुलिसकर्मियों ने होस्टल में प्रवेश करना चाहा लेकिन छात्रों के पथराव प्रारम्भ करने के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। तत्पश्चात् अतिरिक्त दण्डनायक (नगर) के निर्देशानुसार पुलिस बल द्वारा बल प्रयोग कर चैनल गेट का ताला तोड़ा व होस्टल में प्रवेश किया तो वहां फर्नीचर, कचरा आदि जलता पाया गया। उक्त घटनाक्रम में 57 छात्र तथा 14 पुलिसकर्मियों के चोटें आयीं। छात्रों द्वारा व्यापक तोड़-फोड़ तथा आगजनी के सम्बन्ध में प्राचार्य, मेडिकल कालेज की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 53/95 धारा 147, 148, 149, 142, 435 एवं 336 भारतीय दंड संहिता व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर अनुसंधान चालू किया गया एवं पुलिस द्वारा अपराध संख्या 54/95 धारा 147, 148, 149, 307, 433 एवं 336 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए नगर दण्ड नायक द्वारा धारा 144 जाप्ता फौजदारी के तहत दिनांक 7-4-95 से दस दिन के लिये समूह एकत्रीकरण आदि

(श्री कैलाश मेघवाल)

पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मेडिकल कालेज, उदयपुर के छात्रों की अनुशासनहीनता की इन गतिविधियों के कारण चीफ वार्डन व अन्य वार्डनों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिये हैं। उदयपुर में चिकित्सा सेवाएं सामान्य रूप से चलायी जा रही हैं। मेडिकल कालेज अनिश्चितकाल के लिये बन्द कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंह जी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिस और प्रशासन की उच्छृंखलता का यह एक और नमूना है। यह सरकार जहां पर ब्यावर की जनता पानी मांगती है तो उन पर डंडे बरसाती है। पुलिस की कस्टडी में मौतें .

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : लगाने वाले पूर्व गृह राज्य मंत्री थे। उन्होंने भी वहां आग लगायी है। उन्होंने भी वहां पत्रकारों को फसाया है, इन्होंने नहीं ..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : कस्टडी के अन्दर डैथ होती है।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व गृह मंत्री हैं अभी चुनाव के दिनों में ...

श्री लक्ष्मण सिंह : आपके कारनामे तो ऐसे हैं कि ब्यावर की गलियों में घुस नहीं सकते हैं। धोतियां खोल देते हैं आपकी, धोतियां। पानी के मामले में धोतियां खोल दीं आपकी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : इसलिये मेरे से पूछो मत। आपको तो कुछ बोलने का हक ही नहीं है।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, पुलिस कान्स्टेबल ड्रेस में, भीम के अन्दर उसके चांटे लगे हैं अभी और अभी एफ. आई. आर. लॉज हुई है ...

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या + + + आप भी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : धोती खुल जाएगी।

श्री उगमराज मेहता : चिन्ता करने की जरूरत नहीं है धोती वाला मजबूत है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस की उद्दण्डता और उच्छृंखलता का एक और नमूना है कि उदयपुर में मेडिकल कालेज के छात्र जो अपनी मांगों के लिये प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने निर्दयतापूर्वक डंडे बरसाये। और तो और मेल पुलिसमैन ने, पुरुष पुलिसमैन ने वहां की छात्राओं के ऊपर भी बर्बरतापूर्वक डंडे बरसाये। उनको बाल पकड़ करके घसीटा और उसके परिणामस्वरूप साठ से भी

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

ज्यादा छात्र-छात्राओं के चोट आयीं। माननीय गृह मंत्रीजी ने जो अभी यहां पर अपना वक्तव्य दिया, वह एक तरह से उन्होंने एफ. आई. आर. पढ़कर सुना दी। माननीय गृह मंत्रीजी से मैं कुछ बातें जानना चाहूंगा लेकिन उनसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मसले में सिर्फ गृह मंत्रालय और गृह मंत्रीजी का ही बिन्दु नहीं है इसमें चिकित्सा मंत्रालय और चिकित्सा मंत्रीजी के भी कुछ बिन्दु शामिल हैं। अच्छा तो यही होता कि इसका स्टेटमेंट माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से आता लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो चिकित्सा मंत्रालय से सम्बन्धित बिन्दु हैं उनका चिकित्सा मंत्रीजी जवाब दें तो यह बिन्दु स्पष्ट हो जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): आप चाहेंगे तो जवाब दे दूंगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों के ऊपर ही गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा और चिकित्सा मंत्रीजी अगर जवाब देते हैं ...

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य): बिल्कुल देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : तो सबसे पहले मेडिकल कालेज का एक छोटा-सा आंतरिक बिन्दु था रेगिंग से सम्बन्धित। मैं रेगिंग के खिलाफ हूं लेकिन रेगिंग आज कोई नयी चीज नहीं है। रेगिंग नहीं होनी चाहिए लेकिन इसके कारण से स्थिति को इस हद तक बढ़ते दिये जाना मेडिकल प्रशासन की पूरी तरह से विफलता थी। मेडिकल प्रशासन को दोनों पक्षों के बीच में सुलह करवाने के प्रयास करने चाहिए थे लेकिन मेडिकल प्रशासन इस पर क्यों विफल रहा और मेडिकल प्रशासन ने क्यों नहीं अपनी तरफ से प्रयास किये ? गिरफ्तार किये गये छात्रों को निलम्बित क्यों किया गया ? पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी। चार छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको निलम्बित करना ही आग में घी डालने का काम किया। इसके अलावा घायल छात्रों से पुलिस प्रशासन मिलने के लिए नहीं गया, मेडिकल कालेज का प्रशासन उनसे मिलने के लिये नहीं गया। मेडिकल आथोरिटीज इतनी संवेदनहीन हो गयी कि उन्होंने वहां पूरे दिन तक घायल छात्रों की कोई भी सुध नहीं ली। घायल छात्रों को मेडिकल सर्टिफिकेट भी उन्होंने प्रारम्भ में देने से मना कर दिया और बहुत दबाव देने पर मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों दिया गया ? घायल छात्रों को दबाव में डालकर जबरदस्ती हास्पिटल से क्यों निकाला गया ? घायल छात्रों को दबाव डालकर हास्पिटल खाली करने के लिये आतंकित किया गया। धमका करके उनसे होस्टल खाली क्यों करवाया गया ? साथ-साथ मैं यह जानना चाहूंगा कि लिखित में छात्रों को यह बताया गया कि अगर वह होस्टल में रहेंगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी उन होस्टल के छात्रों की होगी, क्या यह गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बर्ताव होस्टल के प्रशासन का नहीं है ? साथ ही मैं, यह जानना चाहूंगा कि सभी घायल छात्रों के खिलाफ प्रिंसीपल ने तोड़-फोड़ की असत्य रिपोर्ट क्यों लिखवायी ? अब प्रश्न आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लैप्सेज और पुलिस प्रशासन की कमियों

(श्री लक्ष्मण सिंह)

का। अध्यक्ष महोदय, एक साधारण कहा-सुनी की बात को लेकर अगर उसके ऊपर एफ. आई. आर. दर्ज करायी जाती है तो किसी के दबाव में आकर अपहरण जैसा मुकदमा छात्रों के ऊपर बना दिये जाने के कारण से ही इस बात ने तूल पकड़ा और बात इतनी ज्यादा बिगड़ती गयी। अपहरण का मुकदमा उन चार छात्रों के ऊपर क्यों बनाया गया ? दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहे छात्रों को आतंकित करने के लिए, उनको भड़काने के लिये पूरे कैम्पस के अन्दर इतनी भारी तादाद में पुलिस प्रशासन को बुलाने की क्या आवश्यकता थी ? माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि कुछ दिनों से चावला नाम का छात्र आत्मदाह की धमकियां दे रहा था। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब उसने अखबार में अपनी विज्ञप्ति निकाल दी, सबको यह मालूम था कि वह आत्मदाह करने जा रहा है तो पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने चावला छात्र को पहले से ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? उसको गिरफ्तार करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया ? अगर इसको पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो संभवतः यह बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक जो छात्र-छात्राएं सभा कर रहे थे उनको बिना चेतावनी दिये हुए, उनके ऊपर लाठी चार्ज क्यों किया गया ? फिमेल कान्स्टेबल मैन वहां पर मौजूद थीं लेकिन वह एक तरफ बैठकर ताश खेल रही थीं। अचानक जब छात्र-छात्राओं की पिटाई की जाने लगी तो छात्राओं की पिटाई करने के लिये भी पुरुष पुलिसकर्मी थे। मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स भी है। पुरुष पुलिस-कर्मियों ने छात्राओं के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया। उन्होंने उनकी चोटी पकड़ कर घसीटा और कईयों ने उनके हाथों से उनकी घड़ियां छीन लीं। मेरे ख्याल से इस प्रकार के निरंकुश पुलिस प्रशासन की जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ-साथ यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भर्ती घायल छात्र-छात्राओं को हास्पिटल के वार्ड से गिरफ्तार किया गया और वहां उनको आतंकित किया गया ? होस्टल के अन्दर रहने वाले छात्र एक-एक करके बाहर आना चाहते थे तो 144 लगी हुई है। 144 में पांच के गिरोह के अन्दर आप पकड़ सकते हैं लेकिन एक-एक करके कोई छात्र बाहर आता, उसको भी पकड़-पकड़ कर वह ले जाते और सैण्ट्रल जेल के अन्दर उनको ठूंस दिया गया, ऐसा क्यों किया गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं साथ में यह भी जानना चाहूंगा कि एस. डी एम. द्वारा जब छात्रों के अभिभावक वहां पर आये, वह उनकी जमानत देना चाहते थे, उनकी जमानत नहीं ली गयी। दूसरे और जमानती आये तो उनकी भी जमानत नहीं ली गयी। इस प्रकार से जमानत नहीं लेने का क्या कारण था और बाद में कुछ लोगों की ही जमानत क्यों ली गयी ? जेल के अन्दर बन्द घायल छात्रों का उचित इलाज क्यों नहीं किया गया ? अभी तक भी उनका इलाज ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। पुलिस द्वारा होस्टल के, हास्पिटल के प्रिमिसेज के अन्दर बैठकर वहां आतंक का वातावरण क्यों बनाया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मेरे ये कुछ पाइण्टेड प्रश्न हैं जो इस बात की तरफ इंगित करते हैं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कि पुलिस प्रशासन, वहां का जिला प्रशासन और हास्पिटल का प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है इस प्रकार की निर्दयतापूर्ण घटना के लिए। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। मैं, राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इन सब बातों की तह में अगर आप जाना चाहते हैं, वास्तविकता आप मालूम करना चाहते हैं कि कौन दोषी है तो इसके लिए आप एक न्यायिक जांच बैठाइये जो कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और साथ में हास्पिटल के प्रशासन की कमियों को भी सामने उजागर करें और जो निर्दोष छात्र हैं उनको छोड़ा जाए और हास्पिटल का प्रशासन जो पूरी तरह से फेल हुआ है ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : माननीय धनखड़जी। माननीय सदस्य, पाइंटेड प्रश्न ही पूछिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विस्तार से घटना का विवरण दिया जा चुका है। मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार राज्य में इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि इस वर्ष का भी एकेडेमिक सैशन शुरू होने वाला है एंटी रेगिंग स्क्वेड का गठन करने की योजना रखती है ?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि छात्रों को सरलता से फौजदारी प्रकरणों में लिप्त करने की जो प्रवृत्ति पुलिस प्रशासन में बढ़ती जा रही है इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या सरकार कोई नीतिगत निर्णय लेकर ठोस कदम उठाना चाहती है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रों में जोश होता है, खरोश होता है पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन सरलता से छात्रों पर इस प्रकार के मुकदमें थोप देती है जैसे माननीय सदस्यों ने कहा है। ऐसी स्थिति में मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध है कि जहां सरकार ने पूर्व में यह निर्णय लिया है कि राजनैतिक कार्यकर्ता जो फौजदारी प्रकरणों में लिप्त हैं उसी तरीके से जैसे उनके मुकदमों के निपटारे के लिए सरकार एक नीतिगत निर्णय ले रही है, मैं समझता हूं छात्रों के हित में रहेगा, राज्य के हित में रहेगा कि जो भी छात्र इस प्रकार से अपराधिक मामलों में लिप्त हैं उनके बारे में नीतिगत निर्णय सरकार लें और उनके निस्तारण भी उसी प्रकार से किये जायं ताकि लम्बी अवधि तक छात्र फौजदारी प्रकरणों में लिप्त न रहें और उनका भविष्य अंधकार में न जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि प्रशासन और छात्रों में जो टकराव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और छोटे-से मामले को लेकर प्रशासन आक्रोश में आ जाता है और छात्र आन्दोलन का रुख अपना लेते हैं। क्या सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था की योजना रखती है कि जहां प्रशासन और छात्र में टकराव की सम्भावना है उसको खतम करने के लिए सुलभ तरीके से सुलझाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए ? माननीय अध्यक्ष

(श्री जगदीश बनखड़)

महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि चिकित्सकों ने इस्तीफे इस आधार पर दिये कि वे छात्रों की अनुशासनहीनता से प्रसन्न नहीं थे, खिन्न थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा व्यापक स्तर पर दर्शाया गया है कि मेडिकल कालेज के आन्दोलनकारी छात्रों ने आहत होने के बाद नामी-गिरामी डाक्टरों के कारनामों की पोल खोल कर जनता के सामने रख दी। अब ये तमाम विभागाध्यक्ष के स्थानान्तरण की मांग कर रहे हैं तथा उनकी एक मांग, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी रही है कि वर्षों से दही की तरह जमे वरिष्ठ अधिकारियों को यहां से हटाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार एक मार्मिक रुख अपनाकर एक ऐसा प्रिसीडेंट कायम करें कि जहां भी राज्य में छात्रों में और प्रशासन में कोई टकराव हुआ हो उसको निर्णायक तरीके से खतम करें कि कोई फौजदारी प्रकरण शेष नहीं रहे। भविष्य में इस प्रकार की एक प्रवृत्ति चालू हो कि जहां भी इस प्रकार की सम्भावना व्यक्त की जाय उनको एट दी अर्लिएस्ट अपार्चुनिटी खतम की जा सके। मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले में नीतिगत निर्णय लेकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न होने देगी, इस प्रकार की व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय विष्णुजी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से लेकिन बयान तो गृह मंत्रीजी ने दिया है, लेकिन कुछ बातें, मूल बातें हैं जिनको जिस दिन हम यह उठा रहे थे उस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को साइड ट्रेक करने के लिए कही थी कि क्यों यह हड़तालें होती हैं, क्यों यह सारी स्थितियां बनती हैं इस पर विचार-विमर्श करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज, उदयपुर में 1990 से लेकर और अब तक 68 दिन हड़ताल रही। इसी तरह से जयपुर में 70 दिन रही, कोटा में 8 दिन रही, अजमेर में 14 दिन रही, बीकानेर में 10 दिन रही। ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपके पास आंकड़े पहले के भी हैं वह भी बता देवें नहीं तो मुझे बताने पड़ेंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय मुख्य मंत्रीजी आंकड़े पहले के अगर थे पर आपके कम हो गये तो भी आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मेरा कुल मिलाकर माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : यह सरकारी आंकड़े आपने ही दिये हैं।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : कम हो गयी, इसमें बड़ी शाबासी हो गयी क्या आपकी ? आप हमेशा यह कोशिश करते हैं कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, वह नहीं कह रहा हूं मैं। वह चाहे जो बताये लेकिन आंकड़े इसलिए इकट्ठे किये थे कि अब तक मेडिकल कालेज में स्ट्राइक कितनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हुई, पढ़ाई का नुकसान कितना हुआ वह उस हिसाब से बोलना चाहते थे लेकिन यह दूसरे प्रसंग में बोल रहे हैं । बोलें ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बातें दो हुईं । उदयपुर की घटना के अन्दर दो बातें हुईं । एक बात तो यह हुई कि रेगिंग हुई उसमें पुलिस ने एफ.आई. आर. दर्ज करके लड़कों को गिरफ्तार किया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी कालेज के रेगिंग के मामले में पहले एफ.आई.आर. दर्ज हुई और उसमें गिरफ्तारी हुई ? चूंकि यह लड़का जिसकी रेगिंग हुई, यह वास्तविकता है कि रेगिंग ठीक नहीं है लेकिन रेगिंग टेक्निकल कालेजेज में होती है और वर्षों से होती आयी है और ठीक नहीं है और वह ठीक हो भी नहीं सकती चाहे मैं बोलूं, चाहे आप बोलें वह ठीक हो ही नहीं सकती लेकिन उसके बावजूद पहले तो सभी कालेजों में होती थी लेकिन अब कालेज में धीरे-धीरे कम हो गयी और टेक्निकल कालेजेज में आज भी रेगिंग होती है । चाहे आप कितनी भी व्यवस्था करें किसी न किसी प्रकार की रेगिंग वहां होगी । पूर्व में कभी भी इस तरह के रेगिंग के मामले में न तो एफ.आई.आर. दर्ज हुई । अगर छात्रों के आपस में कोई बात होती थी तो प्रशासन और पुलिस मिलकर के उस मसले को हल कर लेते थे लेकिन यह मामला दूसरा है कि एक जुडिशियल आफिसर का लड़का था इसलिए प्रशासन हरकत में आ गया और उसने गिरफ्तारी की । इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस लड़के ने आत्मदाह करने की धमकी दी थी उसके पीछे यह था कि कई सारे लड़कों के कितने ही अटेम्प्ट लगा दिये थे, कितने ही लड़के लड़कियों को फेल किया गया और बदनीयती से किया गया । इसलिए उसमें आक्रोश था और सभी लड़कों ने, लड़कियों ने उसको समर्थन दिया । तो उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां थीं ? क्या चिकित्सा मंत्रीजी ने जानकारी इकट्ठी की है कि वह आत्मदाह करने तक की स्थिति में क्यों पहुंचा और उसके पीछे क्या लड़कों की ही गलती थी या आपके अस्पताल के डाक्टरों की उसके अन्दर गलती थी ? मेरा ख्याल है कि आत्मदाह तो सबसे लास्ट रिसोर्ट है लेकिन उसने आत्मदाह करने की धमकी दी उसके बावजूद भी जैसे माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने कहा कि वहां पर उसको पकड़ा जा सकता था लेकिन परिस्थिति यह बनी कि सारे लड़के, लड़कियां जब इकट्ठे हो गये तब पुलिस ने उन लड़कियों पर हमले किये । उसमें छह लड़कियों के फ्रेक्चर, चार लड़कियों के सिर फटे । तो क्या संवेदनशील सरकार का, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार का यह कृत्य ठीक है ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले से कम करना चाहते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : तो इन सब बातों का माननीय गृह मंत्रीजी से और स्वास्थ्य मंत्री-जी से निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी का

(श्री जुबेर खान)

जो बयान आया है और गृह मंत्रीजी, से उम्मीद यही है कि उनके राज्य में इस तरह से मार-पीट होती रहेगी लेकिन मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि चिकित्सा मंत्रीजी एक संघर्षशील छात्र नेता रहे हैं, काफी आन्दोलन भी किये हैं और जब आपकी जानकारी में पहले से आ गया था कि इस तरह का विवाद मेडिकल कालेज, उदयपुर में चल रहा है तो संवेदनशील होने के नाते, इस छात्र जगत से जुड़े हुए होने के नाते आपको पहल करनी चाहिए थी कि किसी तरह का प्रशासन और छात्रों के बीच में टकराव हो रहा है उसको दूर करें।

दूसरा, जहां तक रेगिंग का सवाल है। चिकित्सा मंत्रीजी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि रेगिंग रिफाइंड होती जा रही है, कहीं ज्यादा है और कहीं कम। बहुत-सी इन्स्टीट्यूशन्स में परम्परा है कि स्टाफ के लोग सम्मिलित होकर इंट्रोडक्शन फंक्शन के नाम से पुराने और नये छात्रों को आपस में मिलाते हैं। उस फंक्शन में छोटी-मोटी मजाक और रेगिंग टाइप मजाक हो जाती है। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल कालेजेज हैं उनमें क्योंकि 4-4, 5-5 साल तक लड़कों को ज्यादातर होस्टल में रहना पड़ता है, इन्हीं में ज्यादा यह रेगिंग होती है तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रशासन के लोग या अध्यापकगण उसमें सहयोग करें। आपस में छात्रों को, पुराने नये छात्रों को मिलायेंगे तो मैं मानता हूं कि रेगिंग को एक हद तक हम रोक सकेंगे। एक इण्ट्रोडक्शन के नाते लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंटेड प्रश्न पूछिये।

श्री जुबेर खान : जहां तक आपके होते हुए भी अगर इस तरह से छात्रों और इनमें टकराव होने लगे तो फिर तो लोगों में कहां भावना रहेगी कि हम में से ही कोई मंत्री और हम में से ही कोई छात्र है। इसलिए चिकित्सा मंत्रीजी यह सरकार तो ऐसी चल रही है, चलती रहेगी लेकिन आपके ऊपर यह आक्षेप लगेंगे कि छात्र लीडर होते हुए छात्रों के खिलाफ अन्याय हो, होस्टल में पुलिस घुस जाए, मार-धाड़ करे और आज तक हिन्दुस्तान में कोई आप उदाहरण दे दीजिए कि किसी छात्र या छात्रा ने आत्म-दाह की कोशिश की हो, चाहे दिल्ली का मशहूर छात्र गोस्वामी रहा हो लेकिन आज के छात्र-छात्रा कभी शहीद जिन्दाबाद के नारे नहीं लगायेंगे। हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। यह आपकी पुलिस गलत कहती है कि वहां जिन्दाबाद के नारे, नाच-गाने हो रहे थे कि शहीद जिन्दाबाद। यह बचाने का है कि पुलिस को बचाना चाहते हो, कोई छात्र-छात्रा ..

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री जुबेर खान : जलते हुए को देखकर वे ये नारे नहीं लगायेंगे कि शहीद जिन्दा-वाद तो ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री जुबेर खान : एक मिनट। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसकी जुडिशियल जांच करवायें ताकि प्रशासन और

(श्री जुबेर खान)

छात्र नेताओं के ऊपर रेस्पांसिबिलिटी फिक्स हो सके और आगे इस तरह के उदाहरण की पुनरावृत्ति नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं। प्रत्येक वर्ग को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आन्दोलन करने का भी हक है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हड़ताल करना भी उनका अधिकार हो सकता है। परन्तु समाज का ऐसा अंग, जिस अंग से समाज को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हों और जो अपना काम किसी भी कारण से रोके, जिसके कारण पूरा समाज प्रभावित हो, हजारों लोगों के जीवन पर प्रश्न चिह्न उसके कारण लग जाए, इस तरह का वर्ग जब हड़ताल पर अकारण जाता है तो उसके बारे में मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्यों को राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एक सोच डवलप करनी चाहिए और इसके लिए आपसी विचार-विमर्श के बाद एक निश्चित नतीजे पर पहुंचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज चिकित्सालय राज्य के 6 संभागीय मुख्यालयों में स्थित हैं और वहां केवल शिक्षण ही नहीं वरन् उनके जिला एवं अन्य चिकित्सालयों द्वारा रेफर किये गये जटिल रूप से व्याधिग्रस्त रोगियों का उपचार भी किया जाता है। सम्बन्धित संभागीय मुख्यालयों में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा के लिए स्थानीय जनता मुख्यतः इन्हीं चिकित्सालयों पर निर्भर है। वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके अन्दर इंटर्न्स व रेजिडेंट डाक्टरों द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सालयों में मार्ग दर्शन में रोगियों का उपचार भार मुख्य रूप से वहन किया जाता है। अतः इन सम्बन्धित चिकित्सालयों को मेरुदण्ड कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस प्रक्रिया में जहां छात्र ज्ञान अर्जन करते हैं वहीं पीड़ित मानव की सेवा और उपचार में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। उपरोक्त विवरण से चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिए इंटर्न्स व रेजीडेंट डाक्टरों की भूमिका को सहज अनुभव किया जा सकता है। किन्तु विगत 10 वर्षों की समयावधि पर दृष्टिपात करें तो यह प्रतीत होता है कि अपनी इस महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी भूमिका के बावजूद रेजीडेंट डाक्टर द्वारा अत्यन्त सामान्य प्रकृति की मांगों एवं विवाद पर हड़ताल का बारम्बार सहारा लिया जाता है जिसके फलस्वरूप राज्य के शैक्षणिक चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवाओं में निरन्तरता प्रभावित होती रही है। चिकित्सा के अभाव में गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों एवं उनके परिजनों को अत्यन्त असुविधा एवं मानसिक पीड़ा का सामना भी करना पड़ता है। यह आचरण चिकित्सक के परम् पुनीत एवं मानवीय व्यवसाय की गरिमा, मर्यादा एवं कर्तव्यबोध के नितांत विपरीत है और इस आचरण की गंभीरता ऐसी स्थिति में और भी बढ़ जाती है जब ऐसा कृत्य चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों द्वारा किया जा रहा हो जो उक्त पुनीत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यवस्था के लिए अपने आपको तैयार कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में चिकित्सा मुख्यालयों के गत 10 वर्षों में रेजीडेंट डाक्टर्स एवं इंटर्न डाक्टर्स की हड़ताल के कारण जो आवृत्ति विवरण हुआ वह निम्न प्रकार है :—

मेडिकल कालेज, जयपुर में विगत 10 वर्षों में इंटर्न व रेजीडेंट डाक्टर्स 19 बार हड़ताल पर गये जिससे कुल 155 दिन तक चिकित्सालयों का कार्य प्रभावित रहा। इसी प्रकार मेडिकल कालेज, जोधपुर में विगत 10 वर्षों में 10 बार हड़ताल हुई जिससे कुल 117 दिन चिकित्सा कार्य प्रभावित रहा। मेडिकल कालेज, अजमेर में 8 बार चिकित्सक हड़ताल पर गये जिससे 92 दिन तक चिकित्सा कार्य-प्रभावित हुआ। मेडिकल कालेज, उदयपुर में 1985 से 1995 तक 40 बार हड़ताल हुई, जिसमें 246 दिन तक चिकित्सा कार्य प्रभावित हुआ। वर्ष 1995 में पहली हड़ताल 3-4-95 से लगातार चल रही है। मेडिकल कालेज, बीकानेर में कुल 15 बार हड़ताल हुई जिसमें 161 दिन तक चिकित्सा कार्य प्रभावित हुआ। यहां तक कि मेडिकल कालेज, कोटा में भी जो 1991 में स्थापित हुआ, 4 बार मेडिकल छात्रों ने हड़ताल की, 16 दिन तक चिकित्सालय का कार्य प्रभावित हुआ। इन हड़तालों का मुख्य कारण बाहरी तत्वों द्वारा चिकित्सा परिसर में शिक्षकों एवं छात्रों में आपसी वाद विवाद, छात्रों में आपस में वाद विवाद, सिनेमा, होटल वालों से आपसी झगड़ा तथा अन्य छोटी-मोटी समस्याएं रही हैं। इन सब चीजों का समाधान आपसी बातचीत द्वारा भी निकाला जा सकता था परन्तु इन समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत की बजाय, इन छात्र-चिकित्सकों ने हड़ताल का सहारा लिया। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इंटर्न्स व रेजीडेंट डाक्टर्स को मिलने वाले स्टाइपेंड व भत्तों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा वृद्धि की जाती रही है जिसके फलस्वरूप इंटर्न्स डाक्टर्स स्टाइपेंड जो वर्ष 1980 में मात्र 450 रुपये प्रतिमाह था वह समय-समय पर वृद्धि करने के पश्चात् आज उन्हें 1550 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त रेजीडेंट डाक्टर्स पर 1980 में 525 रुपये स्टाइपेंड देय होता था जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती रही, फलस्वरूप आज एक रेजीडेंट डाक्टर को 2140 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता है। जिसमें उन्हें राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के अनुरूप राशि का परिलाभ भी दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप एक रेजीडेंट डाक्टर को कुल मासिक परिलब्धि आज की तिथि में 4580 रुपये देय होती है। (व्यवधान) एक मिनट, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं तथ्य सदन के सामने कि किस तरह के हालात है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये आप, पूरी बात सुनिये।... (व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह : एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाइंटेड क्वेश्चन पूछिये, पाइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप जनरलाइज कर रहे हैं... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मंत्रीजी यह बता रहे हैं कि डाक्टरों पर कितना खर्चा हो रहा है महीने का, आप सुनिये। सब नहीं जानते हैं। मैं नहीं जानता हूं... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह घटना की बात पूछ रहे हैं, खर्चे की बात नहीं पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक वर्ष के अंदर जो इंटर्न डाक्टर्स हैं उन पर राज्य सरकार 41,93,532 रुपये खर्च करती है और जो रेजीडेंट डाक्टर्स हैं उन पर 3,50,22,384 रुपये खर्च करती है... (व्यवधान)...

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को पता नहीं कि बात क्या है, टोटली इर्रेलेवेंट बात कर रहे हैं, पूछा कुछ और था, जवाब कुछ और दे रहे हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो जवाब दे रहे हैं, वह आप सुनिये, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में रेजीडेंट डाक्टर्स और इंटर्न डाक्टर्स ने 2 वर्ष 1 माह और 27 दिन तक हड़ताल की है। अध्यक्ष महोदय, मेरे इन सारे तथ्यों से सदन को अवगत कराने के पीछे मेरी इच्छा यह थी कि आखिर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। आंदोलन भी होते हैं, हड़तालें भी होती हैं परन्तु रेजीडेंट डाक्टर्स और इंटर्न डाक्टर्स जिनके कन्धों पर रोगी की चिकित्सा और स्वास्थ्य का भार रहता है, छोटे-छोटे मुद्दों पर बार-बार हड़ताल करें और हड़ताल, मैं समझता हूं कि इस तरह एक गरीब रोगी को हानि उठानी पड़ती है जिसका सीधा नुकसान उन्हें होता है, वास्तव में इस पर विचार करना चाहिए और निश्चित तौर पर उदयपुर में जो घटना हुई है, घटना के पीछे विवाद आपस में छात्रों का है। मैंने पूरी जानकारी प्राप्त की है और छात्रों के विवाद के पश्चात् वहां के प्राचार्य ने छात्रों को बुलाकर उनको समझाने का प्रयास किया। उसके पश्चात् एक समिति बनी, उस समिति ने भी छात्रों के दोनों वर्गों से बात की और दुबारा एक वारदात फिर हो गयी और पहले से प्रयास किया जाता रहा कि सभी मेडिकल कालेज में रेगिंग तो कम से कम नहीं हो और रेगिंग का स्वरूप भी इस तरह का विकृत न हो जिसके कारण आने वाले छात्र अपने आपको असहाय महसूस करें। उसके पश्चात् भी जब बार-बार इस तरह की बात हुई, उसके बाद अनुशासन समिति ने पूरा विचार-विमर्श करके, छात्रों ने भी अपनी बात कही को, उसके बाद छात्रों को निलम्बित किया। अब सदन को विचार इस बात का करना है, मैं समझता हूं कि कोई इस तरह की बात नहीं हो सकती है जिससे छात्र आंदोलित हों। हम भी छात्र रहे हैं परन्तु जो छात्र मेडिकल व्यवसाय तथा मेडिकल चिकित्सालयों के साथ जुड़े हैं वो अगर इस तरह का काम करें और बार-बार हड़ताल होती रहे तो मेरा आपके माध्यम से एक ही अनुरोध है कि इस बारे में विचार करके मैं समझता हूं कि जिस तरह कुछ सेवाओं में हड़ताल नहीं करने के लिए कानून द्वारा प्रतिबंधित कर रखा है उसी तरह इन सेवाओं को भी कानून के माध्यम से हड़ताल नहीं करने के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय मंत्रीजी।

श्री विष्णु मोदी : लड़कों ने जो आत्मदाह की धमकी दी, आत्मदाह के लिए गया, उस पर अटेम्प्ट लगा हुआ था तो यह अटेम्प्ट के बारे में जानकारी की कि एक आदमी आत्मदाह करने की स्थिति तक कब आता है, क्यों आता है तथा उसमें लड़कों की ही गलती थी या आपके मेडिकल कालेज के लोगों की भी गलती थी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री लक्ष्मण सिंह : चिकित्सा मंत्रीजी ने इतने सारे विवरण दिये हैं तो एक ही पाइंटेड प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि अब तक राजस्थान के चिकित्सा महाविद्यालयों में कितने केसेज इतने हुए हैं जहां पर रेंगिग के कारण से सस्पेंड किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आपके पाइंटेड प्रश्न का गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री जुबेर खान जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक राय दी। रेंगिग का स्वरूप भी तय होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेंगिग प्रोफेशनल कालेजेज जो हैं जैसे टेक्निकल कालेज है उसमें एक नियमित इन्ट्रोडक्ट्री कार्यक्रम है वह चलता रहता है और उस चलते रहने के बाद यह अहम का झगड़ा है। अब यह जय सुराना डे स्कालर है और डे स्कालर होने के नाते यह होस्टल में कभी नहीं गया और बराबर यह सीनियर छात्रों द्वारा कि हमको विश करो, हमको यह करो–लगातार इसको धमकियों का एक सिलसिला चलता रहा है और धमकियों का सिलसिला रहने के बाद जब यह डिसेक्शन हाल में बैठा था और अध्ययन कर रहा था उस समय 5-7 लड़के लाठियों से सज्जित होकर गये, वहां से घसीटते हुए मारपीट की, मारपीट करके बाहर लाये, बाहर फिर मारपीट की और जिन्होंने छुड़ाने की कोशिश की उनके साथ भी मारपीट की। फिर उसको साइकिल स्टॅण्ड पर ले जाकर ठोका। बाद में वह घर चला गया और बड़ी मुश्किल से उसने जाकर हाथी पोल पुलिस थाने पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवायी। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं एफ. आई. आर., जो मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूं उसको भी पढ़कर सुना सकता हूं। उस एफ. आई. आर. में यह सारे तथ्य हैं। अब यह मामला रजिस्टर होने के बाद जैसा अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि कालेज प्रशासन ने भी अपनी कार्यवाही चालू की और अपनी कार्यवाही में कालेज के कुछ प्रोफेसर्स भी इस मामले को देख रहे थे और इस मारपीट के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने 3 तारीख को अपनी कार्यवाही करके इनको रेंगिग का दोषी मानकर निलम्बित किया। पुलिस ने तो 5 तारीख को उनको गिरफ्तार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय 5 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद 6 तारीख को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और 7 को उनकी जमानत हो गयी। भीम से आने वाले माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी–

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह 4 गिरफ्तारियां हुई हैं 5 तारीख को, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं 7 तारीख को, जब यह सारा झगड़ा मिटा और 5 गिरफ्तारियां 151 में हुई हैं 10 तारीख को जब कि उदयपुर बन्द का आह्वान था। जो असफल रहा और वह 151 में करके छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं क्योंकि एक बात कही गयी कि 5 तारीख को 7 विद्यार्थियों, एक के बाद एक ने कहा कि आत्मदाह करेंगे और उनमें से एक विद्यार्थी ने 6 तारीख को, अलग से जाकर यह कह दिया कि मैं कल साढ़े दस बजे आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह करने के लिए जहां यह 250-300 छात्रों की भीड़ थी वहां पर वह चुपचाप पहुंचा और वहां पर उस पर कैरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की और पुलिस ने वहां से उनको खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद जब यह छात्र होस्टल में चले गये चैनल गेट के ताला लगाकर के अन्दर जाकर उन्होंने कुछ जलाया, एप्रिन भी जलाया और अमर शहीद के नारे लगाये। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के आत्मदाह इस देश में हुए हैं, अगर यह आत्मदाह हो जाता और पुलिस अन्दर नहीं पहुंच पाती किसी भी तरह से तो आज यहां क्या स्थिति होती? यह हमको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। इसलिए पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया है। पहले तो पुलिस ने प्रिन्सिपल से इजाजत ली, वहां के मजिस्ट्रेट से इजाजत ली और उसके बाद छात्रों को कहा कि अन्दर जाने दो और नहीं जाने दिया तो चैनल तोड़कर गये हैं और तोड़ने के बाद जब अन्दर गये तो मालूम पड़ा कि वहां पर कुछ एप्रिन जलाया है और कुछ दूसरी चीजें जलायी है। तो यह एक स्थिति थी और इसमें जैसा कि चोटों के बारे में कहा गया है, यहां पर चोटों के बारे में भी प्रश्न उठा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास 257 मेडिकल रिपोर्टस हैं और इस तरह की 257 मेडिकल रिपोर्ट्स में अगर यह मेडिकल रिपोर्ट्स बनना चालू हो गयी, जैसे धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया—बायें हाथ पर दर्द। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि एक के भी फ्रैक्चर नहीं है। यह 257 ही मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और एक के भी किसी के फ्रैक्चर नहीं, एक के कोई गम्भीर चोट नहीं और 8-10 के तो केवल दर्द, दर्द और मेडिकल जूरिस्ट के पास गये, दर्द है। उसके बाद पता लगाया गया कि भर्ती कितने हुए हैं, वार्ड में जाने के लिए भर्ती के लिए गये। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे, कालेज के लोग पहुंचे तो केवल 2 छात्र भर्ती मिले। फिर कहा कि दूसरे वार्ड्स में होंगे तो दूसरे वार्डों में पता लगाया तो वहां भी कोई भर्ती नहीं थे। इस तरह से जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं उनके आधार पर किसी के गम्भीर चोट नहीं है, किसी के कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं और पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया और यह सही है कि महिला पुलिस थी उन्होंने छात्राओं को हटाने में लाठी-चार्ज किया है क्योंकि छात्राओं का घेरा पहला था और उसके बाद छात्र थे। तो उनको सबको हटाकर चैनल तोड़कर पुलिस ने संयम से काम लिया है। मेरा यह मानना है कि इसमें पुलिस ने बड़े संयम से काम लिया है। जो कुछ भी है सारी स्थिति आपके सामने है और सदन के सामने मैंने स्पष्ट कर दी है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने जुडिशियल इन्क्वायरी की माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग की है। गृह मंत्री जी ने जो भी फैक्ट्स प्रस्तुत किये हैं वह तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किये हैं। आप कहते हैं कि जय सुराना को बाहर बुलाकर उसके साथ मारपीट की गयी थी। आपके पास एम. एल. सी. है जय सुराना की ? लाइये प्रस्तुत कीजिये अगर इतनी ही मारपीट की गयी तो बताइये जय सुराना की एम.एल. सी.। आप कहते हैं वह आत्मदाह कर रहा था। उसने जब 3 दिन पहले नोटिस दे दिया था आत्मदाह का तो उसको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? आप सारे तथ्यों को यहां तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे पास यह सारी एम.एल.सीज. हैं। इसमें भी जो चोटें आयी हैं मैं जाकर उनसे मिला हूं, लड़कियों के हाथों में फ्रेक्चर हैं, सिर पर लड़कियों के चोट आयी है, उनके मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं माननीय गृह मंत्री जी। यह तथ्यों को तोड़ मरोड़कर मत प्रस्तुत कीजिए। मैं गृह मंत्री जी से और मुख्य मंत्री से पुनः निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि आप इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी कीजिए। मेडिकल प्रशासन के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम जो कालेज बन्द कर दिया अनिश्चितकाल के लिए इसके लिए जल्दी से जल्दी कालेज वापस खुले।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : आय-व्ययक (बजट) 1995-96। श्री हरिशंकर भामड़ा।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप-मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में बजट पर बहस हो रही है। मैं यह पहले ही स्वीकार करने को तैयार हूं कि बजट पर जो धुरन्धर जानकारी रखने वाले हैं उनकी तुलना में मेरी जानकारी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी लेकिन सामान्य कुछ बातें जो हर व्यक्ति समझता है उस दृष्टि से यदि हम बजट पर दृष्टिपात करें और उसका आकलन करें तो मैं समझता हूं कि हमारी बहस की दिशा सही होगी और इसलिए भारत वर्ष की जो स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक केन्द्र की सरकार की रीति-नीति, उसके बजट आदि यह राज्य के बजटों को प्रभावित करते हैं और इसलिए हम जब तक पूरे परिप्रेक्ष्य में किसी राज्य के बजट का आकलन नहीं करेंगे तब तक उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका वित्त प्रबंधन कैसा है इसका पूरा दृश्य हमारे सामने उपस्थित नहीं होगा। मैं अपने इस बजट भाषण में बहुत संक्षिप्त पाइन्ट्स पर ही अपने आपको सीमित रखूंगा, बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुख्य रूप से यहां दो तीन सवाल उठाये गये- बजट घाटे का, राजस्व खाते के घाटे का और राजस्थान पर बढ़ते हुए कर्जे का। यह तीनों सवाल ऐसे हैं कि उनको हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जहां तक घाटे के बजट का प्रश्न है इसकी शुरूआत कहां से हुई और उसके पीछे क्या कारण

(13.50)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन।)

थे इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा क्योंकि घाटे का बजट, यह परम्परा केन्द्र सरकार के घाटे के बजट से सारे देश के राज्यों में

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

शुरू हुई। उसके पीछे एक ही सोच था। यह कोई वैसे ही शुरू नहीं हुई। सोच यह था कि आजादी के बाद देश में विकास की गुंजाइश बहुत है। बहुत कार्य करने थे और इसलिए त्वरित गति से विकास हो और यह तभी सम्भव है कि जब हम विकास की गति को बनाये रखने के लिए जो कराधान करते हैं इसके अतिरिक्त भी हम पैसा लगायें और विकास की गति को बनाये रखें। इस दृष्टि से यह बजट का घाटा शुरू हुआ और एक बार तो यह कल्पना सामान्यतः होने लगी कि यदि कोई बजट घाटे का नहीं है और सरप्लस बजट है तो उसका मतलब यह हुआ कि सरप्लस बजट में गांव में कहीं विकास नहीं हुआ, जिस क्षेत्र का वह बजट है उस क्षेत्र में विकास की कोई कल्पना नहीं है, कोई संरचना नहीं है, कोई सोच नहीं है और केवल कुछ आमदनी प्राप्त करना और खर्च करना इतना मात्र ही केवल बजट है। इसलिए अवश्यम्भावी माना गया कि यदि हमें विकास के कार्यों को गति देना है तो हमें अनिवार्य रूप से घाटे का बजट ही प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसका एक दूसरा कारण भी था कि कराधान इस सीमा तक नहीं हो सकता था जिससे आम जनता उस भार को वहन नहीं कर सके। इसलिए जब कराधान सीमित हो और हमको विकास की गति को बनाए रखना हो तो उसके लिए सिवाय घाटे के बजट के और कोई दूसरा चारा नहीं, इसलिए घाटे के बजट की परम्परा शुरू हुई। लेकिन राज्यों की अर्थ नीति पर केन्द्र की नीतियों का जो प्रभाव पड़ा, आप जरा केन्द्र की स्थिति उठाकर देखिए। आज हमारे देश में भारत सरकार पर वाह्य कर्ज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, उसके पूरे आंकड़े कभी आये नहीं हैं लेकिन बहुत से अर्थशास्त्री जब इसकी केलकुलेशंस करते हैं वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आज हमारे देश पर लगभग तीन लाख करोड़ रुपये का वाह्य कर्ज है और आंतरिक कर्ज भी इससे कम नहीं है, ज्यादा ही है, डेढ़ा हो सकता है। तो जब भारत सरकार कर्ज से दबी तो स्वाभाविक था कि देश में मुद्रास्फीति हुई और उस मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप देश में महंगाई बढ़ती गयी जो अब भी बढ़ती जा रही है। महंगाई के बढ़ने के कारण जो कीमतें बढ़ीं उन कीमतों का असर राज्यों में जो विकास के कार्य थे। उन पर भी पड़ा और इसलिए बार-बार राज्यों में योजनाएं बनती रहीं और उन योजनाओं में खर्चे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसलिए जो योजना एक नियत समय में और नियत राशि में पूरी होनी चाहिए थी वह कहीं पर भी पूरी नहीं हुई और इस तरह की अनेक योजनाएं ऐसी हैं कि जो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थीं मगर वह इस वजह से पूरी नहीं हुई क्योंकि हर बार उसमें कीमतें बढ़ती गयीं, उसका फिर से आकलन होता रहा और इस तरह से लम्बित योजनाएं सारे राज्यों में पड़ी हुई हैं।

राज्यों की आर्थिक स्थिति को वित्त आयोग की सिफारिशें भी प्रभावित करती हैं। हमारे राजस्थान में नवें वित्त आयोग ने गैर योजना घाटे की पूर्ति के लिए जो हमें सहायता दी, इस बार वह सहायता हमें नहीं मिली और उसका कारण हमें यह बताया गया कि वित्त आयोग को इस सम्बन्ध में पाइंट आफ रेफरेंस ही नहीं दिया गया

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि जो सहायता गैर योजना के घाटे की पूर्ति के लिए हमें मिलनी चाहिए थी वह हमें नहीं मिली। यदि वह सहायता हमको मिलती तो आज हमारा यह बजट जो हमको घाटे में दिख रहा है यह घाटे में नहीं होता। लेकिन वित्त आयोग ने जो अपनी सिफारिश भेजी, दुर्भाग्य से वित्त आयोग के पास राज्य सरकार का मेमोरेण्डम भी गया, वह भी उस समय गया जब इस राज्य में उस समय कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी और महामहिम राज्यपाल का शासन था, उस समय वित्त आयोग के समक्ष मेमोरेण्डम गया था और इसके आधार पर यह सारा निर्णय उन्होंने लिया। इस तरह से हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो तीन तरह के घाटे हैं...

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वित्त आयोग के सामने क्या भैरोंसिंह सरकार ने कोई मेमोरेण्डम पेश नहीं किया था ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वित्त आयोग के सामने जो मेमोरेण्डम पेश हुआ है वह गवर्नर शासन में हुआ है।

श्री चन्दनमल बैद : आप इसको फिर से चैक कर लीजिए, भैरोंसिंह जी शेखावत ने मेमोरेण्डम पेश किया था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : किया होगा, मैं तो जो राज्यपाल के शासन में सरकार की ओर से मेमोरेण्डम गया उसकी चर्चा कर रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से अनेक लोगों ने मेमोरेण्डम दिये होंगे...

श्री चन्दनमल बैद : व्यक्तिगत रूप से नहीं, सरकार की तरफ से भैरोंसिंह सरकार ने मेमोरेण्डम पेश किया था उसकी कापी आप चाहेंगे तो मैं आपको नजर कर दूंगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नर शासन में भी अलग-अलग व्यक्तियों ने मेमोरेण्डम पेश किये थे इसमें परसरामजी ने भी किया था, सब ने किया, अनेक लोगों ने किया होगा, मैं सरकारी मेमोरेण्डम की बात कर रहा हूं। तो तीन तरह के बजट में घाटे हैं। एक तो टोटल बजटरी घाटा, दूसरा राजस्व खाते में घाटा और तीसरा फिस्कल डेफिसिट, पूरे वित्तीय प्रबन्धन में घाटा। किसी भी राज्य के बारे में इन तीनों घाटों के बारे में सम्मिलित रूप में जब विचार करेंगे तब उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति का पता चलता है। जहां तक बजटरी घाटे का प्रश्न है, मैंने जैसा आपको निवेदन किया कि परम्परा शुरू से चली आयी है स्वयं चन्दनमलजी ने जब बजट पेश किया तो उसमें भी घाटा ही था और शायद राजस्व खाते में भी घाटा ही था। यह किसी का दोष नहीं, यह परम्परा थी यह सारे देश में एक तरीका बन गया था। इसलिए इस आधार पर इस आज के बजट की आलोचना करना तो बेमानी है क्योंकि सारे देश भर के सभी राज्यों में यही तरीका अपनाया जा रहा है। केन्द्र की सरकार भी यह तरीका अपना रही है। आज भी केन्द्र में जो बजट घाटा है वह हमारे हिसाब से कुल 21 पर्सेण्ट घाटा है जबकि राजस्थान में यदि आप देखेंगे तो वह आज केन्द्र की तुलना में 0.70 पर्सेण्ट है। अनेक प्रदेशों में इसी प्रकार से घाटा है, राजस्व खातों में भी घाटा है और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बजटरी घाटा भी है। इसलिए इसके बारे में यदि आप इसकी आलोचना करें तो मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं है। वैसे राजस्व खाते में घाटा होना हमेशा से चिन्ता का विषय रहा है लेकिन उसके बावजूद भी घाटा होता है और इसका एक कारण यह भी है कि राजस्व व्यय में लगभग एक तिहाई हिस्सा योजना व्यय का होता है और इसलिए वह योजना व्यय का अनिवार्य रूप से राजस्व व्यय में आता है और उसके कारण सम्पत्तियां बनती हैं, असेट्स बनती हैं। योजना में जो खर्चा होता है और इसलिए जब हमारे कैपिटल गेन और कैपिटल एक्सपेन्डीचर का सवाल है और कैपिटल एक्सपेन्डीचर को जब हम पूरे बजट में मिलाकर राजस्व व्यय घाटे को कम करके उसको बताते हैं तो उसका कारण भी यही है कि प्लान में जितना खर्च होता है उसमें हमारी सम्पत्ति बढ़ती है घटती नहीं है, इसलिए उसको सहन किया जा सकता है वह आलोचना का विषय नहीं है वह वित्तीय प्रबन्धन का एक हिस्सा है। उसके बारे में भी जो यहां पर चर्चा की गयी, मैं समझता हूं उसके पीछे भी कोई ठोस आधार नहीं है और यदि आलोचना के लिए ही आलोचना की जाए तो उसका मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, अन्तिम बात फिस्कल डेफिसिट की है। राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, वित्तीय प्रबन्धन कैसा है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपका ध्यान योजना आयोग के उपाध्यक्ष के विभिन्न समय पर दिये गये वक्तव्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के वक्तव्य तो अधिकृत माने जाएंगे क्योंकि हमारी सारी प्लान उनकी नजर से गुजरती है और इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है इसकी जानकारी उनको विस्तार से सूक्ष्म रूप से होती है ...

श्री जगदीप धनखड़ : उनके वक्तव्य सदन के पटल पर रख दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपके यहां पटल पर रख दिया है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके पास हैं ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिनके पटल पर यहां जम गया तो कागज पर क्यों लाऊं।

श्री हरजीराम बुरड़क : इस बारे में रिजर्व बैंक ने क्या कहा है, रिजर्व बैंक ने बिलकुल उलटा कहा है, वह रिपोर्ट आपने देखी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दो, क्या कहा है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरा तो निवेदन यह है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मैं अधिकृत व्यक्ति समझता हूं और यदि उनकी राय के खिलाफ कोई भी सामान्य आदमी बोले तो उसकी तुलना में उनकी राय का महत्व अधिक है

(14.00)

और इसलिए वह मान्यता प्राप्त राय मानी जायेगी। सामान्य आदमी राजनीतिक कारणों से....

श्री चन्दनमल वैद (तारानगर) : इस माननीय सदन का कोई भी माननीय सदस्य सामान्य आदमी नहीं है। अगर आप इस कुर्सी पर बैठने के बाद यह कहते हैं तो इस सदन का अपमान करते हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं श्रीमान् वैद जी से निवेदन करूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं वह मैंने नहीं कही। मैं सामान्य आदमी की बात कह रहा हूं, मैंने सदस्यों का नाम ही नहीं लिया इसलिए जबरदस्ती उसको अपने पर लागू करना, यह आपके समझने की बात है। मैं किसी और के लिए कहूं और आप अपने आप पर लागू करें तो करें। मैंने यह नहीं कहा, न मेरा यह विचार है और न मैं यह कभी कह सकता हूं। लेकिन अर्थ की दृष्टि से जो वित्तीय प्रबन्धन को समझते हैं या आर्थिक नीतियों को समझते हैं उनकी विशेषता तो होती है। माननीय सदस्य माननीय होने के बावजूद भी यह जरूरी नहीं है कि वे अर्थ के सम्बन्ध में बहुत जानकारी रखें, नॉट नेसेसरी। और उसका एक परिणाम आपके सामने आता है कि जब हम बजट पर बहस करते हैं तो बजट का सही मूल्यांकन करने के सिद्धान्तों को लागू करने के बजाय सरकार के सामान्य कार्यों की आलोचना होती है, यह हम देख रहे हैं। यहां तक कि अपने-अपने क्षेत्र में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, अब इसका सम्बन्ध सीधा-सीधा इस बजट के आकलन से नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : वापस लाइन पर आइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आ जाऊंगा, लेकिन जब आप मुझ से पूछते हैं तो जवाब तो मैं दूंगा ही। तो इसलिए निश्चित रूप से सदस्यों में भी अन्तर होगा कि जो सदस्य इस बजट के आकलन की दृष्टि से भाषण देते हैं वह एक बात है और जिनको अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए बजट की बहस को माध्यम बनाना है वह दूसरी बात है, उन दोनों को समान रूप से कहा नहीं जा सकता। इसलिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने जो इस सम्बन्ध में कहा, मैं समझता हूं, उसको हमें अधिकृत मानना चाहिए और केवल योजना आयोग का ही सवाल नहीं है, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न समय पर केन्द्र सरकार ने और यहां तक कि रिजर्व बैंक ने भी जो फिस्कल डेफिसिट के 1994-95 के अपने अनुमान दिये हैं उसमें भी राजस्थान की स्थिति यह है कि देश के बड़े-बड़े जो राज्य हैं खासतौर से आन्ध्र, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उनकी तुलना में राजस्थान की वित्तीय स्थिति सबसे अच्छी है। आप चाहें तो मैं उनके आंकड़े बता दूं कि इन बड़े प्रदेशों में कितना फिस्कल, बजट घाटा है और उसकी तुलना में राजस्थान में कितना कम है। जानकारी सबको है। मैं केवल आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह रिजर्व बैंक का असेसमेंट है, रिजर्व बैंक भी हमें इन बड़े प्रदेशों में उस स्थान पर रखता है जिसकी इनकी तुलना में वित्तीय स्थिति अधिक अच्छी है। इसलिए जहां तक फिस्कल घाटे का प्रश्न है, उसमें भी राजस्थान कम नहीं है। बाकी बड़े-बड़े प्रदेशों से घाटा कम है और उसकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति और प्रदेशों की तुलना में मजबूत है।

(श्री हरिशंकर भामड़ा)

अब अन्तिम सवाल था डेट का, कर्ज का, ऋण। ऋण के बारे में यहां पर आपत्ति की गयी। पहले तो जो ऋण का सर्वमान्य सामान्य सिद्धान्त है, जो सब पर लागू होता है, केवल राज्यों पर नहीं बल्कि सामान्य उद्यमियों पर भी लागू होता है कि यदि कोई उद्योगपति अपने काम का विस्तार करना चाहे, वह चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे लखपति हो, तो उसको निश्चित रूप से ऋण लेना ही पड़ेगा। बिना ऋण के विस्तार हो नहीं सकता। इसी प्रकार राज्यों में विकास कार्यों के विस्तार के लिए ऋण लेना ही पड़ेगा, ऋण लेना अनिवार्य है। यह अनिवार्यता है। यदि आप ऋण नहीं लेंगे तो आप विकास की गति को अवरुद्ध कर देंगे, प्रदेश में विकास नहीं होगा। इसलिए ऋण लेना कोई बुरी बात नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, ऋण लेना तब बुरा होता है जब "ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत" कि ऋण लो और घी पीओ। लेकिन यदि आपकी फिस्कल स्थिति, इस ओर मैंने पहले आपका ध्यान दिलाया, वह और प्रदेशों से ठीक है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि जो ऋण नीति हमारे यहां पर है वह ऋण नीति बुरी नहीं है, उससे हमारे देश की प्रगति में बाधा नहीं हो रही, हमारी आर्थिक अधोगति नहीं हो रही, हम आर्थिक उन्नति की ओर जा रहे हैं। इसलिए ऋण लेना अपने आप में आलोचना का विषय नहीं है। राजस्थान में ऋण की जो स्थिति है यह कोई हमारी सरकार ने ऋण लिया है ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी सरकार ने तो इस ऋण में एक तो सबसे बड़ा इजाफा यह किया है कि आज हमारे ऋण का 35 प्रतिशत हमारे आन्तरिक स्रोतों का ऋण है जिसमें रिजर्व फण्ड, डी. ए. फण्ड, प्रोविडेंट फण्ड और बॉण्ड्स हैं। यानि 35 प्रतिशत है जो पहले कभी नहीं था। इस हालत में भी हमने अपने आन्तरिक स्रोतों के ऋण को ज्यादा बढ़ाया है, बाह्य को और कम किया है। लेकिन आप पुराने आंकड़े उठाकर के 1980 से देखें तो 1980 से लेकर जब हमारी सरकार 1990 में आयी उसके पहले तक ऋण में बढ़ोतरी शत-प्रतिशत हो चुकी थी। यानि 1980 में 56.8 प्रतिशत 6 वर्ष में, 1985 में 96.8 प्रतिशत 5 वर्ष में, 1989 में 82.1 प्रतिशत 4 वर्ष में और 1990 में हमारी सरकार के आने के पहले 100.5 प्रतिशत 5 वर्ष में थी। अब आप हमारा आंकड़ा देखिये। इसके बाद जब से हमारी सरकार आयी उसके बाद यह प्रतिशत घटता गया और आज यह केवल 39.4 प्रतिशत है।

श्री चन्दनमल बैद : किस साल के मुकाबले में ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : जो मैंने आपको बताया उन सब के मुकाबले में।

श्री चन्दनमल बैद : 1990 के मुकाबले में आपका 39.4 है ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : हां, 39.4 है।

श्री चन्दनमल बैद : 1990 और 1996 में आपकी बढ़ोतरी 39.4 है ? आप जरा आंकड़े ठीक से देख लें।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं आंकड़े ही तो बता रहा हूं, और क्या है।

श्री चन्दनमल बैद : डबल नहीं हुआ है, पहले चार हजार करोड़ था अब 13 हजार करोड़ है। 1990 में 4 हजार करोड़ था जो आज 13 हजार करोड़ है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं बढ़ोतरी का प्रतिशत बता रहा हूं, कहां ले गये आप।

श्री चन्दनमल बैद : 4 हजार से 13 हजार कितनी बढ़ोतरी हुई ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : तीन सौ पर्सेण्ट की बढ़ोतरी हुई है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप कहां की बात कर रहे हैं ? यह प्रतिवर्ष की जो ऋण लेने की हमारी प्रतिशत बढ़ोतरी है, उसकी बता रहा हूं, आप तो फिगर्स में जा रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप फिर बता दीजिये, आप कह क्या रहे हैं ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : आप फिर से सुन लीजिये। 1980 में जो हमारी ऋण की प्रतिशत वृद्धि हुई 56.8 प्रतिशत।

श्री जगदीप धनखड़ : किसके मुकाबले ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : पिछले मुकाबले में।

श्री जगदीप धनखड़ : कितने साल के ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब मेरे पास सारे नहीं हैं, मेरे पास 1980 से हैं। (व्यवधान) तो इसीलिए बता रहा हूं ... (व्यवधान) अब आप आगे की चलिये न।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री महोदय इण्टरवीन कर रहे हैं। यह कह रहे हैं मेरे को ...(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : अच्छा, आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हर आंकड़े गलत दे रहे हैं आप। स्पून फीडिंग से कार्य कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भामड़ा : 1-4 74 के मुकाबले में। अब तो समझ में आ गयी आपके। कोई बात नहीं है, अब मुझे दुबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां तक ऋण भार का प्रश्न है ...

श्री चन्दनमल बैद : 1974 के मुकाबले में तो 1980 में बढ़ गया इतना, अब 1980 के मुकाबले में 1990 में कितना बढ़ा ? 1990 के मुकाबले 1996 में कितना बढ़ा ? यह बताइये न।

श्री हरिशंकर भामड़ा : अब मैं आपको बता दूं, यह तो है प्रतिशत की बढ़ोतरी लेकिन जहां तक रुपयों का प्रश्न है कि आज हमारे पर 13,952.26 का ऋण है ...

श्री चन्दनमल बैद : 1990 में कितना था, यह और बता दीजिये। अब आप प्रतिशत बता रहे हैं, 1990 में कितना था ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : बता रहा हूं, 6127.11

श्री जगदीप धनखड़ : कितना प्रतिशत था ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : मेरे ख्याल से जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं वह सवाल,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

अब मुझे कहना पड़ेगा कि यह आप आर्थिक दृष्टि से नहीं पूछ रहे हैं, आप सीधे-सीधे जो सामान्य आदमी समझता है, उस ढंग से पूछ रहे हैं। यह सवाल ही गलत है। इसलिए आप बस बात को समझिये, आज यदि हमारे पर 13952.26 का ऋण है तो असेट्स बढ़ी हैं, हमारे विकास के कार्यों में गति आयी है। सन् 1980 का आपका बजट केवल 964 करोड़ रुपयों का था जो आज 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का है। आप इसमें अन्तर नहीं समझते हैं कि आपका 1980 में केवल 964 करोड़ का बजट था और उसमें भी आप घाटा दिखाये जा रहे थे, उसमें भी राजस्व घाटा था और टोटल बजट में भी घाटा था और आज 10 हजार करोड़ रुपये का जब हमारा बजट है तो स्वाभाविक रूप से उस अनुपात से ही इसकी तुलना की जायेगी। आप उसको ब्रश असाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो एनुअल प्लान बना है, हमारी जो पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें जो खर्चा हमने बढ़ाया है वह हमारे विकास की गति को बताता है, सरकार की मंशा, सरकार की रीति-नीति का द्योतक है कि हम विकास कितनी तेज गति से करना चाहते हैं। जब हमने काम सम्भाला, आपका 1986 में केवल 1426.92 करोड़ का टोटल बजट था और उसके तुरन्त बाद हम इन पांच सालों के अन्दर इस बजट को 10 हजार करोड़ से ऊपर ले गये, हमारे प्लान का साइज भी बढ़ गया, हमारी पंचवर्षीय योजना का साइज भी बढ़ गया। यह इस बात द्योतक है कि जो हम बजट बना रहे हैं वह विकासोन्मुख बजट है। हमारी रीति-नीति या जो हमने मेनीफेस्टो में घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं का अनुपालन करने के लिए हमारे बजट का आकार, हमारे प्लान का आकार, हमारी पंचवर्षीय योजना का आकार बढ़ रहा है।

अब इसमें स्वाभाविक है कि जो मुख्य रूप से सिद्धान्त था कि आप घाटे का बजट करेंगे तो पुराने वर्षों की तुलना में जैसे-जैसे आपके बजट का आकार बढ़ेगा, जैसे-जैसे आपके प्लान का आकार बढ़ेगा वैसे-वैसे घाटे की उस परम्परा को निभाते हुए उसकी संख्या भी बढ़ेगी लेकिन कुल मिलाकर यदि हम हमारी पोजीशन देखते हैं, आर्थिक स्थिति देखते हैं, हमारा वित्तीय प्रबन्ध देखते हैं तो आज हमारा वित्तीय प्रबन्धन हर दृष्टि से अन्य प्रदेशों की तुलना में, और यहां तक कि केन्द्र की तुलना में भी अच्छी स्थिति में है, आलोच्य नहीं है, आलोचना का विषय नहीं है। वैसे आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है। आप नफा 100 करोड़ करें तो भी आलोचना की जा सकती है कि आपने हजार करोड़ का नफा क्यों नहीं कमाया, यह 100 करोड़ का नफा कमाया इसमें भी आपने गलती की, कमा सकते थे। आलोचना हर चीज की की जा सकती है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज हमारा जो बजट आपके सामने पेश हुआ है वह इस सरकार की विकास करने की इच्छा दर्शाता है और विकास उसने किया है, यह सारे परिणाम आज आपके सामने इस बजट के माध्यम से रखे हैं। आप इस दृष्टि से बजट को देखिये कि इसमें केवल 10 करोड़ के टैक्स लगाये हैं और केवल एक लाटरी को बन्द करके 20 करोड़ का घाटा भी किया है। इसके बावजूद भी बिना कर भार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

जनता पर अधिक डाले राज्य में विकास की गति बनी रहे इस बारे में सरकार का सोच दर्शाता है और सरकार का बजट इस बात का प्रतिबिम्ब है कि यह सरकार प्रदेश के विकास के लिए चिन्तित है, सर्वांगीण विकास के लिए चिन्तित है। इसलिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सरकार विकास की गति को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और यदि इस परिप्रेक्ष्य में बजट का आकलन करेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को भी सही मार्गदर्शन मिलेगा और आपका भी ज्ञान संवर्द्धन होगा।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, बजट की बड़े बेमन से सरकार की तरफ से पैरवी की गयी है।

श्री कालीचरण सराफ : आपको यही कहना चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, किसी भी सदस्य के लिए संसदीय प्रणाली में सबसे बड़ा सम्मान यह है कि किसी विशेष एजेण्डा को वह सदस्य अपने भाषण से हाइजेन करे। शुरूआत हुई थी बजट भाषण पर चर्चा से और यह चर्चा बजट भाषण पर चर्चा न होकर श्री बैंदजी के भाषण पर चर्चा हो रही है।

श्री सभापति : आप तो आ जाइये उस पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, आप नहीं समझते कि श्री बैंदजी की कही हुई बात की हम चर्चा नहीं करें ?

श्री चन्दनमल बैंद : लड़ाने की जरूरत नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनको समझा रहा हूं कि श्री बैंदजी भी इम्पोर्टेंट हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं सदन के नेताजी से अनुरोध करूंगा कि जहां श्री बैंदजी के प्रति हम नतमस्तक हैं कृपा करके वह अपनी दायीं तरफ बैठे सदस्य को जिन्होंने बड़े बेमन से उनके वित्त मंत्री की हैसियत से दिये गये बजट भाषण पर पैरवी की है, समझायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको छोड़ कर बैंदजी का सब सम्मान करते हैं।

श्री चन्दनमल बैंद : ये भी खूब करते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं मेरे बजट भाषण पर या श्री बैंदजी के भाषण पर चर्चा करने से पूर्व व्यक्तिगत रूप से कहूंगा कि सदन के नेताजी ने यह बात गलत कही है। मैं राजनीति में आने से पहले श्री बैंदजी का मुरीद रहा हूं और मैं सदा इनके लिए नतमस्तक रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजनीति में आने से पहले तो मेरे मुरीद थे। राजनीति में आने के पहले तो श्री बैंद के मुरीद नहीं, मेरे मुरीद थे।

श्री चन्दन मल बैद : दोनों के थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों के थे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का बजट एक अत्यन्त चिन्ता का विषय है। बजट कुछ ऐसे संकेत जाहिर करता है जिनसे हमें निश्चित रूप से पता चलता है कि हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। क्या गरीब, किसान और गांव का विकास हम कर पायेंगे या हम राज्य को इस प्रकार के जंजाल में फंसा देंगे कि हम कर्ज के भार से निकल ही नहीं पायेंगे? कहा गया है कि दसवें वित्त आयोग के समक्ष राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति शासन में एक ज्ञापन दिया गया था सरकार की तरफ से, खैर, यह ज्ञान नहीं था कि पहली बात तो यह है कि उस ज्ञापन में सदन के नेता महोदय की स्वीकृति थी। दूसरा यह कि जनवरी, 1994 में जब दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण राजस्थान में आये तब सरकार को भरपूर मौका मिला था। राजस्थान की स्थिति को कितने कमजोर तरीके से प्रस्तुत किया गया और किस प्रकार से राजस्थान का अहित हुआ, हजारों-करोड़ों का नुकसान हुआ, इसका संकेत बजट भाषण से स्पष्ट तौर से मिलता है।

बजट भाषण के पैरा 11 में लिखा गया है—"परन्तु नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 5 वर्षों की अवधि में 1911 करोड़ 79 लाख रुपये की मिलने वाली अनुदान की राशि की तुलना में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान की राशि 1145 करोड़ 61 लाख रुपये ही होगी जो 766 करोड़ 18 लाख रुपये कम है।"

इसी भाषण में आगे पैरा 12 में कहा गया है—"परन्तु राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं है।

कारण स्पष्ट है कि 11,400 करोड़ के करीब दसवें वित्त आयोग ने राजस्थान को दिया, अगर हम उस स्तर को कायम कर लेते तो नौवें वित्त आयोग के समय डिवोल्यूशन आफ फण्ड हुआ था, मान्यवर, करीब 3, हजार करोड़ रुपये राज्य को ज्यादा मिलते। कितनी बड़ी चिन्ता का विषय है कि दसवें वित्त आयोग से जहां हमें 3 हजार करोड़ रुपये इसी बात के ज्यादा मिलने चाहिए थे पर हम हमारी परफारमेंस को बढ़ा नहीं पाये। हम हमारे डिवोल्यूशन आफ फण्ड के पर्सेंटेज को वहीं तक सीमित कर पाये जो नौवें वित्त आयोग का था। उसमें कुछ भी बढ़ोतरी करते तो बात कुछ अलग होती। इसकी जिम्मेवारी इस सरकार पर है।

माननीय सभापति महोदय, 1993-94 में जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ है चावल में, गेहूं में और सिरियल्स में राजस्थान के अन्दर भारी गिरावट आयी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के पास दसवें वित्त आयोग के समक्ष पैरवी करने के लिए ठोस आधार नहीं थे। इस सरकार की कथनी और करनी का फर्क देखिये—जहां राज्य को दसवें वित्त आयोग से सही तरीके से पैरवी न करने के कारण 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है वहीं सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम कोशिश कर रहे हैं

(श्री जगदीप धनखड़)

कि दसवां वित्त आयोग हमें विशेष दर्जा देगा क्योंकि हमारा तो बहुत बड़ा डेजर्ट बैल्ट है, हमारा हिली एरिया है, पूरे देश में हमारी अति विशेष स्थिति है। अब बताइये, कहते तो हैं कि हमारा मुकदमा बहुत बढ़िया है और नतीजा बिलकुल उलटा आया है।... (व्यवधान) ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : आप प्रश्न करते हैं तो मैं भी प्रश्न करता हूं। (व्यवधान) टेन्थ फाइनेंस कमीशन की आप बात कर रहे हैं, क्या यह सही है कि राव साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर जी को एक बोनान्जा 10 वें कमीशन ने देकर 753 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दे दिया आन्ध्र के अन्दर ? जो लूजर्स हैं स्टेट और जो गेनर्स हैं, उनका थोड़ा-सा जिक्र मैं कर दूं। लूजर्स के अन्दर हैं मध्य प्रदेश जिसको नुकसान हुआ है 336 करोड़ रुपये का, महाराष्ट्र को 235 करोड़ रुपये का, उड़ीसा को 221 करोड़ का, राजस्थान को 421 करोड़ रुपये का, वेस्ट बंगाल को 397 का। ये लूजर्स हैं इसलिए लोस हुआ है और जो गेनर्स हैं, जिनको उन्होंने एक खास चीज दे दी है, 753 करोड़ रुपये आन्ध्र प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को 190 करोड़ रुपये और बिहार को 21 करोड़ रुपये, पंजाब को 24 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 83 करोड़ रुपये। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बिना आन्ध्र प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के...

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार के इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री क्रास टाक्स कर रहे हैं। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से द पाइंट आई मेकिंग ए....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उत्तर प्रदेश और आन्ध्र, सीधी चिड़िया पर नजर है। उनके सामने पार्लियामेंट (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप खड़े होकर बोलें।

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदी जी, आपको भी इन्टरवेन्शन का मौका मिलेगा। आप मामड़ा जी की तरह बिना तैयारी के मत बोलिये, तैयारी करके बोलिये। (व्यवधान)

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर एक तो एडमिशन है कि हम टेन्थ फाइनेंस कमीशन के समक्ष फेल हो गये और स्पष्ट तौर पर कहा गया है— "परन्तु राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों से पूर्णतया संतुष्ट नहीं है।" दूसरी ओर मेरा यह स्पष्ट कहना है, यदि नाइन्थ फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन आफ फण्ड्स का पर्सेंटेज राजस्थान के लिए था, इतना अगर हम मेनटेन कर पाते, हम लम्बी-चौड़ी बात कर रहे थे कि हम यह कर देंगे, हम कहते हैं कि हमारा डेजर्ट पेच है, जितना पूरे देश में कहीं नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है, हमारा तो हिली एरिया है, अनडवलप्ड एरिया है, एक बहुत बड़ा फ्रन्टियर हमारा है जो कि इन्टरनेशनल बोर्डर है, यह सब कहने के बावजूद इस प्रकार की कोताही इस सरकार ने बरती है कि राज्य में हजारों करोड़ रुपये, जो टेन्थ फाइनेंस कमीशन के समक्ष यदि हम ढंग से पैरवी करते तो हमारे पास आते, वह नहीं किया गया। देयर इज नो यूज। घोड़े तो चोरी हो गये, अब

(श्री जगदीप धनखड़)

स्टेबल्स को लॉक कर रहे हैं। यह सब एलिबिज हैं। राजस्थान की जनता इस बात के लिए सरकार को किसी भी तरीके से माफ नहीं करेगी कि क्यों नहीं हमारे साथ इस प्रकार की बात की गयी।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का वित्तीय कुप्रबन्ध मात्र टेन्थ फाइनेंस कमीशन की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहा है। आर्थिक समीक्षा, जो इस सरकार ने बनायी है. 1994-95 की समीक्षा के पेज 30 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उससे आपको अन्दाज होगा कि यह सरकार किस हद तक राज्य के हित के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह अहम बात इसलिए है कि करोड़ों रुपये का राजस्थान की गरीब जनता को जो फायदा मिल सकता था उसकी भी सरकार ने अनदेखी की है।

पेज 12 पर लिखा है— "बैंकों द्वारा ऋण वितरण राज्य के विकास एवं विनियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है।" बिलकुल सही बात कही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए एन. आर. ई. पी., आई. आर. डी. पी. जैसे ऋण आधारित कार्यक्रम एवं अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बैंकों की सहायता से राज्य में चलाये जा रहे हैं, बिलकुल सही बात है। विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक शाखाओं के विस्तार, विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विस्तार में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वर्गों के उत्थान में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

मान्यवर, इतना कहने के बाद इस सरकार ने अपना लेखा-जोखा क्या दिया है? उपरोक्त तालिका यहां प्रदर्शित करती है कि सितम्बर, 1994 में सितम्बर, 1993 की तुलना में बैंक जमा राशि व ऋण दोनों में वृद्धि हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन फिगर्स पर गम्भीरता से चिन्तन करें। राजस्थान में जमा राशि में वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में 23.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि इस अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 20 98 प्रतिशत है। मतलब, राजस्थान की जनता ने बैंकों में देश के स्तर के हिसाब से ज्यादा पैसा जमा कराया। आशा की जाती थी कि जनता बैंकों में ज्यादा पैसा जमा करा रही है, उसको लाभ भी उसी प्रकार से मिलेगा।

आगे देखिये, राजस्थान में ऋण व जमा राशि का अनुपात सितम्बर, 1994 में 43.32 प्रतिशत रहा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात 54.95 प्रतिशत था। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान में अगर बैंकों में कुछ धन इकट्ठा किया गया, डिपोजिट हुआ है तो राजस्थान की जनता को क्रेडिट उसमें 43.32 प्रतिशत मिला है जबकि पूरे देश में एवरेज 54.95 प्रतिशत है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां एक ओर राजस्थान की गरीब जनता बैंकों में धन जमा कराने में किसी प्रकार की कमी नहीं बरत रही और राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा धन बैंकों में जमा करा रही है, उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति क्यों है?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही तो हमारी आर्थिक समृद्धि का कारण है। ऐसा आर्थिक समृद्धि के कारण होता है।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने पूर्व में यह कहा है, इसी समीक्षा में लिखा हुआ है कि बैंकों में पैसा किस काम में आता है। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं जो सरकार ने चालू की है, उनके लिए। आगे क्या कहा गया है, सितम्बर, 1993 में यह अनुपात राजस्थान एवं राष्ट्रीय स्तर पर क्रमश: 49.86 प्रतिशत और 58.45 प्रतिशत था। कहने का मतलब, राष्ट्रपति शासन से इसमें गिरावट 5 प्रतिशत से भी ज्यादा आयी। यह इस सरकार की एक उपलब्धि है।

राजस्थान में वर्ष 1993 की तुलना में कुल ऋण 7.62 प्रतिशत बढ़ा जबकि भारतीय स्तर पर यह राशि 13.72 प्रतिशत बढ़ी। राजस्थान का बैंकों में 9,718 करोड़ रुपये जमा है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आपको कायम करते, हमारी हैसियत तो ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि राजस्थान की गरीब जनता जितना धन बैंकों को दे रही है, डिपोजिट करा रही है, वह राष्ट्रीय एवरेज से ऊपर है और मान लो, क्रेडिट लेने में यदि हम राष्ट्रीय एवरेज के ऊपर भी रहते तो हजारों करोड़ रुपये फिर भी राजस्थान की जनता को हर साल उपलब्ध होते और उस धन का क्या प्रयोजन होता, गरीबी उन्मूलन कार्य, अनुसूचित जनजाति विकास के लिए। सभापति महोदय, क्या यही आर्थिक प्रबन्ध है, क्या इसी आर्थिक प्रबन्ध के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान सही रास्ते पर है ? यह सरकार किधर ले जा रही है राज्य को, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है।

श्री परसादीलाल मीणा : बंगाल की खाड़ी की तरफ।

श्री जगदीप धनखड़ : अगर आप बजट स्टडी देखेंगे, इनके कागजात हैं उसमें कहा गया है कि पर्सेंटेज आफ डवलपमेंट एक्सपेंडीचर टू टोटल एक्सपेंडीचर, जितना खर्चा हम करते हैं, उसमें हम डवलपमेंट पर कितना प्रतिशत खर्चा करते हैं। सभापति महोदय, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, यदि यह पर्सेंटेज ज्यादा है तो हम सही रास्ते पर हैं, यदि यह पर्सेंटेज कम आता जा रहा है तो चिन्ता का विषय है, गलत रास्ते पर हैं, गरीब जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, राजस्थान को अंधकार में डुबोने की एक योजना कर रहे हैं। अब यह क्या प्रतिशत है ? 1991–92 में 65.23 प्रतिशत था जिसको इस सरकार ने काफी प्रयास कर एक ऐसे सफल आर्थिक प्रबन्ध के नतीजे से करीब 5 प्रतिशत कम कर 61 71 प्रतिशत कर दिया। कहने का मतलब आंकड़ों को छोड़ दीजिये। यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि कितने करोड़ रुपये बढ़ा दिये। कह सकते हैं कि हमने सड़क नीति के लिए 200 करोड़ रुपये बढ़ा दिये पर उससे यदि सिर्फ 20 किमी. सड़क बनी तो उसको देखना पड़ेगा। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, उसको एनेलाइज करना पड़ेगा और उसका एक इंडेक्स है, डेफिनेट पैरामीटर यह है कि यह पर्सेंटेज निरन्तर डाउन जा रहा है। कहने का मतलब डवलपमेंट एक्सपेंडीचर के प्रति हमारा कोई सोच नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 1989 में कितना था यह डवलपमेंट के ऊपर ।

श्री जगदीप धनखड़ : 61 प्रतिशत से ज्यादा था ।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी किताब में फिगर्स हैं नहीं, 1991-92 से ही हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो आप अपनी किताबें दे दो, आपकी किताबों में तो है ।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बता दूंगा, मेरी किताब मैं लाया नहीं हूं । बता दूंगा मैं वह भी आपको ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, दूसरा इंडिकेटर जो स्पष्ट रूप से मिलता है, हम किधर जा रहे हैं, वह यह है कि हम जनरल सर्विसेज पर क्या खर्चा कर रहे हैं ? इसमें भी माननीय सदस्य, खर्चा कम से कम होना चाहिए । उसमें यदि ज्यादा खर्चा होता है तो विकास की गति को धक्का लगता है । माननीय सभापति महोदय, 1991-92 के अन्दर यह प्रतिशत था 34.77 और अब इन्होंने जो पर्सेंटेज किया है आफ द टोटल एक्सपेंडीचर, कितनी चिंता का विषय है, 38.29 पर्सेंट । जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए वहां गिरावट, जहां गिरावट होनी चाहिए वहां बढ़ोतरी । एक ओर डवलपमेंट एक्सपेंडीचर में गिरावट, जनरल सर्विसेज में जहां गिरावट होनी चाहिए, बढ़ोतरी । माननीय सभापति महोदय, नैक्स्ट इंडेक्स आप देखिये, "सोशल सर्विसेज", बहुत जरूरी है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि जो भी सोशल पैरामीटर्स हैं, राजस्थान की तुलना की जाती है बीमारू प्रान्तों से, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनकी संगत में करते हैं, मैं समझता हूं इनसे उभरने की आवश्यकता थी । लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, आंकड़े इनके हैं । सोशल सर्विसेज के अन्दर देखिये, पर्सेंटेज आफ एक्सपेंडीचर आन सोशल सर्विसेज टू टोटल एक्सपेंडीचर, 1991-92 के अन्दर 39.35 पर्सेंट था, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी । जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए, इनका कुशल आर्थिक प्रबन्ध है और होना ही था ...

श्री चन्दनमल बैद : जिसकी प्रणव मुखर्जी तारीफ कर रहे हैं ।

श्री जगदीप धनखड़ : जहां सरकार के उप मुख्य मंत्री बैदजी को कहें आप सामान्य हो, आपका शायद बजट के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, उनको टोका जाता है तो बात अलग करते हैं ।

देखिये, कितनी चिन्ता का विषय है, 1995-96 में यह 36.65 प्रतिशत है । इसमें गिरावट आयी है । सभापति महोदय, ऐसा लगता है कि इस सरकार को कहने की एक आदत पड़ गयी है जैसे हम जनजाति विकास की बात कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, ट्रेजरी बैंचेज भी बैठे हैं, पर मैं प्रशंसा करूंगा माननीय टीकमचन्दजी कांत की, उन्होंने कहा कि एस.सी.एस.टी. के विकास में यदि यह सरकार बाधक बनेगी तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे । मैंने भी यही बात कही है । एक ओर जहां मैंने आंकड़े दिये हैं स्पेशल सेण्ट्रल असिस्टेंस करोड़ों में लैप्स हो

(श्री जगदीप धनखड़)

रही है, मैं उसकी ओर अब ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा, मैं इनके आंकड़ों पर जाता हूं कि क्या इनका ग्रामीण विकास में कोई सोच है ? यह कहते भी नहीं थकते कि राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। कहने का मतलब 70 प्रतिशत जनता के लिए कुछ तो आप एलोकेशन रखो, 50 प्रतिशत से कम तो नहीं रखोगे। इनके बजट स्टडी के पेज 22 पर देखिये, यह है, मान्यवर, जलापूर्ति पर राजस्व व्यय-मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्यगण यह मानेंगे कि जितना व्यय पूरे प्रान्त में हो रहा है, चलो गांवों को आप 70 प्रतिशत के हिसाब से मत दो, पर कम से कम उसके लगभग तो प्रतिशत में रखोगे। पर इन्होंने क्या किया है, शहरी जलापूर्ति योजनाओं में तो किया है 16 हजार 868 लाख के करीब और यही जो ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं हैं उनमें किया है 10 हजार 43 लाख। पेज 22 पर देखिये, शहरों के मुकाबले गांवों को आपने 40 प्रतिशत के करीब रखा है। आवश्यकता थी कि 30 प्रतिशत जनसंख्या जब शहरों में रहती है तो गांवों को कम से कम दुगुना तो मिलना चाहिए था। आप दुगुना देने की बात छोड़िये, आप इसमें इतनी कमी कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं।

सभापति महोदय, मेरे को आज वास्तव में अफसोस हुआ, मैं कोई बहुत गम्भीरता से कहना नहीं चाहता क्योंकि जो माननीय सदस्य चूरू जिले से, रतनगढ़ से आते हैं, उनकी सोच को देखकर तो मैं घबरा गया कि बजट भाषण को बिना पढ़े, बिना देखे, बिना समझे भाषण चालू कर दिया। आप देखिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा इसी बजट स्टडी के पेज 26 पर कहा गया है कि जिस प्रकार से हम खर्चा कर रहे हैं उसमें सहकारिता क्षेत्र को हम इग्नोर कर रहे हैं। इसी को अगर आगे आप देखेंगे, पब्लिक डेट्स के बारे में, बीच में उनको कहा भी गया, वैदजी ने कहा कि जरा आंकड़े जांच लीजिये, अड़े रहे, एक +++ उस क्षेत्र में दह कर गये जिसका ज्ञान वह स्वयं कह रहे थे शुरू में कि मुझे नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पेज 36 पर पब्लिक डेट्स की बात है। मैं इनके आंकड़े बता रहा हूं। 1991-92 में यह था 59370 लाख और इन्होंने इसकी बढ़ोतर की है 1995-96 में 128940 लाख। मैं यह कह रहा हूं कि अगर बजट को एनेलाइज किया जाये तो हमें एक दिशा मिलती है और वह दिशा क्या है, कि हम राजस्थान को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां डवलपमेंट एक्सपेंडीचर कम होगा, जनरल सर्विसेज का खर्चा बढ़ेगा, सोशल सर्विसेज का डाउन होगा। अब कह रहे हैं कि कर्जा लेने में क्या नुकसान है। कर्जा लीजिये पर ब्याज देने के लिए कर्ज लेते हैं, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते हैं, प्लान के लिए कर्ज लेते हैं, विकास के लिए कर्ज लेते हैं, तो कर्ज तो मात्र विकास के लिए वह आदमी ले सकता है जो कम से कम अपनी अर्थ व्यवस्था को मजबूत रखे, उसको इस प्रकार के कुप्रबन्ध का शिकार न बनाये। सभापति महोदय, ऐसी

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगदीप धनखड़)

परिस्थितियों में यह देखना आवश्यक हो जाता है कि देश का वातावरण क्या है। यदि अगर पूरे देश का आर्थिक वातावरण एक चिन्ता का विषय है तो निश्चित रूप से राजस्थान अकेला क्या करेगा। पूरे विश्व में इस बात की सराहना की गयी है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत तीव्र गति से सुधर रही है। मैं आपका ध्यान कुछ विशेष पैरामीटर्स की ओर ले जाऊंगा जिनसे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि देश की अर्थ व्यवस्था किधर जा रही है और हम उससे अलग हटकर अपने आप को क्यों अंधकार में डाल रहे हैं। एक प्रतिशत से कम की ग्रोथ रेट हमारी 1991-92 में थी, एक भयंकर चिन्ता का विषय था। मान्यवर, 1994-95 में यह ग्रोथ रेट 5.3 प्रतिशत हो गयी और एशियन डवलपमेंट बैंक ने कहा है अपनी ताजा रिपोर्ट के अन्दर कि भारत विश्व और एशिया के उन देशों में है जिनकी प्रगति बहुत ही तेज रफ्तार से हो रही है, बहुत कम देश इतनी तीव्र गति की योजना दिखा पाये। मान्यवर, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ, 1991-92 में एक प्रतिशत से कम हो गयी थी, कितनी चिन्ता का विषय था और 1991 में केन्द्र में यह सरकार आने के पश्चात् यह ग्रोथ 8.7 प्रतिशत हुई है और, मान्यवर, 1991 के अन्दर पूरे राष्ट्र में एक चिन्ता का विषय था कि क्या हम हमारा सोना वापस ले आयेंगे, हमारे फोरेन रिजर्वस बहुत कम थे। एक बिलियन से वह बढ़कर 22 बिलियन डालर्स मार्च, 1995 में थे। बहुत कम देश हैं जो इस बात की बात कर सकते हैं कि क्या इस प्रकार की स्थिति में हम ठीक हैं।

अब इस बजट में, माननीय सभापति महोदय, आप देखिये, गरीब के लिए क्या दिया गया है। नाबार्ड को कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के गरीब लोगों के लिए 100 जिलों का चयन किया जाये जहां पर 400 करोड़ रुपये का धन लगाया जायेगा और नाबार्ड स्वयं इसके लिए 100 करोड़ रुपये देगा। एक दिशा दी गयी है कि गरीबों के लिए हम क्या करेंगे। 1994-95 में इन्दिरा आवास योजना के तहत जहां 4 लाख ड्वेलिंग हाउसेज की योजना थी, केन्द्र सरकार ने अपने बजट में इसको 10 लाख किया है और एक योजना प्रस्तुत की है कि आने वाले पांच सालों में 50 लाख होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूरे देश में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था का उत्थान हुआ है, यदि हम समय रहते हुए, 1991 में हम केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों में विश्वास व्यक्त कर देते, जो आज करते हैं, तो हमारी यह दुर्गति नहीं होती। यदि अगर हम केन्द्र सरकार की जो दिशा मिली हुई है उस दिशा से हटकर मात्र लिप सर्विस से गरीब की सेवा न करके गरीब के आंसू पोंछने के अलावा एक ऐसी स्थिति करें कि गरीब के आंसू न आयें तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, हम राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में कहा है दिसम्बर, 1994 में, उन्होंने बहुत चिन्ता व्यक्त की है कि राजस्थान के अन्दर आवश्यता है रेशनल बजटरी पालिसी की। अब यह मैं नहीं कह रहा हूं। एक ऐसी संस्था कह रही है जो

(श्री जगदीप धनखड़)

पूरे देश की अर्थ व्यवस्था पर अपनी आंखें टेके हुए है, सूक्ष्म अध्ययन करती है, एक्सपर्ट वहां बैठते हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि यह जो डिपेंडेंसी रेश्यो और स्ट्रैस रेश्यो है, माननीय सभापति महोदय, इसका अर्थ यह है कि यदि हम इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था रखते हैं, इतना कर्ज लेते हैं कि हमारा डिपेंडेंसी रेश्यो बढ़ जाता है, स्ट्रैस रेश्यो आ जाता है, इसका एक फार्मूला है जिसके तहत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इसको एनेलाइज करता है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान उन प्रान्तों में है जहां यह रेश्यो एक चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गया है।

श्री चन्दनमल बैद : यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, रिजर्व बैंक ने जिस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है उसका क्रेडिट सरकार ले रही है। यदि यहां पर सब लोग कह दें कि फलां व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ है पर डाक्टर को एक्स-रे दिखाया है उसमें उसके टी. बी. है तो डाक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे या किसी और पर ? रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने एक एनलेटिकल स्टडी करके यह कहा है कि राजस्थान में आवश्यकता है रेशनल बजटरी पॉलिसी की और ये पहले से कह रहे हैं कि हमारे पास रेशनल बजटरी पॉलिसी है। उस पॉलिसी से किस रास्ते पर हम जा रहे हैं, यह मैं इनकी रिपोर्ट के आधार पर आपके माध्यम से सदन को बता चुका हूं।

माननीय सभापति महोदय, अब कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनका अध्ययन यदि किया जाये तो पता लगेगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। मान्यवर, 1991-92 से 1995-96 तक रेवेन्यू रिसीट्स में बढ़ोतरी हुई है 73.49 पर्सेण्ट और एक्सपेंडीचर किस गति से बढ़ रहा है, इसमें बढ़ोतरी है 95.77 पर्सेण्ट। माननीय सभापति महोदय, कोई विवाद नहीं हो सकता अर्थव्यवस्था को समझने वालों के बीच में कि इन दोनों में यदि पहला फिगर ज्यादा होता और दूसरा कम होता है तो वह इंगित करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बिलकुल ठीक है, सुदृढ़ है। टैक्स रेवेन्यू 1991-92 में टोटल रेवेन्यू का 59.22 पर्सेण्ट था। इसमें भी गिरावट आयी है। इसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। माननीय सभापति महोदय, सरकार किस गति से काम कर रही है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नीति उत्पादन में इस सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मैं समझता हूं देश के अन्दर कोई ऐसी सरकार नहीं है जो नीति उत्पादन में इनको बीट कर दे। खनिज नीति, सड़क नीति, उद्योग नीति और कई नयी नीतियां आ रही हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अनीतियां भी आ रही हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : इनको जिस नीति की आवश्यकता है उस नीति का उत्पादन यह नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस समय नीति आ रही है, आप अनीति बुला रहे हैं ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, जहां एक ओर यह सरकार नीति उत्पादन में लगी हुई है दूसरी ओर एक संस्कृति डवलप की है, विज्ञप्ति प्रकाशन की । आप देखेंगे नीति उत्पादन, विज्ञप्ति प्रकाशन से गरीब की समस्याओं का हल नहीं होने वाला है । आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्य हित में कम से कम इस बात पर अभी अंकुश लगायें और एक नीति इस प्रकार की डवलप करें ।

अच्छा लगता यदि मान लो माननीय सदन के नेता ने पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाईजी के बारे में बात की, उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स की बात की गयी है उनको लागू करते, डिपार्टमेंट्स का री-आर्गेनाइजेशन करते, एक रीति-नीति का उत्थान करते, राज्य को विकास की गति पर डालने की कोशिश करते । ऐसी कोई नीति नहीं है । जो काम सरलता से हो जाये, अखबारों के माध्यम से प्रचार हो जाये और कह दिया जाये कि राज्य में सुख-शांति है, राम राज्य है । वस्तुतः स्थिति बिल्कुल अलग है । माननीय सभापति महोदय, 1991-92 से 1995–96 में डवलपमेंट एक्सपेंडीचर की बढ़ोतरी हुई है । पहले मैंने प्रतिशत दी थी जिसमें गिरावट आ रही है । इनके कागजात हैं । इन्हीं के आंकड़ों से यह जाहिर है कि 1991–92 से 1995–96 के डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर में बढ़ोतरी 85.2 पर्सेण्ट है और इसी दौरान नॉन–डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर, निश्चित रूप से जिसमें कमी आनी चाहिए, नॉन-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर में बढ़ोतरी अच्छी चीज नहीं है । यह स्वस्थ अर्थव्यवस्था की ओर किसी प्रकार का संकेत नहीं देती, इसमें बढ़ोतरी आयी है 115.59 पर्सेण्ट ।

श्री चन्दनमल बैद : आंकड़े हैं यह ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, अब कहते हैं कि हमारे प्लान की साइज 3200 करोड़ रुपये है । 300 करोड़ के बाण्ड हैं । मैं कह रहा हूं आज के दिन साधारण कम्पनी हजार करोड़ के बाण्ड कर देती है । आप कह दीजिये कि 300 करोड़ के बाण्ड के बजाय मैं 1300 करोड़ के बाण्ड लूंगा । मिल जायेगा पैसा पर उसका नतीजा क्या होगा ? 250 करोड़ का जो आपने लिया, क्या हुआ ? क्या विकास में गया वह ? उस पर करीब 50 करोड़ सालाना खर्चा राजस्थान की गरीब जनता पर पड़ा और वह आपको पता नहीं. कर्ज ले लिया कर्ज अदायगी के लिए । मैं समझता हूं आज आकलन करने की आवश्यकता है, चिन्तन करने की आवश्यकता है कि इनके प्लान में इनकी पोटली का क्या हिस्सा है ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता कहते हैं कि 40 वर्षों से क्या हुआ ? मैं एक ऐसे विषय पर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसके अन्दर 40 साल का कोई लेना देना नहीं है । तिलम संघ आपका बेबी है । आपने शुरूआत की है, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं । और क्या

(श्री जगदीप धनखड़)

हुआ ? राज्य की गरीब जनता को करीब 50 करोड़ हानि में डुबो दिया। कहते थे सहकारिता आन्दोलन में तूफान आयेगा। उस तूफान का गरीब को फायदा होगा। उस तूफान में सब उड़ गये, 50 करोड़ भी उड़ गये। माननीय सभापति महोदय, यह काम चलाऊ सरकार का काम चलाऊ बजट है। इसमें किसी प्रकार से ऐसी स्थिति नहीं मिल रही है जिससे हम राजस्थान में अच्छे भविष्य की कल्पना इस सरकार के रहते हुए कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है, आज राजस्थान में सबसे बड़ी आवश्यकता है बिजली उत्पादन की। बड़ी कोशिश हो रही है, प्रशंसनीय कार्य हो सकता है यदि इसमें कुछ सफलता मिले तो। उसके अन्दर एक ऐसा ब्रेक इस बजट के माध्यम से लग गया कि राजस्थान की गरीब जनता को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि बिजली के मामले में कोशिश की जा रही है, बाहरी पार्टियां इन्ट्रेस्ट दिखा रही हैं, हमारा ग्लोबल टेण्डर कोट हो चुका है, हमने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है। और अब कहते क्या हैं ? माननीय सभापति महोदय, अत्यन्त चिन्ता का विषय है जो पैरा 40 में कहा जाता है, किस स्टेज पर कहा जाता है, यह साजिश है, यह राजस्थान की जनता के साथ साजिश है। कहा कब जा रहा है ? जब लोग इन्तजार कर रहे हैं। Firms are waiting at the corner कि हम राजस्थान सरकार से कोई अनुबंध कर लें। यह बजट के अन्दर एक जो नीति का मामला है उसमें पैरा 40 में कहा गया है–

"अतः सदन को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि राज्य में निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को चालू रखा जाये अथवा नहीं।"

माननीय सभापति महोदय, क्या हम राजस्थान राज्य को एक नगरपालिका की तरह चला रहे हैं। इस विषय पर पुष्कर से आने वाले सदस्य भी मेरे को बल दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को, राजस्थान की जनता को और सरकार को मेरा यह कहना है कि इस प्रकार के वाक्य का अर्थ एक है कि आज के दिन करोड़ों रुपये का पूंजी निवेश करने करने वाली फर्म यह देखेगी कि इस सरकार ने अपने बजट भाषण में क्या कहा है– "अतः सदन को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि राज्य में निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को चालू रखा जाये अथवा नहीं।"

माननीय सभापति महोदय, आपने चूंकि घंटी बजा दी है और आपने मुझे एक सुअवसर दिया, अन्त में मैं एक बात कहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पूरे देश के सभी राजनैतिक दलों के एजेण्डा बदल गये। आज सारे एजेण्डाज की इकोनोमिक्स है वह डोमिनेट कर रही है। मैं बिना बात के आलोचना करना नहीं चाहता, प्रयास सरकार कर रही होगी पर उन प्रयासों में अचानक इस प्रकार का ब्रेक लगा देना जिससे एक इस प्रकार का सिगनल जाये, कन्फ्यूजिव सिगनल, वैसा कन्फ्यूजिव सिगनल जो कुछ समय पहले सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने इन्टरव्यू करते समय दिया था।

(श्री जगदीप धनखड़)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में ट्रिमेण्ड्स पोटेंशल है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस सम्पूर्ण बजट भाषण पर पुनर्विचार करे। चंदजी के भाषण को बजट भाषण माने और इस प्रकार की एक व्यवस्था करें कि अन्य नीतियों को त्याग कर एक ऐसी वित्तीय नीति बनाये। मान्यवर, अर्थशास्त्र का कॉमन-सेंस से कोई लेना-देना नहीं है। अर्थशास्त्र को आप कॉमन सेंस से नहीं जोड़ सकते हैं। बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत होशियार नेता हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी सफल राजनीतिज्ञ हो सकते हैं पर वित्त मंत्री की हैसियत से, ऐसा लगता है कि उन्होंने इस प्रकार का ध्यान इस बजट की ओर नहीं दिया, जैसी शायद उनकी सोच हो सकती थी।

अन्त में, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि सरकार ने जो भी कार्य-कलाप किये हैं उन में हर चीज पर पर्दा डालने की बात कही है। एक कमेटी बनी, पेयजल समस्या के निराकरण के लिए, कुछ नहीं किया। एक कमेटी बनी कानून व्यवस्था न बिगड़े, टिबरेवाल कमीशन, कुछ नहीं किया। ऐसी परिस्थिति के अन्दर आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पूरा मामला एक्सपर्ट्स के हाथ में दे। इसको मात्र आंकड़ों का माया जाल न बनायें। इसमें राजस्थान की गरीब जनता को न फंसायें। आज के दिन आपको जितनी ग्राण्ट इन एड मिलती है उससे ज्यादा तो आप ब्याज देते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सुअवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री लक्ष्मणसिंह : आखिरी मौका है।

श्री मोहनलाल मोदी : आलोचना करें, आखिरी मौका है मंत्रिमण्डल में लेने का …

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी तो आप सिफारिश करेंगे तो नम्बर आयेगा, नहीं तो नहीं आयेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : आलोचना करने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह सौभाग्य है और इस सदन का भी सौभाग्य है

डॉ. शंकरलाल (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। अभी किशनगढ से पधारने वाले माननीय सदस्य ने भारतवर्ष के बारे में जो रोजी-पिक्चर पेंट किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत तीव्र गति से उन्नति कर रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है, इस चार्ट में दिख रहा है। इसमें लिखा है कि पर-कैपिटा इनकम हमारे भारत वर्ष की, 1970-75 का आंकड़ा है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा है, 133 उस वक्त था। उस वक्त में सऊदी अरब में 14368 और स्वीडन में 7068 डालर....

एक माननीय सदस्य : आप ही बोलेंगे तो तिवाड़ीजी क्या बोलेंगे ?

डॉ. शंकरलाल : यू. एस. ए. में 7025 इस तरह से पूरा बताना जरूरी नहीं है। कुल मिलाकर मैं निवेदन करना चाहता हूं इस चार्ट में भारत से कम पर कैपिटा इनकम एक तो नेपाल में है 92 डालर और उसके

(डॉ शंकरलाल)

बाद बांग्लादेश में है 102 डालर। इस तरह से वास्तव में भारतवर्ष की यह स्थिति है।

श्री सभापति : कृपया विराजिये आप। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उन का सौभाग्य है कि सात बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाले चन्दनमलजी बैद बजट पर इस सदन में बोले और मुख्य मंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने इस सदन में बजट प्रस्तुत किया। पांच बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया जो किसी भी मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री के नाते नहीं किया और सात बार माननीय चन्दनमलजी ने वित्त मंत्री के नाते से इस सदन में बजट प्रस्तुत किया।

एक माननीय सदस्य : अभी तो आगे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुनते जाइये। अब आगे सारा रास्ता, अभी दिल्ली तक का सारा रास्ता खोल देता हूं आपका चिन्ता मत कीजिए।

सभापति महोदय, निवेदन कर रहा हूं कि मेरा यह सौभाग्य रहा कि माननीय चन्दनमल जी जब वित्त मंत्री थे, उस समय भी मैं इनके विद्यार्थी के रूप में इनका भाषण सुनता था और इस बार भी मैंने विद्यार्थी के रूप में पूरा भाषण पढ़ा। उस दिन मैं अनुपस्थित था, मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपके भाषण से 2–4 बढ़िया बातों की शुरूआत राजस्थान में हुई। आपने प्रश्न उठाया कर्जे का, आपने प्रश्न उठाया विकास दर का, आपने प्रश्न उठाया राजस्व घाटे का। राजस्थान में राजस्व घाटे का, राजस्व का जो खाता है उसमें घाटे की शुरूआत अगर कहीं हुई है तो माननीय चन्दनमलजी ने सात बजट जो पेश किये उनमें से चार बजटों में आपने राजस्व खाते में घाटा दिखाया, इसकी शुरूआत राजस्थान में आपके द्वारा हुई और उसके बाद में यह बढ़ता चला गया। मैं इसको बुरा नहीं मानता ...

श्री चन्दनमल बैद : एक और बता दीजिये। आपने मेरी बात तो बता दी। मेरे सात में से चार में राजस्व घाटा है, इनके पांच में से कितने में राजस्व घाटा है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी बता रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : सात में से सात

श्री चन्दनमल बैद : मुकाबला करना चाहिए ना।

श्री जगदीप धनखड़ : कैसे विद्यार्थी बने हो आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने राजस्व घाटे का जो कीर्तिमान स्थापित किया, आज दिन तक कोई नहीं तोड़ सका है। आपने राजस्व घाटे का जो....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : घाटे का और राजस्व घाटे का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कीर्तिमान प्रस्तुत किया उसको आज तक कोई नहीं तोड़ सका, अब कहिये आप।

श्री चन्दनमल बैद : आप यह कह रहे थे सात में से चार, और पांच में से कितने? यह और बता दीजिये, क्योंकि मुकाबला हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी मैं बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : पांच में से पांच।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह भी आ रहा है और मैं एक बात यह कह रहा था कि आपको यह श्रेय भी प्राप्त है कि सबसे अधिक घाटे का भी और राजस्व घाटे का भी, और वित्तीय घाटे का भी, राजकोषीय घाटे का भी बजट प्रस्तुत करने का श्रेय आपको ही राजस्थान में प्राप्त है। मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहां ही नहीं, भारतवर्ष में इस प्रकार की चर्चा चल रही है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है वह कर्ज का मुद्दा उठाती है और जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। वह भी कर्ज का मुद्दा उठाती है। कुछ बातों पर राष्ट्रीय सहमति होना आवश्यक है। इस बार का जो बजट है, इसमें जिस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं, पिछले बजट में जिस प्रकार के प्रावधान किये गये थे, हर चीज की आलोचना की गयी। विकास दर को निकालने का अपना-अपना नजरिया, सड़कों की लम्बाई नापने का अपना-अपना नजरिया है। इन नजरियों के आधार पर अगर सदन में भाषण दिये जाते हैं तो इसका एक अर्थ निकलता है कि अगर सत्ता पक्ष ने कोई बजट पेश किया है तो इधर बैठने वालों के लिए वह सबसे बढ़िया बजट है और उधर बैठने वालों के लिए सबसे खराब है। यदि उधर बैठने वाले इधर बैठ गये तो सबसे ज्यादा खराब है। आपने भारत सरकार का बजट देखा, 1 लाख 51 हजार करोड़ रुपये के घाटे से, जो कर्जा हमारे ऊपर था उस दिन नरसिंह रावजी भारत की गद्दी पर बैठे थे और चार वर्ष में तीन लाख करोड़ डालर से अधिक का कर्जा पहुंचा दिया। राजस्थान का जो कर्जा है वह राजस्थान की परि-सम्पत्तियों से बहुत कम है और भारत का जो कर्जा है वह आज भारत सरकार की जो परि-सम्पत्तियां हैं, तैंतीस सौ करोड़ की 1978-79 में थी जो तैंतीस सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की हमारी परि-सम्पत्तियां थीं, आज आपका राज आने के बाद में एक लाख सत्ताइस हजार करोड़ से कम हो गयी हैं। परि-सम्पत्तियां कम हो गयीं और कर्जा ज्यादा हो गया है, यह हालत आपने देश की कर दी है। आपको कर्जे का प्रश्न उठाने का अधिकार ही नहीं है? फिर आपने कर्जे का प्रश्न उठाया। कर्जे का यह प्रश्न उठाया कि जो कर्जा राजस्थान के ऊपर है वह किस बात का है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसाकि अभी माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि 35 प्रतिशत कर्जा तो कर्जा नहीं है, हमारे पास पी. एफ. का पैसा जमा है, ब्याज की राशि का पैसा जमा है। बहुत-सी राशि जो राजस्थान सरकार के पास जमा है वह एक साथ नहीं चुकानी है। किसी साल में दो सौ करोड़ की लाइबिलिटी आती है, किसी साल में चार सौ करोड़ की लाइबिलिटी आती है। पैसा हमारे पास पड़ा है। वह बैंक में पड़ा रहे, हमने उसको विकास के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम में ले लिया। इस देश की इस स्थिति के लिये जिम्मेदार कौन है? अभी योजना आयोग की बात कर रहे थे, रिजर्व बैंक ने कहा है कि हमारे यहां 32 प्रतिशत आदमी गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे। आपकी उदारीकरण की नीति के बाद आज 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह गये और 42-43 करोड़ आदमी, जो अधिकतम निर्धन लोग हैं उन लोगों के विकास के लिए अगर कर्ज ले लिया जाये तो आपको तकलीफ पैदा होती है। उनको पढ़ाया नहीं जाये? विश्व गुरू कहलाया जाने वाला, देश जहां 40 करोड़ अशिक्षित व्यक्ति हैं, जहां पर निर्धनतम व्यक्तियों की संख्या 42 करोड़ से अधिक है, जहां पर गांव में सड़क नहीं है, चिकित्सा के साधन नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने इस बार बजट चिकित्सा को समर्पित करके अगर गांव के गरीब के लिए चिकित्सा का पैसा बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया है, या प्राइमरी हैल्थ सेण्टर खोल रहे हैं, उप-केन्द्र खोलने जा रहे हैं तो उनके लिए अगर पी. एफ. के पैसे को काम में ले लिया तो कोई अन्याय कर दिया?

(15.00)

क्या हम सन् 2000 तक जाने से पहले राजस्थान के आज 15 प्रतिशत गांव, 18 प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है, क्या सभापति महोदय, राजस्थान की वर्तमान सरकार 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करने से पहले राजस्थान के हर गांव को बिजली की लाइन नहीं दिलायेगी, देना चाहेंगे.. (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : दस मेगावाट का उत्पादन दो साल में नहीं किया, आपकी मजबूरी है जो इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। कितना ही साधुवाद करें कोई नतीजा नहीं है। सच बोलें, टीकमचन्द जी ने सच बोला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : टीकम चन्दजी ने भी सच बोला और मैं भी सच बोल रहा हूं। चिन्ता मत करिये, यह बात अखबार के द्वारा पब्लिक में जायेगी इसलिये यहां चिरमिराहट करने से कोई फायदा नहीं है। यह पब्लिक में जायेगी।... (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : बिजली की बात मत करो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पब्लिक में जायेगी कि पिछली बार हमने तीन हजार स्कूल खोले, इनको अब पक्का कर रहे हैं, 315 करोड़ रुपये और दिये, 600 और खोल रहे हैं, यह जायेगा पब्लिक में। पब्लिक में जायेगा कि सड़क नीति बना कर भारतीय जनता पार्टी हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रावधान कर रही है जो 40 साल तक आपने नहीं किया, पब्लिक में जायेगा कि इस प्रकार 25,000 कुओं का अर्जीकरण कर रहे हैं और पिछली बार हमने 35,000 कुओं को बिजली दी है। यह पब्लिक में जा रहा है और पब्लिक में (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह तो बताइये कि कितने घण्टे बिजली मिली.... (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार का आप बखान कर रहे हैं, चौमू के लोगों... (व्यवधान) ...

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सार्दुलपुर) : एक-एक साल से बिजली के डिमाण्ड नोटिस लोगों ने भर रखे हैं लेकिन अभी तक उनका कनेक्शन नहीं हुआ है। डूंगरपुर, राजगढ़ और तारानगर में यह हालत है। बिजली की बात मत कीजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : किसान तो रो रहा है + + +। किसान तो परेशान है और आप कह रहे हैं कि हम उनको सहानुभूति दिखा रहे हैं (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पराजयबोध के दर्द की दवाई मेरे पास नहीं है आपने अपने इन्हीं कारनामों के कारण 1989 के लोक सभा चुनावों से राजस्थान में हारना शुरू किया था और पंचायत चुनावों तक हारते चले गये। सात बार आप हमारे से राजस्थान में चुनाव हार गये हैं। अब अगर विधान सभा में इसी प्रकार की करतूत जारी रही तो लोक सभा के चुनावों में 25 में से आपकी एक भी सीट नहीं आयेगी, सफाया हो जायेगा राजस्थान से। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शांति से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाओ....

श्री जगदीप धनखड़ : आपका नाम + + + कर देना चाहिए, आपका नाम घनश्याम तिवाड़ी छोड़ देना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जो बार-बार बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खेत में किसी + + + को खड़ा कर दिया कि कहीं नजर नहीं लग जाए। ऐसा मत करिये इसलिये खेत में जो फसल खड़ी है उसी फसल में आप रहिये।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अब एक मूलभूत प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमारा जो राजस्व घाटा है वह किस कारण से है। उसमें हमको निश्चित रूप से सिद्धान्त तय करना चाहिए। मैं दो उदाहरण सदन के सामने रखना चाहूंगा। सिंचाई पर हम इन बातों पर नहीं जाते कि सिंचाई के प्रोजेक्ट की कोस्ट कितनी लगी, उनका ब्याज क्या है, या एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा क्या है ? हम जानते हैं कि ऑपरेशन एण्ड मेंटीनेंस का कितना खर्चा है। राजस्थान में सिंचाई पर ऑपरेशन एण्ड मेंटीनेंस का 225 करोड़ रुपये का खर्चा है और आय होती है 25 करोड़ रुपये की। इसी प्रकार पी. एच. ई. डी. में आपरेशन एण्ड मेंटीनेंस का 300 करोड़ रुपये का खर्चा है और आय होती है 60 करोड़ रुपये की। दो विभाग इस प्रकार के हैं जिनकी सुविधा पब्लिक को देने से लगभग 400 करोड़ रुपये रेवेन्यू का डेफिसिट होता है। इस प्रकार का बिजली में भी है, और चिकित्सा में भी है। कई जगह बड़ी-बड़ी करोड़ों रुपयों की मशीनें लाकर लगायी हैं। आम आदमी जो प्राइवेट मशीनों में जाकर टेस्ट नहीं करवा सकता, उसमें अगर पांच करोड़ की एम. आर. ए. की मशीन है और अगर एक करोड़ की केट स्केन की मशीन आती है और वहां पर अगर कोई आदमी चला जाए, इलाज कराये तो क्या यह सदन यह निश्चय करता है कि उससे पूरा पैसा, दो हजार रुपये वसूल किये जाएं। वह नहीं दे सकता, तो इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो निर्धन देश है, जो गरीबों का देश है उसमें सुविधा के नाम पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा और यह राजस्व के खाते में जो घाटा है वह उस सुविधा के कारण से है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो कह दे कि जितना आपरेशन एण्ड मेंटिनेंस में खर्चा लगता है उतना सिंचाई शुल्क बढ़ा दिया जाए, कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है कि राजस्व घाटा समाप्त हो तो कांग्रेस पार्टी कहे कि यह पानी पर जितना खर्चा आता है उतना खर्चा बढ़ा दिया जाए, राजस्थान में राजस्व खाते में घाटा समाप्त हो जायेगा। 500 करोड़ का घाटा है, 400 करोड़ तो इन दो के कारण से है। इसलिये हमको इन सिद्धान्तों पर फैसला करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान की जो वर्तमान स्थिति है, इसमें घाटे की अर्थ-व्यवस्था का हम किस प्रकार निदान करें। आज मुद्रास्फीति की दर 11 पर्सेण्ट, दो अंकों में लगातार बनी हुई है। हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं, हम इसको जानते हैं कि भारत सरकार का जो घाटा है, बजटीय घाटा भी है, राजकोषीय घाटा भी है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, कर्जा भी बढ़ रहा है, इन सब परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं लेकिन क्या हमने सिद्धान्त रूप से इस बात की चर्चा की है कि हम राज्यों को, भारत सरकार को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने की स्थिति में हैं क्या? इतने पर्सेण्ट से अधिक बजट घाटा नहीं होना चाहिए, इतने पर्सेण्ट से अधिक कर्जा नहीं होना चाहिए, इतने पर्सेण्ट से अधिक डेफिसिट नहीं होना चाहिए, इस पर हमने आज तक व्यवस्था नहीं की लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक आर्थिक प्रस्ताव में मांग की है कि संविधान में संशोधन करके इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए भारत सरकार पर और राज्य सरकारों पर भी कि जो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा बजट का घाटा, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला कदम नहीं उठा सकें। कांग्रेस पार्टी ने इसका भी विरोध किया है। माननीय चन्दनमलजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की बात करना चाहते हैं तो भारत सरकार से कहिये कि सब राजनैतिक पार्टियों की एक सहमति प्राप्त करके भारत के संविधान में इस प्रकार का प्रावधान करे कि किसी भी सरकार को एक सीमा से ज्यादा जाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो।

श्री चन्दनमल बैद : आप इनसे तो कहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमसे तो मिल लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमने तो प्रस्ताव पेश कर दिया।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान पर 13900 से 14000 करोड़ के करीब जो कर्ज है उस पर बात उठाई गयी। अब आप बात करते हैं कि हमारे जमाने में पांच हजार करोड़ था, आज इतना हो गया। आपके जमाने की सारी पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी और पांच हजार करोड़ का कर्जा था। अब यह 11,500 करोड़ की योजना है और 13,000 करोड़ का कर्जा है तो क्या बात हो गयी।

श्री चन्दनमल बैद : और बढ़ाइये इसको ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना भी सीमा तक है, केवल लिमिटेशन में है। कहीं भी राजस्थान सरकार की क्रेडिबिलिटी कम नहीं हुई कि कोई भी एक किश्त नहीं चुकी हो और डिफाल्टर हो गयी हो। तो उसी को पैसा मिलता है। लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि बजट का घाटा और कर्जा एक सीमा तक होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने गोवा की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में एक बात कही है कि कर्ज किस बात का ? तो उन्होंने कहा है कि कम्प्यूटर चिप्स यस, आलू चिप्स नो। और कांग्रेस पार्टी देश को गर्त में डालने के लिये इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाकर इनके तेल, पाउडर, आलूचिप्स, यह डबलरोटी बनाने का काम कर रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कम्पनी से लड़ने में भारत गुलाम हो गया था, आज दो हजार ईस्ट इंडिया कम्पनी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस देश की छाती पर लाकर गुलाम बनाने के लिये अगर कोई सबसे बड़ा पाप कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, जो काम रुपयों से ही सकता है उसको डालर से नहीं और डालर भी लिया जा सकता है, जिससे डालर कमायें वह काम डालर से भी सकता है कि राजस्थान में अगर टूरिज्म का बहुत बड़ा केन्द्र है और डालर लगा कर टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, सड़क बना सकते हैं और उससे डालर कमा कर कर्ज चुका भी सकते हैं तो वह कर्ज लिया जा सकता है लेकिन इस प्रकार के कर्ज की बात यहां नहीं करना चाहते ।

अब मैं, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार या हिन्दुस्तान की अन्य सरकारों में इस समय कोई सी भी सरकार ऐसी नहीं है, जिसके राजस्व व्यय का घाटा नहीं है, जो सरकार कर्ज नहीं लेती। तो कर्जे का प्रश्न है, इस प्रश्न को, राजस्व घाटे के प्रश्न को अगर उठा कर फैसला करना है तो राज्यों की सहमति के आधार पर करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार को तो, माननीय बैदजी, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार ने अगर कोई थोड़ा-बहुत राजस्व घाटा रखा अपने बजट में तो इस कारण से कि आम जनता की सुविधाओं की हम कटौती नहीं करना चाहते। उन गरीबों को सुविधा दे रहे हैं, उन गरीबों के लिये हम सन् दो हजार तक हर गांव में स्कूल, सड़क और चिकित्सा की व्यवस्था करके, इक्कीसवीं शताब्दी में राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाना चाहते हैं इसलिये हमने थोड़ा बहुत कर्जा घाटा किया है, बाकी हम नहीं चाहते ।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर उदारीकरण की चर्चा हुई। बजट भाषण में भी कांग्रेस पार्टी में उदारीकरण के बारे में दो राय है। नरसिंहरावजी और उनके समर्थक उदारीकरण की बात करते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : आप भी पक्ष में हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं भी पक्ष में हूं, आ रहा हूं। अर्जुन सिंहजी, शिवचरण

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जी माथुर, नरेन्द्र सिंहजी भाटी, यह सब उदारीकरण के खिलाफ हैं । उसके लिए कट मोशन भी रंगराजनजी और कई दे रहे हैं, अब वह कट मोशन होता है कि पार्टी कट होती है, क्या होता है वह आपका घरेलू मामला है, उस पर हम नहीं जाना चाहते ।

श्री चन्दनमल बैद : अपना ख्याल रखो पहले । आडवाणीजी और वाजपेयीजी अलग-अलग नहीं हो जाएं कहीं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उदारीकरण को तीन रूप में देखती है । 30 जनवरी, 1993 को भारत के प्रधानमंत्री ने हिन्दुस्तान भर के 500 अधिकारियों के बीच भाषण दिया और भाषण में उन्होंने कहा कि 1956 में जो महालनोविस और पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने मिलकर अत्यधिक केन्द्रीकरण का जो इकोनोमी का मॉडल बनाया था वह मॉडल देश के लिए खतरनाक था और देश तरक्की नहीं कर सका । उन्होंने आज यह बात कही है । 'जिस प्रकार से स्टॉलिन की मृत्यु के बाद में ख्रुश्चेव ने उसकी कब्र उखाड़कर कहा था कि इसने रूस को डुबो दिया, उसी प्रकार 40 साल तक देश में शासन करने वालों को बेकार और निकम्मा करने का काम नरसिंहरावजी ने किया । 40 साल के कांग्रेस के शासन को नाकारा साबित उनके प्रधानमंत्री ने किया है । जो भारतीय जनता पार्टी में उदारीकरण की बात करते हैं तो फिर समय आ रहा है भारतीय जनता पार्टी उदारीकरण का नहीं टैक्स, परमिट, कोटा, लाइसेंस, इस बात का जो राज था उस राज का विरोध करती है और उदारीकरण के भी कुछ हद तक हम बहुत बड़े समर्थक हैं लेकिन उदारीकरण का मतलब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गुलामी के समर्थक नहीं हैं । कांग्रेस का उदारीकरण तो

श्री रामनारायण चौधरी : उदारीकरण तो उदारीकरण ही है, मतलब क्या है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मतलब समझा रहा हूं । कांग्रेस का उदारीकरण तो तीन प्रकार का है । तीन प्रमुख नारे हैं कांग्रेस के उदारीकरण के : उदारीकरण, उधारीकरण और उदरीकरण । उदरीकरण मतलब उदर का भरण-पोषण करना, इसके लिए प्रतिभूति घोटाला, चीनी घोटाला और घोटालों का काम, यह है उदरीकरण । और उधारीकरण में 1 लाख 50 हजार करोड़ से 3 लाख करोड़ तक और हिन्दुस्तान के 5 लाख गांव में हर गांव पर एक करोड़ रुपये का कर्जा और हर व्यक्ति पर 3000 का कर्जा, यह तीन नारे कांग्रेस पार्टी के उदारीकरण के हैं, उदारीकरण, उधारीकरण और उदरीकरण । तो उदरीकरण....

श्री अमराराम (धोद) : एमफोर्ट भी है साथ ही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 'एमफोर्ट का तम्बू तो उनके घर ही पड़ा है जिन्होंने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी है । तम्बू ही उखड़ गया वह तो, उसकी बात तो छोड़ो ।

श्री अमराराम (धोद) : तम्बू तो उखड़ गया, पैसे तो आप दिला दो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, वह सारा काम हो गया । वह तम्बू वाले पैसे भी ले गये और तम्बू भी ले गये । तो इनका उदारीकरण यह है । लेकिन हमने उदारी-

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करण का समर्थन किया। हम उदारीकरण चाहते हैं बिजली के क्षेत्र में, हम उदारीकरण टैक्नोलोजी के क्षेत्र में चाहते हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए हम उदारीकरण के पक्ष में हैं लेकिन यहां तो सारा काम ही उलटा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी की हार का कारण भी अर्जुन सिंहजी यह बता रहे हैं कि गरीबों के अगेंस्ट हमने उदारीकरण की नीति बनायी इस कारण से हार रहे हैं। इसलिए इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि उदारीकरण के कारण से गरीब लोगों पर जो असर पड़ने वाला है उस गरीब के असर को रोकने के लिए भी हम को सामाजिक सुरक्षा का कवच प्रदान करना पड़ेगा। इस बजट की यह विशेषता है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने यहां पंचायत राज के चुनाव की बात कही। माननीय चन्दनमलजी भी बोले ...

श्री चन्दनमल बैद : पंचायत चुनाव के बारे में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो हार का जिक्र आपने किया....

श्री चन्दनमल बैद : आपने किया तो मैंने भी कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, आप दोनों महान् आदमी हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी कर दूं। तो, जिक्र किया था। उस जिक्र में पंचायतों के बारे में एक तरह से हमको धन्यवाद देना चाहिये था। आज उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, बिहार में अभी चुनाव हुए, आंध्र में भी पंचायतों के चुनाव हुए, जिस प्रकार की वहां खूनीहिंसा हुई, जिस प्रकार से चार-चार वोट एक साथ गिराये हैं और सुबह 8 बजे से लेकर हरियाणा में रात 2 बजे तक वोट पड़ते रहे, उस सारी व्यवस्था को चेंज कर के राजस्थान सरकार ने दो राउण्ड में चुनाव करवाये, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराये। ... (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : नीमकाथाना में क्या किया, यह तो बता दो। (व्यवधान)... यह तो बताओ आप। चौमूं का बता दो और तो जाने दो। यानि सारे राजस्थान में किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया है इन चुनावों के अन्दर, उसका थोड़ा जिक्र तो करो कम से कम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह कर रहा हूं। माननीय मोदीजी की मेरे पर कृपा है, मेरे बुजुर्ग हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं, नारायण सिंहजी की भी मेरे पर कृपा है, यह भी मेरे बुजुर्ग हैं और इनका भी मैं सम्मान करता हूं। इनको मेरा दुःख है कि चौमूं में मेरा प्रधान नहीं बना और मुझे इनका दुःख है कि दांतारामगढ़, नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर में इनका सफाया हो गया। और इस दुःख का किसी के पास इलाज नहीं है। प्रजातंत्र है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने एक नारा दिया था....

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी कोई चौमूं में ठेकेदारी थोड़े ही थी ? और इनकी नीमकाथाना में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं थी, टूट गयी। मेरी तो थी ही नहीं....

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो लोकतंत्र है । ... (व्यवधान) ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, लोकतंत्र है ।

श्री मोहनलाल मोदी : लेकिन लोकतंत्र पर हत्या का काम किया न । एक गलत वोट डलवाया, जबरदस्ती डलवाया । जो महिला यहां एडमिट है उसका वोट डलवाया । मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाह रहा हूं कि इसकी जांच करवा लें और जांच कर के वह सही साबित नहीं हो तब यह बात आप हाउस में कह सकते हैं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, आज इनको कहने दें इनके दर्द । आजादी के बाद आज तक जहां इनकी ठेकेदारी नीमकाथाना में कायम थी, जहां × × × कायम थी वह एक साधारण गूजरी ने तोड़ दी ।

श्री मोहनलाल मोदी : वह तो उप-प्रधान में भी आपको मालूम हो गया । उप प्रधान बना कि नहीं बना, आप यह देख लीजिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब इन दर्दों का इलाज यहां नहीं होता, मोदीजी, इनका इलाज चुनाव में होता है । लेकिन पंचायती राज में जिस प्रकार के अखबारों में सम्पादकीय लिखे दिल्ली के नवभारत टाइम्स ने कि हरियाणा में पंचायत चुनावों की दुर्गति हुई, मध्य प्रदेश में 40,000 सीट खाली रह गयीं । राजस्थान एक ऐसा स्टेट था जिसमें पंचायत के चुनाव कराने के नाम पर नहीं, वास्तव में पंचायत के चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विघ्न सम्पन्न करवाये और इन चुनावों को सम्पन्न कराने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक ही नारा अपनाया । 997 राजस्थान में जिला परिषद् के मैम्बर जीते हैं, 5200 राजस्थान में पंचायत समिति के मैम्बर जीते, 9,000 से अधिक सरपंच, कांग्रेस पार्टी के लोग इन सब पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं जब से विधान सभा चली है । यह कहते हैं, × × × मैं कहना चाहता हूं कि जन-प्रतिनिधियों को × × × कहने का अगर आपने काम किया तो इसका जवाब आपको लोक सभा के चुनावों में पंचायतों के निर्वाचित लोग देंगे । × × × नहीं हैं । आप जीत जाओ तो चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से होता है और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो × × × हो गये ?

श्री शीशराम ओला : सरेआम बोली लगाई आपने जन-प्रतिनिधियों पर । बहुत आगे मत बढ़ो ।....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : नरेन्द्र यादव को आपने खरीदा था, कितना लाख रुपया दिया आपने ? चौमू वाले को 25 लाख में तिवाड़ीजी ने खरीदा । आपने बीच में कितना पैसा लिया और उसको कितना दिया ?

श्री शीशराम ओला : ... चुनाव भी और पंचायत राज भी देख लिया । आपके चैलेन्ज को स्वीकार करते हैं ।

श्री परसादीलाल मीणा : मतलब उसके × × × जब आप नजर नहीं आये ।

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार आलोपित किये गये ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

उसके × × × न जब आप नजर नहीं आये। इस तरह की खरीद-फरोख्त आप लोगों ने की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, हार का दर्द होता है। परसादी लालजी को हार का दर्द है। लालसोट में, बांदीकुई में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विधान सभा के चुनाव में चार सीट आ गयी थी, सारे के सारे पंचायत समिति के प्रधान और निर्विरोध जिला प्रमुख चुन कर दौसा में कांग्रेस का सफाया ही कर दिया, इसका दर्द है। इस दर्द का इलाज नहीं है।

श्री शीशराम ओला : कांग्रेस का राज था तब आपका क्या हाल था, बताइये पहले। आप राज दीजिये और फिर कितने लाएं, बताना हम को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शीशरामजी को भी देखो बुढ़ापे में जोश आ रहा है।

श्री शीशराम ओला : नहीं, कोई बुरा नहीं लगता। मैं तो हर चैलेन्ज के लिए तैयार हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : नरेन्द्र यादव को कितने लाख रुपये दिये आपने ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब नरेन्द्र यादव को कितने दिये और कितने नहीं दिये, नरेन्द्र यादव पिछड़े वर्ग के एक प्रतिष्ठित आदमी हैं और जयपुर जिले के उप प्रमुख चुने गये आपको हरा कर, इसका दर्द आपको क्यों हो रहा है ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर इसकी चर्चा करायी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आये.... (व्यवधान)... सांगानेर का बना प्रधान....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं करें बार-बार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस पार्टी ने किसलिए उसका समर्थन किया, कितने लाख रुपये में किया ?

श्री परसादीलाल मीणा : नरेन्द्र यादव का बताओ कितने लाख में खरीदा ? कांग्रेस के टिकट पर जीता, उसको आपने उप प्रमुख बनाया, बताओ कितने लाख में खरीदा ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक पैसा नहीं दिया।

श्री परसादीलाल मीणा : उदयपुर में कितने लाख में खरीदा ? आप छोड़ो, यह वाड़ेबंदी की जो बात मुख्य मंत्रीजी करते थे न वह सब खतम हो गयीं इनकी बातें। आदर्श की बातें सब समाप्त हो गयीं। हो गया × × ×। आपने एक महीने का टाइम लिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रजातंत्र में हार-जीत होती रहती है, परसादी लालजी।

श्री चन्दनमल बैद : राजनीतिक भ्रष्टाचार भी होता रहता है।

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस प्रजातंत्र के प्रसाद को सहजता से ग्रहण करिये जो दीक्षा में जनता ने आपको दिया और सुधारें अपने आपको ।

एक माननीय सदस्य : अपने आपको खुद सुधारो ।

श्री चन्दनमल बैद : यह उदाहरण किसको दे रहे हैं आप, उप मुख्य मंत्रीजी को दे रहे हैं क्या ?

श्री परसादीलाल मीणा : यह भामड़ाजी को भी कह दो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने तो ग्रहण कर लिया ।.... (व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भामड़ा : हमने तो कर लिया ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी प्रकार से, सभापति महोदय, पंचायत चुनावों में । मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस पार्टी भी जीत गयी, भारतीय जनता पार्टी भी जीत गयी, अब आपने 25% अनुदान बढ़ाया है इसके लिये तो आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं । लेकिन मैं चाहूंगा कि नगरपालिका और पंचायतों का अनुदान थोड़ा और बढ़ाया जाय । आप इन्तजार कर रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन, जो कृष्ण कुमार जी गोयल की अध्यक्षता में बना है, इसमें चन्दनमल जी बैद भी सदस्य हैं, आप रिपोर्ट देने में थोड़ी देरी कर रहे हैं । यदि आप रिपोर्ट जल्दी दे देते तो 25% के बजाय 50% बढ़ता । मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब दें उसके पहले-पहले अगर आप रिपोर्ट दे देंगे तो यह बढ़ जायेगा । वैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं मांग करूंगा कि स्वायत्तशासी संस्थाओं को और अधिक मजबूत करने के लिये थोड़ा अनुदान इनका बढ़ाया जाय । इसी प्रकार से जिला परिषद पंचायत समिति के काम को भी बढ़ाया जाय ।

मैं एक बात और कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी मांग कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी की आदत है कि जब हम मांग करते हैं तो कदम थोड़ी देर से उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी के सदस्य मांग करते हैं तो तुरन्त कदम उठाते हैं । कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि दल-बदल का जो कानून है वह पंचायतों पर लागू किया जाय और हम भी चाहते हैं कि दल-बदल का जो कानून है वह पंचायतों पर लागू किया जाए और एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाय । जितने भी जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य हैं उनको पत्र लिख दिया जाय कि जिला कलक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी को एक महीने में वह लिखित में दे दें कि वह किस पार्टी के साथ हैं । लिखित में आने के कुछ दिनों के पश्चात् अध्यादेश जारी करके दल-बदल कानून को राजस्थान में लागू कर दिया जाना चाहिये ताकि....

श्री शीशराम ओला : एक महीने का टाइम दे दो उसके लिये । कलक्टर को एक महीने में लिख दें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप कहो 15 दिन का, आप कहो 7 दिन का । जितना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आप कहें उतना। मुख्य मंत्रीजी उदार हैं।.... (व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : दल-बदल कानून होना चाहिये और एक महीने का टाइम नहीं होना चाहिये वरना आप दल-बदल करवा कर बाद में लिख कर भेजोगे, यह क्या बात कर रहे हैं? यह कोई बात थोड़े ही है।

श्री शीशराम ओला : दल-बदल कानून तो, मुख्य मंत्रीजी, जिस दिन उसको टिकट दे दी गयी उसी दिन से लागू होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : .... (व्यवधान) उनका क्या करेंगे?

श्री शीशराम ओला : जैसा आज कानून है उसमें तो उसको कौन रोकेगा? एम. एल. ए के लिये तो हो रहा है, आपने किया है सारा, उसमें तो वही प्रक्रिया चलेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दल-बदल के कानून में समय का जहां तक सवाल है, वह विपक्ष के नेता से और कांग्रेस के अध्यक्ष से बैठकर आप बातचीत कर लें। यह सात दिन का चाहते हैं सात दिन, पन्द्रह दिन का चाहते हैं पन्द्रह दिन, जितना भी समय चाहते हैं, देकर इस कानून को लागू किया जाए ताकि इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी ठीक प्रकार से काम करने का मौका मिले।

श्री शीशराम ओला : इसके लिए आपका स्वागत करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्वागत करते हो, धन्यवाद आपका।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी तरफ बैठने वाले स्वागत नहीं करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के हित में बहुत प्रकार की छूटें दी गयी हैं। कांग्रेस के कई लोग बोले किसानों को इस बजट में क्या मिला? मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान का यह बजट अगर हम इस किताब को पढ़ाकर देख लेते हैं तो पूर्णतया गांवों को समर्पित है। चिकित्सा का सारा खर्चा, जो अधिकांश चिकित्सा के साधन खुलने वाले हैं वह गांवों में खुलने वाले हैं। पिछली बार जो स्कूलें खुलीं, वे अधिकांश गांवों में खोली गयीं और मैं कहता हूं कि यह गांवों को समर्पित बजट है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शहरों में भिन्न-भिन्न संस्थाओं को रजिस्ट्री कराने के लिये 10 प्रतिशत की जो छूट को घटाकर 6 प्रतिशत किया गया है, गांवों में काश्तकारों को भी अपनी एग्रीकल्चर जमीन का बेचान करते समय उनको जो छूट है वह भी शहरों में जिस प्रकार की छूट दी गयी है 10 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत छूट करनी चाहिए और इस बात को निश्चित करना चाहिये कि गांवों के लोगों को लगे कि हमको भी हमारे छूट के अधिकार निश्चित रूप से प्राप्त हैं।

इसी प्रकार से एक और निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आज एक मांग बार-बार उठती है कि स्कूलों में जगह खाली है और गुलाब चन्दजी कटारिया कहते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं कि कुछ को छोड़कर नहीं है। डाक्टरों की बात उठती है और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ कहते हैं कि इस बार जितने अधिक डाक्टर हमने नियुक्त किये हैं, डाक्टरों की आज तक उतनी नियुक्ति कभी नहीं हुई। लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिये और यह तय किया जाना चाहिये कि कितने पर एक टीचर रहेगा। एक निश्चित फार्मूला कि कितने टीचर्स की संख्या खाली है और किस समय तक इनको भर दिया जायेगा, कम से कम शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक निश्चित समय बनाकर सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि सारे के सारे पद निश्चित रूप से भर दिये जायें।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक और मांग करूंगा। पिछले बजट के समय पर राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की मांग की थी। राम नारायणजी चौधरी ने विरोध किया था, कमलाजी ने समर्थन किया था। मैं इस मामले में कमला जी का पूरा समर्थक हूं। जयपुर जिला इसके लिये बहुत ज्यादा एक तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम करेगा।

श्री शीशराम ओला: आप तो दोनों जयपुर जिले के हैं ना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: इसलिये राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपके कर-कमलों से हो, यह सौभाग्य आपको मिले, यह सारा सदन इस बात को चाहता है कि राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय बने। और हम यह चाहते हैं कि राजनीति को कुछ निश्चित सिद्धांतों और मानदण्डों पर केन्द्रित किया जाय और इसलिये हम बार-बार मांग करते हैं। लेकिन यहां राजनीति की चर्चा भी होती है। मैं समाजवाद की चर्चा में नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो दीवार पर लिखा हुआ है वह बात हमको साफ-साफ समझ लेनी चाहिए। यहां पर हिमाचल प्रदेश की, मध्य प्रदेश की हार की चर्चा माननीय चन्दनमल जी बैद ने की, मैं नहीं करने वाला हूं। लेकिन आज अगर हिन्दुस्तान के इतिहास को देख लें तो कांग्रेस पार्टी का जिन राज्यों में राज है उसमें या तो एक लोकसभा की सीट है, दो लोकसभा की या चार या ग्यारह, मध्य प्रदेश को छोड़कर। हिमाचल में चार, अरुणाचल में एक, मणिपुर में दो, नागालैण्ड में एक और कुल 106 लोकसभा के स्थानों पर कांग्रेस पार्टी का बहुमत, भारतीय जनता पार्टी जहां एक नम्बर पर है वहां 136 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी एक नम्बर पर है।

श्री परसादीलाल मीणा: कहां पर है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सब बता रहा हूं, एक-एक लो। आपको दीवार पर लिखी हुई एक-एक बात बता देता हूं और इसी प्रकार से जो वर्तमान में चुनाव हुए हैं, पांच राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पांच राज्यों में प्रमुख विरोधी दल, तीन राज्यो में भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और जिस प्रकार की केरल में और मध्य प्रदेश में लड़ाई चल रही है और जिस प्रकार की दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई है, आज जनता दल 86

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और राष्ट्रीय मोर्चा और बाकी मिलाकर 36। आज अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वामपंथी, जनता दल मिलकर 140 स्थानों पर फर्स्ट या सैकण्ड आ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी 146 स्थानों पर फर्स्ट या सैकण्ड आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी 376 स्थानों पर फर्स्ट या सैकण्ड आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी यही काम करने जा रही है। हमारा यह बजट इस बात का प्रतीक है, यह सारे गरीब आदमियों के बजट इसलिये पेश किये जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली से राज जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भूतकाल की पार्टी बन गयी है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिये।

श्री भागराज चौधरी : आने वाला समय आपको बतायेगा कि आपकी क्या स्थिति बनती है। आप तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। मगर आपके सारे हवाई किले ध्वस्त हो जाएंगे। आप बहुत सी बातें सालों-साल करते आये हैं, सारी बातें आपकी गलत हो गयी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका मौका आये जब आप जवाब दे देना।

श्री भगराज चौधरी : एक भी बात आपकी सच्ची नहीं निकली। आपकी बातें सच्ची नहीं निकली हैं। आपकी कथनी और करनी में और बातों में बहुत बड़ा अन्तर है। आप खाली हवाई किले बनाते रहते हो If wishes were horses, beggers might ride.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारी कथनी और करनी का फर्क 1989 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान की जनता ने दिया। हमारी कथनी और करनी का फर्क 1990 के विधान सभा चुनावों में राजस्थान की जनता ने दिया। हमारी कथनी और करनी का फर्क उसके बाद में 140 नगरपालिकाओं के चुनावों में राजस्थान की जनता ने दिया। हमारी सरकार को भंग किया और लोकसभा का दुबारा चुनाव हुआ उसमें हम अकेले लड़कर 12 सीटों पर जीते। फिर हमारी सरकार को भंग किया गया तो राजस्थान के विधान सभा के चुनावों में 95 को जिताकर राजस्थान की जनता ने दिया और फिर 36 नगर पालिका और नगर निगमों के चुनावों में दिया और फिर राजस्थान के पंचायती राज के चुनावों में दिया। सात बार राजस्थान की जनता ने हमारी कथनी और करनी दिखायी और आठवीं बार जल्दी से होने वाले लोकसभा चुनावों में दिखायेगी। वहां आपकी एक भी सीट राजस्थान में नहीं आयेगी। भारतीय जनता पार्टी उधर जा रही है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सदस्य तिवाड़ी जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम और बहुत ही मान्य नेता का तो विश्लेषण यह है कि अगले चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी आयेगी पर बहुमत नहीं आयेगा। हमारी पार्टी की जो कुछ भी संख्या आयेगी तो हम कांग्रेस को मदद करेंगे। आपका विश्लेषण यह है, आप कितनी लम्बी-चौड़ी दीवार और मीनार बना रहे हो। उनके विश्लेषण व्यवहार के हैं और बिल्कुल तथ्यात्मक है। इसलिये उनसे थोड़ा-सा आसपास ही बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, आप चिन्ता नहीं करें। अभी छह महीने हैं। अब यह टूटने वाली नहीं है। छह महीने का टाइम बाकी है। अटलजी ने स्टेटमेंट का खण्डन कर दिया, न तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब आपको स्वान्तः सुखायः है तो करिये। खैर, अखबारों की समीक्षा (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : (व्यवधान)... एक भी नहीं आएगा, यह तो अनुचित है। यह कतई उचित नहीं है। आपके मुंह से शोभा नहीं देता (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मैं आपके लिए छोड़ता हूं।

श्री शीशराम ओला : आप और हम तो एक ही हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि एक नहीं आने की बात कहना बहुत उचित नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलो एक और स्टेट आपकी। (व्यवधान).... मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वर्तमान चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए, जो गुजरात में हुए, जो आंध्र में हुए, जो कर्नाटक में हुए, जो बिहार में हुए, इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी हिन्दुस्तान के भूतकाल की पार्टी हो गयी है और इसका कारण ...

श्री भगराज चौधरी (आहोर) : ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप तो पब्लिक स्पीच दे रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आप पब्लिक प्लेटफार्म पर भाषण दे रहे हैं। आप बजट पर नहीं बोल रहे हैं। बजट भाषण पर आप किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं बता रहे हैं.... (व्यवधान).... हम आपकी बात सुनते-सुनते उकता गये हैं। ऐसी बातें तो आप बाहर जाकर बोलें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, कृपा करके यह बतायेंगे कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में पहले भी हारी और हारने के बाद वापस भी आयी है। आंध्र में कांग्रेस हारी है, आपकी पार्टी वहां आयी। तो कांग्रेस हारती है, कांग्रेस वापस भी आती है। यह तो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, इसमें आप किस बात की बांहें फुला रहे हो ?

श्री खेतसिंह राठोड़ (शेरगढ़) : कांग्रेस का काहे का मुकाबला, दो सीटों पर आ गये तो कांग्रेस का मुकाबला। कमाल की बात करते हो, कहां कांग्रेस और कहां आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस कुछ भी नहीं है और शून्य हो गयी है तो आप इतना लम्बा चौड़ा भाषण कांग्रेस के खिलाफ क्यों दे रहे हो ? कांग्रेस को तो आपने शून्य कर दिया, अब शून्य के खिलाफ आप क्यों इतनी लम्बी-चौड़ी तकलीफ कर रहे हो। कांग्रेस आज भी है, कांग्रेस कल भी है और गये वाले कल भी एक राष्ट्रीय पार्टी थी। आज भी है और कल भी रहेगी। यही पार्टी है जो देश को चला सकती है। बी. जे. पी. देश को कभी नहीं चला सकती। लिख लीजिए तिवाड़ी जी, बी. जे. पी. कभी भी दिल्ली के अन्दर आपकी और हमारी उम्र में नहीं आयेगी।

श्री शीशराम ओला : आप कभी भी पांच साल सरकार नहीं चला सकते। न राजस्थान में चलाई, न दिल्ली में। आपको

(श्री शीशराम ओला)

कभी यह सौभाग्य उपलब्ध ही नहीं होगा कि आपकी सरकार आवे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस बार आपको पांच साल उधर ही रहना पड़ेगा । माननीय रामनारायण जी की बात से मैं सहमत हूं । कांग्रेस पार्टी हारी फिर आयी लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में हारकर दूसरे नम्बर पर थी, बिहार में हारकर भी दूसरे नम्बर पर थी, अब कांग्रेस पार्टी या तो हार रही है और हारकर तीसरे नम्बर पर जा रही है और इस बार इसी प्रकार आप लोक सभा में भी हारेंगे तो ...

श्री रामनारायण चौधरी : लोक सभा में कहीं भी थे परन्तु आपकी तो तीन-चार सीटें थीं ।

श्री शीशराम ओला : तीन सीट आयी थीं लोक सभा में 1980 में, तीन ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपकी आत्मा को ज्यादा ठेस नहीं पहुंचाना चाहता । बारह महीने बाद यह परिणाम आयेंगे तो उस परिणाम से (व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप एक परिणाम तो मानकर चलें कि जो वर्तमान है, उसको भूत होने में देर नहीं लगती और जो भूत है, उसको वर्तमान होने में देर नहीं लगती । इसलिए जो वर्तमान है वह आने वाले एक साल के अन्दर भूत हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वर्तमान को तो भूत होने में देरी लगेगी लेकिन भूत को पलीत होने में देरी नहीं लगेगी ।

श्रीमती कमला : पलीत तो कोई नहीं होगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो बजट है, यह गांवों के विकास का है । अब इस राजस्व खर्च में 62 प्रतिशत डवलपमेंट में खर्च हो रहा है । इसलिए राजस्व खर्च की बात करना, कर्ज बढ़ने की बात करना, सड़कें कम बनीं, इसके गलत आंकड़े देना, यह सारे आंकड़े इस बात को प्रमाणित करते हैं कि राजस्थान सरकार का वित्तीय प्रबन्धन हिन्दुस्तान की सब सरकारों में सर्वश्रेष्ठ है, यहां तक कि भारत सरकार से श्रेष्ठ है ।

पहले हमारा बजट शिक्षा को समर्पित था । इस बार का बजट चिकित्सा को समर्पित है और यह जो बजट बनाया गया है ... (व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : शिक्षा में कई कान्स्टीट्यूएन्सीज में तो एक हाई स्कूल भी नहीं दी । पांच हजार स्कूलें कांग्रेस सरकार की खोली हुई आपने बन्द कर दीं । जो एक सड़क पचास हजार रुपये में बनती थी, उसकी पांच लाख रुपया आज कॉस्ट है । उसको देखिये, उसका अन्दाजा लगाइये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं अन्त में आपसे निवेदन कर रहा था कि यह बजट राजस्थान की सरकार ने जो रखा है वह सन् 2000 में जाने से पहले राजस्थान के हर गाव में बिजली, सड़क, चिकित्सा, स्कूल उपलब्ध कराने और राजस्थान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का यह बजट है ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस बजट के लिए राजस्थान की सरकार बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद की पात्र है। कांग्रेस पार्टी को अपना भविष्य दीवार पर लिखा हुआ समझ लेना चाहिए कि वह भूतकाल की पार्टी हो गयी है और भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शीशराम ओला : हमें यह नहीं पता था, घनश्याम जी, आप ज्योतिष भी जानते हैं। आप तो अच्छे ज्योतिषी हो रहे हैं। कांग्रेस रहेगी, रही है, कांग्रेस शासन करेगी, किया है। यह राष्ट्रीय पार्टी है।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, आदरणीय घनश्याम जी तिवाड़ी का बहुत ही सारगर्भित भाषण सुना। मैं तो समझता था कि शायद उनसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी बजट पर, लेकिन उसके बजाय और ही ज्ञान प्राप्ति देने में वह इस सदन में लगे रहे।

सभापति महोदय, जब से राजस्थान बना, जब से इस विधान सभा में बजट पेश होने लगे, उस वक्त से लेकर आज तक गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, साधनों की कमी, पीने के पानी की कमी, यह सभी बातें अनुत्तरित थीं (व्यवधान) सभापति महोदय, जब से राजस्थान में विधान सभा बनी, बजट आये और बजट कुछ अच्छे कहलाये, कुछ दिशाहीन कहलाये लेकिन राजस्थान की जो मूलभूत समस्याएं थीं, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, वह सवाल जैसे हमेशा अनुत्तरित रहे वैसे ही इस बजट में भी गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता में कोई कमी आयेगी, उस सवाल पर यह बजट भी अनुत्तरित रहा है।

सभापति महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपीटल रिसीट्स, फिस्कल डेफिसिट, 1994–95 के बजट में 134.25 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक घाटा बताया, संशोधित अनुमानित घाटा 206.31 हुआ, कुल बजटीय घाटा 340.56 करोड़ रुपये रह गया और उसके बाद में एक एडिशनल एक्सपेंडीचर के नाम पर 372.76 करोड़ रुपये की बात कही गयी और अन्त में जो 134.25 करोड़ रुपये का घाटा 645.49 करोड़ रुपये का हो गया। जो अभी कुशल वित्तीय प्रबन्धन की बात करते हैं तो मैं तो समझता हूं कि कुशल वित्तीय प्रबन्धन तो तब होता है जब कि आपके आंकड़े कम से कम...

(15.40)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

नजदीक के होते हैं। अगर आपके आंकड़े 134 करोड़ रुपये के थे और बाद में वह घाटा 645.49 का हो गया तो मैं समझता हूं यह कोई अच्छा कुशल वित्तीय प्रबन्धन नहीं था। इस घाटे को आपने मितव्ययता, नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर में कमी कराकर रेवेन्यू रिसीट्स में बढ़ोतरी दिखाकर और अल्प बचत को समाप्त करके दिखाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारत सरकार का घाटा कितना-कितना बढ़ा ? यह 6100 करोड़

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रुपये हो गया। पिछली बार 1990 से 98 पर्सेण्ट से 118 पर्सेण्ट बढ़ा उसके बाद उसके पहले साल में 122 पर्सेण्ट बढ़ा। जो बजट अनुमान थे उससे सौ-सौ पर्सेण्ट, 120-120 पर्सेण्ट बढ़ता गया। वह वित्तीय प्रबन्धन कैसा था ?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल भारत सरकार के वित्तीय प्रबन्धन का नहीं कर रहा हूं। बात यहां यह उठी, जो मूल प्रश्न बजट की चर्चा में आये हैं वे चर्चा में आयें। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और कर्जे की बात, यहां तक कि भारत सरकार क्या कर रही है, यह हम राजस्थान विधान सभा में बैठकर चर्चा कर रहे हैं ... (व्यवधान) वह भी मैं बता दूंगा। मैंने तो आपको टोका नहीं था, माननीय तिवाड़ी जी और आप अगर ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके + + + ने टोका है तो मैंने कहा + + + को टोको। वह मेरे बराबर के नहीं थे, आप कम से कम बराबर के हो। वह मेरे बराबर के नहीं हैं, यह मेरे बराबर के हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह बदला इनसे निकाल रहे हो, + + + की दुश्मनी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह मेरे बराबर के नहीं है, यह मेरे बराबर के हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त प्रबन्धन की बात है तो यह कोई अच्छा वित्त प्रबंधन नहीं है। आपकी इसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। आपने 645.49 करोड़ के घाटे को आपने यह कह कर कि हमने मितव्ययता से, नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर में कमी करके, रेवेन्यू रिसीट्स में बढ़ोतरी करके या अल्प बचत से समाप्त किया है। मैं समझता हूं, अगर ट्रांसपेरेंसी की बात होती तो मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो इस बात का अवश्य जवाब दें कि 645 करोड़ का घाटा उन्होंने कौनसे, किस तरह से, किस-किस मद में, कितना किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मितव्ययता की अगर बात करते हैं तो पिछले एक साल में इस सरकार ने दो बातों पर मितव्ययता कम करने की बात कही। एक तो सरकारी दफ्तर में किसी तरह का चाय-पानी या एण्टरटेनमेंट का खर्चा नहीं हो लेकिन, दूसरा मुख्य निर्णय लिया कि गाड़ी के वाहनों में जो सबसे बड़ा खर्चा होता है उसका मैं आपको नमूना पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले 30 अप्रैल, 1994 को उन्होंने एक आदेश निकाला, पूरा लम्बा-चौड़ा आदेश, उस आदेश में यह कहा कि जहां रेल की व्यवस्था है या हवाई जहाज की व्यवस्था है तो वहां सरकारी विभाग के सरकारी लोग गाड़ी लेकर नहीं जाएं। यह आर्डर यों का यों धरा रहा। इसके अन्दर किसी ने पालना नहीं की तो फिर 4 जून, 1994 को दूसरा आर्डर निकाला और उसमें यह निकाला कि कोई नयी गाड़ी नहीं खरीदी जाए लेकिन उससे भी मितव्ययता नहीं बची, न ही कुछ खर्च में कमी आयी

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री विष्णु मोदी)

तो 7 अक्टूबर, 1994 को फिर तीसरा आदेश निकाला और उस आदेश में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के उपरांत अभी भी जो स्थान वायु सेवा एवं रेल सेवा से जुड़े हुए हैं, उन स्थानों को राजकीय वाहनों से यात्रा करने के प्रस्ताव बिना समुचित कारणों से प्राप्त हो रहे हैं। मतलब पहले आर्डर निकाला. उसकी पालना नहीं हुई। दूसरा आर्डर निकाला, उसकी पालना नहीं हुई और फिर सरकार को तीसरा आर्डर निकालना पड़ा। जो मितव्ययता की बात बजट में करते हैं उनके यह अपने आदेश ही उनके अपने अधिकारी मानने के लिये तैयार नहीं हैं। फिर फाइनली 8 मार्च, 1995 को इसी सरकार को चौथा आदेश निकालना पड़ा कि हमने पूर्व में आदेश दिये हैं कि इस तरह की मितव्ययता हो। इस तरह से चार आदेश निकल गये लेकिन न उनसे वह रुकने वाला था, न रूका और न आगे रूकेगा। इन्होंने जो 645.49 करोड़ का जो घाटा है उसमें बताया है पहला कारण इस घाटे को मितव्ययता से, नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर में कमी करके, रेवेन्यू रिसीट्स में बढ़ोतरी से समाप्त किया जाएगा तो this is not transparent आपने एक तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट 134 और फिर जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स लाये आप, एडिशनल डिमांड्स, उसमें 206.31 और उसके बाद में कुल 340, लेकिन था 645, तो उसमें एक नया कॉलम जोड़ दिया। वह कौनसा वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा है यह मुझे तो समझ में नहीं आया। एडिशनल एक्सपेंडीचर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ट्रांसपेरेंसी नहीं है और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो कम से कम अगर वह मदवार बतायेंगे तो समझ में आयेगा कि किस तरह से यह कम हुआ है लेकिन जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट का सवाल है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार ने शुरू किया या बैद जी ने ज्यादा बजट पेश किये या इन्होंने ज्यादा बजट पेश किये, अगर कहीं कमिटमेंट की बात होती, अगर कहीं असली वित्तीय प्रबधन की बात होती तो हमें यह कहने को मिलता कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को घटायें। रेवेन्यू डेफिसिट घटेगा तो हमारे पास सरप्लस होगा लेकिन आज बिलकुल उलटी स्थिति चल रही है कि एक हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स हैं, दूसरा हमारे पास केपीटल रिसीट्स है। केपीटल रिसीट्स में अगर डेफिसिट हो तो समझ में आता है क्योंकि केपीटल रिसीट्स वह अमाउट है चाहे पी एफ. का है, ई.एफ.आई. का है कि जिसका हमें देना है, जिसको लौटाना है लेकिन उसमें डेफिसिट होता है तो यह समझ में आता है कि हम वह इन्वेस्टमेंट्स डवलपमेंट के लिये कर रहे हैं, वह ऐसे असेट्स क्रियेट कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में हमें उसका डिविडेंड मिलेगा लेकिन यहां कुल मिलाकर उलटी स्थिति बनी हुई है कि रेवेन्यू रिसीट्स में तो डेफिसिट है और केपीटल रिसीट्स में सरप्लस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी अर्थशास्त्र में यह अच्छा कुशल वित्त प्रबन्धन नहीं है।

पिछले कई सालों से इस देश में रेवेन्यू डेफिसिट के अलावा फिस्कल डेफिसिट की बात भी चली आ रही है। राजस्थान सरकार के इस बजट में फिस्कल डेफिसिट नाम की भी कोई चीज नजर नहीं आती

(श्री विष्णु मोदी)

और यही एक असली बात है। जहां तक कर्ज लेने की बात है, आदरणीय तिवाड़ी जी, कर्ज लेना गलत नहीं है। कर्ज लेकर आप डवलपमेंटल एक्टीविटीज में लगायें, स्वागत है, निश्चित रूप से लगायें लेकिन कर्जा लेकर कर्ज को चुकाये, मैं समझता हूं कि वह कहीं भी अच्छी वित्तीय प्रबंधन की स्थिति नहीं है और फिस्कल डेफिसिट की जो स्थिति है, वह बढ़ती जा रही है। एक अर्थशास्त्री नाथूराम जी का कहना है कि यह करीब चार हजार करोड़ है। दूसरे पनगड़िया जी, जो इकनोमिस्ट हैं, उनका कहना है कि यह छह हजार करोड़ से भी पार कर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि वह आगे आने वाले बजट में फिस्कल डेफिसिट भी निकालें और इस बात की व्यवस्था करें कि कर्ज को कर्ज से चुकायेंगे तो आप राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उन देनदारियों में इस साल के बजट का जो घाटा है वह जोड़ देने से फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री विष्णु मोदी : हां, वह हो जाता है लेकिन उसमें कई सारी और बातें भी हैं। फिस्कल डेफिसिट इतना सीधा ही अगर निकलने को आता है तो माननीय मुख्यमंत्रीजी के बजट भाषण में फिस्कल डेफिसिट भी आ जाता। तो मैं, यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगली बार जब आप बजट पेश करें, अगर, तो उसमें फिस्कल डेफिसिट भी बतायेंगे तो मेरा ख्याल है, (व्यवधान) आपके अच्छे कुशल वित्तीय प्रबंधन की बात उसमें आएगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 31 सौ करोड़ है।

श्री विष्णु मोदी : पनगड़िया जी का कहना है कि वह 6 हजार करोड़ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तिवाड़ी जी का भी मान लो आप।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रुपया कहां से आता है और कैसे जाता है, आंकड़ों में बहुत ज्यादा विस्तार में माननीय चन्दनमल जी ने बताया, घनखड़ साहब ने भी विस्तार से बताया लेकिन मोटी-मोटी बात है कि हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू से 17 पैसे आता है। बाकी के जो मेजर हैं वह सैल्स टैक्स 10 पैसे हैं। मैं, यह बात इसलिये कहना चाहता हूं कि जहां तक टैक्स की स्थिति है, आज सैल्स टैक्स में यह तो एक गिमिक रह गया क्योंकि कोई भी सरकार आलरेडी मैक्सिमम लेवल पर टैक्स पर आ गयी। टैक्स लगाने से पहले टैक्स पेइंग कैपेसिटी, आज सभी स्टेट्स में टैक्स पेइंग कैपेसिटी नहीं रही है क्योंकि आलरेडी आप्टिमम लेवल पर आपके टैक्स स्ट्रक्चर हैं। उसमें आप कभी कुछ कम करके, कुछ बढ़ा करके वह खाली गिमिक कर सकते हैं लेकिन आपके पास उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपको एडजोइनिंग स्टेट्स में क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपके पास सिवाय नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के अलावा कोई रास्ता बचा

(श्री विष्णु मोदी)

नहीं। अगर वास्तव में आज स्थिति का हम आकलन करें और आत्म-विवेचन करें तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रही है और अगर हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ायी और जहां तक रुपया जाने का सवाल है, उसमें 47 पैसा तो हमारा नोन-प्लान एक्सपेंडिचर है और खाली 22 पैसा प्लान एक्सपेंडिचर है। 47 पैसा नोन-प्लान एक्सपेंडिचर, 22 पैसा प्लान एक्सपेंडिचर, आदरणीय तिवाड़ी साहब,.. (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 30 पैसा है, 8 पैसे और आगे लिखा हुआ है।

श्री विष्णु मोदी : 22 पैसे है, यह आप ही की किताब है लेकिन आपका प्लान खाली 22 पैसा है। 30 पैसे मान लेते हैं, वैसे इस किताब में तो नहीं है। आज स्थिति यह है कि आपके पास एक सबसे बड़ी बात कहने की है कि हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ रुपये से साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की बना दी। लेकिन अपने रिसोर्सेज क्या हैं? आप उस कर्जे को चुकाने के लिए फिर आप कर्जा लेंगे। आज स्थिति यह है कि आप जब तक नोन-प्लान एक्सपेंडिचर को कम नहीं करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को कम नहीं करेंगे तब तक आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, टैंथ फाइनेंस कमीशन, क्योंकि स्टेट में पैसा सैण्ट्रल से आता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक आदत-सी बन गयी है कि जहां अपनी इन-एफीशिएंसी हो तो दूसरे को गाली निकालो, भारत सरकार को गाली निकालो, उन्होंने कहा कि टैंथ फाइनेंस कमीशन की और बहुत सारी रिकमण्डेशन्स हैं। उन्होंने बखान कर दिया, करीब 9 बातें अपने बजट भाषण में कि प्राकृतिक आपदाओं में इतना ज्यादा मिलेगा, इसमें इतना ज्यादा मिलेगा, इसमें इतना ज्यादा मिलेगा लेकिन खाली बातें की गयीं, रेवेन्यू डेफिसिट को कम नहीं कर सके। उस पर कह दिया कि नाइंथ फाइनेंस कमीशन की जो नार्मेटिव अप्रोच थी, उसको उन्होंने नहीं माना इसलिए हमारी ग्रांट कम की। मतलब जो अपनी इनएफीशिएंसी है, उसका भी भार दूसरे पर डालने की आदत है। मैं समझता हूं, यह कोई हैल्दी प्रैक्टिस नहीं है। हम फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया कि वह फेडरल स्ट्रक्चर में विश्वास नहीं करती, फाइनेंस कमीशन कोई कांग्रेस का फाइनेंस कमीशन नहीं था और फाइनेंस कमीशन के सामने खाली एक राजस्थान ही नहीं है, पूरे देश के परिदृश्य में सारी बात का फैसला करते हैं। नौ बातें तो आपने कह दीं कि इससे फाइनेंस कमीशन को फायदा हुआ और एक नार्मेटिव अप्रोच में चूंकि आपका रेवेन्यू डेफिसिट.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : एक प्रश्न मैंने घनखड़जी से पूछा था, आपसे भी पूछता हूं। क्या यह सही नहीं है कि राव साहब, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके होम स्टेट को 753 करोड़ रुपये का (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता है जो आन्ध्र की यह बता रहे हैं। राजस्थान लूजर है, कौन

(श्री विष्णु मोदी)

गेनर है, यह फिगर मुझे पता है, लेकिन आपके मुख्य मंत्रीजी ने, आदरणीय वी. पी सिंह जी, नौ बातें अपने बजट भाषण में टेंथ फाइनेंस कमीशन की बतायी हैं (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसमें यह भी लिखा है कि....

श्री विष्णु मोदी : अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि आयकर को केन्द्रीय करों में से शुल्क और डिविजिबल पूल में ले आये। अबकी बार अगर आपने माननीय मनमोहन सिंहजी का बजट भाषण सुना होगा तो उन्होंने 1994-95 से स्टेट एलोकेशन किया है वह 22 पर्सेण्ट ज्यादा किया है। 1995-96 में the centre has contributed 22% more.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कहां-कहां, कौन-कौन सी स्टेट को किया है, वह जरा देख लें।

श्री विष्णु मोदी : आप जो पढ़ रहे हैं, मुझे उसकी जानकारी है। वह इससे कहीं रेलेवेंट नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कैसे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़ापन हमारा मान लिया, डिविजिबल पूल में सारे टैक्सेज को ले आये, यह मान लिया, फिमन रिलीफ के लिए कोष बना दिया, यह भी मान लिया लेकिन हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कम नहीं कर सके, उसको खत्म नहीं कर सके, उसका हमारे पास कोई लाजिक नहीं था। इसलिए कह दिया कि नार्मेटिव अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए हमारी ग्रांट कम हुई। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जब हम फेडरल स्ट्रक्चर में जी रहे हैं तो हमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में ही मानकर चलना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट भाषण में इस सदन से और माननीय सदस्यों से सुझाव मांगे और किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे कि सबसे पहला सुझाव तो यह है कि प्राइवेट सैक्टर से बिजली ली जाय, उत्पादन किया जाय या नहीं किया जाय, मैं समझता हूं वह अपने आप में विरोधाभास है। गवर्नर एड्रेस में, प्रेस कांफ्रेंस में और जब बिजली की चर्चा आती है तो वह चार-साढ़े चार हजार मेगावाट प्राइवेट सैक्टर में बिजली पैदा करने की बात करते हैं और कहते हैं कि उससे पावर की सिचुएशन ठीक हो जायेगी और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि यह गंभीर मुद्दा है, इस पर सदस्य अपने सुझाव दें। मैं समझता हूं यह अपने आप में विरोधाभास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, a begger can never be a chooser. आपके पास पैसे नहीं हैं, बिजली की 44 पर्सेण्ट कमी रहने वाली है और उसके बाद में आप बिजली बोर्ड की कमियां दूर कर सकते नहीं, आपके पास में कोई स्थिति नहीं सिवाय इसके कि आप प्राइवेट सैक्टर के अन्दर जायें और उस प्राइवेट सैक्टर से बिजली लेवें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर जो सुझाव उन्होंने मांगे हैं उसी पर अपने आपको कन्फाइन करते हुए

(श्री विष्णु मोदी)

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट सैक्टर-की बिजली राजस्थान में ढाई रुपये से तीन रुपये से कम यूनिट की नहीं मिलने वाली है और उसमें भी प्राइवेट कम्पनी अगर हण्ड्रेड पर्सेण्ट ग्रोन्ड (owned) कम्पनी हुई तो आप उसका कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा इस मुद्दे पर मुख्य सुझाव यह है कि स्टेट चाहे एक पर्सेण्ट, दो पर्सेण्ट, चार पर्सेण्ट जितनी अपनी स्थिति हो वह इस प्राइवेट जनरेशन के अन्दर इक्विटी पार्टिसिपेशन करे। इक्विटी पार्टिसिपेशन करने से यह होगा कि उस कम्पनी के अन्दर की जितनी बातें हैं उसमें, क्योंकि आपके कई नार्म्स होंगे आपका कितना एक्सपेंडिचर है, उस पर भारत सरकार ने कहा कि 16 पर्सेण्ट से ज्यादा आप रिटर्न नहीं ले सकते, तो 16 पर्सेण्ट रिटर्न के लिए उसके कई पैरामीटर्स होंगे और उस पैरामीटर्स को तब तक आप पूरी तरह से नहीं जान सकेंगे, जब तक आप उसके 'बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स न हों। जो भी प्राइवेट सैक्टर जनरेशन में आये, उसमें मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि वह अपना इक्विटी पार्टिसिपेशन निश्चित रूप से करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, चूंकि यह सरकार की मानसिकता नहीं है, भले ही भाई राजपालसिंहजी का भाषण हो, चाहे तिवाड़ीजी का हो, इस भाषण से बिजली और पीने के पानी की समस्या और 600 करोड़ रुपये का डेफिसिट है, वह चुटकियों में पूरा नहीं हो पायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी राष्ट्रीय सहमति की बातें करते हैं लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की कीमत के बारे में सबसे पहले आन्दोलन चला था तो आपने ही चलाया था। आपने ही एक आदमी की लाश के ऊपर राजनीतिक रोटी सेंकने की कोशिश की थी। अब आप रेट बढ़ाने की बात किस मुंह से करेंगे? आप जब यहां बैठते थे तब आपको राज के विकास की चिन्ता नहीं थी आपको सिर्फ राजनीति करने की चिन्ता थी। अब जब आप वहां बैठे हैं तब आपको पता लगा कि रेट कैसे बढ़ायेंगे और अगर नहीं बढ़ायेंगे तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : मैं पांच मिनट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : पूरे 25 मिनट हो जायेंगे आपको। आज की स्थिति यह है कि मैं दस मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा।

श्री विष्णु मोदी : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की जहां बात है, स्टेट को आगे ले जाने की बात है, वहां अगर राजनीति से हट कर सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से विकास करेंगे।

जहां तक टैरिफ बढ़ाने की बात है, उस पर निश्चित रूप से रिटर्न मिले। मैं यहां पर एक बात कोट करना चाहता हूं। स्वर्गीय जोशीजी ने 1986 के बजट भाषण में यह मसला उठाया था जो माननीय मुख्य

(श्री विष्णु मोदी)

मंत्रीजी ने, आज इस बजट में पूछी है, वह स्वर्गीय जोशी जी ने जो बात उठायी थी वह मैं कोट कर रहा हूं। जोशीजी ने कहा था कि आज स्थिति यह है कि लगी हुई पूंजी पर लाभांश तो दूर, परियोजनाओं के रख-रखाव के खर्च तक नहीं निकल पाते हैं। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या विकास के पहले चरण के फलों का उपभोग करने वालों का पिछड़े और प्रतीक्षारत वर्गों के प्रति कोई नैतिक कर्तव्य एवं दायित्व है या नहीं। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि विकास में लगी पूंजी पर न्यायोचित लाभांश प्राप्त कर हम उसे पुनः विनियोजित करें और विकास के दायरे को बढ़ा कर जरुरत-मंद तबके और प्रतीक्षा करने वालों तक पहुंचायें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खुशी है मुझे इस बात की कि 1986 में आप इधर बैठते थे तब यह बात आपके समझ में नहीं आयी। उस वक्त के मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भाषण पढ़े हैं, उसमें किसी ने कोई कन्स्ट्रक्टिव जवाब नहीं दिया है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुख्य मंत्रीजी ने यह सवाल सदन के सामने रखा है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप टैरिफ निश्चित रूप से बढ़ावें और उतनी बढ़ायें कि आपको उससे सब्स्टेंशियल रिटर्न मिले। खाली मेन्टीनेंस की बात नहीं है, रिटर्न भी मिले। लेकिन टैरिफ बढ़ाने से पहले आपको वहां का करप्शन बन्द करना पड़ेगा, आपको इन-एफीशिएंसी बन्द करनी होगी, आपको अकाउण्टेबिलिटी फिक्स करनी होगी। अगर आप यह सब बातें नहीं करेंगे तो you have no right कि आप खाली टैरिफ बढ़ाने की बात करें। पहले आप अपने आप के अन्दर अवलोकन करें। आज आप बिजली विभाग के लाइन लासेज को कम नहीं कर सकते, आप बिजली की चोरी रोक नहीं सकते, बिजली विभाग के भ्रष्टा-चार को आप मिटा नहीं सकते और उसके बाद आप सारी बात खाली टैरिफ पर डाल देंगे। आप टैरिफ बढ़ाइये, उसका रिटर्न मिलना चाहिये जिससे गरीब आदमी, जिसको आजादी के बाद में आज तक कोई फल नहीं मिला है, को फल मिले लेकिन उससे पहले अपने आप में निरीक्षण करके

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : आपको ये बातें खतम करनी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

(16.00)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी होगी। मुझे अफसोस हुआ, हमारे यहां जो कुछ हिडन चीजें हैं हम उनको एक्सप्लायट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जिक्र होता है कि आज आप वेस्टर्न राजस्थान के अन्दर नेचरल गैस का एक्सप्लायटेशन, पैट्रोल का एक्सप्लाय-टेशन, लिग्नाइट का एक्सप्लायटेशन, टूरिज्म एवं इण्डस्ट्रीज बढ़ाकर इस स्टेट के अन्दर वर्किंग कल्चर पैदा करके आप कर सकते हैं।

(श्री विष्णु मोदी)

अन्त में, मैं अपनी बात इस पर समाप्त करूंगा जो कि आपने औद्योगिक नीति, खनिज नीति, मार्बल नीति के ऊपर राय मांगी है। ये ऐसी नीतियां हैं कि सभी राज्यों की नीतियां आयी हैं, आप इसके लिए अलग से समय निकालें, उसके लिए समय फिक्स करायें तभी इस पर कोई सार्थक बहस होगी। जहां तक सड़क नीति का सवाल है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि न तो सड़क मंत्री ने पढ़ी होगी, न मुख्य मंत्रीजी ने पढ़ी होगी कि इसके अन्दर एक्शन प्लान क्या होता है और नीति क्या होती है। नीति को आफसेट प्रिंटिंग में छपवा कर और यह कहकर कि हम पुलिया बनाते वक्त में नींव की जांच करेंगे और मशीनों का उपयोग करेंगे, यह कोई नीति नहीं है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इसको तो वापस लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय रमाकांतजी। विराजें।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम निर्दलीयों की कब बारी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय, आयेगी आपकी। आप विराजें। माननीय रमाकांतजी।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट के अन्दर जिस एक शब्द ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : कौन से शब्द ने ?

श्री रमाकांत : बीच में क्यों बोलते हो ? कोई जरूरी है आप बीच में बोलें ? अक्सर जब हम बजट की बात करते हैं तो विकास एक प्रकार से मुख्य मुद्दा होता है परन्तु इस बजट के अन्दर प्रारम्भ में ही यह कहा गया है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय, पूर्ण समता आये। यह बजट की एक दिशा है, यह सरकार की मानसिकता है, वित्त मंत्री के दिमाग के अन्दर क्या है, क्या करना चाहते हैं, वह बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। आज के युग के अन्दर जब भारत सरकार घोर पूंजीवाद से ग्रस्त है, घोर पूंजीवाद लाना चाहती है, वह लोग जो मिक्स इकानामी की बात करा करते थे, गरीब आदमी के लिए और जो टार्गेटेड ग्रुप है, वह टार्गेटेड ग्रुप भी आगे आना चाहता है, वह सब भूल चुके हैं। उस सारे के सारे वातावरण के अन्दर आज राजस्थान के बजट के अंदर इस बात को याद दिलाया गया है कि केवल मात्र विकास नहीं, सामाजिक न्याय, पूर्ण समता भी उतनी ही आवश्यक है। अध्यक्षजी, 10 पर्सेण्ट जो रिच आदमी हैं, मालदार आदमी है, कैसा ही बजट आये, किसी प्रकार की व्यवस्था हो, कम्युनिस्ट व्यवस्था हो बंगाल की, उसके अंदर भी वह मौज कर रहे हैं, परंतु जो 50 प्रतिशत गरीब आदमी हैं और उनके साथ जो 20 पर्सेण्ट लोअर मिडिल क्लास अर्थात् करीबन 70 प्रतिशत जो आदमी हैं, बजट उन 70 प्रतिशत आदमियों के बारे में क्या सोचता है, किस प्रकार का काम करना चाहता है यह मूल उद्देश्य होना चाहिए। मैं एक प्रकार से बहुत ज्यादा मार्गदर्शन देना चाहता हूं, मैं उन लिस्टों में नहीं जाना चाहता क्योंकि सब ने बजट पढ़ा है कि इसमें पहला काम यह, रोजगार का यह, और इस तरह का यह, इन चीजों में टाइम न खराब कर मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर पूरे

(श्री रमाकांत)

तरीके से इस बात का ध्यान रखा गया है कि उन 70 प्रतिशत व्यक्तियों का किस प्रकार से सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। बजट बनाते वक्त, बजट को देखने के वक्त हमें दो-तीन बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, बजट के अंदर किस तरीके से वोल्यूम बढ़ाया जाये या किस तरीके से आय बढ़ायी जाये या किस तरीके से कर लगाये जायें जिससे आय और बढ़ जाये। दूसरी बात, किस प्रकार से व्यय किया जाये जिससे हमारा उत्पादन ज्यादा बढ़े और तीसरी बात, जो सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्रीजी ने, मुख्य मंत्रीजी ने रखी है कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले। मैं अपनी आगे की बातों के अंदर बताना चाहूंगा कि इन तीनों बातों पर किस प्रकार से ध्यान दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि सामाजिक सेवाओं की ओर इस मामले में बहुत ज्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। वह भी मैं लिस्ट आपको इन्यूमरेट नहीं करना चाहता। 1995–96 की बजट योजना के अंदर बताया गया है कि 727 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय होगा। एक बहुत बड़ा कीर्तिमान, 1989–90 के अंदर हमारी जो योजना थी 795 करोड़ रुपये और 1994-95 के अंदर कितना बड़ा जम्प-24 0 करोड़, 1995-96 के अंदर 3200 करोड़। कहा गया कि यह तो मूल्य वृद्धि हो गयी इसलिए अपने आप होना था। मूल्य वृद्धि क्या राजस्थान में ही हुई है ? सारे हिन्दुस्तान में, दूसरे प्रांतों के अंदर नहीं हुई ? इन चीजों पर हम तुलनात्मक आधार पर क्यों नहीं देख पाते और तुलनात्मक आधार पर अंतर जब हम बता रहे हैं कि सारे हिन्दुस्तान के अंदर, राजस्थान एक ऐसी जगह है जहां पर 727 रुपये प्रति व्यक्ति व्यय होने जा रहा है। 727 रुपये प्रति व्यक्ति जब हाइएस्ट है सारे देश के अंदर, उस बात को जब कहा जाता है, यह बात यहां हमारे लोगों को समझनी चाहिए।

मैं समझता हूं कि जो भी माननीय सदस्य बार-बार खड़े हुए हैं, राजस्व व्यय की बात करते हैं कि राजस्व व्यय बढ़ रहा है, मैं कुछ उदाहरण दूं उससे पहले एक बात जरूर कह देना चाहता हूं कि राजस्व व्यय तो हर विकासशील चाहे देश हो, चाहे प्रांत हो, बढ़ता ही रहेगा और बढ़ते ही रहना चाहिए। अब आप देखिये, चिकित्सा में 1991–92 के अंदर 157.46 करोड़ रुपये था, अब 1995–96 के अंदर 286 करोड़ रुपये हो गया। शिक्षा के अंदर 1991–92 के अन्दर 880 करोड़ रुपये था, 1995–96 के अन्दर 1623 करोड़ रुपये हो गया। ग्रामीण पेयजल के अन्दर 1991–92 के अन्दर 62 करोड़ रुपये था, 1995–96 के अन्दर 100 करोड़ रुपये हो गया। आपका ख्याल है कि यह 157 से 286 करोड़ रुपये या 880 से 1623 करोड़ रुपये नहीं होना चाहिए ? यदि नहीं होगा तो हम जो इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, पिछले साल जब स्कूल खोले और उनके अन्दर अध्यापक नये लगेंगे तो शिक्षा के अन्दर राजस्व व्यय में तो वृद्धि होगी। यदि चिकित्सा के अन्दर हमने नये-नये सब-सेंटर खोले या हमने और चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाई या दवाइयां बढ़ाई तो नेचरली व्यय तो बढ़ेगा। तो यह सोचने की बात है कि हम राजस्व व्यय में बढ़ोतरी करके इस प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं हैं उन सामाजिक सेवाओं

(श्री रमाकांत)

में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, अच्छी सेवाएं देना चाहते हैं क्या हम वह नहीं करें ?

एक बड़ी अजीब सी बात कही गयी इधर की तरफ से अभी-अभी थोड़ी देर पहले कि शहरी जल परियोजनाओं पर तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, ग्रामीण जल योजनाओं पर खर्च नहीं किया गया। यह किसकी देन है ? यदि अंग्रेजों ने सिर्फ शहरों ही शहरों का और अंग्रेजों के पदचिह्नों पर चलने वाली पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से शहरों में यह स्थिति पैदा कर दी जो गांवों के अन्दर वह चीज नहीं हैं, गांवों में तो अभी शुरूआत हो रही है। अब क्या जयपुर की जल योजना, जोधपुर की जल योजना, उदयपुर की जल योजना, जो बड़े-बड़े शहरों की जल योजनाएं हैं, उसके ऊपर जो योजनाएं बढ़ी हैं और उस समय गांवों को उन्होंने पिछड़वा दिया तो इस पर व्यय तो होगा ही। इसलिए जो शहरी एक प्रकार का आधार स्तम्भ बन गया है, उस आधार स्तम्भ के रख-रखाव के लिए निश्चित है कि उसके ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। एक प्रकार की भ्रांति इस सदन के अन्दर पैदा कर मैं समझता हूं कि हम कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। देखने की बात यह है कि राजस्व व्यय के बारे में ट्रेंड क्या है और यह ट्रेंड बहुत ही सुखद ट्रेंड है। यह तो मैं मानता हूं, यह तो मैं कहता हूं कि राजस्व व्यय तो अभी क्या है, 5 साल के बाद राजस्व व्यय हमारा, जो भी कुछ राजस्व व्यय, जिस भी स्थिति के अन्दर, जिस भी मामले के अन्दर, 1623 करोड़ रुपये का है, मैं कह सकता हूं कि 5 साल बाद करीब-करीब 5 हजार करोड़ होगा और निश्चित ही होना भी चाहिए। पर ट्रेंड क्या है ? इस सरकार का इस बारे में सोच क्या है ? राजस्व प्राप्तियां हमारी 1994–95 के अन्दर अनुमानित 6051.67 करोड़ रुपये थी, एक्चुअल जो हुई 6432, तो इन्क्रीज क्या हुआ हमारी राजस्व प्राप्तियों के अन्दर, 6.3 पर्सेण्ट और उसी राजस्व व्यय के अन्दर अनुमानित थी 6534 और एक्चुअल हुआ 6852 तो इन्क्रीज हुआ केवल मात्र 4.86 पर्सेण्ट। जब बजट बनाया गया, माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर था। चाहे फर्क एक पर्सेण्ट का, दो पर्सेण्ट का ही हो, परन्तु इस बात का ध्यान था कि राजस्व प्राप्तियां ज्यादा होनी चाहिए, राजस्व व्यय कम होना चाहिए और एक स्थिति जैसी कि विकसित देशों की है, अमेरिका के अन्दर हो या इंगलैण्ड के अन्दर हो, जो पूर्ण तरीके से विकसित देश हैं वहां पर विकास का पैसा भी राजस्व प्राप्तियों से ही खर्च होता है। परन्तु हमें न जाने कितने साल लग जायेंगे उस स्थिति में पहुंचने के लिए। परन्तु यह ट्रेंड जो सामने है, वह यह नहीं है कि राजस्व व्यय के अन्दर मनमाना खर्च कर दिया जाये। राजस्व व्यय के अन्दर मितव्ययता की गयी है और राजस्व प्राप्ति के अन्दर परिश्रम किया गया है। एक सवाल आया कि वित्तीय स्थिति किस चीज से नापी जाये। बताते हैं बड़े-बड़े विद्वान लोग यहां पर कि राजकीय कोष का घाटा बहुत बढ़ रहा है। राजकीय कोष का घाटा ही सही चीज है किसी प्रान्त की; किसी भी बजट की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है उसको देखने की।

(श्री रमाकांत)

अध्यक्ष महोदय, बहुत नम्र शब्दों में कहना चाहूंगा मैं कि कई बार कुछ इन्डीकेटर्स जो एक देश के लिए एप्लीकेबल होते हैं वह हम प्रान्तों में लगा लेते हैं और कई प्रान्तों के इन्डीकेटर हम म्यूनिसिपैलिटीज के बजट में लगा देंगे तो बहुत अनर्थ हो जायेगा। यह एक इन्टरनेशनल इन्डीकेटर राजकीय कोष घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं कि किस देश की ऋण की आवश्यकता कितनी है, प्रान्त में ऋण की जो आवश्यकता है वह मुनस्सर करती है कि किस प्रकार की हमारे विकास की योजनाएं हैं और किस प्रकार की हमारी स्थिति है, क्या उन विकास योजनाओं को हम ले सकते हैं। परन्तु नेशंस के लिए, राष्ट्रों के लिए एक सारा का सारा अन्तरराष्ट्रीय इन्डीकेटर बनाया हुआ है कि राजकीय कोष का जो घाटा है, राजकीय कोष का घाट क्या होता है, अभी कह रहे थे कि यहां पर बताया नहीं जाता है। क्योंकि प्रान्त के लिए यह आवश्यक नहीं है, इसलिए नहीं बताया जाता कि किसी भी प्रान्त में नहीं बताया जाता है। राजकीय कोष घाटा है राजस्व प्राप्ति प्लस नान-रिफन्डेबल पूंजीगत आय। इसमें से यदि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को घटा दें तो जो माइनस बचता है यह आप अर्थमेटिक कर लीजिए, आपको पता लग जायेगा। वह एक प्रकार से उस प्रान्त की, उस देश की ऋण की आवश्यकताओं को इन्डीकेट करता है। अब सवाल यह है कि यह यों नहीं बताया जाता कि यहां इस बेसिस पर इस इन्डीकेटर पर ऋण नहीं लिया जाता है परन्तु देश जो ऋण लेते हैं चाहे वह जापान लेता हो, चाहे हिन्दुस्तान लेता हो वह लेते हैं वह इस व्यवस्था के आधार पर लेते हैं।

मैं एक बात और बता दूं चलिये, इस चीज को मैं तो नहीं मानता हूं कि हम प्रान्त के ऊपर भी इन चीजों को, और कई वित्तीय लोग इस बात की चर्चा करते हैं परन्तु फिर भी इस चीज को देखें कि राजस्थान का राजकीय कोष का घाटा 44 पर्सेण्ट बताया गया है टोटल एक्सपेन्डीचर का। जो बताने वाले हैं, जरा अपनी भारत सरकार को देखें कि उनका क्या है। उनका जो टोटल एक्सपेन्डीचर है वह 1 लाख 787 करोड़ है और यह जो टोटल एक्सपेन्डीचर है वह 57,634 करोड़ है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 55 प्रतिशत है जिसका राजकोषीय घाटा महत्व रखता है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा उतना नहीं होना चाहिए। एक बैलेन्स शीट अप्रोच है, उससे ही यह देखा जाता है कि भारत सरकार किस प्रकार की व्यवस्था कर रही है। राजस्थान के लिए वह आवश्यक नहीं है। मैं उन विद्वत्जनों से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से निवेदन करें कि राजकीय कोष का जो घाटा 55 पर्सेण्ट है वह वास्तव में दूसरे देशों के लिए सोचने की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रमाकान्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बोलना ही शुरू नहीं किया अभी। अभी तो 9 मिनट ही हुए हैं। मैंने घड़ी देखकर तो बोलना शुरू किया है। पहले तो माननीय सदस्य तीस-तीस मिनट बोल चुके

(श्री रमाकान्त)

हैं। आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा परन्तु दो-चार बातें बता दूं। अभी दो मिनट के अन्दर समाप्त करता हूं।

अभी यहां पर यह कहा गया कि ट्रांसपेरेन्सी नहीं है। राजकीय कोष के घाटे को भारत सरकार ने कम दिखाने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है उनका 7 हजार करोड़ रुपये के शेयर्स का डिसइन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि सारी दुनियां के लोग यह नहीं कह दें कि हमारा राजकीय कोष घाटा यहां पर 65 और 70 पर्सेण्ट है इसलिए इनको इतना ऋण नहीं मिलना चाहिए। यह ठीक कर रहे हैं। इसलिए 7 हजार करोड़ की वह ट्रांसपेरेन्सी तो नजर नहीं आयी। कितनी बात छुपाई गयी वहां पर और यहां पर जो सीधी-सीधी बातें सामने आयी हैं, वास्तव में जो एक इन्डीकेटर है वह बजट घाटा ही है, प्रान्तों के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी और किसी देश की सरकार के लिए भी। मैं पुनः अर्ज कर दूं कि राजकीय कोष का घाटा तो ऋण की आवश्यकताओं के लिए मापदण्ड है, बैलेंस-शीट है। परन्तु आवश्यकता क्या है? बजटीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के लिए ही। बजटीय घाटा भारत सरकार का 6 हजार करोड़ रुपया है और वह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि वहां जो बजटीय घाटा होता है उस सब के नोट छपते हैं। 8 हजार का है तो 8 हजार के नोट छपेंगे और 6 हजार का है तो 6 हजार के नोट छपेंगे और जितने के नोट छपेंगे उतना ही इनफ्लेशन बढ़ेगा और जितना इनफ्लेशन होगा उसी से प्रपोर्शनेट प्राइसेस बढ़ेंगी। इसलिए भारत सरकार का जो एक-एक रुपये का बजटीय घाटा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रान्त का बजटीय घाटा केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम पिछली साल क्या कर रहे थे और अगली साल हमको किस तरीके से करने का है? क्योंकि प्रांत का जो बजटीय घाटा है, उसके नोट नहीं छपते हैं। प्रान्त के बजटीय घाटे से प्राइसेस के अन्दर इनफ्लेशन नहीं आता है बिलकुल भी, परन्तु उसके बावजूद भी मैं तो इस चीज को ठीक नहीं समझता कि हमको सारे घाटे की पूर्ति कर देनी चाहिए। परंतु फिर भी साधुवाद है। कितना बड़ा घाटा है, 400-600 करोड़ रुपया था–वह सारा का सारा इस साल के अन्दर बराबर पूरा कर दिया गया। वित्त मंत्रीजी ने दिमाग में इस बात की सोची है कि राजस्थान का आखिरकार साल के अन्दर घाटा पूरा नहीं किया और यदि 100 करोड़ का, 60 करोड़ का हमने घाटा छोड़ दिया तो उसको अगली साल पूरा कर देंगे।.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह भी बता दो कि यह कैसे पूरा कर दिया।

श्री रमाकान्त : वह तो उसमें डिटेल में लिखा हुआ है और मुझे टाइम देंगे तो मैं अन्त में बता दूंगा। पहले मैं अपनी बात बता दूं। वैसे सब लिखा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि माननीय तिवाड़ीजी ने बता दिया है कर्जे के बारे में। हम जो यहां पर कहते हैं कि 2 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बढ़ता चला जा रहा है, वह भी आगे आने वाले टाइम में और बढ़ना चाहिए। जितना हम ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेंगे तभी तो हम उसको विकास के अन्दर खर्च कर सकेंगे और कर्जा लेना तो, जैसा कि इधर से भी बताया गया, किसी भी कम्पनी के लिए

(श्री रमाकान्त)

अत्यन्त आवश्यक है और हमें कर्जा यों ही नहीं मिल जाता है। राजस्थान सरकार के हर प्रोजेक्ट के बारे में योजना आयोग बैठ कर निश्चित करता है कि यह काम आप कर सकते हैं और यह संसाधन आप इस तरह से जुटायेंगे। इसलिए उनकी पूरी स्क्रूटिनी के बाद यह सारा का सारा कर्जा मिलता है। मैं नहीं समझता लेकिन बता देने के बाद भी एक दफा दुबारा बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार की स्थिति यह है कि 1978–79 के अन्दर बाहरी कर्जा 9 हजार करोड़ था और आन्तरिक कर्जा 28 हजार करोड़ था। आज 1994–95 के अन्दर 3 लाख करोड़ बाहरी हो गया और 4 लाख 25 हजार आन्तरिक हो गया और अभी कौन पूछ रहे थे कि बताया नहीं जाता। अभी-अभी छपा है कि 30 सितम्बर, 1994 को 91 बिलियन डालर का कर्जा है। यह भारत सरकार ने खुद ने अपने गजट के अन्दर छापा है। यहां बताया जाता है। अभी-अभी भी बता रहे थे कि हमारी तो योजना का जो उत्पादक खर्चा है वह 22 पर्सेण्ट है, 23 पर्सेण्ट है। भारत सरकार का 1995–96 का जो टोटल एक्सपेन्डीचर है वह 1 लाख 72 हजार 151 करोड़ है। नान-प्लान का 1 लाख 72 हजार 151 करोड़ है और प्लान का कुल मिलाकर 48 हजार 500 करोड़ है। अर्थात् नान-प्लान पर 77 पर्सेण्ट खर्चा है और 77 पर्सेण्ट खर्चा ही नहीं, इस साल के अन्दर इसमें कमी कर दी गयी है। जहां 1994–95 के अन्दर जो व्यय था भारत सरकार का प्लान पर, वह 48 हजार 761 करोड़ था और 1995–96 के अन्दर 48 हजार 500 करोड़ हो गया। मूल्य वृद्धि तो बढ़ रही है, रुपये का तो अवमूल्यन हो रहा है और उन्होंने प्लान के अन्दर जो प्रोवाइड किया है, वह घटा दिया है। यह स्थिति कम से कम राजस्थान की तो नहीं है। राजस्थान का तो योजना व्यय पिछली साल 2450 करोड़ था और इस साल के अन्दर 3200 करोड़ हो गया और अभी जो कहा गया था उसको मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भारत सरकार तो कम्प्लीटली दिवालिया हो चुकी है। 1978-79 के अन्दर लायबिलिटी से असेट्स 3300 करोड़ ज्यादा थी अर्थात् जितनी भारत सरकार की सम्पत्ति थी (व्यवधान) और आज क्या स्थिति है 1990–91 के अन्दर लायबिलिटी 77517 करोड़ ज्यादा है और 1994–95 के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी ने यह नहीं कहा कि भारत सरकार दिवालिया हो चुकी है। बजट भाषण में यह कहीं नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भारत सरकार की आलोचना नहीं की है। आपका मतलब यही है न ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, यह निरर्थक बात कर रहे हैं। आपने अपने बजट भाषण में भारत सरकार की प्रशंसा की है। उदारीकरण का आपने समर्थन किया है और यह कह रहे हैं कि दिवालिया हो चुकी है तो आपने तो अपने भाषण में ऐसा कहीं जिक्र नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो रमाकांत जी कह रहे हैं वह सही है लेकिन आप जो कह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं कि भारत सरकार की आलोचना नहीं की तो कम से कम आप तो मेरी आलोचना मत करते।

श्री अमराराम (घोद) : यह तो आपकी बड़ाई कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बड़ाई कर रहे हैं तो ठीक है। आप भी तो व्यंग्य में बोल रहे हैं।

श्री रमाकान्त : मैं एक निवेदन कर रहा था। सुनने योग्य बात है क्योंकि सम्पत्ति और देनदारी यह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए, किसी भी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि वह सरकार इस स्थिति पर पहुंच गयी है कि 1990-91 के अन्दर जो लायबिलिटी थी अर्थात् देनदारियां थीं वह 77517 करोड़ रुपये ज्यादा थीं। आज 1994-95 के अन्दर देनदारियां 1 लाख 77 हजार 217 करोड़ रुपये ज्यादा हो गयी है। 4 वर्ष के अन्दर देनदारियां अपनी सम्पत्ति से, एब्सा-ल्यूटटर्म में नहीं, जो आपके पास सम्पत्ति है, जो देनदारियां हैं उसके अन्दर 1 लाख 77 हजार करोड़ रुपये सम्पत्ति से देनदारी ज्यादा है। 4 वर्ष के अन्दर 1 लाख करोड़ रुपये की देनदारियां बढ़ा दी हैं। आप बिलकुल इनसालवेन्ट हो गये हैं। आपने बजट का अखबार देखा होगा। इसके अन्दर जो फोटो बनायी गयी है कि आन्तरिक रुपया कहां से आया....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपके बजट में तो भारत सरकार का पैसा है। आपका तो इसमें कोई दस पर्सेण्ट पैसा आयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री रमाकान्त : मैं समाप्त कर रहा हूं। भारत सरकार के बजट के अन्दर यह नक्शा बनाया है, यह टोटल बोरोइंग है।.. ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दें, उनको अपनी बात कहने दें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, यह बता दें, भारत सरकार के पैसे के अलावा भैरोंसिंहजी का कितना पैसा है।

श्री रमाकान्त : आप सुनिये तो सही।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सारे भारत सरकार का बजट बता रहे हो।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको समाप्त करने दें। कई माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं। आप बिराजें।

श्री रमाकान्त : तुलना तो करनी पड़ती है।

श्री रामनारायण चौधरी : तुलना तो करो आप, लेकिन राजस्थान को भारत सरकार से जो कुछ मिलने वाला है उसको अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास है क्या ? आपकी तनख्वाह नहीं चुके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रमाकान्त : मुझे आखिरी बात कह देने दीजिए फिर मैं एक मिनट के अन्दर समाप्त करता हूं। यहां यह बताया गया

(श्री रमाकान्त)

कि कर्जा बहुत लिया जा रहा है । इसमें यह बताया गया है कि 1995-96 के अन्दर टोटल का एक रुपये में 26 पैसे कहां से आयेगा आंतरिक ऋण से और जो खर्चा है उसमें 26 पैसे कहां जायेगा ब्याज के देने में । जो आन्तरिक ऋण आप ले रहे हैं वह पैसे की पैसे ब्याज के रूप में ले रहे हैं । यह स्थिति है । अब इस स्थिति में भारत सरकार की जिस छतरी के नीचे हम बैठे हुए हैं वहां पर आप बात करते हैं ।

एक बात मैं और बता रहा था । अपने यहां कहा जाता है, कि पावर जनरेशन में बहुत कमी रह गयी है, पावर जनरेशन के अन्दर ध्यान नहीं दिया गया । इसी आर्थिक समीक्षा के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने यह बात तो पढ़ ली लेकिन इसके अन्दर यह बात नहीं पढ़ी कि 1991-92 के अन्दर जबकि बहुत सारी बिजली हम बाहर के लोगों पर मुनस्सर करते हैं, भारत सरकार मुनस्सर करती है, थोड़ा लिफ्ट करती रहती है । उसके बावजूद प्रयासों की तारीफ आप कीजियेगा, 1991-92 के अन्दर 12,500 मिलियन यूनिट बिजली खर्च हुई थी। 1994-95 में 15,500 मिलियन यूनिट । 1994-95 के अन्दर जबकि हम बहुत कहते रहे हैं तब ज्यादा हुई है यह आर्थिक समीक्षा के अन्दर लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्री रमाकान्त : और यदि बात करते हैं कमियों की तो यह भारत सरकार का पढ़ लीजिए, भारत सरकार के अन्दर पावर की कमी रही है । जो टारगेट्स दिये थे उसमें 289.176 मिलियन यूनिट्स की कमी रही है । कोल में 196.58 मिलियन टन की कमी रही है । रेलवे के अन्दर 299.94 मिलियन टन की कमी रही है ।

एक माननीय सदस्य : पूरा पढ़ दीजिए ।

श्री रमाकान्त : सारा नहीं पढूंगा, समय की कमी है । आखिर मैं एक दो सुझाव देकर आधे मिनट में समाप्त करता हूं ।

पहले नम्बर का मेरा सुझाव तो यह है कि संविधान के अन्दर जो हमारे एक्सक्लूसिव सबजेक्ट्स हैं उन एक्सक्लूसिव सबजेक्ट्स के अन्दर सैन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स क्यों आ जाती है, नहीं आनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्दिरा आवास योजना बहुत अच्छी योजना है गरीबों के लिए, बहुत सुन्दर योजना है, इसकी तारीफ करते हैं परन्तु भारत सरकार इसका वजन राजस्थान सरकार पर क्यों डालना चाहती है । भारत सरकार को इस योजना के पैसे पूरे के पूरे राजस्थान को देने चाहिए, हमें इस बारे में मांग करनी चाहिए ।

श्री परसादीलाल मीणा : पूरे दे दिये हैं ।

श्री रमाकान्त : पूरे नहीं दिये हैं । आप अपने भाषण में बता देना । मैं यह और बता रहा था कि आई. आर. डी. पी. के अन्दर भारत सरकार ने इस वर्ष 16 करोड़ रुपये की कमी की है उसका हम पर भी असर पड़ेगा । हमें पिछले साल 1994-95 की मांग करनी चाहिये, हमको वह सारी बात मिले । बात तो और भी बहुत कुछ कहनी है परन्तु बार-बार बिराजिये-बिराजिये

(श्री रमाकान्त)

सुनने को मिल रहा है, इसलिए अब नहीं बोलता हूं। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादीलाल जी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यहां पर 27 मार्च को जो बजट भाषण दिया है और उसकी प्रति हमको दी है वह कितनी सुन्दर, कितनी सजावटी, कितनी बनावटी है। कितना खर्चा हुआ होगा। इसके अन्दर देखें तो रंग-बिरंगे चित्रों के अलावा कुछ नहीं है (व्यवधान) हमको मुख्य मंत्रीजी से ऐसे भाषण की आशा नहीं थी। मुख्य मंत्री सीधे गांव से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़े हुए हैं और नीचे से ऊपर तक राजनीति से आये हुए एक राज नेता हैं परन्तु इन्होंने जो भाषण दिया है, इस साल का प्लान रखा है, जो गांव के लिए योजनाएं रखी हैं वह निराशाजनक हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबसे पहले बिजली को ले लीजिए। 1988-89 में कुल योजना का बिजली पर 29.40 पर्सेण्ट खर्च हुआ। एक हजार गांवों को विद्युतीकरण करने का प्रावधान था, 25 हजार कुओं को कृषि कनेक्शन देने का था। 1987-88 की वार्षिक योजना में बिजली पर 33.46 पर्सेण्ट राशि रखी गयी। इस साल आप देख लीजिए मुख्य मंत्रीजी ने 1995-96 की योजना में 25.52 पर्सेण्ट राशि बिजली के ऊपर रखी है। इन्होंने 750 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है। अब 236 पंचायत समितियों में से 36 या 40 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर शत-प्रतिशत विद्युतिकरण कर दिया गया, बाकी 200 पंचायत समितियों में कितने-कितने गांव आयेंगे, कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण करेंगे। 25 हजार कुओं को कनेक्शन देने की यह बात कर रहे हैं, यह 25 हजार में उनको भी शामिल कर लेते हैं जो तुरन्त योजना में, नर्सरी योजना में, दूसरी योजनाओं में कनेक्शन होते हैं और एक तरफ माननीय तिवाड़ी जी और सारे के सारे सदस्य यह कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि राज्य के विकास के लिए कर्जा लेना चाहिए। अगर हजार करोड़ के घाटे का बजट भी हो, विकास के लिए अगर घाटा होता है तो होना चाहिए। परन्तु गांवों के विकास के लिए जो योजनाएं रखी हैं वह बहुत कम है। वित्त मंत्रीजी, आपने पशु चिकित्सालय एक भी नहीं खोला है। क्या इस राजस्थान में गोधन नहीं है। आपके कार्यकाल में कभी भी 20 से ज्यादा औषधालय खुले ही नहीं। हम विधान सभा के दो सौ सदस्य हैं, हमको छोड़ दीजिये आप, 102, 108 जितने आपके हैं आप कम से कम, एक-एक औषधालय तो दीजिये, उनमें भी आप भेदभाव करेंगे? यही हालत आपकी सैकण्ड्री और सीनियर सैकण्ड्री स्कूलों की है। आपने 7 सैकण्ड्री और सीनियर सैकण्ड्री स्कूलें रखी हैं। आप हमारी बात तो छोड़ दीजिये, आपके जितने हैं, आप किस-किस को देंगे। हम समझते हैं हमारे इलाके का विकास पांच साल नहीं होगा। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप हमें कुछ नहीं देने वाले हैं। आप उनको देने वाले हैं जो मुख्य मंत्रीजी की यहां पर वाहवाही करेंगे, अच्छा भाषण देंगे। 20

(श्री परसादीलाल मीणा)

औषधालयों में से आप उनको देंगे जिनके लिए यह कहेंगे यह योजना है, यह करना है, इसकी पतंग काटनी है। इस तरह की स्थिति है और फिर कहते हैं कि गांव के विकास का बजट है।

श्री कालीचरण सराफ : आपकी चलती है, हमारी नहीं चलती।

श्री परसादीलाल मीणा : कालीचरण जी, गांवों का सवाल है, आपको न यहां औषधालय की जरूरत है, न कोई प्राथमिक हैल्थ सेन्टर की जरूरत है, न कोई सड़क की जरूरत है, न पेयजल की जरूरत है। भगवान की कृपा से सब आपके यहां आटोमैटिक हो रहा है। आप तो सावन में पैदा हुए हो और सावन ही सावन दिखता है। जो हम लोग गांवों से चुनकर आते हैं उनके दिल की व्यथा आप जानिये, चाहे उधर बैठे हों, चाहे इधर बैठे हों। आप और राजपालसिंहजी तो सावन के पैदा हुए लोगों में से हैं। आप इसको गम्भीरता से लें कि आज गांवों की क्या स्थिति है? जौहरी बाजार देखो, एक-एक खम्भे पर दो-दो लाइटें लग रही हैं, गांवों में आप बिजली की हालत देखिये। किसानों को 24 घण्टे में से दो-तीन घण्टे बिजली मिलती है। सारी रात किसान खेत में बैठा रहता है कि बिजली कितने बजे आयेगी, कब आयेगी, कब मेरे खेत का पानी मौड़ूं। सारी रात सर्दी में बैठा रहता है, क्या आप बैठे रहेंगे? इन गर्मी के दिनों में अगर आपके एक घण्टे भी बिजली चली जाये तो आपकी बीवी यह कहेगी कि आप तो एक्स.ईएन. को फोन करो, बिजली नहीं आयी मैं तो गर्मी से परेशान हो गयी। गांव के लोग सब चीजों को बरदाश्त करते हैं। माननीय सदस्य चाहे तिवाड़ी जी हो, गाव से आते हैं क्योंकि सीकर से धक्का लग गया, इधर आ गये। (व्यवधान) यह गांव का सवाल है, आप मत समझो, तिवाड़ी जी समझते हैं। आप दोनों बैठे हैं, आप नहीं समझोगे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि गांवों के विकास के लिए आज 89 स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, पता नहीं मुख्य मंत्रीजी ने कौनसा आंकड़ा 89 का पकड़ रखा है, 90 कर देते, 100 कर देते, 102 कर देते, 75 कर देते, 85 कर देते पर पता नहीं 89 इनका शुभ अंक है या किसी अधिकारी ने मना कर दिया है, मेरी समझ के बाहर है। मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण को शायद पढ़ने से पहले नहीं देखा। अगर मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से बैठकर, मेहनत करके बजट बनाते तो ऐसा बजट कभी भी विधान सभा में पेश नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के हालात देख लीजिये, अब ये 60 स्कूलों को 750 गांवों में से किस-किस को देंगे।

मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि 1990 से आप शासन में हैं और 1990 के बाद में आप आंकड़े उठाकर विद्युत विभाग से मंगा लीजिये कि आपके समय में जिन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है वह केवल कागजों में है, एक भी गांव में एक भी कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। वहां ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये, वहां खम्भे नहीं लगाये गये, यह तो स्वयं विद्युत मंत्रीजी ने भी मंजूर किया है। इस तरह के हालात और इस तरह के बजट

(श्री परसादीलाल मीणा)

से गांवों का विकास कैसे होगा यह मेरी समझ के बाहर है और शायद आपकी समझ के भी बाहर है ।

आपने कहा कि गत वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित था, होना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए था । पर हुआ क्या ? आप इतने मेम्बर बैठे हैं, किसी के एक सीनियर स्कूल भी हिस्से में नहीं आयी, कहीं भी नहीं आयी और जहां स्कूल खोली वहां पर अध्यापक नहीं लगाये । इन्होंने 2300 स्कूलें खोली, प्राइमरी स्कूलें खोली, हमारे जिले भी इन्होंने स्कूलें खोलीं । अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था विधान सभा में कि क्या उक्त स्वीकृत विद्यालयों में अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है ? यदि हां, तो विद्यालय स्वीकृत करने की तिथि एवं स्वीकृत विद्यालय में अध्यापकों के पदस्थापन की तिथि सहित विवरण सदन के पटल पर रखें । इन्होंने कहा, स्कूल तो खोल दिये पर जिला परिषद् द्वारा चयनित अध्यापकों का आवंटन नहीं किये जाने के कारण अध्यापकों का पदस्थापन अब तक नहीं किया जा सका है और छात्रों की भर्ती पर क्या कहते हैं कि अध्यापकों के पदस्थापन नहीं होने के कारण विद्यालय नहीं खोले गये । कागजों में स्वीकृत है, यह 67 स्कूलों की सूची हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं सप्रमाण कहता हूं कि आज की तारीख तक भी जो सितम्बर और अक्टूबर में प्राइमरी स्कूलें दौसा जिले में खोलीं, उनमें से एक भी स्कूल में एक भी अध्यापक नहीं है, एक भी लड़का आज तक भर्ती नहीं किया है । इन्होंने केवल कागजों में अपनी स्कूलें खोलीं हैं । केवल कागजों में उपलब्धियां बतायीं हैं । इस तरह के बजट से और इस तरह की बातों से, अभी इधर से आने वाले एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बहुत अच्छा बजट है, रमाकान्त जी इतने सीनियर आई. ए. एस. रहे हैं, वे कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है । कैसा बजट है ? एक स्कूल में एक अध्यापक नहीं लगाया, एक लड़का उस स्कूल में नहीं गया, एक स्कूल चालू नहीं हुई, कैसा बजट है ? यह मजाक है, यह + + + है । यह सब सरकार कागजों में चल रही है, विद्युतीकरण कागजों में, स्कूलें कागजों में, पता नहीं क्या-क्या इनका कागजों में हो रहा है । जनता को इनकी असलियत का पता नहीं और तिवाड़ीजी जोर-जोर से भाषण दे रहे हैं कि हमारी 25 सीटें आयेंगी । एक स्कूल तो चालू करो इस सेशन में, मैं आपको मान लूंगा । इस सत्र में अगर एक भी स्कूल दौसा जिले में, मैं दौसा जिले की जानकारी दे रहा हूं, राजस्थान में तो पता नहीं क्या होगा क्योंकि आप तो अपनी बात कहेंगे नहीं, आपको एक नशा हो गया कि हमारी 25 सीटें आयेंगी, हमारा राज रहेगा । राज रहेगा पांच साल, हम भी मानते हैं । रहो, राज करो पर ऐसे खोटे कारनामे मत करो, ऐसे + + + मत करो ।

माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसी तरह के हालात हमारे सीनियर सैकण्ड्री स्कूल के हैं । हमारे दौसा जिले में 60 लेक्चरर के

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री परसादीलाल मीणा)

पद रिक्त हैं और यहां से शिक्षा मंत्रीजी कहेंगे, सारे पद भर दिये, यह उन्हीं का जवाब है, यह पूरी लिस्ट की लिस्ट है। इस तरह के हालात इनके कागजों में हो रहे हैं, सीनियर सैकण्ड्री खोल दी, सैकण्ड्री खोल दी पर एक भी मास्टर नहीं लगाया, एक प्रिंसीपल नहीं लगाया और सब्जेक्ट के लेक्चरर फिजिक्स के हैं, जो भी सब्जेक्ट के लेक्चरर हैं उनकी सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं और आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। छात्रों का क्या भविष्य होगा ? इस बजट को लेकर, इतना बनावटी और सजावटी बजट जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल कागजी कार्यवाही के अलावा। सवाल तो इतना है, अगर आप देखना चाहे, मान लो कभी दिल्ली चले गये, खर्चा खतम हो गया, पैसा नहीं है तो 100 रुपये का तो यह बजट का कवर ही बिक जाएगा, हमारे कागज निकाल लायेंगे. मैं 1985 से इस विधान सभा का सदस्य हूं, ऐसा सुन्दर बजट कभी नहीं देखा। किताब आती थी साधारण। पर यह पता नहीं अधिकारियों ने मुख्य मंत्रीजी को, वैसे मुख्य मंत्रीजी भी ज्यादा खर्चा करने में विश्वास नहीं करते पर या तो इनको समय नहीं मिला या अधिकारियों ने इनको बताया नहीं। कागज छापकर इसमें पिन करके फौरन दे दिया। इस तरह की अच्छी बात मैं नहीं मानता, आप मानते होंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं इस बजट में है, आप देख लीजिये।

गांवों में इतना गौ-धन है। एक सदस्य उधर से गौ-धन की बात करते हैं। इन्होंने एक भी पशु चिकित्सालय राज्य में इस साल खोलने का प्रावधान नहीं किया है। मुख्य मंत्रीजी, कम से कम आप 50 या 100, आपके जितने मेम्बर हैं उतने मेम्बरों के लिए तो एक-एक पशु चिकित्सालय दीजिये, हमको मत दीजिये। आपको लगता है हम हिस्सा मांगेंगे तो आप हमको मत दीजिये। आपकी कृपा दृष्टि हो तो इधर किसी को दे देना, कहीं आपकी वो करे, जो आपकी +++ करे, आपकी थोड़ी वाहवाही करे। पर कम से कम आप पशु चिकित्सालय खोलिये। सारे पशु चिकित्सकों के पद रिक्त पड़े हैं, सारे पशु चिकित्सा-अधिकारी जो डाक्टर थे, उनको आपने बी. डी. ओ. बना दिया, बी डी ओ बनाने से डाक्टरों की पोस्ट खाली हो गयी। सारे जो आपके चिकित्सालय हैं, वे सब खाली पड़े हुए हैं। जब हम जाकर आपके पशु-पालन मंत्रीजी से कहें कि साहब, हमारे उसको लगावो तो कहते हैं आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन नहीं हुआ। शिक्षा मंत्रीजी को कहे तो आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन नहीं हुआ। यह गांवों और शहर के साथ सरासर भेदभाव हो रहा है। आप आज देख लीजिये, किसी भी शहर में किसी भी सब्जेक्ट टीचर की, लेक्चरर की, टीचर की कोई पोस्ट खाली नहीं मिलेगी। अगर कोई खाली हो भी तो ऐसी निगाह रखेंगे कि खाली होने से पहले ही वहां पोस्टिंग करा लेंगे। गांवों से शहर में पोस्टिंग करा लेंगे। यह गांव के साथ जो हालात हो रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी, भंवरलाल जी शर्मा शहर से चुनकर आते हैं और 1995-96 में जो इन्होंने वार्षिक योजना रखी है गांव और शहर के लिए। इन्होंने शहरों के लिए 152 करोड़ 90 लाख रुपये

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसादी लाल मीणा)

रखे हैं जबकि सारे गांवों के लिए, 80 प्रतिशत जनता के लिए इन्होंने केवल 102 करोड़ रुपये रखे हैं। यह घोषणाएं करते हैं जलदाय मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी. मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इन जलदाय मंत्रीजी को बदल दीजिये। बिलकुल हाथ जोड़कर कह रहा हूं। शहर का अलग बना दो, गांवों का अलग बना दो। मेरा हाथ जोड़कर कहना है कि ऐसे जलदाय मंत्री को आप तुरन्त बदल दो। 102 करोड़ हमारे 80 प्रतिशत लोगों के लिए और एक करोड़ के लिए आप रखते हैं 152 करोड़ का बजट। क्या गांव के लोग पानी नहीं पियेंगे? गांवों के लोग प्यासे रहेंगे? यहां 24 घण्टे पानी की सप्लाई हो, हमारे वहां गांव में दो-दो किलोमीटर तक पानी नहीं मिले। हैण्डपम्प दो-दो साल से खराब पड़े हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए कोई पैसा नहीं देते। पंचायत समिति के पास लोग जाएंगे तो कहेंगे कि विभाग वाले करेंगे विभाग के पास जाएंगे तो कहेंगे कि हमने पंचायत समिति को दे दी सारी धर्म श्रृंखला। इस तरह के अध्यक्ष महोदय, आज गांवों में हालात हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं आज गांवों में हो गयी हैं। सारे लोग इस बात के लिए दुःखी हैं। अखबारों में आता है, बजट भाषण पढ़ा जाता है, कितनी स्कूलें खोलीं, कितना बजट प्रावधान किया, कितने गांवों का विद्युतीकरण होगा?

मुख्य मंत्रीजी, आपने यह बजट हैल्थ को समर्पित कर दिया ...

श्री अध्यक्ष : माननीय, शीघ्रता करें।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी ही बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं वह आपके भी हित में है। कोई मेरे अकेले के हित की बात नहीं है। आपने इस साल का बजट स्वास्थ्य को समर्पित कर दिया और आपने 89 पी एच. सी खोलने का प्रावधान किया है, 700 सब सैण्टर खोलने का प्रावधान किया है और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान किया है। आप बता दीजिये, हम 200 सदस्य हैं, जब सब के लिए स्वास्थ्य को समर्पित हो रहा है तो आप सबको कम से कम एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक-एक विधान सभा क्षेत्र में खोलिये, नहीं तो आपके इस बजट को कोई स्वास्थ्य को समर्पित अलग श्रेणी में नहीं रखेगा। यह जैसे साधारण 80-85 हमेशा खोलते आये हैं, यह नयी कौनसी बात कर दी आपने? नयी कौनसी बात जोड़ दी आपने? गत वर्ष इतने ही खोले थे, इस साल भी इतने ही खोल रहे हैं, आगे भी इतने ही खोलेंगे। आपने इसमें नयी बात कौनसी पैदा कर दी जिससे यह स्वास्थ्य को समर्पित बजट हो गया? कोई स्वास्थ्य को समर्पित बजट नहीं है।

दवाइयों की कीमत। फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि दवाइयों की कीमत वैसे ही दुगनी हो गयी। जो एक रुपये की गोली आती थी वह तीन रुपये में आती है, जो पांच रुपये का इंजेक्शन आता था वह 20 रुपये में आता है इसलिए दवाइयों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो कम से कम यह स्वास्थ्य को समर्पित बजट है, आपकी भी उसमें शान रहेगी। तो सब माननीय सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आप दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करिये।

श्री परसादी लाल मीणा : यह मित-व्ययता की बहुत बात करते हैं। श्री चतुर्वेदीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी कि राज्य सरकार का खर्चा कम से कम हो। मुख्य मंत्रीजी, मैं एक ही बात आपको कहता हूं कि आपके 5-7-10 जो, + + + सिविल लाइन में, जिनको कोई काम नहीं है, विधान सभा में एक जवाब नहीं देते हैं, कभी कोई काम नहीं करते हैं, कभी एक फाइल उनके पास नहीं आती है उनका भी साल भर में तीन-तीन लाख का टेलीफोन का खर्चा, हमारे श्री गुरजन्टसिंह जी और श्री मंगलारामजी का साढ़े तीन-तीन लाख का टेलीफोन का खर्चा, दो-दो गाड़ियां, दो कोड़ी का काम नहीं करते हैं। सारे राजस्थान के बजट को इधर-उधर कर देते हैं। कम से कम भगवान के लिए आप इतना तो करें कि उनसे यह तो पूछें कि वह टेलीफोन कहां करते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : पूरे राजस्थान का दौरा करते हैं।

श्री गुरजन्ट सिंह (उप मंत्री, ऊर्जा) : राजस्थान के बार्डर पर बैठे हैं भाई हम।

श्री परसादी लाल मीणा : मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको एक ही निवेदन करता हूं कि यह सुधार आपके समय में लागू नहीं हुए, क्योंकि जब आप विधायक बने थे और चन्दनमलजी विधायक बने, हम तो आपके बाद की पैदाइश हैं, आपके पहले की पैदाइश नहीं हैं इसलिए हम तो आपसे ही सीखेंगे वही हम सब आगे जाकर करेंगे। अगर आप इस तरह की परिपाटी + + + को पांच-पांच लाख के टेलीफोन की छूट देंगे, गाड़ी-घोड़े देंगे और दो कोड़ी का काम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को भी आगे बढ़ायेंगे तो.... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री परसादी लाल मीणा : हालत बहुत खराब हो जाएंगे, आपके खर्चे हो जाएंगे। इसलिए आप इनके सब मंत्रियों के घरों के टेलीफोन काट दें।

श्री अध्यक्ष : पूरे 20 मिनट हो गये हैं आपको। अब आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : केवल कार्यालय में टेलीफोन रखें। अध्यक्ष महोदय, आपने जो एग्रीकल्चर के लिए बजट रखा है वह बहुत कम है, को-ऑपरेटिव के लिए जो बजट रखा है, वह बहुत कम है। गांव की जो मूल-भूत आवश्यकताएं हैं, गांव के विकास के लिए आपने कह दिया कि हम गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। सारा पैसा जवाहर रोजगार योजना का केन्द्र सरकार से आ रहा है। आपका उसमें कुछ भी नहीं है और आप कोरी वाह-वाही लूट रहे हैं। कभी उसको "तीस जिले तीस काम" में कन्वर्ट कर रहे हैं, कभी कोई गोबर गणेश योजना बना रहे हैं, कभी क्या बना रहे हैं। आप उसके लिए एक तरह से यह व्यवस्था कर दीजिये कि गांव के विकास के लिए फलां ब्लाक के लिए इतना पैसा आयेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री परसादी लाल मीणा)

कि गांवों की आज जो हालत है, गांवों के विकास के लिए हम केवल यहां भाषण देकर बात करते हैं, प्रेक्टिकल में कोई माननीय सदस्य जाना नहीं चाहता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी चतुराई से पहले उनका भाषण कराते हैं जो शहर से चुनकर आते हैं चाहे वह कालीचरणजी हों, चाहे राजपालसिंहजी हों। इन सब का विश्वास है कि बहुत अच्छा बजट है। मैं घाटे के बजट को बुरा नहीं मानता हूं। घाटे का बजट होना चाहिए विकास के लिए लेकिन वह पैसा लगे, चाहे स्कूलों में अध्यापक लगें, लेक्चरर लगें, हॉस्पिटल में डाक्टर्स लगें लेकिन वह सारी व्यवस्था चौपट हो गयी और आप कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

कार्य सलाहकार समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में दिनांक 17 अप्रेल, 1995 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे हुई। समिति ने अपने दसवें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सदन में दिनांक 27 अप्रेल, 1995 से 04 मई, 1995 तक विचारार्थ लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

गुरुवार, 27 अप्रेल, 1995	:	(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण ।
		(2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण ।
शुक्रवार, 28 अप्रेल, 1995	:	(1) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार एवं पारण ।
		(2) आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 की अनुदान की मांग पर विचार एवं पारण ।
		(आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1995-96 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 28 अप्रेल, 1995 को सदन द्वारा पारित की जायेंगी ।)
शनिवार, 29 अप्रेल, 1995 रविवार, 30 अप्रेल, 1995	:	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, 1 मई, 1995 मंगलवार, 2 मई, 1995	:	(1) राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995;
		(2) राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995;
		(3) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995;
		(4) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1995 —पर विचार एवं पारण
बुधवार, 3 मई, 1995 गुरुवार, 4 मई, 1995	:	(1) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान विक्रय-कर विधेयक, 1995;
		(2) राजस्थान राज मार्ग विधेयक, 1995; एवं
		(3) राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 —पर विचार एवं पारण ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पूरे साल में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : एक सैकण्ड साहब, मेरी बात सुन लें। उसमें बहस की कोई बात नहीं है। पिछले पूरे साल में प्राइवेट मैम्बर्स बिल का एक दिन तय हुआ था और उसके बाद 6 महीने विधान सभा नहीं हुई और यह पूरा सत्र खतम हो रहा है। यह सरकार प्राइवेट मैम्बर्स बिल का एक दिन भी तय नहीं कर रही है इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि फ्राइडे को निश्चित तौर पर प्राइवेट मैम्बर्स बिल का दिन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री नरपतसिंह राजवी।... (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे बढ़ाया जाय ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : कम से कम 2 घण्टे बढ़ाया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी मर्जी आये, उतना समय बढ़ा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

माननीय श्री नरपतसिंह राजवी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट बहस के दौरान 2-3 मुख्य मुद्दे सामने आये हैं, एक तो दसवें वित्त आयोग से होने वाली हानि या लाभ, दूसरा, पिछले वर्षों की तुलना में अधिक लिया गया लोन और उसके साथ में उसके फाल आउट्स और तीसरा डेट रिसर्विसिंग में डिफिकल्टीज। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक निवेदन करना चाहूंगा कि डवलपमेंट

(श्री नरपतसिंह राजवी)

एक्सपेंडीचर आयेगा कहां से तो टैक्सेज लगाये जायं। पिछले 40 वर्षों में इतने टैक्स लगाये गये कि कुछ कमोडिटीज का कह नहीं सकता लेकिन केन्द्रीय स्तर पर उस पर विचार होकर एकरूपता नहीं लायी तो राजस्थान में काउन्टर प्रोडक्शन होने लग गये थे। ऐसी स्थिति में अगर प्लान करना है, उसका डवलपमेंट करना है, आपको विकास करना है तो आपको टार्गेट्स इस हद तक ऊंचे करने पड़ेंगे, यह तो पोलिटिकल विल दर्शाता है और ब्यूरोक्रेसी को उसको अटेन करने के लिए उसके अनुरूप ताकत लगानी पड़ेगी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को उसके साथ लगना पड़ेगा। दसवें वित्त आयोग ने पिछले समय से हम जो मांगें करते आ रहे थे, उनको कुछ हद तक माना भी है। स्टेट शेयर 122 प्रतिशत टैक्सेज में बढ़ा है। कस्टम्स और कारपोरेट टैक्स को वर्षों से यह टालते आ रहे थे, इसको डिविजीवल पूल में नहीं मान रहे थे, इस बार माना है। यह बात अलग है कि इस बार रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो ग्रांट-इन-एड दी जाती थी, रेवेन्यू डेफिसिट आने वाले भविष्य में नहीं होगा, यह गणना दसवें वित्त आयोग की है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री धनखड़ साहब इसके ऊपर काफी आंकड़े बता रहे थे; टोटल एस्टिमेटेड डिवोल्यूशन में 113.74 पर्सेण्ट की वृद्धि हुई है। शेयर इन टैक्सेज एण्ड ड्यूटीज में 134.80 पर्सेण्ट की वृद्धि हुई है। ग्रांट-इन-एड काफी कम होकर मात्र 11.82 प्रतिशत की इसमें वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ ग्रांट-इन-एड और शेयर के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। ग्रांट-इन-एड हमेशा फिक्स्ड होती है, एक निश्चित मात्रा में मिलेगी, यह केन्द्र और प्लानिंग कमीशन पर डिपेंड करेगा। अब जितनी बायासी इकोनोमी में आयी है, ग्रांट-इन-एड के मुकाबले टैक्सेस के अन्दर शेयर ज्यादा उपयुक्त है। अगले वर्ष हमने अधिक टैक्स रिकवर किया तो उसी अनुपात में, उसी प्रो-रेटा बेसिस पर अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान का शेयर भी बढ़ेगा। अब ग्रांट-इन-एड तो दे दी लेकिन ग्रांट-इन-एड बुक किसमें होती थी? माननीय चन्दन मल जी बैद साहब काफी वर्षों तक वित्त मंत्री रहे हैं, मुख्य मंत्री जी आज वित्त हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ग्रांट-इन-एड चाहे सेण्ट्रल स्टेट को देता हो, चाहे स्टेट्स पंचायतों को या नगरपालिकाओं को दे रहे हों। इसको कौनसे हैड में बुक किया जाता है? वर्तमान में इसको रेवेन्यू हैड में बुक करते हैं और इसी से रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ती जा रही है। आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से पब्लिक एन्टरप्राइजेज का या यह जो चेंजेज सिस्टम में किया है, समाजवाद वाला पैटर्न छोड़ा है, इकोनोमी ओपन-अप हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने के रास्ते, रोकने का रास्ता यह भी निकला कि ग्रांट-इन-एड, जो आपने एक बार स्वीकृत कर दी वह उसका कांस्टीट्यूशनल अधिकार हो गया। वह केपिटल एक्सपेंडीचर में जायेगा और केपिटल एक्सपेंडीचर में यह जाता है तो निश्चित रूप से रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कम होगा। प्लानिंग कमीशन ने, दसवें वित्त आयोग को तो अभी नहीं दिया लेकिन मेरा पूरा अनुमान है कि आने वाले 2-4 वर्षों में केन्द्र भी और फाइनेंस कमीशन भी इसमें निर्णय लेगा और इसको केपिटल हैड में

(श्री नरपत सिंह राजवी)

बुक करना शुरू कर देगा। यह रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है ही नहीं, ग्रांट-इन-एड है।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शेयर हमारा जरूर बढ़ा है लेकिन कुछ मदों में कम भी हुआ है। अब यह कब पेश हुआ, किसने क्या उसमें रखा, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग भी पधारे थे, हम लोग भी गये थे लेकिन इसके अन्दर बायोनी आवश्यक रूप से आयी है। नुकसान अगर हुआ है तो ओपन मार्केट इकोनोमी के आने के कारण कस्टम्स के कलेक्शन में जो कमी आ रही है तो डिविजिबल पूल पर उसी प्रोरेटा बेसिस पर कमी आयेगी। घट सकती है, अभी तो अनुमान लगाया है, फर्स्ट टाइम इन्क्लूड कर रहे हैं।

तीसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टैंथ फाइनेंस कमीशन में 9 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का टैक्सेस का रेवेन्यू कलेक्शन होने का अनुमान था जबकि केन्द्र उसको मान रहा था 8 लाख 34 हजार करोड़ रुपये। अब इसका 5.03 प्रतिशत इस बार अपने को मिल रहा है मगर इसके कलेक्शन में इन्क्रीज होता है तो अधिक मिलेगा इसी पर्सेंटेज के आधार पर और यदि घटता है तो इसी रेश्यो में घट भी जायेगा। अब बजट के अध्ययन के साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तीन मैथड्स जनरली इकोनोमिस्ट्स मानते हैं जिनसे बजट का अध्ययन एनेलाइज किया जा सकता है। पहला तो बैलेंस शीट मैथड, दूसरा ओब्जेक्टिव मैथड और तीसरा कांस्टीट्यूशनल मैथड। अगर कोई कांस्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन है उस पर तो उतना खर्च करना ही है, जैसे किसी को फ्री बुक्स देनी है और कुछ देना है, यह हमारी कांस्टीट्यूशनल ओब्लीगेशन है। बैलेंस शीट मैथड में अगर पास के राज्यों का या केन्द्र सरकार का जिस प्रकार का बजट है, उनके साथ में अगर आकलन नहीं करें तो प्रोपर एनेलाइज नहीं होगा। सन् 1987-88 से 1990-91 और 1991-92 से 1994-95 में केन्द्र की स्थिति क्या रही है? एवरेज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स सन् 1987-88 व 1990-91 में 6.8 प्रतिशत थी और 1991-92 व 1994-95 के बीच 3.7 प्रतिशत आ गयी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स 6.3 प्रतिशत की बजाय 1.8 प्रतिशत आ गयी। एवरेज इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 8.2 प्रतिशत की जगह 3.7 प्रतिशत हुई। एवरेज एक्सपोर्ट 7.2 प्रतिशत की जगह 8.3 प्रतिशत। अब करीब-करीब इन्फलेशन के अलावा हर स्फियर में यह घटोती हुई है। उसकी रिफलेक्शन पूरी इंडियन इकोनोमी पर आ रहा है तो राजस्थान प्रान्त में भी आयेगा लेकिन संसाधन जुटाने के लिए जिस प्रकार के प्रयास किये गये, ओवन रिसोर्सेज थे उनको टाइट किया गया, एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट किये। अब जितना इस योजना के तीन वर्षों में हमने कर लिया, वह टार्गेट से अधिक कर लिया तो आने वाले वर्षों में एडिशनल रिसोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है, आने वाले वर्षों में हमारा प्लान इससे भी बड़ा हो। अब जिस प्रकार से लोन लिये गये तो इकोनोमी में यह मानकर चलते हैं कि असेट्स अगर क्रिएट हो जाय, जितना लोन लिया है,

(श्री नरपतसिंह राजवी)

उतनी ग्रसेट्स क्रिएट हो जाय, उससे अधिक की नहीं समझ में ग्राती, उतनी असेट्स क्रिएट हो जाय तो इट इज नोट ए बेड लोन। जैसा घनश्याम जी ने बताया, सन् 1977 में 33,000 करोड़ रुपये का लोन था ग्रौर ग्रसेट्स क्रिएटेड थी 36,791 करोड़ रुपये की, 3,184 करोड़ रुपये की ग्रधिक ग्रसेट्स थी। उसके बाद 1990-91 में 75 प्रतिशत ग्रसेट्स कम हो गयी। केन्द्र में 77,517 करोड़ रुपये की कमी हो गयी ग्रौर 4 सालों में, 1991-92 से लेकर 1994-95 तक 1,77,216 करोड़ रुपये की ग्रसेट्स कम हो गयी। ग्रगर इतनी ग्रसेट्स कम होती है तो जरूर चिन्ता की बात है। डैट ट्रेप की ग्रगर बात करते हैं तो इसी कारण से करते हैं। अब हो सकता है कि मार्च में जो खर्चा किया है उसकी बुकिंग नहीं हुई हो लेकिन इतना डिफरेंस नहीं ग्रा सकता। ग्रब राज्य सरकार की जहां तक बात है, सन् 1990 से 95 तक, 1-4-94 को 10,000 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था, उसके ग्रगेंस्ट में 9,268 करोड़ रुपये के ग्रसेट्स एवं इन्वेस्टमेंट हैं। इसमें पास्ट भी डिवोल्व होकर ग्रागे ग्रा रहे हैं, 737 करोड़ रुपये का डिफरेंस। लेकिन 1-4-90 से 31-3-94 तक टोटल लोन ग्रौर ग्रसेट्स क्रिएटेड का डिफरेंस मात्र 106 करोड़ रुपये का है। 637 करोड़ रुपये का डिफरेंस पास्ट डिफरेंस चला ग्रा रहा है। उस गेप को हम कम करते आ रहे हैं ग्रौर कहने को कहते हैं, बजट खराब है, उधार ग्रधिक ले लिया। नेचुरल कैलेमिटीज पिछली बार थी, ग्रापके टाइम में भी खूब हुई है। नेचुरल कैलेमिटीज में भी यह खर्चा किया है लेकिन परमानेंट असेट्स हमने क्रिएट किये हैं। इन्कम्पलीट वर्क्स हैं उनका भी गेप हो सकता है लेकिन 700 करोड़ रुपये का नहीं हो सकता, यह जरूर चिन्ता का विषय है। लोन ग्रौर बजट की पोजिशन का ट्रेंड कैसा रहा है? मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा सन् 1980 से 1985 के 5 वर्ष के काल में 1552 करोड़ रुपये का लोन था। 5 वर्ष में ग्रौसत वृद्धि करीब 96 प्रतिशत थी। 1-4-85 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में 3,055 करोड़ रुपये का लोन, 1-4-90 को हो गया 6,127 करोड़ रुपये 100 प्रतिशत इन्क्रीज हुग्रा। उसका हमने नेक्स्ट 5 वर्षों में डिवोल्व करके नीचे लाये हैं। 1-4-90 को 6,127 करोड़ रुपये, 1-4-95 को 11,904 करोड़ रुपये, दिस इज 94 3 पर्सेंट। हम प्लान बढ़ा रहे हैं, बजटरी एक्सपेंडीचर बढ़ा रहे हैं लेकिन जो रेश्यो है it is well under control and it is less than what you had spent.

(17.00)

भारत सरकार की ग्रौर राजस्थान की डेट सर्विसिंग की पोजीशन के बारे में भी ग्राप थोड़ा विचार कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार के 94-95 के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के ग्रनुसार कुल ऋण एवं ब्याज की ग्रदायगी राजस्व प्राप्तियों की 19 75 प्रतिशत थी 1994-95 में, 1995-96 में 20-25 हो गयी। भारत सरकार की उसी पीरियड में 119 प्रतिशत थी ग्रौर 1995-96 में 121 प्रतिशत हो गयी। राजस्व व्यय का अनुमान भी लगा लें। 18 50 प्रतिशत 1994-95 में राज्य सरकार का, 18.16 प्रतिशत 1995-96 में राजस्थान का, भारत सरकार की 86.46 प्रतिशत ग्रौर 1995–96 में 89.84

(श्री नरपतसिंह राजवी)

प्रतिशत। कुल व्यय का राजस्थान का 94-95–13.07 प्रतिशत, 95-96–13.92 प्रतिशत, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं। गवर्नमेंट आफ इण्डिया में 1994-95-65.48 प्रतिशत और 1995-96 में 71 प्रतिशत है, इन्क्रीजिंग ट्रेन्ड में जा रहा है। अब बजट का प्लान साइज और डेट रेश्यो, यह हमेशा कोरेलेट करेगा। रेवेन्यू डेफिसिट 54.4 प्रतिशत 1982-83 में था जबकि प्लान साइज था 340 करोड़ का और डेट था 2408 करोड़। इसमें रेवेन्यू डेफिसिट था प्लस, सरप्लस था 54 करोड़, बजटरी डेफिसिट 26 करोड़। 90-91 का ले लें आप, प्लान साइज 950 करोड़, डेट था 6546 करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट की जगह रेवेन्यू सरप्लस था 167 करोड़, बजटरी डेफिसिट 28 करोड़। It is well under command इकोनोमी में अगर आपकी रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है लेकिन सारे नार्म्स के हिसाब से अगर कवर होता है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। पिछले वर्ष तो 340 करोड़ का जैसे घाटा दिखाया है, 340 करोड़ के ऐसे एक्सपेंडीचर दूसरे आ गये जिनको पूरित किया है। 700 करोड़ के एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट किये और क्या चाहिए? किस प्रकार के बजट को अच्छा कहा जाय? इस बार अगर चिकित्सा को समर्पित किया है, पिछली बार स्कूलें नहीं खोली हैं क्या? टीचर्स नहीं लगाये? कुछ पद रिक्त हैं लेकिन 80 के दशक में भी देख लें, बहुत से ऐसे पद रिक्त हैं। बजट स्पीचेज में भी, यह एलीगेशन हो सकता है ...

श्री चन्दनमल बैद : टीचर्स नहीं लगाये, बच्चे नहीं आये, कोई बात नहीं। स्कूलें तो खुल ही गयीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया, मैं पढ़कर सुना दूं, आपकी सरकार के जमाने में 17 हजार टीचर्स की कमी एक साथ थी।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो आपकी आदत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदत नहीं है, आप उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन्स को लेकर चल रहे हैं तो क्वेश्चन का जवाब आपका है। 17 हजार टीचर्स की कमी एक साल में थी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह दोनों की ही अच्छी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप दोनों ही चुप रहो इस मामले में। दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है तो दोनों ही चुप रहें।

श्री नरपतसिंह राजवी : इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, योजनागत विनियोजन कितना हुआ, कई बार बजट स्पीचेज में आ जाता है, कुछ बजट स्पीचेज में अच्छी तरह से दिया हुआ भी नहीं होता, यह मैं मानता हूं लेकिन 85 से 90 के पांच वर्षों के योजनागत विनियोजन से 1995 के 148 प्रतिशत अधिक है। 80–85 से लेकर 85–90 के पीरियड में मात्र 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यह वृद्धि उपयुक्त नहीं है क्या? थ्री टाइम्स ज्यादा है। योजना का आकार 90-91 में हमारा बारहवां स्थान था भारत में, 94-95 में हमारा छठां स्थान हो गया। इससे बेहतर क्या पोजीशन

(श्री नरपतसिंह राजवी)

दिखाई जा सकती है ? प्रति व्यक्ति विनियोजन 88-89 में 184 रुपये था, 95-96 में 727 रुपये, उसमें भी वृद्धि हुई है । हो सकता है कि एस. डी. पी. में कुछ पाइंट्स में, इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, प्रजेन्ट प्राइस एण्ड करंट स्टेबल प्राइस, उसमें अन्तर आया हो लेकिन पैरामीटर्स बहुत नोर्मल हैं और प्रगति निश्चित रूप से जो बजट में दिखाई है वह हाउस में हम माने या न मानें लेकिन गांव में बैठा हुआ आदमी निश्चित रूप से मानता है कि काम होगा । अब योजना की राशि का बहुत सी बार उपयोग भी पूरा नहीं होता । जहां तक राजस्थान का सवाल है, 92 से 94 के पीरियड में 100 प्रतिशत उपयोग किया है, 0.9 प्रतिशत एक्सेस खर्च किया है जबकि बिहार ने मात्र 42 प्रतिशत, गुजरात ने 95 प्रतिशत, हरियाणा ने 90 प्रतिशत, केरल ने 96 प्रतिशत, मध्य प्रदेश ने 85 प्रतिशत, ऐसे अगर देखें तो पूरा 100 प्रतिशत किसी ने नहीं किया है । अब यह स्थिति बहुत अच्छी है इसके अनुसार । स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और पर केपिटा इन्कम इण्डस्ट्रियल प्राइसेज के आधार पर, आपने फरमाया था कि काफी नीचे जा रही है । 80-81 में 1373 थी, 95-96 में 7769 है । यह फिगर डिस्प्यूटेड भी नहीं हैं । अब सेंटर की कर्जे की स्थिति करीब-करीब डाकूमेंट्स में सब में आ चुकी है, अखबारों में भी आ चुकी है. तीन लाख करोड़ रिपेमेंट करना है और पर केपिटा डेट 3500 का है । उस दिन आपने फरमाया था, बैद साहब ने, कि तीन हजार एक सौ कुछ रुपये पर केपिटा डेट है । आपने शायद वह फिस्कल डेफिसिट ग्रोस फिगर्स लोन के लिए होंगे, नेट फिगर्स नहीं लिये क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इज नेट आफ आल बोरोइंग्स । वह फिगर्स थोड़े गलत हैं, 2400 और कुछ करोड़ रुपये होते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : 31 मार्च, 96 को जो आपकी डेट होगी उस डेट के फिगर्स लिये हैं ।

श्री नरपतसिंह राजवी : वह होंगे न तो, नेट प्रजेन्ट ।

श्री चन्दनमल बैद : हां । यह बजट जो खत्म होगा उस समय आप पर 3100 और कुछ का डेट होगा. यह मैंने बताया है । मैं खाली क्लियर कर रहा हूं, आपको रोक नहीं रहा हूं ।

श्री नरपतसिंह राजवी : हां, ठीक है । डेट सर्विस पोजीशन में अभी इस साल जो बजट के कागजात मिले हैं, सेंटर में 26 प्रतिशत, एक रुपये का 26 प्रतिशत उसी में जा रहा है और टोटल बोरोइंग्स भी उतनी ही है । 26% is the borrowing and 26% is debt servicing charges. वह डेट ट्रेप की स्टेज है । राजस्थान की यह स्थिति कतई नहीं है । मैं आगे इस पर भी आ जाऊंगा । एक जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इंटरनेशनल एड, आज अरावली प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और भी प्रोजेक्ट्स चलेंगे, इंटरनेशनल एड किस प्रतिशत के आधार पर मिलती है, 0.5 से लेकर 0.7 प्रतिशत इंट्रेस्ट के आधार पर, लोंग टर्म इंट्रेस्ट है और स्टेट को कितना देना पड़ रहा है, स्टेट को 7 से 8 प्रतिशत से कम नहीं देना पड़ रहा । यह राजस्थान के हित

(श्री नरपतसिंह राजवी)

की बात होगी कि सदन कम से कम इस पर विचार करें और एक प्रस्ताव पारित करके वहां पर केन्द्र को सूचित करें कि × × × की तरह सरकार नहीं चलायें, स्टेट का अगर पैसा आ रहा है, उसी इंट्रेस्ट में से स्टेट से वापस वसूल कर ले तो स्टेट पर जो बर्डन है वह काफी कम होगा।

श्री टीकमचन्द कांत : सर्विस चार्ज कम हो।

श्री नरपतसिंह राजवी : सर्विस चार्ज इतना प्रतिशत तो बैंक भी नहीं लेता।

रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के बारे में भी काफी चर्चा थी और माननीय धनखड़ साहब ने भी काफी चर्चा की, वैद साहब ने की थी, यह बात सही है कि रेवेन्यू एक्सपेंडीचर कन्ट्रोल में रहना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर अगर अधिक रहता है, रेवेन्यू डेफिसिट अगर बढ़ती है तो स्टेट की कोई अच्छी फाइनेंशियल हैल्थ शो नहीं करता। अब रोंग अकाउन्टिंग प्रोसीजर है, उसको कैसे चेंज किया जाय, कब चेंज हो, वह तो सरकार जाने और केन्द्र सरकार के साथ वार्ता करनी पड़ेगी लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू एक्सपेंडीचर किस प्रकार से नहीं बढ़े, इसके ऊपर भी विचार तो करना चाहिए। जितना प्लान हमारा बढ़ रहा है, लास्ट ईयर जो अपना प्लान एक्सपेंडीचर था वह इस साल नॉन-प्लान में आ गया। अब ओ. एण्ड एम., उसका क्या? ओ एण्ड एम. एक्सपेंडीचर उसी में आ रहा है। जिस प्रकार आपकी योजना जिस रेश्यो में बढ़ेगी उस रेश्यो में तो नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर नहीं बढ़ेगा लेकिन उसका आर्गेनाइजेशन एण्ड मेंटीनेंस कास्ट के आधार पर भी बढ़ता तो जायेगा। योजना का आकार आप उखड़ा हुआ रखें, न ही डवलप करें, वह बातें अलग हैं। केपीटल रिसिट्स की जो पोजीशन है वह उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हमारी बोरोइंग्स वेल विदन दी नार्मल रेंज है।

एक निवेदन और अभी मीणा साहब ने किया था कि सेंटर से काफी एड मिल रही है, सेंटर की स्कीम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट सब्जेक्ट्स में सेंटर स्पांसर्ड स्कीम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो संविधान में हमारे सब्जेक्ट हैं उन पर सेंटर स्कीम बनाकर भेजें और उन्हीं पर हम खर्च करें? कहां हो सकता है इस चीज का? स्टेट सब्जेक्ट में है तो सेंटर को स्कीम बनाने की जरूरत ही नहीं है। प्रायोरिटी स्टेट खुद फिक्स करे, चाहे उसमें 30 जिले 30 काम हो, चाहे आर. एल. ई. जी. पी. हो।

इसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट भारत सरकार का और राजस्थान का भी कम्पेयर करके आपको निवेदन कर दूं। भारत सरकार का रेवेन्यू बजट एस्टीमेट 1994-95 में 32,727 का था, कुल वह 1 लाख 518 हजार 696, प्रतिशत घाटा 21.51, रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का घाटा 34132 और घाटा प्रतिशत कुल व्यय के मुकाबले 21.03। इसको राजस्थान सरकार से कम्पेयर करें तो 4.34 पर्सेण्ट होता है। बजट हमारा अच्छा है, यह आप बता सकते हैं। इसी के साथ साथ ..

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : वह दिल्ली जाकर बतायेंगे।

श्री नरपतसिंह राजवी : दिल्ली चालान साथ ही चलता है उसका। अगली बार दिल्ली जाओ फिर लाओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धनखड़ साहब बैठे हैं दिल्ली से आये हुए।

श्री नरपतसिंह राजवी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 1987-88 में 9.29 राजस्व घाटे के व्यय का पर्सेंटेज था और 1988-89 में 4.75, अब पिछले दो वर्षों में हम 4.33 तक ले आये। राजस्व घाटे की स्थिति बिलकुल अनुकूल है। नॉन-प्लान रेवेन्यू डेफिसिट, गैर-योजना राजस्व घाटा 1988-89 में 102 करोड़ का था और 1995-96 में 73.56, दोनों पीरियड्स का कम्पेयर कर रहा हूं। अब 102 जिस समय कहा, हमने जरूर कहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा होगा कि बहुत गलत है लेकिन यह हमने इम्प्रूव करके दिखायी है स्थिति आपको।

बजटरी डेफिसिट के बारे में भी बैद साहब आपने चर्चा की थी। सीखना जरूर पड़ेगा लेकिन आंकड़ों में गलती नहीं है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 1981-82 में बजटीय घाटा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में 15.19, इसको हम 1994-95 में लेकर आये हैं जीरो पर, 1995-96 में 2.96 पर्सेंट। अब यह स्थिति नहीं है तो क्या है? इसके विपरीत गवर्नमेंट आफ इण्डिया में 1994-95 में 3.96 पर्सेंट और रिवाइज एस्टीमेट में उन्होंने कम किया है 3.76 पर्सेंट। इसी वर्ष का 1994-95 का बजट एस्टीमेट आफ राजस्थान 0.68 पर्सेंट। इस बजटरी डेफिसिट पर जितना भी आपने कहा है उसका अनुमान लगा लें कि डेफिसिट पहले अधिक रहा है। हमने प्लान की साइज बढ़ायी है। प्लान अचिव किया एट द सेम टाइम डेफिसिट हमने कम किया तो असेट्स हमारी जो क्रिएट होंगी आने वाले वर्षों में वह अपने आप बता देंगे। राजस्थान का हिस्सा डेट आउटस्टैंडिंग टू टोटल डेट आफ स्टेट्स 31-3-85 को था 6.01 पर्सेंट, 31-3-90 को था 5.70 पर्सेंट, 31-3-94 को 5.40 पर्सेंट। We have brought it down. अब यह दसवें वित्त आयोग के फिगर्स हैं कुछ वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, कम्पाइल्ड हैं। आप डिटेल्स चाहेंगे, वह और दे दूंगा। इसके साथ डेट सर्विसिंग और राजस्व घाटे को जिस प्रकार से हमने पाटने की कोशिश की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा भारत सरकार के राजस्व घाटे का जो शुद्ध उधार एवं अन्य देनदारियों से पूर्ति किया गया है। धनखड़ साहब, थोड़ा आप सुन लें, आप भी फरमा रहे थे इसके बारे में। 1994-95 का राजस्व घाटा तो शुद्ध उधार एव अन्य देनदारियों से पूरित किया गया। भारत सरकार का 1994-95 में 28.46 पर्सेंट, 1995-96 में 31.94 पर्सेंट, राजस्थान का था 17.98 पर्सेंट। यह अन्तर है फैक्चुअल्स हम स्टडी कर लें। अगर पूर्ति किया जाता है इस प्रकार से तो निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करे, चाहे कोई दूसरी पार्टी पेश करे लेकिन एज एन इकोनोमिस्ट आप अगर इसको बजट के बारे में कहेंगे तो....

श्री जगदीप धनखड़ : पार्टी नहीं, सरकार ।

श्री नरपतसिंह राजवी : बिलकुल, पार्टी की सरकार है । लेकिन बजट का एनेलेसिस हमेशा एक इकोनोमिस्ट के आधार पर करेंगे तो पब्लिक में रिफ्लेक्शन जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार का न्याय करते होंगे । बजटीय घाटे के बारे में बता दूं । माननीय धनखड़ साहब....

श्री रामप्रताप कासनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, धनखड़ साहब को सरकारी खर्चे पर +++ में भेजा जाय ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस तरीके से सुना जा रहा था कि वह काफी तैयारी करके आये हैं ।

श्री अध्यक्ष : वाकई बहुत अधिक तैयारी की है ।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं, काफी ट्यूटरिंग हुई है और उनको बोलने दिया जाए क्योंकि ट्यूटर्ड विटनेस को यदि रोका जाता है तो फिर चौकड़ी भूल जाता है पर, मान्यवर, आपको यह कहने की कहां नौबत आ गयी कि सुप्रीम कोर्ट में मैं न्याय करता हूं ? न्याय तो न्यायाधीश करते हैं, हम तो जिरहबाजी करते हैं । आपको न्यायाधीश के रोल का भी अन्दाजा नहीं है, वकील के रोल का भी अन्दाजा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, धनखड़ साहब ।

श्री नरपतसिंह राजवी : जस्ट टू सी योअर प्रोफेशन कह रहा था मैं, न्याय करने की आपको नहीं कह रहा था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न्याय करने का मतलब यह है कि जितनी फीस लेते हैं, उसके अनुकूल ही आप अच्छी पैरवी करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : वैसे तो आज ही ली है 25 हजार फीस ।

श्री चन्दनमल बैद : अच्छा, तो यह है कि माननीय सदस्य बिना फीस के ही पैरवी कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, फीस लेने के आदी तो आपके यहां हैं, हमारे यहां नहीं हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे यहां तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है ।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 1994-95 में बजटीय घाटा केन्द्र सरकार का 3.96 पर्सेंट था और राजस्थान का सरप्लस था 0.68 । पिछले वर्षों के दौरान जो बजटीय घाटा रहा है, 1981-82 में 15.19 प्रतिशत राजस्थान का, 1990-91 में 2.65 प्रतिशत, 1991-92 में घाटा नहीं रहा, 1992-93 में 0.09, 1993-94 में जबकि राष्ट्रपति शासन काफी अर्से तक रहा 0.89 पर्सेंट, 1994-95 में जीरो, 1995-96 में 2.96, अभी किसी भी मापदण्ड में पिछले वर्षों को देखें तो बहुत अनुकूल है ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री नरपतसिह राजवी)

एक बात आयी थी फिस्कल डेफिसिट की। इस बारे में शायद मैं निवेदन कर चुका हूं। दुबारा मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 31-3-96 को 2594 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट रहा है बजटीय घाटा, शुद्ध ऋण और अन्य देनदारियों के आधार पर। उसमें शायद आपने 2554 करोड़ का बताया, आपने ग्रोस बोरोइंग्स ली होंगी इसलिए शायद थोड़े फिगर्स वेरियेट कर रहे हैं। ग्रोस बोरोइंग्स के आधार पर शायद यह हो रहा है....

श्री चन्दनमल बैद : मैंने जो फिगर्स दिये हैं वह बिलकुल सही दिये हैं। तीन अरब इक्कीस सौ कुछ है, वह सही है।

श्री नरपतसिह राजवी : फिस्कल डेफिसिट के ?

श्री चन्दनमल बैद : जी हां।

श्री नरपतसिह राजवी : तो आप दुबारा देख लें। मेरे को चैक करने की आवश्यकता नहीं है, अपन दोनों बैठकर कर लेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : बहुत बार देखा है, आप भी देख लीजिये।

श्री नरपतसिह राजवी : आपका मार्गदर्शन तो मैं वैसे ही मानंगा। कोई आपसे बहस नहीं कर रहा हूं लेकिन फिर भी दुबारा चैक करने के लायक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने पब्लिक अकाउण्ट को एग्जामिन किया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरा करें।

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा है, इधर से जो फिगर दिये गये हैं वह अर्थशास्त्र के शुद्ध मापदण्डों के आधार पर दिये गये। अधिकारियों को यह बात कहीं डाइजेस्ट नहीं होती। वह एक ऐसे फिगर के साथ अटेचमेंट रखते हैं जिसमें पब्लिक अकाउण्ट बिलकुल बीच में नहीं आये। इसलिए फर्क आया। You will have to re-check. या वी.पी सिंहजी से पूछ लीजिये।

श्री नरपतसिह राजवी : I would like to....

श्री जगदीप धनखड़ : वी. पी. सिंहजी से पूछ लीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उन्होंने कह दिया तो बात हो गयी। They have agreed to disagree.

श्री चन्दनमल बैद : इसमें एग्रीड और डिसएग्री होने का सवाल नहीं है (व्यवधान) इसमें एग्री टू डिसएग्री का सवाल नहीं है। यह तो आंकड़ों का सवाल है। Fiscal deficit is capital, borrowing liability plus budget deficit. यह बिलकुल सीधी सी बात है किसी से भी पूछ लीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : चैक तो करना पड़ेगा फिगर्स को।

श्री चन्दनमल बंद : नहीं, यह किसी से पूछ लीजिये। (व्यवधान) यह तो आपके बजट एट ए ग्लान्स में दिया हुआ है। इसको जोड़ने से आपको पता लग जायेगा। इसमें कोई एग्री, डिसएग्री करने का सवाल ही नहीं होता।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : टू एण्ड टू फाइव तो नहीं होते हैं ना ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट वर्तमान में पेश किया गया है इस वर्ष के लिए, यह बहुत अच्छा किया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने का हमें और प्रयास करना चाहिये। रेवेन्यू रिसीट्स में इन्क्रीज करने के वास्तव में अच्छे रिजल्ट्स आये हैं लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट और नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर को अगर हमने और कण्ट्रोल कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में, अगली पंचवर्षीय योजना में कोई इसको क्रिटिसाइज करने वाला नहीं मिलेगा, not even for the sake of it.

आपने समय दिया, बहुत-बहुत आभारी हूं और सभी बंधुओं ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भीमराज जी भाटी।

माननीय, आज तो दो सौ रुपये आप से ही लेने पड़ेंगे।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने बजट में एक अंकीय लाटरी को बंद करके जो गरीबों को निजात दिलायी है, उस साहसिक कदम के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हस्तशिल्प की वस्तुओं को सारा करमुक्त किया है, उसके लिए भी वे बधाई के पात्र हैं। खादी और ग्रामोद्योग से उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनको भी पूर्णतया करमुक्त किया है, उसके लिए भी वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ढाई सौ से साढ़े तीन सौ रुपये की जो इन्होंने वृद्धि की है, साढ़े तीन सौ रुपये में खाना नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी वृद्धि करके जो राहत दिलायी है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस सरकार ने कलर केमिकल, रंग रसायन पर 10 प्रतिशत से टैक्स घटा कर 4 प्रतिशत किया है, उससे पाली के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं पाली की जनता की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरफ से दे दो।

श्री भीमराज भाटी : मेरा वस्त्र उद्योग है ही नहीं। मैं शरीर पर ही वस्त्र रखता हूं, उद्योग नहीं करता वस्त्रों का।

इसी तरह से भूमि और भवन कर में भी इन्होंने डेढ़ लाख की आबादी की जो सीमा थी, वह डेढ़ लाख करके (व्यवधान), जो भी है, मुझे जहां तक जानकारी है डेढ़ लाख कर दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं और चूंकि उसमें मेरा पाली

(श्री भीमराज भाटी)

क्षेत्र भी आयेगा, सीकर भी आयेगा, टौंक भी आयेगा तो मैं पाली शहर की वजह से धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस सरलता से, जिस सहजता और जिस भोलेपन से इस सारे काम को, यह बजट पेश किया जाता है, यह दूसरी मर्तबा है, मुझे दूसरी मर्तबा उनके बजट भाषण को सुनने का मौका मिला है। दूसरी दफा उस बजट को अपनी नजर से और अपने हिसाब से देखने का मौका मिला है, उसमें मुझे यह समझ में आया है कि यहां जो बजट में विशेष छूटें, करों में रियायतें, करों की समाप्ति और यह जो सब चीजें की जाती हैं, इसको बहुत अच्छा जामा पहनाया जाता है कि हमने इसके लिए यह कर दिया, इसके लिए यह कर दिया और वाहवाही भी खूब लूटी जाती है, मेजें भी खूब थपथपायी जाती हैं। वहां के लोग भी थपथपाते हैं जब हम तारीफ करते हैं तब भी मेजे थपथपायी जाती हैं। लेकिन इस सारे काम करने के पीछे एक मोडस आपरेंडी है, एक तरीका है, एक सुनियोजित तरीका है। यहां बजट पेश किया जाता है, बड़ी सफाई के साथ उसके लिए विभिन्न एसोशिएशंस के प्रतिनिधि मण्डलों से भेंट की जाती है, विभिन्न संस्थाओं के सदस्यों से भेंट की जाती है, और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों से भेंट की जाती है एवं एक निश्चित तौर तरीका अपनाकर बजट में रियायतें दी जाती हैं। उस बजट की रियायतों के तुरन्त बाद उन्हीं उद्योगपतियों से, उन्हीं व्यापारियों से और उन्हीं धन्धे-धारियों से बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाये जाते हैं और सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद दिये जाते हैं। मुख्य मंत्रीजी की बड़ी-बड़ी फोटो छपती है, सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती है लेकिन, माननीय भंवर-सिंहजी साहब, आप भी पुलिस महकमे से सम्बन्धित हैं. माननीय मुख्य मंत्रीजी भी पुलिस महकमे में रह चुके हैं। गृह मंत्रीजी भी मुझे टेढ़ी नजर से देख रहे हैं क्योंकि पुलिस महकमा उनके पास है लेकिन चोर चाहे कितना भी शातिर हो, वह अपने फिंगर प्रिंटर्स छोड़ कर जाता है। मुलजिम चाहे कितना ही बदमाश हो वह मौका-ए-वारदात पर अपनी कुछ न कुछ निशानी छोड़कर जाता है। मैं बताता हूं आपको, यही हाल है, जिन-जिन चीजों पर बजट में रियायतें दी गयीं उन-उन चीजों के अगले दिन विज्ञापन छपे हैं। विज्ञापन यहां मेरे पास हैं, कोई मेरे घर पर नहीं छपे, बड़े-बड़े राष्ट्रीय अखबारों में और राजस्थान की बड़ी-बड़ी पत्र-पत्रिकाओं में छपे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 'इन विज्ञापनों में जिस-जिस चीज में टैक्स कम किये गये हैं, जिस-जिस चीज में टैक्स की घटोतरी की गयी है, जिस-जिस चीज में टैक्स की कमी की गयी है, उन सब एसोशिएशंस के सब विज्ञापनों में हरेक मिडलमैन की फोटो है। हरेक विज्ञापन में मिडलमैन की फोटो है, कोई-सा भी विज्ञापन ले लीजिये चाहे वह रा-मैटीरियल सप्लाई का हो या वेस्ट पेपर, रद्दी पेपर, प्लास्टिक की स्क्रेप के विज्ञापन ले लीजिये, बिल्डर्स पर टैक्स की कमी का विज्ञापन ले लीजिये, चाहे चुंगी चौकियों को हटाने का विज्ञापन ले लीजिये। यह इंजेक्शन लगाते-लगाते राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पता नहीं इस विज्ञापन में क्या कर

(श्री भीमराज भाटी)

रहे हैं। कोई-सा भी विज्ञापन ले लीजिये। चाय में टैक्स कम किया है, चाय की कीमत तो बाजार में कम हुई नहीं, 6 प्रतिशत टैक्स कम हुआ है। हर विज्ञापन में एक मिडिल मैन का फोटो है। हर विज्ञापन में किसी न किसी पदाधिकारी या किसी न किसी आदमी का फोटो है। यह लोकतंत्र का मखौल नहीं है? राजस्थान के मुख्य मंत्री को कोई भी संस्था धन्यवाद दे बजट में रियायत देने के लिये, मैं मंजूर करता हूं। राजस्थान के किसी विधायक को धन्यवाद दें, मैं मंजूर करता हूं। राजस्थान के किसी मंत्री को धन्यवाद दें, मैं मंजूर करता हूं कि यह बहुत अच्छा काम किया और वे उसके लिये बधाई के पात्र भी हैं। मैं भी खुले दिल से बधाई देता हूं और मुझे भी कोई संकोच नहीं है जो अच्छी चीज की गयी है उसकी तारीफ करने के लिए लेकिन जिस हिसाब से यह विज्ञापन छपते हैं, बड़े-बड़े यह हंसते मुस्कुराते चेहरे इन विज्ञापनों में दिखते हैं यह लोकतंत्र की मखौल नहीं है तो और क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के बजट में टैक्स सम्बन्धी बातों के लिये या किसी भी एसोसियेशन या किसी भी तरह के प्रतिनिधि मण्डलों को बुलाकर बातें की जाती हैं उन प्रतिनिधि मण्डलों से मुख्यमंत्रीजी स्वयं मिलते हैं, मैं यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि यह प्रतिनिधि मण्डल, जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नाम लिखा है, उसमें, उसके नेतृत्व में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत एवं प्रदेश महामंत्री, कुछ नाम लिखा है, से मिलें। शेखावत साहब ने प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि बजट तो बन चुका है लेकिन बजट पर होने वाली डिबेट में राहत देने का प्रयास किया जायेगा। यह अखबार में छपने की बात थी? वह रियायत देने की बात डिबेट होगी तब रियायत देंगे और रियायतें बजट में प्रोवाइड कर दी गयीं और रियायत का मतलब जिस दिन बजट पेश होता है उससे दो दिन पहले प्रतिनिधि मण्डलों को बुलाकर यहां पर बात की जाती है और उनको यह बताया जाता है कि चलो, ठीक है, आपका भी यह कर देंगे, बेफिक्र रहो, आप तो जाओ वापस पाली। तो इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि जब विभिन्न संस्थानों के व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डलों से बात की जा सकती है तो फिर बजट के बारे में, इस राजस्थान का जो सबसे बड़ा सदन है, यह सबसे बड़ी जो पंचायत है, उसके विधायकों से या प्रतिपक्ष के लोगों से भी क्यों नहीं सलाह-मशविरा किया जा सकता है। प्रतिपक्ष के लोगों से भी कोई अच्छी बात, कोई भी एक अच्छा हल आपको मिल सकता है, एक अच्छा सोल्यूशन आपको मिल सकता है .. (व्यवधान) .. नहीं कोई बताये भी. बजट पर आप अपने हिसाब से रखना चाहते तो सीक्रेट और वैसे सीक्रेट कुछ है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : पूरा करने दीजिये।

श्री भीमराज भाटी : दूसरी बात यह है कि पिछली बार बजट समर्पित किया गया था शिक्षा को, इस वर्ष समर्पित किया गया है स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य में कितना प्रोविजन किया गया है? मात्र 124 करोड़ 66 लाख रुपये। आप अपने आंकड़े देख लीजिये कि 124 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च करके बजट का कितना पर्सेण्ट आप

(श्री भीमराज भाटी)

स्वास्थ्य के लिये खर्च कर रहे हैं और उसको आप समर्पित बता रहे हैं स्वास्थ्य को। 124 करोड़ 66 लाख रुपये में क्या यह राजस्थान की सरकार राजस्थान के पूरे स्वास्थ्य का सुधार कर देगी या कम से कम राजस्थान की विभिन्न, जैसा परसादीलाल जी मीणा कह रहे थे, 200 कान्स्टीट्यूएंसी हैं, उन 200 कान्स्टीट्यूएंसी में से कम से कम हर छोटे मोटे गांव में या 10 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी ? मात्र 124 करोड़ रुपये में। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री महोदय विराजमान हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं नहीं, मेरा तो यह निवेदन है कि सरकार की प्रायोरिटीज बिलकुल गलत हैं। पिछला साल सरकार का पहला साल था, शिक्षा को समर्पित किया। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान का और हिन्दुस्तान का अन्नदाता है किसान, उस कृषि को सबसे पहले लेना चाहिए था। कृषि के बाद आपको सिंचाई की व्यवस्था पर समर्पित करना चाहिए था। पीने के पानी के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिजली की व्यवस्था के लिए आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। पहले तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं या कोई बिजली का, रोशनी का तो कोई प्रबन्ध ही नहीं है। अब शाम को सात बजती है और गांवों में बिजली जाती है, शहरों में तो कोई पता नहीं, लेकिन सात बजते ही एन दीया-बत्ती का टाइम होता है और गांवों में बिजली जाती है। तो अब यह बिजली तो जाए और आप बजट को शिक्षा को समर्पित करो। बहुत अच्छा। बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या कुछ करेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की जो प्रायोरिटी है, वह गलत है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए तो आप टैक्स बन्द करते हो, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, अगर उद्योग बढ़ेगा तो मजदूरों को मजदूरी भी मिलेगी लेकिन उस कलर केमिकल्स के टैक्स कम कर देने से, सीधा 10 प्रतिशत से 4 प्रतिशत, आप टैक्स कम कर रहे हो, टैक्स कर रहे हो 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत टैक्स आप घटा रहे हो, कलर केमिकल्स का उपयोग बढ़ेगा। कलर केमिकल्स के उपयोग से हमारे विधान सभा क्षेत्र में पहले ही बहुत सारी जमीनें खराब हो रखी हैं। लोगों की हजारों एकड़ जमीनें खराब हो गयीं। पूरी लूणी नदी बेकार हो गयी। हमारी जो बाडी नदी है, वह पूरी की पूरी बेकार हो गयी और तो और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस नदी के किनारे 75 किलोमीटर दूर, दोनों तरफ जो कुएं हैं उन कुओं में आज की तारीख में रंग-रंगीला और तेजाब का पानी आता है। कलर केमिकल्स पर आपने टैक्स कम किया, कोई आपको तकलीफ की बात नहीं है, किसी को कोई तकलीफ की बात नहीं है लेकिन उन किसानों के, जिनके कुएं खराब हो गये हैं, उन किसानों की जिनकी हजारों एकड़ जमीन खराब हो गयी, उसके लिए तो आपने कोई बजट में प्रोविजन नहीं किया। मेरे को राजस्थान सरकार ने जवाब दिया कि जो हजारों एकड़ जमीन मुझे ग्रामों में बतायी गयी हैं, जो मुझे भी पता था लेकिन मुझे गांवों की लिस्ट दी गयी और हजारों एकड़ जमीन की लिस्ट दी गयी और जब मैंने यह पूछा कि इसके लिए सरकार के पास क्या है, तो वित्तीय संसाधनों

(श्री भीमराज भाटी)

की कमी की वजह से इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह राजस्थान की सरकार, जो किसानों की हितैषी बनने का दम भरती है, वह किसानों की हितैषी सरकार, किसानों की और जमीनें खराब हो और कलर केमिकल्स उस नदी में बहे और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन कुओं की हालत यह है कि उन कुओं में पीने का पानी जो तेजाब का आता है, उस पानी को हमारे लोग, बच्चे और बूढ़े पी रहे हैं और मेरे इलाके में बच्चों की जवानी आती नहीं है, उसके पहले उनका शरीर बिलकुल ऐसा हो जाता है, हमारे जो इलाके में बूढ़े-बुजुर्ग हैं वे इतने स्वस्थ हैं लेकिन उनकी हालत यह हो गयी है कि उनकी कमर आज दोहरी हो गयी है। वह आज की तारीख में सीधे खड़े होकर चलने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि राजस्थान की सरकार ने सोने-चांदी के आभूषणों पर टैक्स कम किया, दुनियां भर की चीजों पर टैक्स कम किया, मैं कहता हूं कि किसानों की छोटी-मोटी चीजों के ऊपर इस सरकार का ध्यान नहीं गया। आपके पड़ौसी, आप जिस गुजरात में जीत कर आये और जिसका बड़ा दावा करते हैं और जिसकी बड़ी खुशियां मनाते हैं और जिसके लिए आप बड़ी उमंग से बात करते हैं उस गुजरात में आपकी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों के काम आने वाली सभी चीजों को पूर्णतः करमुक्त करने की बात कही गयी है लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने पूर्णतः करमुक्त किया सिर्फ एक, नयी-नयी काम आने वाली चीजें, सांवख्या, ईसबगोल। ईसबगोल तो कोई बुजुर्ग होते हैं, जिनके पेट का हाजमा खराब होता है, उनके काम आता होगा, हर आदमी तो ईसबगोल खाता नहीं और सबसे पहले पता नहीं कहां से याद आया छाता। पिछले साल भी बजट में छाता सबसे पहले याद आया, पिछले साल भी छाता। मैंने पिछले साल भी कहा था कि छाते में क्या है, छाते के नीचे क्या है... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : ताराजी, आप महिला हैं, मैं महिलाओं से डरता हूं। तो पिछली साल भी छाता याद आया। इस साल भी छाते को पूरा करमुक्त कर दिया गया लेकिन यह छाता सिर्फ इसलिए याद आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के विधान सभा क्षेत्र में छाते का उद्योग विकसित है, राजस्थान के कोई भी इलाके में छाता इण्डस्ट्री नहीं है। राजस्थान की सरकार को नुकसान पहुंचा कर यह घाटे का बजट पेश करके किसी एक व्यक्ति को, व्यापारी को ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : फायदा पहुंचाने के लिए अगर इस तरह का फायदा दिलाने की कोशिश की जाये, बजट के माध्यम से तो यह कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घंटा चालीस मिनट आपने निर्दलीय सदस्यों को दिया। मैं आपके निर्देशों की अवहेलना नहीं करूंगा ...

(श्री भीमराज भाटी)

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले भी काफी लोग बोल चुके हैं।

श्री भीमराज भाटी : मैं दो ही मिनट में समाप्त करता हूं। राजस्थान की सिंचाई के लिये आपने जो प्रोविजन किया है, वह तीस हजार कुछ हैक्टेयर जमीन कुल सिंचित होती है। उसमें से कोटा-झालावाड़ की जो है वह टोटल 12 हजार चिल्लर और 19900 चिल्लर है, वह हटा दें तो आपने 29 जिलों में सिर्फ आठ हजार हैक्टेयर इरिगेशन लैंड डवलप की है। 29 जिलों में सिर्फ आठ हजार हैक्टेयर। आपके जो 29 जिले हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें सिर्फ 141 योजनाएं चल रही हैं और उनमें भी चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर में आपकी एक भी योजना नहीं है। बारां में सिर्फ एक लघु सिंचाई योजना चल रही है। मुख्य मंत्रीजी के जिले पाली में मात्र एक लघु सिंचाई योजना चल रही है। इस तरह जवाहर रोजगार योजना में भी, मतलब आप न तो सिंचाई की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, बिजली आप उत्पादन करो नहीं, उद्योगों को आप बुलाते रहो, उद्योगों को आप इन्वाइट करते रहो। बड़ी-बड़ी फौज जाती है। यहां भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उद्योग मंत्री बनने के लिए बहुत उद्यम किया है, उद्योग मंत्री बने हैं लेकिन वह फौजें लेकर जाते हैं और फौजों की हालत यह है कि आप नयी इण्डस्ट्रीज को इन्वाइट कर रहे हैं लेकिन मैं रोज, आपको राजस्थान पत्रिका या दूसरे राजस्थान के अखबार बताता हूं, जिसमें रीको और आर.एफ.सी. के मार्फत जो दिवालिये हो रहे हैं उद्योग, उनकी नीलामी के इश्तहार छपे हुए मिलते हैं। जो आपके वर्तमान उद्योग हैं उनको आप सुचारू रूप से चला नहीं सकते और उन उद्योगों की नीलामी के इश्तहार रोज छपते हैं और फिर आप नये उद्योगों को इन्वाइट कर रहे हैं। पहले जो आपकी सिक इण्डस्ट्रीज हैं उनको तो ठीक करो और यह जो इश्तहार हैं, वह इश्तहार सरकारी अफसरों पर इसका मतलब पहले उनकी इकानोमिक फिजिबिलिटी नहीं देखी गयी कि इस उद्योग को जो हमने पैसे दिये हैं वह हमको वापस रिकवर होगा कि नहीं होगा और पैसे खा-खाकर पहले लोन दे दिये गये और आज वे नीलाम हो रहे हैं उद्योग। आप चाहे आबूरोड का उद्योग ले लें, चाहे राजस्थान के किसी भी जिले का उद्योग ले लें उद्योगों की नीलामी के रोज इश्तहार छपते हैं और हजारों रुपये उन इश्तहारों पर खर्च होते हैं। यही वजह है कि यह सरकार के अफसरों के मोटे होने की निशानी। मोटे होते जा रहे हैं और सरकार का कोष पतला होता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भीमराज भाटी : राजस्थान का जो यह धन है, वह कम होता जा रहा है। अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट में समाप्त करूंगा।

बेरोजगारी की बड़ी भारी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या के लिए राजस्थान की सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। मैं आपकी सेवा में, आपके माध्यम से इस सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 1,79,592 बेरोजगार आपके यहां पंजीकृत थे एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के

(श्री भीमराज भाटी)

मार्फत, उसमें से 12000 चिल्लर को आपने इन्टरव्यू के लिए कॉल किया और कितने आदमियों को नौकरी दे पाये आप, मात्र 8,018। पिछले साल आपने नौकरियां दीं 9,269 लोगों को। पिछले साल आपने इन्वाइट किया था 14000 चिल्लर लोगों को, 14000 चिल्लर लोगों को आपने इन्टरव्यू कॉल भेजे. 9000 तो टोटल, साल भर में 9000 लोगों को आपने एम्प्लायमेंट दिया और इस साल आपने एम्प्लायमेंट दिया उससे भी कम, 8000 चिल्लर और आपके पास इतनी बड़ी फौज जो रजिस्टर्ड है, अनुसूचित जाति के 1,29,000, अनुसूचित जनजाति के 59,000 चिल्लर, महिलाएं 83,000 चिल्लर और आप एम्प्लायमेंट देने के लिए जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज है या जो नियोजन कार्यालय है . (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भीमराज भाटी : उस समय मात्र कितना है, साढ़े तीन करोड़ रुपये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह बजट जो आप कह रहे हैं स्वास्थ्य को समर्पित किया है, इस बजट की पुस्तिका में, मुझे आप समय नहीं दे रहे, नहीं तो मैं आपको पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं ..

श्री अध्यक्ष : जो समय नियत है उसी हिसाब से दे रहा हूं मैं।

श्री भीमराज भाटी : यह पैराग्राफ समर्पित है कर चोरों को। कर चोरों को समर्पित है यह पैराग्राफ आपके बजट भाषण में। जो लोग करों के चोर हैं, जिनके हाई कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं, जिनके ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे हैं उनको आप रियायत दे रहे हैं, उनको आप एमनेस्टी की योजना दे रहे हो....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामेश्वरजी चौधरी।

श्री भीमराज भाटी : राजस्थान के खनिज उद्योग का दोहन करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, आपने बड़ी अनुनय-विनय के बाद मुझे समय दिया है तो मैं एक ही मिनट में समाप्त करता हूं ...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री भीमराज भाटी : राजस्थान की यह सरकार, राजस्थान में जो खनिज, संगमरमर और ग्रेनाइट पैदा होता है उस संगमरमर और ग्रेनाइट पर तो 15 पर्सेण्ट से टैक्स हटा कर करती है 16 पर्सेण्ट। कर चोरों और व्यापारी, जो बेईमानी करके दो नम्बर का माल लेकर आना चाहते हैं उनकी तो आप चैक पोस्टें समाप्त कर रहे हो और संगमरमर जैसी चीज जो राजस्थान में बहुतायत से पैदा होती है उसकी चैक पोस्ट कायम रहेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं धोतीधारी हैं, छोटे से गांव से आते हैं, तकदीरधारी आदमी हैं, अकलमंद आदमी हैं, हर तरह से काबिल आदमी हैं लेकिन राजस्थान के किसानों के पशु जो बिक्री के लिए जाते हैं उनकी चैक पोस्टें आपने कायम रखी हैं। व्यापारियों की चैक पोस्टें, कर चोरों के लिए तो आपने फ्री कर दीं और पशुओं की चैक पोस्टें आपने कायम रखीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप बहुत सारी बात कह चुके। श्री रामेश्वरजी चौधरी।

श्री सोमराज भाटी : संगमरमर की चैक पोस्टें आपने कायम रख दीं। मैं कहता हूं कि यह राजस्थान का बजट स्वास्थ्य को नहीं इन कर चोरों को समर्पित है इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न

गैर सरकारी सदस्य कार्य के लिए समय का नियतन

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइण्ट ऑफ आर्डर है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रूल 294 के अन्दर लिखा है If it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House, तो इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के एक मैम्बर ने भी उठाया और अब मैं रूल 23 के बारे में अरेंजमेंट ऑफ बिजनस ऑफ दी हाउस के बारे में निवेदन कर रहा हूं : The House may on the advice of the Business Advisory Committee, allot as many days as may be possible for private members business and may allot different days for the disposal of different classes of such business and on days so allotted for any particular class of business, business of that class shall have precedence. एक महीने के अन्दर दो दिन प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेने की बात रखी है, अभी तक एक भी दिन नहीं दिया गया है। आप इसको दिखवा लें और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। There is no point of order in it पाइण्ट आफ आर्डर जो बात चल रही है रिलेटेड उसी के साथ होगा। माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइण्ट ऑफ आर्डर तो आप किसी बात पर उठा सकते हैं, रूल 294 के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर चौधरी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो +++ है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। जो बातचीत चल रही है उसके बारे में पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाया जा सकता है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अरेजमेंट ऑफ बिजनेस आफ दी हाउस के बारे में बिटविन टू मैम्बर्स बोल सकते हैं। इसमें आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रामेश्वरजी चौधरी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, 1995-96 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रान्त का बजट पेश किया गया है। मैं समझता हूं, मैं चौथी बार यहां आया हूं, ऐसा सुन्दर बजट मैंने नहीं देखा और इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी की बहुत तारीफ करता हूं कि उन्होंने ऐसा सुन्दर, सुसज्जित, सजा-सजाया बजट पेश किया है। इसके लिए तो मुख्य मंत्रीजी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट को मैंने इसी खूबसूरती के साथ पढ़ा वरना मैं गांव का आदमी हूं, मैं ज्यादा पढ़ने-लिखने में विश्वास नहीं करता हूं। मैंने देखा कि इसमें किसान के लिए भी कुछ अच्छी-अच्छी बातें होंगी लेकिन इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने देखा, किसानों के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। यही सोच कर मैंने कहा कि ठीक है, किसान हितैषी सरकार है और इतना खूबसूरत बजट पेश किया है उसके लिए तो धन्यवाद दें ही। मान्यवर, पिछली साल शिक्षा को समर्पित बजट था और इस साल स्वास्थ्य को समर्पित है। पिछली साल से ही मैं बताऊं कि या तो मेरे ख्याल से एक-दो स्कूलें खुली हैं, जिस गांव में खुलनी थी वहां खुली नहीं है और जो बी.जे.पी के कार्यकर्ता थे उनकी मर्जी के हिसाब से वहां स्कूलें खुलीं। कोई बात नहीं। इस बार जो स्वास्थ्य के लिए समर्पित बजट है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मेरे यहां पर चार सब सेण्टर थे, उप स्वास्थ्य केन्द्र थे वे चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्दर परिवर्तित हो गये। उसके लिए डायरेक्टर के यहां से आदेश गये। वह आदेश मैं पढ़ दूं। नागौर जिले में निम्नलिखित उप स्वास्थ्य केन्द्र बन गये हैं उन्हें उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं। इस स्थान पर पंचायत मुख्यालय भी है या बड़ा गांव भी है। उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन की व्यवस्था एवं इकाई द्वारा आस-पास चिकित्सा सुविधा का अभाव होने से यहां ग्रामवासी इस लाभ से वंचित हैं। इस तरह से मेरे यहां चार उप स्वास्थ्य केन्द्र वहां सी.एम.एच.ओ. ने खोल दिये। अब यह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित बजट है तो इसके लिए मैं आपको बता दूं। डी.आर.डी.ए. से इनके मकान के लिए भी सोलाया 1,16,000, चोसला 1,16,000, शेसनाकावास 1,16,000 और बीजापुरा 1,16,000 सैंक्शन भी हो गयी मगर बदकिस्मती की बात कि बी.जे.पी. वालों को मालूम हुआ कि इस तरह ये स्वास्थ्य केन्द्र यहां हो गये हैं। हालांकि इसमें दो तो पंचायत हैड क्वार्टर हैं और दो ऐसे दूर के गांव हैं जहां कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, नागौर ने अपने पत्रांक दिनांक 18-7-1994 से अवगत कराया कि जिन नये ग्रामों में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थानांतरित किये गये हैं उन ग्रामों की जनसंख्या बहुत कम है जबकि उनमें दो तो पंचायत हैड क्वार्टर हैं, अगर पंचायत हैड क्वार्टर नहीं होते तो, जनसंख्या कम होने का सवाल ही नहीं है और वहां पर इनकी उपयोगिता नहीं है फलस्वरूप तुलनात्मक स्थिति का जायजा लिया है यदि संशोधित संभव हो तो नियमानुसार, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक तरफ सरकार हर गांव में ग्रामीण भाइयों को

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

चिकित्सा सुविधा सुलभ करायेगी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस तरह से करती है, क्योंकि,वह हमारी तरफ से कहे हुए थे और दो बड़े गांव थे, इस तरह से चेन्ज करे तो अब यह आप ही देख लो। मैं तो यह समझता हूं कि आपके मार्फत इस सदन की एक कमेटी बन जाये और इसमें क्या तो यह कहते हैं और क्या नहीं करते हैं, यह हो सके।

इसी तरह से बजट की बात है। इस बार बजट पेश किया गया उसमें किसानों को जितना घाटा मैं समझता हूं इन 40 सालों में मिला है बिजली के हिसाब से वह आज तक नहीं मिला। कौशलजी ने बहुत ही कौशल किसानों के लिए दिखाया। जब तक मार्च में किसान की फसल की पिलाई का समय था तब तक तो बिजली गुल थी, दो घंटे मुश्किल से तीन घंटे और शाम के समय तो जैसे कोई गधे के सिर से सींग गायब हो जाये, उस तरह से चली गयी, आने का सवाल ही नहीं था। अब जरूर दो-दो, चार-चार घंटे दिन में बिजली आती है। पहले समय पर तो बिजली थी ही नहीं। इससे किसान का नुकसान हुआ। एक तरफ किसान हितैषी सरकार है और दूसरी तरफ बिजली की यह हालत थी। किसान ने महंगे भाव से बीज लेकर बोया, आज उसकी क्या हालत है, आप गांव में जाओ तब आपको मालूम पड़े। मैं समझता हूं कि यहां एक कमेटी बनायें और वह जाकर देखे कि क्या स्थिति है? बी. जे. पी. की सरकार के अन्दर काफी तादाद में किसान लोग हैं मगर मैं समझता हूं कि उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वह मुख्य मंत्रीजी के सामने कुछ बोल नहीं सकते। बोलें तो फिर उनकी वहां बात है। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी पर चार्ज लगाता हूं कि वह किसानों के हित की बात कहते हुए इस तरह भेदभाव करते हैं। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। बिजली की कमी तो बताते हैं और बिजली का हिसाब क्या करते हैं, दो पोल के कनेक्शन इन्होंने कर दिये, इनको मालूम नहीं है कि बिजली के चेयरमैन बना दिये, टेक्निकल आदमी नहीं हैं, ठीक है प्रशासनिक अधिकारी अच्छा होगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है मगर उसको क्या मालूम कि किस हिसाब से क्या होता है। 37,000 या 38,000 रुपये दो पोल के ऊपर किसान के लगते हैं तो किसान 38,000 रुपये देकर बिजली लेगा और वह भी पूरी नहीं। उसको वोलटेज की प्राब्लम रहेगी और साथ में उसको और कई तरह की प्राब्लम रहेगी। मगर नहीं, पैसे इतने दे दो और इतना हिसाब हो जायेगा। आपका कहां तो फेज प्रोग्राम है, कहां और क्या है? कितने हिसाब से बिजली मिलेगी? सरकार किसान हितैषी है।

पिछली बार कहा यह कोर्ट खोल दीं, हमने यह कर दिया वह कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि 12 महीने से मेरे यहां ए. सी. एम. का कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है वह 12 महीने से खाली पड़ा है। वहां गरीब किसानों के मुकदमे हैं और किसी लखपति-करोड़पति का मुकदमा है नहीं। अब आप ही इस बात का फैसला कर दो कि वहां 12 महीने से ए सी. एम. और मुंसिफ, दोनों नहीं हैं तो जिन किसान भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं उनकी क्या हालत होती

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

होगी ? अब यह सरकार किसान हितैषी है या किसान विरोधी, यह तो अब मैं आपके ही फैसले पर छोड़ता हूं. कि यह कितनी किसान हितैषी बात करती है ।

अध्यक्ष महोदय, इसी हिसाब से सड़क नीति बना रहे हैं । माननीय मंत्रीजी श्री चतुर्वेदीजी बैठे हैं, एक गांव में सड़क सैंक्शन की उस गांव को जोड़ना था मंडी की साइड से । हम गये चीफ इंजीनियर के पास । चीफ इंजीनियर को बताया, मैंने कहा कि यह सड़क इस साइड से नहीं उस साइड से जोड़ दो तो और भी गांवों को फायदा मिल जायेगा और मंडी में नियरेस्ट रूट हो जायेगा । उन्होंने कहा, नहीं भाई, हमारे बस की बात नहीं है । वह गलत सड़क जुड़ी, पैसा आपने गलत खर्च किया और वह जो सही जुड़ने की थी, वह नहीं जोड़ी । हमने यह देख लिया, हमारे कहने से तो ये काम करने के नहीं हैं ..

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आप पधार जाते, कह देते, निवेदन कर देते ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : आपको नेकर पहनने की फुरसत नहीं है । चीफ इंजीनियर के पास गया हूं । मैं आपके चीफ इंजीनियर के पास गया उसको सारा नक्शा बताया । उसको सारी बात बतायी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो बहुत नजदीक हूं आपके ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : नहीं-नहीं, यह हालत है आपकी । आप कह रहे हो कि यह है । सब-सेण्टर का पैसा जब सैंक्शन हो गया था, सारी बात हो गयी फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के कहने से कापी दी है; हरीश जी कुमावत, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नागौर को सूचनार्थ । है कि नहीं ? अब आप यह अन्दाजा लगा लो कि मैं बताऊं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पत्र का जवाब तो देंगे ही, आपको क्या तकलीफ है ?

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : हमें कोई जरूरत नहीं है विकास की, हम तो किसान आदमी हैं । हम तो हमारा विकास खुद करेंगे (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप भी पत्र देंगे तो उसका भी जवाब जरूर देंगे, साहब । आप कहिये तो सही, आदेश का पालन होगा ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैं बता रहा हूं न आपको । आप कह रहे हो, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो । पहले तो हमारे मुख्य मंत्रीजी शुरू-शुरू में आये थे, हमने भ्रष्टाचार को शाहजहांपुर के परली तरफ छोड़ दिया । अब तो मेरे ख्याल से वह बात हो गयी । एक कोई + + + श्री और किसी रंगर के घर में घुस गयी तो दो-चार-पांच दिन तो उसने सूं-सूं किया और बाद में वह हो गयी तो उस रंगर से बोली कि देख, मैं घर में आ गयी तेरे और इस घर की बात गंवा दी ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : तो उसने कहा तू तो खुद भी इसी में मिल गयी तो भ्रष्टाचार का मामला यह हो गया है.... (व्यवधान) नहीं, नहीं, बताया नहीं, कोई जात की बात नहीं है ।....

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह +++ शब्द हमें पसन्द नहीं आया है । यह गलत बात है ।.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : +++ समझ लो । कोई है बात ऐसी ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह +++ नाम नहीं आना चाहिए । +++ का नाम लेने से, यह क्या बात हो गयी । आप कोई महिला कह देते, (व्यवधान) यह क्या बात हो गयी ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । माननीय सदस्या, बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैंने किसी का नाम लेकर नहीं कहा है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह +++ शब्द कहने से क्या मतलब हुआ ? आप सदन से क्षमा मांगिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी मेहता । श्री उगमराज जी मेहता ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : +++ कहते हुए तकलीफ कोन न । +++ नहीं +++ सही ।

श्री अध्यक्ष : यदि कोई गलत शब्द हो तो निकाल दो आप ।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह जाति विशेष पर कुठाराघात सहन नहीं होगा । यह क्या बात हुई ? अपने शब्द वापस लें ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : औरत थी.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इनको आदेश दे दिया है, बैठ जाइये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : जाति विशेष नहीं चलेगा ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह शब्द वापस लेंगे आप.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एक औरत थी और तो क्या है (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं-नहीं, यह अपने शब्द वापस लेंगे. (व्यवधान) यह खेद प्रकट करेंगे इसका ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है । यह +++ शब्द एक्सपंज करवाइये । यह जाति विशेष नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : पहले ही एक्सपंज कर दिया है हमने । आप पहले बात तो पूरी सुनें ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रामेश्वरलाल चोधरी : चलो औरत थी, औरत ।

श्री अध्यक्ष : + + + शब्द के एक्सपंज का हमने पहले ही आदेश दे दिया है। ज्यादा समय जाया नहीं करें, माननीय सदस्या ।

श्री अमराराम (धोद) : यह + + + असंसदीय भाषा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी मेहता। अब आप विराजिये । (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बोले हैं कि एक + + + एक रंगर के घर में घुस गयी ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह पूरी महिलाओं का अपमान है । (व्यवधान) एक महिला का अपमान किया है। इनको खेद प्रकट करना चाहिए । यह खुद बोलेंगे, खेद प्रकट करेंगे । यह क्या बात हुई ।.... (व्यवधान) एक + + + का नाम लेकर पूरे महिला समाज का अपमान किया है (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, यह पवित्र सदन है। यहां एक + + + एक रंगर के घर में घुस गयी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा । यह खेद प्रकट करें.. (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चोधरी : मैं किसी के दिल दुखाने की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो जो बात है, वह बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें । मैंने आदेश दे दिया है कि यह शब्द एक्सपंज कर दिया जाय उसके बाद क्यों खड़े हो रहे हो आप ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप खेद प्रकट करिये । आपने कैसे कह दिया ।

श्री रामेश्वरलाल चोधरी : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं । मैं तो बात बता रहा हूं । एक (व्यवधान) भाषा के हिसाब से .... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप खेद प्रकट करिये । कैसे कह दिया आपने यह सब ।

श्री रामेश्वरलाल चोधरी : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बद्रीप्रसाद गुरूजी, मैं आपको कह रहा हूं, बैठिये । बिराजें आप ।

श्री रामेश्वरलाल चोधरी : वह + + + थी + + + बस। + + + अब तो राजी न । कोई + + + थी ... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : + + + भी नहीं चलेगा, + + + भी नहीं चलेगा। यह क्या लगा रखा है । यह नहीं चलेगा सब ।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिये ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अध्यक्ष महोदय, कोई + नहीं चलेगी, कोई ++ नहीं चलेगी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी मेहता। (व्यवधान)

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मेरी बात पूरी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका भाषण।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, न + शब्द चलेगा, न ++ चलेगा। कुछ भी नहीं चलेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। पूरे पच्चीस मिनट दिये हैं आपको। बिराजें आप। श्री उगमराज जी मेहता।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको खेद प्रकट करना चाहिए। कौन किसके घर में घुस गया। यह पवित्र सदन है (व्यवधान) इस पवित्र सदन में आप किसी महिला पर लांछन नहीं लगा सकते। न + बोल सकते हैं, न + बोल सकते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आप खेद प्रकट करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैं बैठ गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप खेद प्रकट करिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट करना चाहिए। क्या बोल सकते हैं, आज यह बोले हैं, कल और भी कोई माननीय सदस्य बोलेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, कभी तो यह कहते हैं +, कभी कहते हैं +++। यह क्या बात हो गयी। इनको महिलाए ही मिलती हैं और कोई नहीं मिलता।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असंसदीय शब्द होगा, वह सब एक्सपंज कर दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : महिलाओं के बारे में कैसे बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैं, अध्यक्ष महोदय, किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं तो मेरी बात बता रहा हूं। यह भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। आपकी पूरी बात सुन ली गयी है।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : नहीं, उसके हिसाब में मैं बात बता रहा हूं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, न्याय करिये । यह महिला दशक चल रहा है। पवित्र सदन में + + + और + + + और नारी विशेष का असम्मान सहन नहीं होगा । (व्यवधान) खेद प्रकट किया जाय ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : (व्यवधान) बात कहने से हमें + + + आती है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर दिया है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : एक्सपंज नहीं, खेद प्रकट करें । खेद प्रकट करेंगे । नहीं बोल सकते आप । (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : खेद प्रकट करो आप ।

श्रीमती तारा भण्डारी : महिलाओं के बारे में कोई अपशब्द नहीं चलेगा । (व्यवधान) महिलाओं के बारे में अपशब्द नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो । कोई अंकित न करें । किसी भी बात को अंकित नहीं करें ।

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री अध्यक्ष : किसी भी बात को अंकित नहीं करें । माननीय सदस्य, बिराजें ।

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : नो पाइण्ट ऑफ आर्डर । विराजें आप (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज जी मेहता ।

श्री परसादीलाल मीणा : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : × × ×

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्री रामप्रताप कासनियां : × × ×

श्री अध्यक्ष : और जोरों से करिये + + + । सदन की ओर ऊंचा उठाइये आप । जब आपको कह दिया... (व्यवधान) उनकी बात सुनें । विराजें आप ।

श्री टीकमचन्द कांत : × × ×

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : × × ×

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : × × ×

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय चौधरी साहब, बिराजिये आप । (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।
× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री अध्यक्ष : मैं जिनको अनुमति नहीं दे रहा हूं वे खड़े नहीं हों। कृपया बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : × × ×

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब कोई बात कह रहे हैं, आप सुनें उन्हें दो मिनट।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक साथ सब खड़े होकर बोलने लग जाएंगे।

(18.00)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई भाषण नहीं कर रहा हूं ..

श्री अध्यक्ष : You are unnecessarily stalling.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सदस्य कोई बात कह रहे थे, कहते कहते बात का यूं हो गया, स्थिति यह है कि एक चमड़े का व्यापारी था उस चमड़े के व्यापारी के घर में लड़की ब्याह करके आयी ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप क्यों मध्यस्थता कर रहे हैं? हमारी सीधी बात हो रही है, आपसे क्या मतलब है?

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये तो सही। आप बोलने दीजिए, मैं अध्यक्ष जी की इजाजत से बोल रहा हूं। आप ही आप की चलेगी क्या? तो चमड़े का व्यापारी था उसके घर में बहू आयी, अब वह थी व्यापारी की लड़की। उसने कभी चमड़े की सुगन्ध, बदबू देखी ही नहीं थी तो उसने सास को कहा, सासूजी, आपके घर में तो बड़ी बदबू है। तो वो बोली, बेटा आयेगी एक बार। तो वो बोली, सासूजी, क्या होगा। बोली कि ठहर, पांच-सात दिन बाद वो उसके सहन हो गयी। उस बदबू के अन्दर वो भी रम गयी तो उसने कहा देखो, सासूजी, मेरी करामात। तो वो बोली, कैसे बेटा? तो उसने कहा कि मेरे आने के बाद आपकी वो बदबू गायब हो गयी, खुशबू हो गयी। तो वो बोली, बेटा, बात यह है तुझे पता नहीं है वो बदबू तूने मिटा दी या तेरे में घुस गयी। वो तो वातावरण ऐसा हो गया .. (व्यवधान) बात तो सुनिये आप। तो वो एक कहावत का रेफरेंस दे रहे थे। माननीय सदस्य के गांव में तो खड़ी बोली में सब बात चलती है। यह विधान सभा है तो यहां उसको दूसरे ढंग से पुटअप करनी चाहिए। माननीय सदस्य की बात से इस सदन को, महिलाओं को और माननीय सदस्यों को कोई तकलीफ हुई है, आत्मा को ठेस लगी है तो मैं उनकी तरफ से माफी चाहता हूं, आप उसको रहने दीजिए। जहां तक बहनों का अनादर करने की बात है, बहनों का अनादर करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वो तो एक बात थी प्रसंगवश, वो गांवों में ऐसे ही कही जाती है बात। वह तो भावना थी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैंने महिलाओं को बेइज्जत करने की बात नहीं कही है ..

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाइये ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : मैं मेरी बात तो कहूंगा ना पूरी ।

श्री अध्यक्ष : क्या बात कहनी है आपको ? बीस-पच्चीस मिनट और ज्यादा खराब कर दिये, विराजिये आप । माननीय उगमराज जी । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विराजिये आप । आपका अभिप्राय इस प्रकार का कहने का नहीं था मैं समझ रहा हूं । विराजिये आप । आपका ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है, मुझे पता है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दो मिनट का समय और दे दीजिये आप ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, साहब । बोलें आप । आपकी पार्टी का समय है, आपकी मर्जी आये जो बोलें ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा था तो भ्रष्टाचार के लिए जहां भी ए. सी. डी. का ट्रेप होता है या तो पटवारी या आर. आई. या कोई बाबू, इसके अलावा आज तक यह सारा सदन बैठा है कोई आई. ए. एस. या आई. पी. एस के अगर कोई ट्रेप हुआ हो तो वो बता दें । और आज जो सारी सम्पत्ति चैक करते हो इन × × × आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की चैक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति इनके पास में है, क्या है, क्या नहीं है पर उनको कोई हाथ नहीं लगाता है । एक तरफ सरकार का कायदा है कि जिस अधिकारी का प्रमोशन होता है उसको उस जगह नहीं लगाकर दूसरी जगह लगाया जाता है, यह भी आपके पहले देखने की बात है । मेरे सुझाव बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए । माननीय उगमराज जी । बहुत-बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य सुझावों के लिए, बिराजिए आप ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : पहला सुझाव तो यह है कि घनश्याम जी को मंत्री बनाओ । दूसरा सुझाव है कि बिजली बोर्ड के चेयरमैन की जगह टेक्निकल आदमी को चेयरमैन बनाओ ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप । श्री उगमराज जी ।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने 27 तारीख को जो बजट पेश किया है वह ऐसा बजट पेश किया है कि राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए बजट पेश किया है । मुझे मालूम है कि हमारे सामने बैठने वाले जो माननीय सदस्य हैं, उनका यही है कि विरोध करना । परन्तु उन्होंने यह नहीं देखा इस बजट में कि कोई नया कर लगाया नहीं, करों की राहत दी गई है और जनता में किस प्रकार की आज राजस्थान की सरकार की साख है और राजस्थान सरकार की साख के कारण आज सारे राजस्थान में यह नाम है कि भारतीय जनता पार्टी का राज है । मैं

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री उगमराज मेहता)

आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, जो घनश्याम जी तिवाड़ी ने और माननीय नरपतसिंह जी राजवी ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे सामने फाइनेंस मिनिस्टर, माननीय श्री चन्दनमल बैद जी जिस समय बजट भाषण का जवाब दे रहे थे, बजट भाषण पर बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत प्ले किया, हाथ जोड़ते हुए हमारे मुख्य मन्त्री जी को कहा कि मैं बार-बार विनती करता हूं कि उद्योग-धंधे यहां मत लगाइये, हमारे ऊपर बहुत कर्जा बढ़ रहा है। इस प्रकार से वो प्ले कर रहे थे। मुझे अचम्भा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं व्यापारी हूं, आज कोई भी उद्योग-धंधा लगाता है, या व्यापार करता है तो उसको अपनी पूंजी के साथ में लाखों रुपये का कर्ज भी लेना पड़ता है उद्योग-धंधा बढ़ाने के लिए। वो कर्ज लेता है, तो कर्ज किसको मिलता है ? जिसकी साख अच्छी होती है उसको कर्ज मिलता है। हमारी राजस्थान सरकार की साख है इसलिए करोड़ों रुपये हमको उधार मिलते हैं। उधार किसलिए मिलते हैं ? विकास के नाम के लिए। विकास करते हैं इसलिए मिलते हैं।

आज हमारे यहां बार-बार शिकायत आती है कि बिजली की कमी है। मैं मानता हूं, बिजली की कमी है और बिजली का उत्पादन करने के लिए हमें कर्ज भी लेना पड़ता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि साल या डेढ़ साल के अन्दर आप देखेंगे कि हमारा राजस्थान बिजली के ऊपर भी आत्मनिर्भर रहेगा और आपको यह मालूम होगा।

जिस प्रकार से बार-बार आप कहते हैं नीति क्या हैं, नीतियां हैं और नीति के साथ में हमारी नीयत भी साफ है इसलिए हमारा राजस्थान प्रगति करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को और भंवरलाल जी शर्मा और हमारे पूर्व अध्यक्ष, इस समय हमारे उद्योग मंत्री माननीय भामड़ा जी को और साथ में हमारे चीफ व्हिप श्री महावीर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे बीसलपुर के पेयजल के लिए बार-बार मानीटरिंग करके, बार-बार मीटिंग करके इस साल अजमेर जिले में, अजमेर, किशनगढ़ और ब्यावर में पानी पहुंचाया। मैं यह भी धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से राहत दी है टैक्सों के अन्दर। अभी हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि फालना के अन्दर छाते के उद्योग के अन्दर छाते वालों को टैक्स फ्री किया। उनको मालूम होना चाहिए कि छाते का बिजनेस बाम्बे में है और बाम्बे वालों को, उद्योगों को फालना में लाने के लिए, वहां पर इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर छाता उद्योग पनपे इसलिए छाता उद्योग पर से टैक्स हटाया गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ रियायत लेना चाहता हूं और कुछ उनको निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने इसमें एक छोटे-छोटे कपड़े के व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स लगाया है उससे आमदनी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ रुपया और सारे प्रान्त में, राजस्थान में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में 1957 में कपड़े के ऊपर से टैक्स हटा दिया था। आज कहीं सैल्स टैक्स

(श्री उगमराज मेहता)

नहीं है और एक मामूली चादर, तौलिया, मफलर उसके ऊपर टैक्स लगाया है। मेहरबानी करके उस टैक्स को हटाइये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि मोटर पार्ट्स के ऊपर आज राजस्थान के आस-पास के गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह 4 पर्सेण्ट से ज्यादा टैक्स नहीं है और हमारे यहां 12 पर्सेण्ट टैक्स है और हमको रेवेन्यू कितनी मिलती है? जितना हमारा टैक्स है उससे भी कम रेवेन्यू हमें मिलती है, आधी भी रेवेन्यू नहीं मिलती है। अगर आप यहां 4 पर्सेण्ट टैक्स करेंगे तो जिस प्रकार की यहां रेवेन्यू है उससे भी डबल रेवेन्यू राजस्थान को मिलेगी। आज सबसे बड़ी मंडी मोटर पार्ट्स के लिए जोधपुर या जयपुर है, भीलवाड़ा है या अजमेर है। पांच-छह मंडियां हैं और अगर आप 4 पर्सेण्ट या 5 पर्सेण्ट करेंगे तो व्यापारी कभी चोरी नहीं करेगा और आपकी दुगनी, तिगुनी रेवेन्यू बढ़ेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री उगमराज मेहता : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने जो तीन सौ करोड़ रुपये राजस्व खर्च के लिए रखे हैं। जहां नयी तहसीलें, उप-तहसीलें बनानी हैं, मुख्य मंत्रीजी, आज कई वर्षों से हमारी मांग है कि ब्यावर को जिला बनाया जाए। ब्यावर को जिला बनाने की इस साल घोषणा करें ताकि आपका नाम राजस्थान में रहे। ब्यावर वाले आपको कहेंगे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस बार ब्यावर....

श्री जगदीप धनखड़ : कृष्णा मिल का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री उगमराज मेहता : धनखड़ साहब, आप वकालत करते होंगे। आपको यह भी मालूम नहीं कृष्णा मिल का क्या हुआ? कृष्णा मिल चल रही है। आपको यह मालूम नहीं है अतिशीघ्र चालू हो गयी है कृष्णा मिल। आपको मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री उदय लाल आंजना।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र 1995-96 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं निम्न बिन्दुओं की वजह से इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : चित्तौड़ वालों को तो एक होना चाहिये। चित्तौड़ वाले आज सभी बैठे हुए हैं सदन में अभी तक। चले गये थे फिर वापस आ गये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। बोलने दें।

श्री उदयलाल आंजना : मैं बिन्दुवार ही विरोध करूंगा, दूसरा विरोध नहीं करूंगा। निश्चित ही यह बजट काश्तकार विरोधी है, व्यापार विरोधी है और आम जनता विरोधी है। इस संदर्भ में हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय बैद साहब ने भी ध्यान दिलाया था। टैक्स की विसंगतियों की वजह से राजस्थान की सीमा क्षेत्र पर काफी व्यापार का नुकसान हो रहा है। राजस्थान पांच राज्यों से घिरा हुआ है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा

(श्री उदयलाल आंजना)

और पंजाब। जहां जहां सीमा क्षेत्र लगता है, अन्य राज्यों के टैक्स और राजस्थान के टैक्स में विसंगतियां होने की वजह से तमाम कृषि उपज अन्य राज्यों में बिकने के लिए जाती है और उसकी वजह से वहां के व्यापारियों को जो राजस्थान में व्यापार करते हैं उनको काफी घाटा होता है और इसी कारण सीमा क्षेत्र में व्यापार निरन्तर घटता जा रहा है। टैक्स की विसंगतियां किस प्रकार हैं, इस संदर्भ में मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गेहूं को भी लें तो गेहूं पर राजस्थान सरकार ने 4 पर्सेण्ट सेल्स टैक्स लगा रखा है जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात में टैक्स फ्री है। पोस्त का दाना लें तो उस पर राजस्थान में 6 पर्सेण्ट सेल्स टैक्स है, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में 4 पर्सेण्ट टैक्स है। दलहन पर मध्य प्रदेश में टैक्स नहीं है, गुजरात में टैक्स फ्री है और राजस्थान में 4 पर्सेण्ट है। तिलहन पर मध्य प्रदेश में 2 पर्सेण्ट है सेल्स टैक्स और राजस्थान में 6 पर्सेण्ट है ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : तिलहन पर नहीं है।

श्री उदयलाल आंजना : देख लेना एक बार फिर। यही स्थिति मंडी शुल्क के संबंध में है। राजस्थान में मंडी शुल्क 1.60 पर्सेण्ट है जबकि मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क बिलकुल नहीं लगता है। आढ़त एम. पी. में निल है। काश्तकार की ऊपर से कोई आढ़त नहीं लगती है, जबकि राजस्थान में 1 रुपये 75 पैसे आढ़त लगती है। इन सब कारणों से राजस्थान का व्यापार घट रहा है। सीमा क्षेत्र में हमारी निम्बाहेड़ा मंडी में आढ़त लगती है ...

श्री महावीर प्रसाद जैन : काश्तकार पर नहीं लगती।

श्री उदयलाल आंजना : काश्तकार पर नहीं लगती, तो लगती तो उसी माल पर है ना।

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय सदस्य को।

श्री उदयलाल आंजना : व्यापारी क्या अपने घर से लगाकर व्यापार करेगा? आगे पीछे वह पड़ेगा तो काश्तकार के ऊपर ही। तो इसी संदर्भ में निवेदन है कि अगर राजस्थान का व्यापार बढ़ाना है तो टैक्स की विसंगतियों को दूर किया जाए। निश्चित ही बजट के ऊपर जो चर्चा हुई, घाटे का बताया गया है, अगर टैक्स सरकार कम करेगी तो निश्चित ही बजट में और घाटा आएगा लेकिन काश्तकारों के हित में और व्यापारी और आम जनता जो इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है उनके हित को देखते हुए टैक्स कम करने पर पुनर्विचार किया जाएगा। यही स्थिति डीजल और खाद के मामले में भी है। डीजल में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में फर्क है, खाद में भी फर्क है। यह सभी काश्तकारी चीजें हैं तो निश्चित ही टैक्स पर पुनर्विचार करके आप इसको कम करने का प्रयास करेंगे। आटोमोबाइल के क्षेत्र में गत वर्ष 10 पर्सेण्ट से घटाकर सरकार ने 6 पर्सेण्ट किया है लेकिन अन्य राज्यों में चार पर्सेण्ट ही होने की वजह से आज भी ट्रेक्टर के ऊपर लगभग पांच हजार रुपये एक काश्तकार को ज्यादा

(श्री उदयलाल आंजना)

देने पड़ते हैं। अगर सब तरफ समान टैक्स लागू किया जाएगा तो राजस्थान का व्यवसाय भी ज्यादा चलेगा और काश्तकारों को ज्यादा भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। इस सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है पैरा 50 में, कि हम पशुधन को बढ़ावा देंगे। निश्चित ही काश्तकारों की आर्थिक दशा सुधारने का पशुधन मुख्य आधार है और पैरा 50 में यह प्रावधान किया गया है कि इस वर्ष 400 वेटेरिनरी डाक्टर और 200 सहायक भर्ती किये जाएंगे जबकि आज की तारीख में राजस्थान में अधिकांश विकास अधिकारी वेटेरिनरी डाक्टर्स को लगा रखा है। तो सरकार पहले तो यथा सम्भव उन डाक्टर्स को (व्यवधान) हमारे यहां निम्बाहेड़ा में लगा रखा है डाक्टर सक्सेना है जो बी. डी. ओ. का काम कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष : बोलिये माननीय सदस्य, हां बोलिये।

श्री उदयलाल आंजना : तो इस संदर्भ में निवेदन है कि पहले तो जो वेटेरिनरी डाक्टर हैं उनको उनके मूल स्थान पर ही लगाया जाए ताकि पशुधन का जो नुकसान हो रहा है, वह नहीं हो। सिंचाई के क्षेत्र में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। बीच में खड़े नहीं हों माननीय सदस्य। इन्हें बोलने दें, बहुत कम बोलते हैं। हां, बोलिये आप। बीच में नहीं बोलें आप। अच्छी बात नहीं है।

श्री उदयलाल आंजना : नये-नये हैं, आप भी वहां ऐसे हैं जैसा मैं यहां हूं। काश्तकारों के हित में इस वर्ष फव्वारा सिंचाई के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जबकि तीस जिलों के मापदण्ड से देखें तो एक जिले को तीस लाख रुपये ही हिस्से में आते हैं जो आज की तारीख में राजस्थान में पानी की स्थिति को देखते हुए अगर खेती को बढ़ावा देना है तो निश्चित ही फव्वारा योजना पर 10 करोड़ से ज्यादा बढ़ाना चाहिये ताकि सिंचाई व्यवस्थित रूप मे हो सके।

नीति निर्धारण के मामले में भी सभी पूर्व वक्ताओं ने बताया। सरकार ने बहुत सी नीतियां बनायी हैं। उद्योग नीति बनायी है, सड़क नीति बनायी है, खनिज नीति बनायी है। बस वर्ष आबकारी नीति भी बनायी थी। छह महीने से अधिकारी अन्य प्रान्तों में गये। कर्नाटक गये, उड़ीसा गये, महाराष्ट्र गये और एक नीति खोजकर लाये और नीति का क्या हश्र हुआ, यह रोज अखबारों में आ रहा है और आप सबको जानकारी है। 40 प्रतिशत ठेके उठे ही नहीं और सरकार ने यह कहा कि मोनोपोली तोड़ने के लिए नयी नीति लाये हैं जबकि बाहर जनता यह आरोप लगाती है कि शायद गगानगर के रिजल्ट की वजह से इस प्रकार की नीति लाये क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय को तो पहली बार यह बजट पेश करने का मौका मिला है। पहले वाली नीति दो वर्ष की थी और इसीलिए ठेकेदारों की मोनोपोली खत्म करने के लिए यह गलत नीति लायी

श्रीमती तारा भण्डारी : पहली बार नहीं, दूसरी बार।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री उदयलाल आंजना : जो ठेके बाद में दिये गये हैं, 40 पर्सेण्ट घटा घटाकर दिये गये हैं। यह राजकोष का घाटा नहीं हुआ है तो और क्या हुआ है ? इसलिए नीति कम से कम ऐसी बनायें कि वह सबके काम आ सके। अभी आदरणीय उगमराज जी कह रहे थे कि हमारे ब्यावर को जिला बनाया जाए। ये बात उनकी ही मानेंगे क्योंकि यह उस साइड में बैठने वाले व्यक्ति हैं, इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नन्दलाल जी भी बैठे हुए हैं, हमारे प्रतापगढ़ को भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए, प्रतापगढ़ को भी जिला बना दिया जाए तो थोड़ा बहुत लाभ सत्ता पक्ष के साथ रहने का हमें भी मिल जाएगा। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया। किसी भी प्रान्त का या देश का बजट उसकी अर्थ-व्यवस्था उसकी पूंजी है और जिसमें उसके विकास के बारे में, उसके आय-व्यय के बारे में लेखा-जोखा होता है। यहां जो बजट पेश हुआ है, खास तौर से किसानों के लिए जो रियायतें देनी चाहिये, वह रियायतें नहीं दी गयी हैं। उद्योगों में क्या हो रहा है ? उद्योग जो लगाते हैं, मैं उन सब पर आक्षेप नहीं लगाता। लेकिन अधिकांश जो उद्योग हैं जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि उद्योग फेल हो जाते हैं। हमेशा अखबारों के अन्दर नीलामी की लिस्ट लगी रहती है। तो उसके क्या कारण हैं ? मुख्य कारण यह है कि कुछ लोग उद्योग इसलिए लगाते हैं कि हमें सब्सिडी मिल जाय और यही हो रहा है और सब्सिडी का लाभ उठाने के बाद में वे परवाह ही नहीं करते। मेरा मानना है कि उद्योग लगने चाहिये जिससे रोजगार मिलना है, आय के स्रोत बढ़ते हैं, टैक्स मिलता है और कच्चे माल की खपत होती है। लेकिन जो उद्योग फेल हो रहे हैं उसका मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य सब्सिडी प्राप्त करना है। आज कहीं 25 पर्सेण्ट सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं 15 पर्सेण्ट तो कही 20 पर्सेण्ट दे रहे हैं लेकिन काश्तकारों के ट्रेक्टर पर आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं और न ही आपका कोई प्रावधान है। फव्वारा लगाने के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। तो इसका अधिकांश फायदा किसको मिलेगा ? काश्तकार तक सब्सिडी पहुंची कि नहीं पहुंची इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी काश्तकारों को ट्रेक्टर के लिए सब्सिडी देने पर विचार करेंगे। वैसे उद्योगपतियों से काश्तकारों की संख्या अधिक है। आज गांव में रहने वाले 75 पर्सेण्ट लोग हैं और वे खेती करते हैं। इसलिए बजट ऐसा होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा लाभ गांव वालों को मिले। आज जिस प्रकार का बजट पेश हो रहा है और पहले भी पेश हुए हैं हमारी जो आर्थिक नीति है उसके अनुसार जो गरीब आदमी है वह और ज्यादा गरीब हो रहा है और जो धनाढ्य हैं वे और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। जिनके एक मकान था आज उनके 10-10 मकान बन गये, गरीब आदमी तो और ज्यादा गरीब हुआ है। आज उद्योगपतियों की औरतों को हमारे गांव की महिलाएं देखती हैं तो उनके मन में थोड़ा सा आता है कि मैं भी एक तोला सोना पहनूं। कहा भी है "पीले सूं गोरी नड़ालूम दबती चाले झूमझूम....

अनेक माननीय सदस्य : फिर महिला की बात आ गई।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ऐसी बात नहीं है। एक तो वे औरतें जो पीले सूं लड़ालूम दवती चाले झूमझूम और दूसरी तरफ वे औरतें जिनके तन पर चिथड़ा तक नहीं। एक के तन पर एक न चिथड़ा और एक स्वर्ण के गहनों वाली। तो जिनके पहनने को कपड़ा तक न हो यह हमारे इस प्रांत में और देश में हो रहा है अर्थव्यवस्था का इम्बेलेंस, असंतुलित बजट, हमारी नीति जिस पर हम कभी विचार करते ही नहीं और हम अपनी नीति बनाते रहते हैं, बजट देते रहते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया कि हमारी सड़कें बन रही हैं, सामान खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, खादी वोर्ड को ही ले लीजिये, चर्खा है वह आपको ऐसा मिलेगा उसमें भी उनको कमीशन मिलेगा और तीसरे दिन ही वह चर्खा टूट जायेगा। बस दो पाटिये लगा कर दे देते हैं। आज यदि हम बनाये और जिस पर लागत आयेगी 50 रुपये और वे लेते हैं 200, 300 रुपये। यह कभी हमने सोचा नहीं। शिक्षा क्षेत्र के अन्दर ढोलक आते हैं, हारमोनियम आते हैं उनको भी कभी आपने देखा है। वे बिलकुल भी चलने काबिल नहीं हैं। हम खरीद करते हैं मार्च के महीने में और उस समय फटाफट कमीशन तय करके जैसा भी माल मिला ले लेते हैं। तो हम इतने पैसे भी ला रहे हैं, टैक्स भी बढ़ा रहे हैं लेकिन खरीद की तरफ ध्यान नहीं देते। माननीय रामेश्वरजी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा इस बात का आकलन करना पड़ेगा। सड़कों के बारे में भी कमीशन तीन पर्सेण्ट, छह पर्सेण्ट और 90 पर्सेण्ट, नहीं तो ठेकेदार के बिल ही पास नहीं होते। क्या यह सब माननीय सदस्यों की नालेज में नहीं है ? इस बारे में क्या कभी चैक किया ? यह कभी भी हमने विचार नहीं किया कि हमारे आय के स्रोत बढ़ें। क्या होता है कि बजट पास करते हैं अप्रेल के अन्दर और पैसे का उपयोग करते हैं एक साल के बाद में। तो उस समय मजदूरी भी बढ़ेगी, मैटीरियल के भाव भी बढ़ेंगे और हम जिस लागत में लगाना चाहते हैं, जिस लागत से हम यहां काम करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते इसलिए हमें और पैसे बढ़ाने पड़ते हैं और दो महीने के लिए और बजट देना पड़ता है कि हमारे जो अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाय। इसका कारण है, हमारा प्रशासन एक्टिव नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आपने ओलावृष्टि के लिए किसानों के लिए हमदर्दी दिखाने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए हमदर्दी दिखाने के लिए कुछ बातें कह दीं। मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे यहां 25 तारीख को ओले पड़े और मैंने एस. डी. ओ. साहब को कहा कि ओले पड़े हैं, लोगों के खेत में नुकसान हुआ है। तो वे कहने लगे कि ओले नहीं पड़े हैं बरसात हुई थी। हमने कहा आप मौके पर नहीं थे, ओले पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने तो रिपोर्ट भेज दी है कि बरसात से नुकसान हुआ है। मैं तहसीलदारजी को लेकर गया और मैंने उनसे कहा कि आप लोगों से पूछिये। तो काश्तकार रो रहे थे और मैं आपकी सेवा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से खेत में इसबगोल का घोल बिखरा पड़ा है, इसमें एक भी दाना नहीं रहा है। तो आज टैक्स हटाते हैं तो फायदा किसको होता है ? व्यापारी को फायदा होता है

(श्री अमराराम चौधरी)

काश्तकार को नहीं होता है। व्यापारी क्या करता है कि वह काश्तकार से माल खरीदेगा तो उसके नाम से ही खरीदेगा क्योंकि उसके पास होडिंग पावर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय यह रेत है, मैं वहां से खेत से लाया हूं इस पर ईसबगोल का घोल लगा हुआ है इसको आप देख लीजियेगा। तो यह हालत है वहां पर। रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेण्ट के पास भिजवा दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, हमारे निर्दलियों के लिए एक घंटा और चालीस मिनट है जो हमारे सदस्यों ने पूरा समय नहीं लिया है। शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : एक घंटा चालीस मिनट सभी निर्दलियों के लिए है। आप बिराजें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : कई मंत्री बन गये लेकिन हम लोग तो सही बात बता रहे हैं। मेरा शिक्षा के बारे में निवेदन है। हम बजट शिक्षा को समर्पित करने वाला बनाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने इम्पार्शल तरीके से स्कूलें खोली इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको भूख नहीं है, जहां 10, 10-50-50 साल से जो लोग एडवांस हैं वहां भी आप स्कूलें खोलेंगे। मेरा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र से भी गया-बीता डेजर्ट एरिया है, वहां पर 60 मील के अन्दर, 50 मील के अन्दर हाई स्कूल है। शेरगढ़ में जैसे आपने महाविद्यालय खोला तो मेरे को भी फायदा है, खे सिंहजी को भी फायदा है। दूरी है कितनी ? 60 किलोमीटर ही है। शेरगढ़ बच्चे जायेंगे लेकिन आप वहां भी तो खोलिये। कोई बात नहीं, वहां नहीं खोलें तो कम से कम आप 10-10, 15-15 किलोमीटर में हाई स्कूल तो खोल दीजिये ताकि लोगों को ज्यादा पढ़ने का अवसर मिले। अभी आपने प्राइमरी स्कूलें खोले, साल भर से अध्यापक नहीं गये। तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको एक साल का लोस कितना हुआ। आपने पैसा तो बचा लिया, फण्ड तो आपका बच गया, उसमें आप डबल खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जिनको फायदा मिलना चाहिए था, शिक्षा का जो हम बेसिक काम करना चाहते हैं वह हमने नहीं किया। एक साल का गैप रह गया उस बच्चे के। वह आगे क्या बनता, आई.ए.एस. बनता या और कुछ बनता, देश में नाम कमाता लेकिन उसको हम याद नहीं रखते हैं। हम तो किस तरह से बजट में पैसा बचे, सेविंग हो यह देखते हैं। हमारी जो लीकेज हो रही है उसको रोकने की आवश्यकता है। घाटे का बजट है। क्यों घाटे का हो ? हमारे पास बहुत फण्ड है, हमारी खुद की इनकम बहुत है। हमारा ग्रेनाइट है, हमारा मार्बल है और जो भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा दें ताकि हमारी इनकम बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले।

एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी, यह जो बेरोजगारी फैल रही है, आने वाले समय में इसका बहुत

(श्री अमराराम चौधरी)

भयंकर विस्फोटक होने वाला है उसका कारण यह है कि आज ऐज 58 ईयर्स है, उसको 55 साल कर दीजिये। पहले थी, हमने कर दी, कोई बात नहीं। बहुत से विद्यार्थी दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, माननीय मंत्रीजी यहां विराजे हैं, पिछले साल इतना मलेरिया था, कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं, कोई हमारे यहां पी.एच.सी. पहले साल खुली नहीं, कोई सब सेंटर हमारे यहां है नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पी. एच. सी. और सब-सेंटर खोलें। बड़े शहरों में तो 10-10 हास्पिटल हैं। वहां भी आप वही बजट देंगे और पिछड़े क्षेत्र में भी वही देंगे....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मलेरिया से जो लोग मरे हैं, पहले जो व्यवस्था करनी पड़ी अभी तक जो लोग हैं, मस्तिष्क ज्वर के कारण से 6 महीने से टेबलेट ले रहे हैं। इवन डाक्टर लोग भी ले रहे हैं। उनके मलेरिया होने से 6 महीने से कंटीन्यू लेनी पड़ रही है। तो अबके सावधानी रख करके अधिक पी. एच. सी. खोलें। कम से कम 3 पंचायत में एक शफाखाना तो खोल दीजिये, 4 में खोल दीजिये। मैं तो कहूं कि मेरे यहां एक अराई सर्कल है, 15 पंचायतों में एक तो खोल दीजिये, कोई न कोई डाक्टर बैठा दीजिये। आपको गाड़ियों का खर्चा करना पड़ रहा है, आपका बहुत ज्यादा बजट खर्च हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये, भंवरसिंह जी चौधरी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया वह राजस्थान के सर्वांगीण विकास की ओर हमें बढ़ायेगा, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : डिप्टी सी. एम. साहिब को दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यहां से तो लें आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी : राजस्थान राज्य का बजट पहले शिक्षा को समर्पित था और इस वर्ष स्वास्थ्य को है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सदन को आपके माध्यम से कि राजस्थान में शिक्षा विभाग ने गत वर्ष एक मानदण्ड कायम किया। उदाहरण के तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में अहली शाला उच्च माध्यमिक बनी, वह सन् 64 से क्रमोन्नत नहीं हुई थी। 30-30 साल तक वहां पर बैठने वालों ने, जो आज बैठे हुए हैं, राज में होते हुए भी गांवों के विकास के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे मालूम है इनकी भावना, हमें ये आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे और मन की बात है.... (व्यवधान) मांग किये बगैर किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री भंवरसिंह चौधरी : अभी अमराराम जी ने अपने ही शब्दों में हमारे शिक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया कि हमारे यहां बिना किसी पक्षपात के स्कूलें खोलीं। मांग क्या करनी है, हम निष्पक्ष ढंग से पूरे राजस्थान के क्षेत्र का विकास करते हैं। हम बी.जे.पी. के क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आप बी.जे.पी. में थे ही नहीं।

श्री भंवरसिंह चौधरी : मैं कांग्रेस में भी नहीं था, चिंता नहीं करें आप। जो स्कूलें खोलीं, अभी यह बात आयी, मैं मान सकता हूं कि दौसा में ऐसा हुआ होगा हाई कोर्ट के स्टे आये, नागौर में भी ऐसा हुआ कि अध्यापकों की नियुक्ति के ऊपर बंधन लगा। छात्र तभी भर्ती होगा जब शिक्षक आयेगा। हाई कोर्ट के बंधनों के कारण 2-3 जगह ऐसा नहीं हुआ वरना 8 हजार शिक्षकों को नियुक्ति दी है पिछले साल। बेरोजगारी मिटाने के लिए सबसे बड़ा काम किया है शिक्षकों के साथ में। इसमें महिलाओं को 50 प्रतिशत नियुक्तियां देकर के; बहन ताराजी कहती हैं कि महिलाओं को बराबर कंधे से कंधा जोड़कर साथ लेना चाहते हैं, पीछे नहीं देखना चाहते हैं।

मैं कृषि की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। चूंकि मैं कृषक हूं, अतः कृषक की दो बातें मैं बताऊंगा। आज तक कृषि उपज मंडियों की राशि से व्यापारियों की दुकान–गोदाम बने, किसानों के कोई काम नहीं आया। हमारे माननीय कृषि मंत्रीजी, श्री ज्ञानसिंहजी ने पहला उद्देश्य यह लिया कि जितनी भी गांवों में सम्पर्क सड़कें बना सकते हैं, उतनी बनायें और मैं बता दूं मेरे क्षेत्र में ही नहीं, मेरे क्षेत्र में तो 100 किलोमीटर सड़क बन रही है, मैं जहां भी जाता हूं, वहां मंडी की सम्पर्क सड़कें बनती हुई दिखती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है काश्तकारों के लिए ...

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : मंडी के पैसे हमारे, सड़कें बनी आपके।

श्री भंवरसिंह चौधरी : अब आपने क्यों नहीं बनायी जब आपके पास पैसे थे? मैं तो यह कह रहा हूं आपसे कि हमें पीछे रखने के लिए आपने नहीं बनायी। मंडी के पैसे आपके नहीं है, किसानों के हैं, आप अपनी जेब में लेकर के बैठ गये, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना करके व्यापारियों को देते रहे और आप यह जवाब पूछते हैं कि पैसे हमारे हैं, इसका सदुपयोग करना चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट : मंडी के चुनाव कराने की बात करो आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी : मैं वह भी बात करूंगा, ठहरो आप। मंडियों के चुनाव क्यों नहीं हुए, इसका भी एक कारण है। भाई परसादीलाल जी ने जो बात कही, उसके स्टे की बात नहीं, मंडी का चुनाव मंडल पंचायत के सदस्यों से बनता है। अब पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। हमारी चेष्टा है, हमारी सरकार को निवेदन करेंगे कि चुनाव कराये जाएं। दूसरी बात, मैं आपके विवाद में तो पड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं सारे जवाब दे भी नहीं पाऊंगा ... (व्यवधान)....।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें। माननीय, स्पेसिफिक कहें आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी : आपको पूरी छूट है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें आप। ज्यादा समय जाया नहीं करें।

श्री भंवरसिंह चौधरी : किसानों के लिए, विशेषत: उन गरीब किसानों के लिए जिनके पास बहुत कम जोतें हैं और फसल निकलते ही वे बेचना नहीं चाहते थे मगर मजबूरन बेचनी पड़ती थी, हमारे कृषि मंत्री महोदय ने 25 हजार रुपये तक उस किसान को देकर उसकी फसल उसकी इच्छा रहे तब तक गिरवी रखकर मंडी में और वापस बेचने का अधिकार दिया। आदेश आपके पास है। मैं आपको दिखा दूंगा, धर पर आ जाना.... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलें आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी : व्यापारियों का ठेका नहीं है उन मंडियों में, इसलिए हमने, इस सरकार ने किसानों का भी उन दुकानों में, जो मंडियों में बनती है, 10 प्रतिशत कोटा फिक्स किया। वह हम उन किसानों को उपलब्ध करवायेंगे जो व्यापार करना चाहेगा। तो यह किसानों की भलाई की बातें जो आज तक आपने सोची भी नहीं, वह हमने क्रियान्वित की हैं।

इसमें थोड़ा सा मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि हम कृषक हैं, मालिक नहीं हैं। जमीन के मालिकाना हक के लिए मैंने एक प्रश्न अलग किया है। हम टीनेन्ट कहलाते हैं और सरकार मालिक कहलाती है। हमारे रिकार्ड है ऐसा। तो कम से कम जब रजिस्ट्री करायें तो रजिस्ट्री की फीस भी मालिकाना हक से कुछ कम की जाये ताकि हमें राहत मिल सके और किसान के जो इनपुट्स हैं-खाद, बीज, रोगनाशक दवाइयां और किसान के यंत्र ट्रेक्टर, मोटर आदि, इनके ऊपर जो कर लग रहे हैं उन्हें या तो माफ कर दिया जाये या कम किया जाये ताकि किसान आपको ज्यादा उत्पादन दे सके। यह प्रार्थना है सरकार से....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी : श्रीमान्, कुल दो तीन मिनट ही हुए हैं। एक बहुत बड़ा कटु सत्य सामने आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात तीन मिनट में पूरी करें।

श्री भंवरसिंह चौधरी : जैसा आदेश है माननीय अध्यक्ष महोदय का।

बिजली का कटु सत्य है। नहीं कर पाये हम पूरी सप्लाई, यह मानते हैं परन्तु यह क्यों हुआ, यह बतायेंगे आपको। आज तक कोई भी योजना बिजली उत्पादन की गयी सरकारों ने नहीं बनाई....

श्री परसादीलाल मीणा : किसने बनाई अब तक बनी जो ?

श्री भंवरसिंह चौधरी : मैं बताऊंगा। अणु पर आ जायें तो रावतभाटा पिछली साल बन्द हो गया और शून्य उत्पादन हो गया और इसके कारण यह सारा बिजली का अकाल पड़ा....

श्री परसादीलाल मीणा : दो साल और राज रह गया भारतीय जनता पार्टी का तो सब बन्द हो जायेंगी।

श्री भंवरसिंह चौधरी : यह भारत सरकार की यूनिट है, राजस्थान सरकार की नहीं। यह राजस्थान में ही संकट नहीं था। माननीय केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री अजीतसिंह जी ने मेरठ में 6-4-95 को जो वक्तव्य दिया वह आपने पढ़ा होगा। उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि यू.पी. के अन्दर सरकार तो कहती है कि 16 घण्टे बिजली किसानों को मिली लेकिन 2-3 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दी गयी। यह संकट थ्रू आउट इण्डिया था। पूरे भारतवर्ष में था। इसलिए राजस्थान को दोष देने की जरूरत नहीं है।

मैं आपको बता दूं कि हम नयी योजनाएं हाथ में ले रहे हैं। सूरतगढ़ में हम 96 के एण्ड तक 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। 97 में फिर 250 मेगावाट का उत्पादन करेंगे और 98 में फिर 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। इस तरह से एक हजार मेगावाट का उत्पादन सूरतगढ़ में होगा। शीघ्र उत्पादन के लिए हम 600 मेगावाट बिजली डीजल पम्प सैटों से अगली साल से उत्पादन शुरू कर देंगे। रामगढ़ में गैस आधारित एक संयंत्र से 35 मेगावाट की बिजली उत्पादन का लक्ष्य है जो इस साल हो जायेगा। मैंने सबसे सस्ती बिजली उत्पादन की एक योजना रशिया के वैज्ञानिकों से सम्पर्क करके मेरे क्षेत्र में ही कोयले को भूतल में ही जलाकर गैस बाहर निकाल कर बिजली उत्पादन करने की पेश की है। इस यू. सी. जी अण्डरग्राउण्ड कोल गैसीफिकेशन योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार विचार कर रही है। मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आश्वासन मिला है कि यह योजना बहुत अच्छी है और इस पर विचार करेंगे। अगर यह योजना शुरू हो गयी तो डेढ़ साल में जल्दी से जल्दी यह आपको बिजली का उत्पादन देगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भंवरसिंह चौधरी : दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें। बोलिये।

श्री परसादीलाल मीणा : सारी बातें माननीय सदस्य कह देंगे तो मुख्य मंत्रीजी क्या जवाब देंगे ?

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यथेष्ट चेष्टा कर रहे हैं कि किसानों को अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध हो। इसके लिए हम ट्रान्जिट लासेज, रास्ते में जितनी भी बिजली की खपत होती है उसको कम करने के लिए 220 से लेकर 33 तक के ट्रान्सफार्मर्स लगाने की विशेष योजना हाथ में लिये हुए हैं

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बहुत हो गया।

श्री भंवरसिंह चौधरी : श्रीमन्, 3 मिनट तो इन्होंने ले लिये मेरे और मैं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में कैसे ना कहूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामस्वरूपजी।

श्री भंवरसिंह चौधरी : आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, आपको 7 मिनट का टाइम है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने अब मुझे टाइम दिया है और उसके बाद भी आप मुझ पर सीमा लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सीमा है और पार्टी का टाइम नियत है। प्रारम्भ करें आप।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बजट के ऊपर जो चर्चा हो रही है, जो बजट पेश किया गया है, मैं इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि यह बजट किसान विरोधी बजट है, गरीब विरोधी बजट है, युवा विरोधी बजट है। यह किसान का प्रगति की ओर ले जाने वाला बजट नहीं है।

अभी हाल ही में हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे और माननीय तिवाड़ी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा शासन किया है, अच्छा बजट पेश किया है और उसी का परिणाम है कि चारों तरफ हमारी पार्टी जीतती हुई चली आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। पंचायती राज के अन्दर अभी जो आपकी पार्टी की विजय हुई है यह भी कोई ईमानदारी की विजय नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जिला परिषदों के जो चुनाव हुए, जिला प्रमुख हमारे आये, उप-जिला प्रमुख हमारे आये और कुछ प्रधानों के मामले में इस तरह की बड़ी भारी गड़बड़ियां हुई कि आपके यहां की मत्री महोदया + + +हर जगह वहां गयीं और उन्होंने + + + अपने मैम्बर्स को जितवाया। यह आपने राज का फायदा उठाया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय तिवाड़ी जी, आप जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार प्रगति की ओर जा रही है, हमारी पार्टी लाभ में जा रही है, यह बिलकुल असत्य है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्यों निकाल दिये जायें ? मैं आपको लैटर दिखा सकता हूं और एक लैटर को मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं ...

श्री अध्यक्ष : असंसदीय शब्द निकाल दिये जायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कह रहे हैं या बिना बात को डिबेट करवाना चाह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने 40 वर्ष शासन किया। देश की प्रगति हुई, राज्य की प्रगति हुई। चारों तरफ औद्योगीकरण हुआ। देश के अन्दर भाखड़ा डैम, चम्बल डैम, यह जितनी भी योजनाएं थीं वह कांग्रेस के टाइम में बनीं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

देश में कहीं एक सूई तक नहीं बनती थी, वही आज भारत है जो विश्व में नाम कमा रहा है। यह सब कांग्रेस की देन है और आज हमारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। यह बहुत ही बड़ी बात है कि आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते।

जो बजट आपने पेश किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घाटे का बजट है। इस प्रकार अगर लगातार घाटा होता चला गया और इसी प्रकार के बजट आते रहे तो देश का क्या हाल होगा ? राष्ट्र की क्या हालत होगी ? इसमें आपने बताया है कि 11,500 करोड़ के प्लान में 9 हजार करोड़ का कर्जा। इसी प्रकार आपने बताया कि एक हजार डाक्टरों की पोस्टें खाली हैं। 900 करोड़ की आमदनी होगी। अगर आमदनी नहीं हुई तो क्या होगा ? मान लो कि आमदनी नहीं हुई तो क्या होगा राज्य का ? इसलिए यह तो राज्य को डुबोने वाली बात है। आमदनी हुई नहीं और पहले से ही आंकड़े लगा रहे हैं कि इतनी हमको आमदनी होगी। आमदनी होगी कहां से ? अगर आमदनी नहीं होगी तो राज्य का क्या होगा ? घाटे से सारे राज्य और प्रदेश की जनता त्राहिमाम करने लग जायेगी। इसलिए किसी ने साफ कहा है :

डूबे जायें तीन जना, पूंजी कम व्यापार घणा,
आमद कम खर्च घणा, ताकत कम गुस्सा घणा।

यह तीनों चीजें आपके इस बजट में है। अगर इसी प्रकार आपका यह घाटे का बजट रहा तो इससे तो निश्चित रूप से राज्य डूबेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस घाटे के बजट के बजाय अगर इस बजट में इस प्रकार का प्रावधान रखा जाता जिससे जनता को फायदा होता–चाहे आपको वाहवाही नहीं मिलती, यह वाहवाही थोड़े दिनों की है। बाद में आखिर में जाकर सारी दिक्कते कांग्रेस पर आयेंगी। फिर उसको परेशानी खड़ी होगी। आपका तो ढाई साल का राज है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दें।

श्री रामस्वरूप : दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी मेरी बहिनें नाराज हो रही थीं। हमारे भाई ने कोई सच बात कह दी थी, उदाहरण पेश कर दिया गांव का, आप नाराज हो रही थीं। मैं कहना चाहता हूं, जो आज हमारे महिला आश्रम में क्या हुआ ? महिला आश्रम के अन्दर जो मेरी बहिनें रह रही हैं, उन महिलाओं को गर्भ हुआ और उनके साथ बलात्कार हुआ। इतनी बुरी घटनाएं किसी राज्य के अन्दर हो रही हों और वह बहिनें नाराज हों ! नाराज हों उन मंत्री के ऊपर। आप उन पर नाराज क्यों नहीं होती हैं ? क्यों नहीं सच को सच कहती हो ? यह बात साफ-साफ अखबारों के अन्दर आयी है। आज महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है ? क्या वह आपकी बहिनें नहीं है ? क्या वह हमारी बहिनें नहीं हैं ? अन्धी हैं, बहरी हैं, गूंगी हैं और उनके साथ बलात्कार हो जाए, गर्भवती हो जाए,–माननीय मंत्री जी, आपके

(श्री रामस्वरूप)

लिए + + + की बात है अगर आप इस बात के लिए जवाब नहीं दे सके तो। मेरा बहनों से भी निवेदन है कि आप सच को सच कहें। एक गांव का उदाहरण पेश कर दिया, उस पर आप नाराज हो गई। यह सच्चाई है आपको उन पर नाराज होना चाहिए अगर आप इस प्रकार का अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं रोका गया तो। आप चाहे कितने ही घाटे के बजट कर लो, देश को आगे गर्त में ले जाओगे।

दूसरा मेरा निवेदन है आपने जो उद्योगों के लिए जो पैसा दिया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट और बाकी है।

श्री रामस्वरूप : दो मिनट और।

आपने उद्योगों के लिए पैसा दिया। मेरा निवेदन है, नये उद्योग तो आप खोल रहे हो परन्तु पुराने उद्योगों के बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। जिला सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को बन्द हुए आज बीस साल होने को आये जिसके अन्दर चार हजार कर्मचारी हैं, आज उनके लिए रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहा है। उनकी यह हालत हो गयी है, भीख मांगने के लिए सड़कों पर डोल रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी जिस समय चुनावों में सवाईमाधोपुर गये थे उस समय उन्होंने मीटिंग में एक भाषण दिया था कि आप सब लोग कांग्रेस का धुंआ निकाल दो मैं आपकी सीमेंट फैक्ट्री का धुंआ निकाल दूंगा। कांग्रेस का धुआं निकल गया लेकिन सीमेंट फैक्ट्री का आज तक धुआं नहीं निकला....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामस्वरूप : वहां की जनता ने माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को मान लिया लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जनता के बीच में इतना बड़ा असत्य बोल दें. इससे बडी शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, हमारे जो पुराने उद्योग हैं, सवाईमाधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री जो बन्द पड़ी हुई है, उसको चालू करवायी जाए और मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने कई नदियों के ऊपर एनीकट और बांध बनाने के लिए कहा है। सवाईमाधोपुर में जब मुख्य मंत्री जी पधारे थे तो उस समय वह श्री महावीर जी भी गये थे। महावीर जी में उन्होंने कहा था कि गम्भीर नदी के ऊपर एनीकट बना दूंगा लेकिन आज तक एनीकट नहीं बना। वहां पर जलस्तर नीचे चला जा रहा है पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है, पीने तक को वहां पर पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्री जी जो घोषणा करके आये हैं, उस घोषणा की क्रियान्विति करें और जनता के सामने जो सच बोला है उसको सच रखें।

तीसरा मेरा निवेदन है, टोडाभीम के अन्दर एक कालेज के बारे में सारी शर्तें पूरी-

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अभिलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

हो रही हैं। छात्रों की संख्या देखते हुए, बिल्डिंग को देखते हुए और सारी शर्तें टोडाभीम पूरी कर रहा है उसके बावजूद भी आपने वहां पर कालेज क्यों नहीं खोला? कोटा में कालेज खुल गये हैं लेकिन हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस से जीतकर आये हैं और हम दुबारा जीत न सकें इस भेदभाव को आप मिटावें।

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये, तीन मिनट ज्यादा दे दिये हैं।

श्री राम स्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह बजट रखा गया है, यह किसान विरोधी बजट है। जो हमने टोडाभीम में कालेज खोलने के लिए निवेदन किया है, आप इसे अवश्य ही स्वीकार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मनोरमा सिंह।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 27 मार्च, 1995 को सदन में प्रदेश का बजट, आय व्ययक विवरण वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए प्रस्तुत किया है। यह बजट बेहतर आर्थिक प्रबन्धन का द्योतक है। बजट में अर्थ-व्यवस्था का संतुलन बरकरार रखते हुए राजस्थान के चहुँमुखी विकास के लिए, हर वर्ग के हितो को प्राथमिकता के साथ जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विभिन्न संसाधनों का वृहद विनियोजन किया है। मैं बजट का स्वागत करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने समन्वित योजना के आधार पर मूल आधारित संरचना की गति को नयी दिशा प्रदान की है। ग्रामीण विकास की दृष्टि से एकीकृत योजनाओं के जरिये नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, निर्बन्ध योजना, अपना गांव अपना काम आदि के माध्यम से 1158 करोड़ रुपये का व्यय जो कि विगत वर्ष की तुलना में 365 करोड़ अधिक है। 15 करोड़ मानव दिवसों के द्वारा हर हाथ को काम बेरोजगारी उन्मूलन में सकारात्मक ढंग से उठाया हुआ कदम है। ग्रामीण विकास की मूल संरचना में पंचायती राज व्यवस्थाओं के जरिये सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर पहली बार महिलाओं, पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति व जनजाति की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहती हूं। इस क्रान्तिकारी परिवर्तन से गांवों में प्रजातांत्रिक मूल्यों की संरचना तो सुदृढ़ होगी ही साथ ही आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनैतिक बदलाव की भी शुरूआत होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों का विकास राष्ट्र की प्रगति का मूलभूत आधार है। देश की जनसंख्या के तीन-चौथाई आबादी गांवों में ही निवास करती है। इसी अवधारणा के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट को गांव विकास की ओर केन्द्रित किया है। सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर संस्थापित करने तथा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु व्यवस्था करने में दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रतिपादित किया है जो सराहनीय कदम है। शिक्षा के प्रसार की गति को तेज करने के लिए वित्तीय वर्ष 1995-96 में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय के

(श्रीमती मनोरमासिंह)

रूप में क्रमोन्नत करने तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नति के साथ सम्पूर्ण साक्षरता को प्रधानता दी है। दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों में बसी ढाणियों में शिक्षा ज्योति से घर-घर को प्रकाशमान प्रज्ज्वलित करने के उद्देश्य से चल रही शिक्षाकर्मी व लोक जुम्बिश योजना को साक्षर क्रांति के रूप में निरूपित किया है। भारत जैसे देश के लिए जहां जनसंख्या का बढ़ता हुआ घनत्व निश्चित रूप से विचारणीय बिन्दु है, श्रम शक्ति का अधिकाधिक समावेश औद्योगिक क्रांति की सफलता का मुख्य सूत्र है। बेरोजगारी को नियंत्रित किये जाने के आशय से तकनीकी शिक्षा को महत्व देकर नवयुवकों को तकनीकी

(19.00)

प्रशिक्षण के जरिये आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को तहसील स्तर पर कार्यान्वित करना दूरगामी दृष्टि से अत्यन्त लाभकारी होगा। नवीनतम विकसित तकनीक को विकेन्द्रीकृत किये जाने के उद्देश्य से मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है कि इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्लास्टिक टेक्नोलोजी का प्रशिक्षण केन्द्र जिला स्तर पर अवश्य ही खुलना चाहिए। तकनीकी शिक्षा आयोजना मद में 6 गुनी वृद्धि अच्छा शुभ संकेत है। नवीन विद्युत परियोजनाओं में धौलपुर में 700 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए प्लांट संयंत्र की निजी क्षेत्र में स्वीकृति सराहनीय है। इससे प्रदेश के पूर्वी जिलों में विद्युत समस्या से दीर्घकालिक राहत प्रदान होगी। राज्य विद्युत मण्डल के आयोजनान्तर्गत कार्यों के लिए 811.32 लाख रुपये का प्रावधान विगत वर्ष 1994–95 की तुलना में बीस प्रतिशत अधिक है। सदैव से उपेक्षित रहे राजाखेड़ा क्षेत्र में 132 के वी. ए. ग्रिड स्टेशन की स्वीकृति होना प्रथम प्राथमिकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कृषि सिचन के लिए, जिससे कि पानी के अनावश्यक व्यय को रोका जा सके, पाइप लाइन के जरिये दो करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। चम्बल, माही, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के जरिये 237.86 करोड़ रुपये की राशि मुकर्रर कर कृषि को प्रथम प्राथमिकता मानते हुए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को अर्जित करने का प्रयास अपने आप में अनूठा प्रयास है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रदेश के पूर्वी जिले धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र की ओर ले जाना चाहूंगी। यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मनोरमा सिंह के बोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्रीमती मनोरमा सिंह : अब तक अविकसित रहे क्षेत्र में कृषि सिंचन एक ज्वलंत समस्या है। चम्बल एवं पार्वती नदियों की समीपता होते हुए भी संसाधनों के प्रयास नहीं हो सके हैं। लघु लिफ्ट सिंचाई योजनान्तर्गत पानी को चम्बल एवं

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

पार्वती नदी से उठाकर पाइप के जरिये कृषि सिंचाई की व्यवस्था को इस आयोजना में सम्मिलित करने के लिए आग्रह करती हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत डांग क्षेत्र के विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की है जो एक बुनियादी परिवर्तन की शुरूआत है। डांग क्षेत्र भूमि को समतलीकरण के जरिये कृषि योग्य बनाकर उन गरीब परिवारों को आवंटित कर स्वावलम्बी बनाने का प्रयास दरिद्रनारायण की सच्ची सेवा होगी। घोषित सड़क नीति के अनुसार पंचवर्षीय योजना तक सन् 2000 तक 1991 की जनसंख्या के आधार पर एक हजार की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी व सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का सराहनीय कदम है। बजट में पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से नवीन तकनीक के माध्यम से 4800 गांव व ढाणियों के लक्ष्य का निर्धारण तथा विगत वर्ष 94-95 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपयों की वृद्धि संयोजित कर पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाया है। ग्रामीण अंचलों में घटते हुए जलस्तर से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से गुजारिश है कि क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से लगभग 5-6 हजार की आबादी को पेयजल की आपूर्ति के लिए क्रियान्वयन होना ग्रामीण क्षेत्रों की महती आवश्यकता है। पेयजल की रीजनल स्कीम के प्रस्तावों को युद्ध स्तर पर स्वीकृत किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा मानव जीवन के लिए अमूल्य निधि है। स्वस्थ काया मानव जीवन की प्रथम अभिच्छा है। प्रस्तुत बजट को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को समर्पित कर 114.66 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 125 प्रतिशत की आनुपातिक वृद्धि का कीर्तिमान लक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी व स्वास्थ्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी। ग्रामीण अंचल में ढाणियों तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का संकल्प व्यक्त किया है। इससे ग्रामीण अंचलों में हैजा, मलेरिया व अन्य घातक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी तथा चिकित्सा के अभाव में विकलांगता, पोलियो एवं असामयिक मृत्यु के दुष्प्रभावों को नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में औद्योगिक वातावरण का सृजन करने के उद्देश्य से पूंजी अनुदान विनियोजन के लिए मार्च, 1996 तक योजना को चालू रखने का निर्णय स्वागत योग्य है। नवीन औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन की दृष्टि से कर दायित्व में 75 प्रतिशत कर-मुक्ति का लाभ देने की घोषणा औद्योगिक आधार को मजबूत करेगी। व्यापार क्षेत्रों को बिक्री कर में राहत पहुंचाकर टैक्स की स्लेब रेटों में एकरूपता देने की घोषणा अच्छी उपलब्धि के संकेत हैं। मध्यम एवं लघु उपभोक्ताओं को उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं में कर राहत देकर तथा बिक्रीकर की दरों को कम कर व्यापार सुधार के लिए अच्छी शुरूआत की है। मई, 1995 से वाणिज्य कर चैक पोस्ट को हटाने की घोषणा से आर्थिक विकास के लिए निर्बाध व्यापार

(श्रीमती मनोरमा सिंह)

व परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का साहसिक निर्णय व्यापारिक जगत के लिए शुभ संकेत है। एक अंक की लाटरी के प्रचलन पर रोक लगाकर मध्यम वर्ग के परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं को दैनिक उलझन से मुक्ति दी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1995-96 का प्रस्तुत बजट राजस्थान को विकासोन्मुखी पथ पर प्रस्तुत करेगा तथा ग्रामीण विकास की नयी आधारभूत संरचना को बल मिलेगा। सभी पहलुओं से बजट को "गागर में सागर" के रूप में प्रस्तुत किया है। बजट में प्रदर्शित आयोजनाओं के परिणामों के शुभ संकेत विकासशील करेंगे, ऐसी मेरी शुभ आकांक्षाएं हैं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 18 अप्रेल, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.06 बजे मंगलवार; 18 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट – 1

तारांकित प्रश्न संख्या 327 का विवरण

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति

प्रपत्र "अ"

क्र. सं.	40 से 70 लीटर में बनायी गयी योजना का नाम	40 से 70 लीटर में स्वीकृत योजना का नाम	गांव का नाम	वर्तमान में लाभान्वित ग्राम: पूर्ण लाभान्वित	कब से	आंशिक रूप से (40 लीटर पर)	कब से	योजनाओं के नाम जिन पर वर्तमान में कार्य चल रहा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना रतकुड़िया बासनी	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना रतकुड़िया बासनी	1. बासनी खारिया	1. बासनी खारिया	1992	—	---	योजना में स्रोत का कार्य प्रगति पर है, शेष कार्यों की स्रोत के सफल होने पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
			2. पालड़ी सिद्धा	2. पालड़ी सिद्धा	1994	—	—	
			3. खामटा			1. खामटा	1972	
			4. रतकुड़िया			2 रतकुड़िया	1972	
			5. सरगिया खुर्द			3. सरगिया खुर्द	1972	
			6. सरगिया कलां			4. सरगिया कलां वर्तमान में शून्य	1972	
			7. कागल			5 कागल	1972	
			8. मडाना			6. मडाना	1972	
			9. मलार			7. मलार	1972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना तिगरा	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना रामड़ावास तिगरा	10. सालवा खुर्द			8. सालवा खुर्द	1972	योजना का कार्य प्रगति पर है।
			11. तिगरा			9. तिगरा	1985	
			12. बाडा कलां			10. बाडा कलां	1985	
			13. बाडा खुर्द			11. बाडा खुर्द	1985	
			14. रामडावास खुर्द			12. रामडावास खुर्द वर्तमान में शून्य	1985	
			15. खेडी चारण			13. खेडी चारण वर्तमान में शून्य	1985	
3.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बन्दड़ा खेड़ी सालवां	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बन्दड़ा खेड़ी सालवां	16. खेडी सालवा			14. खेडी मालवा वर्तमान में शून्य	1985	योजना का कार्य प्रगति पर है।
4.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना लाम्बा वाला मालकोसनी	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना लाम्बा वाला मालकोसनी	17. बड़ी कलां	3. बड़ी कलां	3/93 से			
			18. बड़ी खुर्द	4. बड़ी खुर्द	3/93 से			
			19. बिजासनी	5. बिजासनी	3/93 से			
			20. मालकोसनी	6. मालकोसनी	3/93 से			
			21. गुजराबास	7. गुजराबास	3/93 से			
			22. पडासला कलां	8. बढासलो कलां	3/93 से			
			23. पड़ासला खुर्द	9. पडासला खुर्द	3/93 से			
			24. हरियाडा	10. हरियाडा	3/93 से			
			25. खुटियाला	11. खुटियाला	3/93 से			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	पाइप्ड जलयोजना खारिया मिटठापुर	पाइप्ड जलयोजना खारिया मिटठापुर	26. खारिया मिटठापुर			15. खारिया मिटठापुर	1989	वर्तमान में योजना का कार्य प्रगति पर है।
6.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बोयल कापरड़ा	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बोयल कापरड़ा	27. चिरडानी	12. चिरडानी	1990			
			28. नानण	13. नानण	1990			वर्तमान में पानी कम जा रहा है।
			29. जालीवाडा कलां	14. जालीवाडा	1990			
			30. जालीवाला खुर्द	15. जालीवाला खुर्द	1990			स्थानीय स्रोत से जल वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में पानी कम जा रहा है।
			31. जवासिया	16. जवासिया	1990			वर्तमान में पानी कम जा रहा है।
			32. रियां	17. रियां	1990			
			33. बाकलिया	18. बाकलिया	1990			
			34. बुचकलां	19. बुचकलां	1990			बुचकलां से पानी कम दिया जाता है।
			35. रामडावास कलां	20. रामडावास कलां	1990			स्थानीय स्रोत से जल दिया
			36. खुडेचा	21. कुडेचा	1990		शून्य	पानी कम जा रहा है।
			37. खेजडकलां	22. खेजडला	1990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			38. रावणीया	23. रावणीयाणा	1990		शून्य	योजना से पानी नहीं 5 हैण्डपम्प कार्यरत हैं।
			39. रूणकिया	24. रूणकिया	1990			
			40. खारिया आनावास	25. खारिया आनावास	1990			
			41. आनावास	26. आनावास	1990			
			42. जाटीयावास	27. जाटीयावास	1990			योजना से शून्य वुचलका से पानी दिया जा रहा है।
7.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना बाजड़ा बिरावास	क्षेत्रीय जलप्रदाय बिरावास	43. बांजड़ा	—	—	16. (आंशिक) बांजड़ा	1991	कार्य प्रगति पर है।
			44. विसावास	28. विरावास	1993	—	—	"
8.	क्षेत्रीय जल योजना साथीन कोसानी	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना कोसानी, साथिन	45. साथीन			17. साथिन	1993	योजना का कार्य प्रगति पर है।
			46. कोसानी			18. कोसानी	1993	"
			47. मादलिया			19. मादलिया	1993	"
			48. मालावास			20. मालावास	1993	"
9.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना कूड खोकरिया	क्षेत्रीय जल योजना कूड खोकरिया	49. कूड			21. कूड (आंशिक)		योजना हेतु स्रोत उपलब्ध नहीं है अतः योजना स्वीकृत नहीं हो पाई।
			50. कोकरिया			22. कोरिया		

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आदेशित पत्रावलियों पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

335. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर कलक्टर ने वर्ष 1991 से 30 अगस्त, 1994 तक कितने एफ. आई. आर. दर्ज कराने के आदेश पत्रावलियों पर दिये थे एवं उन आदेशों की पालना में कितनी एफ. आई. आर. सम्बन्धित पुलिस स्टेशन्स पर दर्ज करवाई गयीं ? सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर के आदेश के बावजूद भी कई एफ आई. आर. दर्ज नहीं करवाई गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जोधपुर कलक्टर ने वर्ष 1991 से 30 अगस्त, 1994 तक 12 एफ आई आर. दर्ज कराने के आदेश पत्रावलियों पर दिये थे । आदेशों की पालना में सभी 12 एफ. आई आर. संबंधित पुलिस स्टेशन पर दर्ज करवाई जा चुकी हैं । सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार सभी प्रकरणों में एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गई है ।

क्र. सं.	नाम व्यक्ति जिसके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी ।	एफ.आई.आर. दर्ज कराने की दिनांक	नाम पुलिस थाना जहां एफ.आर.आर. दर्ज कराई गयी है ।
1	2	3	4
1.	मै. रमेश पारख (केरोसीन) भोलानाथ कृषि फार्म, जोधपुर	21-4-91	भंवर
2.	मै. रमेश पारख (केरोसीन) भोलानाथ कृषि फार्म, जोधपुर	21-4-91	भंवर
3.	मै. रमेश पारख (डीजल) शिवम केमिकल्स जोधपुर	22-4-91	बासनी औद्योगिक क्षेत्र

1	2	3	4
4.	श्रीराम जनरल स्टोर पावटा (केरोसीन) जोधपुर	23-9-91	महामंदिर
5.	मै. हाजी मुख्तार अली (लुब्रिकेट) फर्म हाजी मोटर्स जोधपुर।	5-9-91	प्रतापनगर
6.	श्री सन्तोष कुमार अग्रवाल (मावा) रेल्वे वर्कशोप के बाहर जोधपुर	10-6-92	सरदारपुरा
7.	श्री जेठाराम जगदीश आदि (डीजल) ग्राम लोरड़ी जोधपुर	17-6-92	भंवर
8.	मै. मोहम्मद शफी एण्ड संस (केरोसीन)	20-1-93	प्रतापनगर
9.	मै. नन्दनवन उपभोक्ता सह. समि. (शक्कर) उ. मू. दु. सं. 34/206	17-12-93	प्रतापनगर
10.	श्री जयनारायण पुत्र श्री मांगीलाल (केरोसीन) जावतों की बाड़ी, सूरसागर	2-7-93	सूरसागर
11.	श्री सलीम, रसीद आदि (राशनकार्ड)	16-12-93	प्रतापनगर
12.	12 उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकान संख्या 19/71 के दोहरे राशनकार्ड बनवाने बाबत्।	30-3-95	खाण्डा फलसा

(212)

प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत दौसा जिले के युवकों को ऋण

336. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दौसा जिले में प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों ने जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय में ऋण लेने के लिए आवेदन किया ? आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदकों में से कितने बेरोजगार युवाओं को ऋण देने के लिए चयन किया गया ? चयनित लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) दौसा जिले में जिला उद्योग अधिकारी द्वारा चयनित कितने बेरोजगार युवाओं को इस योजना के अन्तर्गत अब तक ऋण उपलब्ध करवाया गया है ?

उत्तर

(1) दौसा जिले में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में 269 एवं 1994-95 में 1115, कुल 1384 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, आवेदकों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उपरोक्त 1384 आवेदकों में से वर्ष 1993-94 में 46 एवं 1994-95 में 370 कुल 416 आवेदकों का चयन किया गया। वर्षवार चयनित आवेदकों की सूची परिशिष्ट "आ" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) चयनित युवकों को ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उद्योग विभाग के अधिकारी बैंकों से सम्पर्क कर ऋण स्वीकृति व वितरण की कार्यवाही में सहायता प्रदान करते हैं। दौसा जिले में इस योजनान्तर्गत 45 युवाओं को ऋण वितरण किया गया है। बैंकों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। अतः ऋण वितरण कराने में कठिनाई आ रही है। इस बिन्दु पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गंगानगर शहर के क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा

337. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर शहर में गत वर्षाकाल में कितने मकान किन-किन व्यक्तियों के गिर गये अथवा क्षतिग्रस्त हो गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लाखों रुपये के बड़े-बड़े भवन वर्षा के कारण ढह गये ?

(3) सरकार ने वर्षा के कारण गिरे और क्षतिग्रस्त मकानों की जांच और जायजा किस माध्यम से करवाया ?

(4) जांच रिपोर्ट के अनुसार कितनी जन-धन और पशुओं की हानि होना पाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राधेश्याम)

(5) जांच रिपोर्ट के अनुसार किस-किस व्यक्ति को हानि की पूर्ति के लिए कितनी-कितनी राशि दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब अविलम्ब उन व्यक्तियों को आर्थिक मदद करेगी जिनके मकान गिर गये अथवा क्षतिग्रस्त हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर शहर में गत वर्षाकाल में 678 कच्चे, पक्के मकान आंशिक व पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-"क")

(2) जी नहीं।

(3) जिला प्रशासन द्वारा जांच की जाती है।

(4) जन व पशु हानि शून्य है। मकानों के नुकसान की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-"क")

(5) जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, किसी को सहायता नहीं दी गयी क्योंकि क्षतिग्रस्त मकान अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाये गये थे।

(6) अतिक्रमियों को राज्य सरकार द्वारा सहायता दिया जाना सम्भव नहीं है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

निगम द्वारा बसों की खरीद प्रकरण

338. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 1-4-1992 से 28-2-1995 तक कुल कितनी बसों की खरीद की है और किस विक्रेता से की है ?

(2) क्या उक्त खरीद से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं ? यदि हां, तो संबंधित सप्लायर्स जिन्होंने निविदाएं दीं, की सूची मय उनके द्वारा प्रस्तावित दरों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस खरीद के सम्बन्ध में कोई आडिट आक्षेप भी है ? यदि हां, तो आक्षेप की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम द्वारा दिनांक 1-4-92 से 28-2-95 तक कुल 2071 बसों की चेसिस खरीदी जाकर उन पर बस बाडी का निर्माण करवाया गया। यह खरीद निर्माता मैसर्स अशोक लीलैण्ड एवं टेल्को से की गयी है।

(2) मूल निर्माता से खरीद करने पर निविदाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(3) जी नहीं।

माण्डारेल (सिकराय) में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सीमेंट चुर्री प्रकरण

339. **श्री महेन्द्र कुमार मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सिकराय निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम माण्डारेज में जवाहर रोजगार योजना के तहत वर्ष 1993 में एक सीमेंट का खुर्रा बाजार में होकर निर्माण हेतु स्वीकृत हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खुर्रा में घटिया निर्माण सामग्री लगाने एवं जन विरोध को देखते हुए कार्य बन्द कर दिया गया है ?

(3) क्या सरकार का पुनः उस खुर्रे का निर्माण कार्य शुरू करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। बाजार के कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा विरोध करने पर कार्य बन्द कर दिया गया।

(3) जी हां। कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा को लिफ्ट सिंचाई योजना

340. **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में चम्बल नदी व पार्वती नदी से लिफ्ट योजना द्वारा सिंचाई किये जाने का सरकार इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितनी लिफ्ट कहां-कहां लगाने का विचार है एवं इसकी स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी ?

(2) इस योजना के तहत व्यय की जाने वाली राशि एवं उसके वर्षानुसार व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र के लिए चम्बल नदी से धौलपुर लिफ्ट योजना प्रस्तावित है तथा पार्वती नदी पर कोई भी लिफ्ट योजना प्रस्तावित नहीं है। धौलपुर लिफ्ट योजना में मात्र एक लिफ्ट 60.50 मीटर की ली गयी है। यह योजना धौलपुर के पास राष्ट्रीय राज मार्ग 15 चम्बल पुल के पास प्रस्तावित हैं। उक्त परियोजना की हाईड्रोलोजी केन्द्रीय जल आयोग को अनुमोदनार्थ भेजी हुई है। जिसका अनुमोदन होने पर ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा सकेगी। परियोजना की स्वीकृति, लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होने एवं वित्तीय संसाधन उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(2) क्योंकि अभी तक परियोजना तकनीकी रूप से स्वीकृत होना अपेक्षित है, इसलिए इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

नगरपालिका, इन्द्रगढ़ (बून्दी) के निलम्बित कर्मचारी प्रकरण

341. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बिना नोटिस दिये किसी भी कर्मचारी को निलंबित करने का अधिकार नगरपालिका चेयरमैन को है ? नगरपालिका इन्द्रगढ़, जिला बून्दी में गत 2 वर्षों में कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया ?

(2) क्या निलम्बित किये गये कर्मचारियों को कोई नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी के निलम्बन की तिथि व नोटिस देने की तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी को नियुक्ति अधिकारी होने के नाते बगैर नोटिस दिये निलम्बन का अधिकार नगरपालिका चेयरमैन को है । गत दो वर्षों में नगरपालिका, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी में 11 कर्मचारी निलम्बित किये गये । नियुक्ति अधिकारी को निलम्बन का अधिकार है ।

(2) निलम्बित किये गये कुछ कर्मचारियों को निलम्बन पूर्व स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिया गया है तथा कुछ को नहीं दिया गया है । नोटिस देने का विवरण संलग्न परिशिष्ट में है ।

नोटिस की आवश्यकता नहीं है ।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, इन्द्रगढ़

पिछले दो वर्षों में निलम्बित किये गये नगरपालिका कर्मचारियों का विवरण पत्र

क्रम सं.	निलम्बित किये गये कर्मचारी नाम	पद	निलम्बन की तिथि	निलम्बन से पूर्व स्पष्टीकरण हेतु दिये गये नोटिस की तिथी
1.	श्री गोपाल लाल गौड़	नाकेदार	14-10-93	दि. 4-10-93 को नोटिस दिया गया।
2.	श्री गोपीलाल	चौकीदार	21-6-94	नोटिस नहीं दिया गया।
3.	श्री हेमराज मीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	28-3-93, 29-5-94 31-10-94	दि. 26-3-93 को नोटिस दिया गया। नोटिस नहीं दिया गया।
4.	श्री खलील अहमद	नाका गार्ड	28-3-93	दि. 26-3-93 को नोटिस दिया गया।
5.	श्री कैलाश चन्द	नाका गार्ड	13-10-93, 12-6-94	दि. 16-9-94 एवं 24-9-94 को नोटिस दिये गये। दि. 4-6-94 को नोटिस दिया गया।
6.	श्री नाथूलाल कहार	नाका गार्ड	23-11-93, 25-12-94	दि. 18-11-93 को नोटिस दिया गया। दि. 19-12-94 को नोटिस दिया गया।
7.	श्री राधेश्याम/केसरा	स्वच्छक	8-7-93 एवं 21-5-94	नोटिस नहीं दिया गया।
8.	श्री रामसिंह	स्वच्छक	8-7-93, 21-7-94	नोटिस नहीं दिया गया।
9.	श्री मोहन/बंशी	स्वच्छक	5-7-94, 17-11-94 एवं 9-12-94	दि. 20-7-94 को नोटिस दिया गया। नोटिस नहीं दिया गया।
10.	श्रीमति शान्ती	स्वच्छक	5-3-94, 6-7-93	दि. 4-3-94 को नोटिस दिया गया। नोटिस नहीं दिया गया।
11.	श्री राधेश्याम/रेवड़िया	स्वच्छक	17-11-94	नोटिस नहीं दिया गया।

ह./-
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका इन्द्रगढ़

जिला उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्र

342. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित हैं जिनका रीको से सम्बन्ध है ?

(2) गत दो वर्षों में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मादडी, सुखेर आदि में कितने उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की गयी ?

(3) क्या सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान में आमंत्रित किया है और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और उदयपुर में इस योजना के तहत कितने उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में रीको से संबंधित निम्नांकित औद्योगिक क्षेत्र हैं :—

1. मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (मादड़ी)
2. उद्योग विहार सुखेर
3. गुड़ली
4. फतेहनगर
5. सनवाड़
6. औद्योगिक समादा, प्रतापनगर

(2) गत दो वर्षों में रीको द्वारा मादड़ी, सुखेर व गुड़ली, औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नानुसार भूखण्ड आवंटित किये गये हैं :—

1. मादड़ी (मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र)	14 भूखण्ड (14 इकाइयां)
2. सुखेर	2 भूखण्ड (2 इकाईयां)
3. गुड़ली	47 भूखण्ड (32 इकाईयां)

(3) प्रवासी राजस्थानियों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से कोई योजना नहीं है अन्य उद्यमियों के समान ही प्रवासी राजस्थानियों को भी राज्य में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु खुला आमंत्रण है। अन्य राज्यों के प्रवासी राजस्थानियों/उद्यमियों को जानकारी देने हेतु कलकत्ता, हैदराबाद तथा बंगलौर आदि शहरों में औद्योगिक शिविर आयोजित किये गये हैं। उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहायता समूह का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सुविधा समूह का गठन किया गया है। जिला स्तरीय सुविधा समूह की बैठक सभी जिलों में एक माह अथवा दो माह में आयोजित की जाती है। इन सुविधा समूहों में उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

लाखूकाला एवं छतरगढ़ क्षेत्र को क्षतिग्रस्त फसलों के काश्तकारों को राहत

343. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सहायता राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि माह जनवरी, फरवरी व मार्च, 1995 में शीत लहर,

(श्री भीमसेन चौधरी)

ओलावृष्टि से खाजूवाला एवं छतरगढ़ के कुछ क्षेत्रों में खड़ी फसलों को काफी क्षति पहुची है ? यदि हां, तो सरकार ने काश्तकारों को राहत पहुंचाने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

जी हां। माह फरवरी एवं मार्च, 95 में खाजूवाला एवं छतरगढ़ में फसलों को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। क्षतिग्रस्त फसलों के 140 काश्तकारों को 1,22,463 रु. की सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

दरगाह नरहड़ शरीफ (झुंझुनूं) की इन्तजामिया कमेटी

344. जुबेर खान (रामगढ़) : क्या वक्फ राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दरगाह नरहड़ शरीफ जिला झुंझुनूं की इन्तजामिया कमेटी भंग की हुई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या नई इन्तजामिया कमेटी के लिए जिला कलक्टर अथवा स्थानीय लोगों द्वारा कोई प्रस्ताव सरकार को भेजे गये है ? यदि हां, तो सरकार को प्रस्ताव कब प्राप्त हुये ?

(3) सरकार उक्त दरगाह को इन्तजामिया कमेटी का गठन कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दरगाह शरीफ नरहड़ की कमेटी राजस्थान वक्फ बोर्ड के आदेश संख्या 1393/94 दिनांक 23-2-94 के द्वारा निलम्बित की गयी थी।

(2) कमेटी के गठन हेतु स्थानीय लोगों के नामों का प्रस्ताव जोनल चीफ, राष्ट्रीय सहारा हिन्दी दैनिक के मार्फत दिनांक 26-5-94 को प्राप्त हुए हैं। जिला कलक्टर झुंझुनूं से भी 27-5-94 को कमेटी गठन के लिए नामों का एक पैनल प्राप्त हुआ था।

(3) वक्फ अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अन्तर्गत वक्फ कमेटियों के गठन का अधिकार राज. वक्फ बोर्ड को है। वर्तमान में दरगाह नरहड़ की वक्फ कमेटी के गठन के मामले को लेकर एक वाद उनवानी मोहम्मद यासीन बनाम राज. वक्फ बोर्ड, न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 243/94 लम्बित है जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 12-10-94 को आगामी पेशी तक नयी कमेटी का गठन नहीं करने और यथा स्थिति का आदेश दिया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सबजुडिस है। प्रकरण में आगामी पेशी 15-5-95 नियत हैं।

250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

345. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 में सरकार द्वारा राज्य के 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों में प्राथमिक शाला खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था ? यदि हां, तो राज्य में कितने प्राथमिक

(श्री हरिसिंह)

विद्यालय खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों की मात्र कागजी स्वीकृति जारी की गई है व नवसृजित प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये हैं ? यदि हां, तो राज्य में कितने प्राथमिक विद्यालय अभी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1994-95 में सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्र में 250 व इससे अधिक एवं मरुस्थलीय क्षेत्र व जनजातीय क्षेत्र में 150 व इससे अधिक की आबादी वाले विद्यालय विहीन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अनुसार कुल 2154 प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं, जिनका जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। जो स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ नहीं किये गये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

हनुमानगढ़-श्री गंगानगर क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के मोघों में पृथक्-पृथक् वाटर अलाउन्स से उत्पन्न स्थिति

346. श्री सोतराम (मालपुरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिला क्षेत्र की गंग कैनाल, भाखड़ा कैनाल एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मोघों में वाटर अलाउन्स भिन्न-भिन्न हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भिन्नता के कारण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जहां काश्तकारों के खेतों में सीपेज हो गया है एवं फसल होना बन्द हो गई है वहीं भाखड़ा एवं गंग कैनाल क्षेत्र में काश्तकारों को सिंचाई के लिए आवश्यक पानी नहीं मिलने के कारण पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है ?

(3) क्या सरकार भाखड़ा कैनाल एवं गंग कैनाल में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सीपेज से भूमि को बंजर होने से बचाने के के लिए तीनों नहरों में वाटर अलाउन्स समान रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। भाखड़ा एवं गंग नहर प्रणाली को उनके हिस्से से अधिक पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है इस कारण पर्याप्त उत्पादन न होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बहुत ही छोटे क्षेत्र में सेम की समस्या अवश्य उत्पन्न हुई है परन्तु यह समस्या भिन्न-भिन्न वाटर अलाउन्स के कारण नहीं हुई है।

(3) गंग-भाखड़ा एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में अलग-अलग वाटर अलाउन्स के औचित्य

(सिंचाई मंत्री)

तथा पुनर्विचार हेतु राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी हैं जिसकी सिफारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेना संभव होगा ।

नगर न्यास भीलवाड़ा की भू-खण्ड आवंटन हेतु काउण्टर सेल योजना

347. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर न्यास नियमों में नगर न्यास द्वारा भू-खण्ड आवंटन हेतु काउन्टर सेल योजना के संचालन का प्रावधान है ?

(2) क्या भीलवाड़ा नगर न्यास द्वारा दिनांक 15-1-1992 से 31-1-1992 तक भू-खण्ड आवंटन हेतु काउन्टर सेल योजना चलायी गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य था ? क्या वह न्यास नियमों के अधीन था ?

(3) क्या उक्त योजना के तहत भू-खण्ड आवंटन किये गये ? यदि हां, तो कुल कितने ? विवरण तारीखवार सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या उक्त योजना से न्यास को आर्थिक लाभ हो पाया ? यदि हां, तो कितना व किस प्रकार ?

(5) क्या इस प्रकार की काउन्टर सेल योजना राजस्थान में स्थित अन्य नगर न्यासों में भी क्रियान्वित हुई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । यह सही हैं कि न्यास द्वारा दिनांक 15-1-92 से 31-1-92 तक भूखण्ड आवंटन हेतु काउन्टर सेल योजना चलाई थी । सर्व प्रथम ऐसी योजना जिला कलक्टर जो न्यास अध्यक्ष भी थे, के समय में दिनांक 18-1-85 में न्यास निर्णय लेकर चलाई गई थी । जिसके अनुरूप ही न्यास ने निर्णय लिया जाकर काउन्टर सेल योजना चलाई है । काउन्टर सेल योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य शहर में हो रहे अवैध व अनियमित व अनियन्त्रित निर्माणकर्ताओं को हतोत्साहित करना व योजनाबद्ध विकास के दृष्टिकोण एवं आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई गई थी । हालांकि नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है । राज्य सरकार द्वारा इस योजना की स्वीकृति नहीं देने के कारण न्यास द्वारा यह योजना निरस्त कर आवंटित 533 भूखण्डों के आवंटियों में से 432 आवंटियों को राशि लौटा दी गई शेष 101 आवंटियों ने न्यास द्वारा की गई निरस्तीकरण कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश विक्रय/आवंटन/नीलाम नहीं करने बाबत प्राप्त किया गया । मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है ।

(3) जी हां । इस योजना के तहत भूखण्डों का आवंटन किया गया था जिनकी संख्या 533 थी । इनमें से 432 आवंटियों को राशि लौटा दी गई शेष 101 आवंटियों द्वारा स्थगन प्राप्त किया हुआ है । योजनावार भूखण्ड व शेष बचे व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(4) राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं होने पर इस योजना को नियमानुसार नहीं होने से इसे निरस्त कर दिया।

(5) जी हां। वर्ष 1986-87 से 1988–89 के दौरान नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा काउन्टर सेल योजना के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को 792 भू खण्ड एवं अल्प आय वर्ग के 213 व्यक्तियों को भू खण्ड आवंटित किये गये। इसी प्रकार न्यास गंगानगर द्वारा 1989–90 में इस योजना में 86 भू खण्डों का आवंटन किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कार

348. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की नई औद्योगिक नीति में निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत करने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यात के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया है ? यदि हां, तो ये निर्यातक कौन-कौन हैं ?

(2) उपरोक्त निर्यातकों का पुरस्कार के लिये चयन किस आधार पर और किसके द्वारा किया गया है ?

(3) वर्ष 1993-94 में निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में राजस्थान का कितना योगदान रहा है और यह देश के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का कितना प्रतिशत है ?

(4) वर्ष 1993–94 में राज्य से किन-किन वस्तुओं का कितनी-कितनी राशि का निर्यात हुआ है ?

(5) क्या सरकार ने राजस्थान के निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, उनके मूल्य तथा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की कोई व्यवस्था की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के निम्नांकित प्रमुख निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया है :—

रिपु

435] परिशिष्ट–17 अप्रेल, 1995–परिशिष्ट
(उद्योग मंत्री)

चयनित निर्यातक	समूह का नाम
1. मै. जैन मेटल कम्पोनेंट, जोधपुर	इंजीनियरिंग एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स
2. मै. आटोलाईट इण्डिया लि. जयपुर	उपरोक्त
3. मै. डेरेवाला ज्वैलरी मैन्यु. कं. जयपुर (निर्माता निर्यातक)	जैम एण्ड ज्वैलरी
4. मै. चोरडिया जैम्स, जयपुर	उपरोक्त
5. मै. काला जैम्स, जयपुर (व्यवसायी निर्यातक)	उपरोक्त
6. मै. के. पी. एण्ड कम्पनी, जयपुर	कार्पेट्स
7. मै चौधरी एक्सपोर्ट्स, जयपुर	उपरोक्त
8. मै. राजस्थान आर्ट एम्पोरियम, जोधपुर	हैण्डीक्राफ्ट्स
9. मै. पापुलर आर्ट पैलेस, जयपुर	उपरोक्त
10. मै. गोयल फेशन्स, जयपुर	रेडीमेट गारमेंट्स
11. मै. कन्हैयालाल कल्याणमल, जयपुर	उपरोक्त
12. मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा (निर्माता निर्यातक)	टैक्सटाईल्स
13. मै. बांसवाड़ा सिंथेटिक्स, बांसवाड़ा (निर्माता निर्यातक)	उपरोक्त
14. मै. रूपायन, जयपुर (व्यवसायी निर्यातक)	उपरोक्त
15. मै. इण्डियन रेयन एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. जोधपुर	खनिज आधारित उत्पाद
16. मै. पेसिफिक ग्रेनाइट्स उदयपुर	उपरोक्त
17. मै. के. जे. इन्टरनेशनल, बून्दी	एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग
18. मै. विकास डब्लू. एस. पी. लि. श्रीगंगानगर	उपरोक्त
19. मै. जे. के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली	अन्य
20. मै. एस. एफ. आर. लि., अलवर	उपरोक्त

(उद्योग मंत्री)

(2) पुरस्कार दिये जाने हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये निर्यात का मूल्य, गत दो वर्षों में निर्यात की मात्रा में की गई वृद्धि, निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज, नई वस्तुओं का निर्यात, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में स्थानीय दक्षता का सदुपयोग, निर्यात के क्षेत्र में शोध एवं विकास एव गुणवत्ता को आधार बनाया गया। पुरस्कार के लिए चयन राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया जिसके अन्य सदस्य उद्योग निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान लघु उद्योग निगम, संयुक्त महा-निदेशक, विदेश व्यापार भारत सरकार, क्षेत्रीय अधिकारी, जैम्स एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल, सचिव राजस्थान चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्ड. एवं अध्यक्ष, राजस्थान फैडरेशन आफ एक्सपोर्ट्स थे।

(3) वर्ष 1993-94 में राजस्थान राज्य से 2267 इकाइयों द्वारा 1432.28 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जो देश के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का 2.12 प्रतिशत है।

(4) वर्ष 1993-94 में राज्य से निर्यात निम्न वस्तुओं का निम्न प्रकार रहा :—

निर्यातित वस्तु का नाम	राशि (रुपये करोड़ में)
1. इन्जीनियरिंग	118.36
2. इलेक्ट्रोनिक्स	40.74
3. खाद्य पदार्थ एवं कृषि आधारित वस्तुएं	109.92
4. रेडीमेट गारमेंट	160.00
5. टैक्सटाईल्स	343.13
6. कार्पेट्स एवं दरियां	124.15
7. जैम एण्ड ज्वेलरीज	205 00
8. प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम	10.41
9. केमिकल्स एण्ड एलाइड	152.98
10. खनिज आधारित उत्पाद	54.08
11. ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स	6.32
12. हस्तकला	85.00
13. चमड़ा उत्पाद	18.93
14. वूल एवं वूलन उत्पाद	3.09
15. हाथ करघा	0.17
	1432 28 करोड़ रु.

(5) राजस्थान के निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, उनके मूल्य तथा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा के संबंध में विभिन्न सूचना सीधे ही निर्यातकों से पत्र के माध्यम से, संकलित की जाती है। विभिन्न श्रेणियों से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों व एक्सपोर्ट हाउसेज से भी सूचना संकलित की जाती है। यह सूचना उद्योग निदेशालय में कार्यरत निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ द्वारा भी संकलित की जाने की व्यवस्था की गई है।

भारत छोड़कर पाकिस्तान गये परिवारों की सम्पत्तियों का निस्तारण

349. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अर्जुनदास मदान)

(1) क्या अलवर एवं भरतपुर जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों से जो मुस्लिम परिवार भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये उनकी सम्पत्तियां राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्राप्त कर ली हैं ?

(2) क्या सरकार ने उक्त जमीनों के निस्तारण के कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब नियम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) इन सम्पत्तियों के निस्तारण से सरकार को कितनी आय होने की आशा है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । प्रचलित नियम 1975 की प्रति संलग्न है ।

(3) प्रचलित नियमों में वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार संशोधन राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(4) इन सम्पत्तियों के निस्तारण से सरकार को होने वाली आय का आकलन किया जा रहा है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

मण्डावा-मुकुन्दगढ़ (झुंझुनू) को निगम बस सेवा

350. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मण्डावा से मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन तक निगम द्वारा संचालित बस सेवा को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त बस सेवा बन्द होने के कारण वहां के निवासियों को मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन तक लाने व ले जाने के लिये सरकार ने अन्य क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त बस सेवा को पुनः संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो तब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । आर्थिक कारणों से ।

(2) बस सेवा बन्द रहने के दौरान मण्डावा से जयपुर एवं गंग्यासर से जयपुर मार्ग पर दो सेवायें संचालित थी जिसका लाभ मण्डावा से मुकुन्दगढ़ तक जाने वाले व्यक्ति उठा सकते थे । इसके अलावा निजी बस सेवा मण्डावा से उदयपुरवाटी, बिसाऊ से मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन एवं नवलगढ़ रतनगढ़ वाया मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन उपलब्ध है ।

(3) जी हां । मण्डावा कस्बे से मुकुन्दगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच 8 परिचक्रों का संचालन दिनांक 14-4-95 से पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है ।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों का सृजन

351. **श्री हीरालाल** (बामनवास) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास जिला सवाईमाधोपुर में ऐसे कौन-कौन से राजस्व ग्राम हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं है ?

(2) जिन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है उनमें सरकार प्राथमिक विद्यालय कब तक खोल देगी ?

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की ढाणियों एवं मजरों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों की प्राथमिक शिक्षा की क्या व्यवस्था है ?

(4) क्या सरकार 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बसी ढाणियों में विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो ढाणियों के बच्चों की शिक्षा के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1995-96 में 614 प्राथमिक विद्यालय खोलने का बजट में प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से सामान्य क्षेत्र में 250 व इससे अधिक एवं मरुस्थलीय व जनजाति क्षेत्र में 150 व इससे अधिक आबादी वाले विद्यालयविहीन ग्रामों की सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) मुख्य ग्राम के मजरों एवं ढाणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए शिक्षा की कोई पृथक से व्यवस्था की हुई नहीं है, विद्यार्थी उनके ग्राम की नजदीकी पाठशाला में अध्ययनरत हैं।

(4) यदि यह ढाणियां निर्धारित मापदण्ड में आती हैं तो वहां प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

(232)

पंचायत समिति बामनवास-बौंली, विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विद्यालयविहीन राजस्व गांवों को सूची

क्र. सं	राजस्व गांव का नाम	कोड सं.	जनसंख्या 1991 के अनुसार
1	2	3	4
1.	बाड़ दुजई	05	59
2.	चांदलाई	08	215
3.	बाड़रघुनाथपुरा	13	253
4.	सिगरौली	12	211
5.	दागड़ा	27	97
6.	नानेदा खेड़ा	20	153
7.	बाढ़ जाहिरा	32	09
8.	श्यामपुरा	33	205
9.	बाढ़ राधापुरा	19	128
10.	शेरपुर दीनाय	29	गैर आबाद
11.	बाढ़दातासूती	53	गैर आबाद
12.	किशनपुर	60	136
13.	रामपुरा	41	225
14.	बाढ़ बडीला	50	गैर आबाद
15.	कूचा बाढ़ चक नं. 1	81	94
16.	कूचा बाढ़ चक नं. 2	79	41
17.	कूचा बाढ़ चक नं. 3	89	100
18.	खटाना	39	15
19.	बाढ पिपलाई	90	19
20.	गीला बावड़ी	46	43
21.	काचर हैडा	45	88
22.	गोठड़ा	15	164
23.	सीतारामपुरा	85	31
24.	बाढ गईनौली चक नं. 2	69	गैर आबाद

1	2	3	4
25.	बाढ सीतोड़		
26.	बाढ सुन्दरी	114	गैर आबाद
27.	लाखनपुर	134	गैर आबाद
28.	बाढ लाखनपुर	135	गैर आबाद
29.	बाढ फुलवाड़ा	126	गैर आबाद
30.	बाढ़ गोविन्दपुरा	128	गैर आबाद
31.	चक गोविन्दपुरा	119	गैर आबाद
32.	बाढ़ पलासोद	125	29
33.	बाढ़ झोड़ोदा	145	गैर आबाद
34.	बाढ़ गोठ	138	गैर आबाद
35.	बाढ़ नानवास	147	41
36.	बाढ़ सांचोली	106	गैर आबाद
37.	कादीपुर	55	गैर आबाद
38.	चक धाकड़ी (बौंली)	7	85
39.	मैयार खुर्द ,,	33	88
40.	सीमावास ,,	29	168
41.	मरम मठपुरा ,,		211
42.	घनेसरा ,,	47	174
43.	खोहरी ,,	41	568
44.	गील ,,	44	348

रूपारेल सिंचाई परियोजना (चित्तौड़गढ़) पर व्यय

352. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रूपारेल सिंचाई परियोजना (चित्तौड़गढ़) की पूर्व में कोई स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कब व इस पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है व इसके अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या सरकार इस परियोजना को योजना मद में स्वीकृति देने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार इस परियोजना को जर्मन सहायता से सम्पन्न कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, रूपारेल सिंचाई परियोजना जिला चित्तौड़गढ़ की एन.आर.ई.पी. मद में 235.48 लाख रुपये प्रशासनिक स्वीकृति 10-1-85 को जारी की गई थी इस परियोजना पर अब तक 13.51 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। एन.आर.ई.पी. योजना समाप्त होने के कारण इस परियोजना पर कार्य बन्द है।

(2) जी नहीं। यह योजना बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण फिलहाल इसे स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्रामों की "जनता जल योजना"

353 **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में "जनता जल योजना' के तहत कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ? चयनित ग्रामों में जनता को स्वच्छ एवं मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या बस्सी विधान सभा क्षेत्र एवं ग्राम चाकसू की जनता ने इस योजना को अतिशीघ्र चालू करने हेतु सहायक अभियन्ता बस्सी एवं चाकसू को आवेदन-पत्र प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा अब इस योजना को कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

(3) सरकार ने वर्ष 1990 से अब तक पेयजल व्यवस्था से उपेक्षित कुथाणा कलां, गीला की नांगल, हरडीगढ़, लालगढ़, रूपणी, महादेवपुरा एवं जितावाला ग्रामों में खासकर गर्मी के दिनों की समस्या के समाधान हेतु कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्रामों में पानी की लाइन डालकर जनता को मीठा एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(235)

233

उत्तर

(1) उल्लिखित विधान सभा क्षेत्र में 17 ग्रामों को "जनता जल योजना" द्वारा लाभान्वित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए जो विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं थे फिर भी उनमें से तकनीकी रूप से उचित केवल 10 ग्रामों के ही प्रस्तावों को निर्धारित नीति से छूट तथा स्वीकृति हेतु, जिला कलक्टर के स्तर पर बनाई गई विभागीय समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। अनुमोदन उपरान्त ही इस प्रकार के प्रकरणों में क्रियान्विति सम्भव हो सकेगी। सम्बन्धित ग्रामों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) (1) में वर्णित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव, अधिशाषी अभियन्ता जिला खण्ड-II को प्राप्त हुए थे जिन्हें उचित माध्यम से अनुमोदन हेतु भिजवा दिया गया है। योजनाओं की क्रियान्विति, बाद अनुमोदन ही की जा सकेगी।

(3) वर्णित ग्रामों में से वर्ष 1990 के पश्चात् जिन ग्रामों में अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। जिन ग्रामों में वर्तमान अनुमानित आबादी एवं विभागीय मापदण्डों के अनुरूप वर्तमान में हैण्डपम्प स्थापित नहीं है, जैसे कि (कुयाड़ा गढ़, जीतावाला में) अतिरिक्त हैण्डपम्प धन उपलब्धतानुसार लगाये जायेंगे। ग्राम रूपाहेड़ीखुर्द, रूपाहेड़ा कलां एवं महादेवपुरा को एक नई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु स्वीकृति की भी आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

(4) (3) में वर्णित उपरोक्तानुसार।

परिशिष्ट 'क'

पंचायत समिति बस्सी में प्रस्तावित जल योजना के तहत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामों एवं ढाणियों की सूची

क्र सं.	योजना में प्रस्तावित ग्राम व ढाणी	विशेष विवरण
1.	रजवास	जिलाधीश को प्रस्तावित
2.	भटेरी	
3.	काशीपुरा (घोडियों की ढाणी)	
4.	मूण्डली	
5.	हीरावाला	जिलाधीश को प्रस्तावित
6.	हरड़ी	
7.	चारणवास	
8.	गढ़	जिलाधीश को प्रस्तावित
9.	दयालपुरा	"
10.	घाटा	"
11.	कचोलिया	
12.	भोण्यावाला	जिलाधीश को प्रस्तावित
13	चैनपुरा	"
14.	पाटन	
15.	मनोहरपुरा (ध्यावणा की ढाणी)	जिलाधीश को प्रस्तावित
16.	लालपुरा	"
17.	गुमानपुरा	"

परिशिष्ट "ख"

प्रश्न में वर्णित ग्रामों में वर्ष 1990 के उपरान्त निम्नानुसार हैण्डपम्प लगाये गये हैं :

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या 1991 अनुसार	कुल जनसंख्या 1991 के अनुसार	लगाये गये हैण्डपम्प		लगे हुए हैण्डपम्पों का विवरण				विशेष विवरण
				वर्ष 1990 से पूर्व	वर्ष 1990 के बाद	कुल	चालू	सूखे	परित्यक्त	
1.	कुथाड़ा कलां	8	1068	6	—	6	3	—	3	विभागीय मापदण्ड के अनुसार हैण्डपम्प लगाये गये हैं। सूखे/परित्यक्त हैण्डपम्प के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।
2.	गीला की नांगल	7	950	5	2	7	4	3	—	
3.	हरडी	14	798	4	2	6	4	2	—	
4.	गढ़	129	2296	15	1	16	9	—	7	
5.	लालगढ़	130	1843	9	3	12	10	2	—	
6.	जीतावाला	22	1057	4	2	6	2	—	4	
7.	रूपाहेड़ी खुर्द (रूपाणी)	69	1414			7	7	—	—	पुनर्गठित क्षेत्रीय जलयोजना केन्द्र सरकार द्वारा चाकसू तहसील के तहत वृहद जल योजना के तहत स्वीकृत कर दी गई है। निर्माण कार्य वर्ष 95-96 में होगा।
8.	रूपाहेड़ी कलां	43	1268			7	6	—	1	
9.	महादेवपुरा	48	954			8	6	1	1	

जिला जोधपुर के उद्योगों को आधारभूत सुविधाएं

354. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उद्योग मंत्री ने जोधपुर में काफी बड़ी तादाद में औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो किस प्रकार की इकाइयों का भविष्य उज्जवल है ?

(2) जोधपुर में किस प्रकार के उद्योग अधिक लाभप्रद हो सकते हैं ? सरकार का अधिक ध्यान किस प्रकार के उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन देने का है ?

(3) क्या सरकार का नये उद्योग लगाने में सब्सिडी देने का विचार है ? क्या मंत्री एवं मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार एक घन्टे में एक ही स्थान पर नए उद्योग लगाने वालों को पानी, बिजली, जमीन, सड़क, सब्सिडी आदि देने का कार्य सरकार ने प्रारम्भ कर दिया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जोधपुर जिले के लिए कराये गये औद्योगिक सम्भाविता सर्वेक्षण के आधार पर जिले में खनिज एवं अन्य संसाधनों पर आधारित यथा कृषि, चर्म, ऊन तथा एस. एस. यूटेन्सिल्स एवं हस्तशिल्प आदि उद्योग लाभप्रद हो सकते हैं।

(3) राज्य में नये उद्योगों को राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के अन्तर्गत 31-3-1997 तक अनुदान का लाभ देय है। जोधपुर तथा एक लाख से अधिक अन्य नगरीय क्षेत्रों में इस सुविधा का लाभ योजना के अनुसार 31-3-95 तक ही उपलब्ध था। किन्तु इस योजना को अवधि जोधपुर तथा 1 लाख से अधिक आबादी वाले अन्य नगरों के लिए एक वर्ष तक बढ़ा दी गई है। एक घन्टे में एक ही स्थान पर नये उद्योग हेतु समस्त सुविधाएं प्रदान कराये जाने जैसी कोई घोषणा उद्योग मंत्री अथवा मुख्य मंत्री महोदय द्वारा नहीं की गई है। तथापि विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति 1994 के अनुसार समयबद्धता निर्धारित की गई हैं।

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर द्वारा वक्फ सम्पत्तियों को लीज, विक्रय, आवंटन आदि को जारी स्वीकृति

355 **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में अध्यक्ष, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर द्वारा कितनी वक्फ सम्पत्तियों की लीज, विक्रय, अलाट या किराया स्वीकृति जारी की गई ? उक्त लीज विक्रय किस-किस को कहां-कहां कितनी-कितनी अवधि एवं किस दर पर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वक्फ एक्ट की धारा 36 (ए) के अनुसार बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के कृषि भूमि 3 वर्ष व अकृषि शहरी भूमि एक वर्ष से अधिक की

(श्रीमती बीना काक)

लीज पर नहीं दी जा सकती? यदि हां, तो अध्यक्ष, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कार्यालय द्वारा 3 वर्ष से अधिक कृषि भूमि व एक वर्ष से अधिक शहरी भूमि किस–किस को, राजस्थान में कहां-कहां, कितनी अवधि एवं किन शर्तों व किस दर पर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वक्फ मैनुअल के अनुसार कृषि भूमि तीन वर्ष व शहरी भूमि एक वर्ष की लीज पर आबटन के पूर्व बोर्ड के लिए यह आवश्यक है कि वह संबधित आराजियात की स्वीकृति जारी करने से पूर्व समाचार पत्रों, सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा करवा कर जन-साधारण से आपत्तियां प्राप्त करें एवं प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् उनका निस्तारण करें? यदि हां, तो प्रश्न के खण्ड–2 में अंकित सम्पत्तियों से सबंधित बोर्ड की कार्यवाही का विस्तृत विवरण, बोर्ड फैसले की मिनिट्स रजिस्टर की प्रतियां के व चस्पानगी समाचार पत्रों द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार खण्ड 2 व 3 में अंकित वक्फ सम्पत्तियों की लीज, विक्रय, अलाट, किरायेदारी नियमानुसार नहीं मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी गैर कानूनी स्वीकृतियां रद्द करने का विचार रखती है एवं वक्फ सम्पत्तियों में किये जा रहे घोटालों को रोकने के लिए बोर्ड को भंग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में अध्यक्ष वक्फ बोर्ड द्वारा किराये आदि पर दी गयी वक्फ सम्पत्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

लीज–1, विक्रय–1 व किराया–130

उक्त लीज एवं विक्रय का विवरण निम्न प्रकार है :—

लीज : अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड द्वारा दिनांक 1-4-93 को वक्फ सम्पदा भूमि मस्जिद जलाल शाह निम्बाहेड़ा आराजी नम्बर 1180/3 रकबा 2 बिस्वा व नम्बर 1187 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा जरिये श्री चांदमल निवासी निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ और उनके पुत्रों को 99 साल के लिये 18,000/- रुपये सालाना लीज पर दिया गया उक्त लीज एग्रीमेन्ट दिनांक 29-6-93 को वक्फ बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया और अब यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित है।

विक्रय : अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड ने दिनांक 30-11-94 को वक्फ कमेटी सोजत की खसरा नम्बर 4760 रकबा 0.5 हैक्टेयर को विक्रय करने की स्वीकृति जारी की है। यह जायदाद उक्त वक्फ कमेटी द्वारा 2,21,00 रुपये में बेची गयी है।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(2) जी हां। यह सही है कि धारा 36 ए के अनुसार बिना बोर्ड को पूर्व स्वीकृति के कोई वक्फ जायदाद कृषि भूमि तीन वर्ष व अकृषि भूमि एक वर्ष से अधिक की लीज पर नहीं दी जा सकती। लीज केवल प्रश्न के भाग संख्या एक में दर्ज एक मामले में अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, जो भी रद्द की जा चुकी है।

(3) जी नहीं। वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत लीज की स्वीकृति से पूर्व समाचार पत्रों सार्वजनिक स्थानों पर सूचना चस्पा कर आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) वक्फ सम्पदाओं का प्रबन्ध तथा अभिलेख संधारण केन्द्रीय वक्फ अधिनियम के अनुसार बोर्ड की जिम्मेदारी बनायी गयी है। वक्फ बोर्ड से प्राप्त सूचनानुसार अकृषि भूमि पर किरायेदारी 11 माह के लिए दी है। लीज व विक्रय के मामले सबजुडिस है। इनके निर्णयोपरान्त ही इस विषय पर दृष्टिकोण बनाया जा सकता है।

(5) लीज व विक्रय के मामले न्यायिक प्रक्रियाधीन है इसलिये इनके निर्णयोपरान्त ही दृष्टिकोण बनाया जा सकता है।

ग्राम सुखापादर (कांठल क्षेत्र) का मतदान केन्द्र प्रकरण

356. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सागवाड़ा स्थित कांठल क्षेत्र के ग्राम 'सुखापादर" के सात सौ मतदाता होने के बावजूद नौ किलोमीटर दूर सेमलिया पंड्या ग्राम पंचायत के ग्रामों को पारकर पंचायत मुख्यालय वगेरी में मतदान के लिए मतदाता को जाना पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम को पूर्ववत् ग्राम पंड्या के सेमलिया में मिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

(2) यदि यह सम्भव नहीं है, तो क्या सरकार इसका पृथक् मतदान केन्द्र निर्मित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम सुखापादर नव निर्मित ग्राम पंचायत वगेरी के क्षेत्रान्तर्गत आता है एवं यह 5 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर ही है। ग्राम सुखापादर के मतदाता पंचायत मुख्यालय वगेरी पर ही मतदान करने गये थे। यदि यह ग्राम मुख्यावास से दूरी पर होता तो ग्रामवासियों द्वारा पंचायत पुनर्गठन के वक्त आपत्तियां आमंत्रित करने के समय अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

(2) पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हो चुके हैं। अब पृथक मतदान केन्द्र निर्मित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 31 मार्च, 1995)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास हेतु प्राप्त राशि का व्यय

195. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है अलवर जिले की पंचायत समिति, तिजारा, किशनगढ़बास, कोटकासिम, मुण्डावर, बानसूर, नीमराणा, बहरोड़ तथा रामगढ़ क्षेत्र में आने वाले मुख्य कस्बे जैसे टपूकड़ा, भिवाड़ी, खैरथल राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र में आते हैं ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर गत 5 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के तहत भारत सरकार से मिलने वाली कितनी राशि खर्च की गई है ?

(2) राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार से मिलने वाली मदद की राशि सरकार को गत पांच वर्षों में कितनी प्राप्त हुई, तथा वह कहां-कहां खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कस्बा भिवाड़ी के विकास के लिए भारत सरकार (एन.सी.आर.पी.बी., दिल्ली) से 1005.00 लाख रुपये की ऋण सहायता राशि प्राप्त हुई तथा इसमें से कस्बा भिवाड़ी के भूमि अवाप्ति एवं विकास कार्य पर 946.54 लाख रुपयें व्यय किये गये।

(3) गत 5 वर्षों में भारत सरकार (एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड से 1648.61 लाख रुपये एवं राज्य सरकार से 1587.00 लाख रुपये की ऋण सहायता राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि भिवाड़ी ट्रक टर्मिनल योजना (अलवर) बुद्धविहार, हसन खां मेवाती नगर, सूर्यनगर, वैशाली नगर आवासीय योजनाओं के भूमि अवाप्ति एवं विकास कार्य पर व्यय किये गये।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 486 की सूचना

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में वर्ष 1994-95 में माह जनवरी, 95 तक योजना मदों के व्यय की सूची

क्र. सं.	जिला	खण्ड का नाम	व्यय राशि लाख रुपयों में	योग
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	उत्पादन एवं वितरण (उत्तर) जयपुर	3.72	
		दक्षिण, जयपुर	33.52	
		राजस्व खण्ड, जयपुर	—	
		निर्माण खण्ड, जयपुर	—	
		जिला खण्ड-I, जयपुर	99.49	
		जिला खण्ड-II, जयपुर	81.02	
		राजस्व खण्ड दक्षिण, जयपुर	4.86	222.61
2.	सीकर	खण्ड सीकर	236.19	
		खण्ड नीमकाथाना	160.71	396.90
3.	भरतपुर	खण्ड भरतपुर	135.61	
		खण्ड डीग	87.21	222.82
4.	टौंक	खण्ड टौंक	111.28	111.28
5.	अलवर	खण्ड अलवर	146.44	
		खण्ड बहरोड़	85.96	232.10
6.	धौलपुर	खण्ड धौलपुर	31.92	31.92
7.	झुन्झुनूं	खण्ड झुन्झुनूं	187.22	
		खण्ड खेतड़ी	168.21	355.43
8.	दौसा	खण्ड दौसा	63.95	63.95
9.	अजमेर	उत्पादन एवं वितरण खण्ड अजमेर	—	
		राजस्व एवं निर्माण खण्ड अजमेर	—	
		जिला खण्ड अजमेर	44.30	
		बीसलपुर-I, अजमेर	—	
		बीसलपुर-II, अजमेर	—	
		खण्ड ब्यावर	5.43	
		बीसलपुर-III, अजमेर	—	49.73

1	2	3	4	5
10.	नागौर	खण्ड नागौर	199.40	
		खण्ड डीडवाना	72.74	
		खण्ड मेड़तासिटी	76.27	
		खण्ड मकराना	38.44	386.85
11.	कोटा	उत्पादन एवं वितरण खण्ड कोटा	—	
		राजस्व एवं ड्रेनेज खण्ड कोटा	—	
		जिला खण्ड कोटा	108 63	
		खण्ड रामगंजमण्डी	149.95	258.58
12.	सवाईमाधोपुर	खण्ड सवाईमाधोपुर	145.88	
		खण्ड हिण्डौन सिटी	212.15	358.03
13.	झालावाड़	खण्ड झालावाड़	98.31	98.31
14.	बून्दी	खण्ड बून्दी	34.50	34.50
15.	बारां	खण्ड बारां	157.57	157.57
16.	उदयपुर	नगर खण्ड उदयपुर	2.82	
		राजस्व एवं निर्माण खण्ड, उदयपुर	—	
		जिला खण्ड, उदयपुर	47.46	
		खण्ड सलुम्बर	4.17	54.45
17.	भीलवाड़ा	खण्ड भीलवाड़ा	165.13	
		खण्ड शाहपुरा	27 29	192.42
18.	चित्तौड़गढ़	खण्ड चित्तौड़गढ़	20.22	
		खण्ड प्रतापगढ़	45.54	65.87
19.	बांसवाड़ा	खण्ड बांसवाड़ा	12.12	12.12
20.	डूंगरपुर	खण्ड डूंगरपुर	34.70	34.70
21.	राजसमन्द	खण्ड राजसमन्द	78.52	78.52
22.	जोधपुर	उत्पादन एवं वितरण खण्ड–जोधपुर	—	
		उत्पादन एवं वितरण खण्ड–II, जोधपुर	—	
		राजस्व एवं निर्माण खण्ड जोधपुर	—	
		जिला खण्ड–I, फलौदी	25.94	
		जिला खण्ड–II, जोधपुर	130.65	
		जिला खण्ड–I, जोधपुर	90.92	
		निर्माण खण्ड, जोधपुर	—	247.51
23.	जैसलमेर	खण्ड जैसलमेर	78.89	
		खण्ड पोकरण	113.18	
		आई. जी. एन. पी. जैसलमेर	—	192.02

1	2	3	4	5
24.	जालोर	खण्ड जालोर	94.79	
		खण्ड भीनमाल	99.31	124.10
25.	पाली	खण्ड पाली	31.48	
		खण्ड सोजतसिटी	66.54	
		खण्ड सुमेरपुर	77.79	175.81
26.	बाड़मेर	नगर खण्ड बाड़मेर	141.73	
		जिला खण्ड उत्तर बाड़मेर	292.57	
		खण्ड चौहटन	86.22	
		खण्ड बालोतरा	43.72	514.24
27.	सिरोही	खण्ड सिरोही	43.46	43.46
28.	बीकानेर	उत्पादन एवं वितरण खण्ड बीकानेर	—	
		राजस्व एवं निर्माण खण्ड बीकानेर	—	
		एस. एण्ड डी. खण्ड बीकानेर	—	
		जिला खण्ड–I, बीकानेर	172.89	
		जिला खण्ड–II, बीकानेर	142.50	315.39
29.	चूरू	खण्ड चूरू	48.61	
		खण्ड रतनगढ़	83.79	
		खण्ड सरदारशहर	94.76	
		खण्ड तारानगर	198.56	
		पी. एम. सी. चूरू	29.56	455.53
30.	श्रीगंगानगर	खण्ड श्रीगंगानगर	264.05	
		खण्ड हनुमानगढ़	52.69	
		खण्ड नोहर	524.71	
		खण्ड सूरतगढ़	76.59	
		खण्ड अनूपगढ़	249.92	1167.96
31.	ड्रिलिंग रीजन	ड्रिलिंग रीजन	31.17	31.17
			योग :–	6686.15

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 497 की सूची

राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

आवास विकास संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल मतीन	अति. मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता	16–3–89/ 21–11–92
2.	श्री ए. एन. पुरोहित	उप आवा आयुक्त/ अति. मु. अभियन्ता	29–1–90/ 3–12–92
3.	श्री आर. सी. सिंघवी	,,	28–11–94
4.	श्री टी. पी. मित्तल	उप आ आयुक्त	4–06–92
5.	श्री एच. सी अग्रवाल	,,	12–04–93
6.	श्री एस. एल मित्तल	,,	07–09–92
7.	श्री के. एस. माथुर	,,	29–05–93
8.	श्री डी. सी. बाहेल	आवा. अभियंता	08–04–93
9.	श्री एस. एल. बोड़ा	,,	01–10–92
10	श्री ओ. पी. बोहरा	,,	10–09–91
11.	श्री ए. के. अग्रवाल	,,	24–06–89
12.	श्री ओ. पी. पुरोहित	,,	04–03–91
13.	श्री के. एन. माथुर	,,	27–03–89
14.	श्री डी. के. माथुर	,,	15–01–90
15.	श्री एस. आर. जांगिड़	,,	29–09–89
16	श्री आर. के. सचदेवा	,,	03–06–89
17.	श्री सैयद सलामत अली	,,	04–06–91
18.	श्री के. के. माथुर	,,	11–06–92
19.	श्री एम. के. दवे	,,	28–06–89

1	2	3	4
20.	श्री एम. के. शर्मा	"	14-03-91
21.	श्री एच. एस. रिजवी	"	19-06-92
22.	श्री आर. एस. कौशिक	"	20-03-91
23.	श्री एस. डी. थानवी	"	24-06-89
24.	श्री जगदीश शर्मा	"	04-06-92
25.	श्री एम. एम. माथुर	"	01-08-92
26	श्री पी. के. जैन	परि अभि. (व.)	06-07-92
27.	श्री एस. के. सिंघल	"	02-11-94
28.	श्री जे. पी. जोशी	"	13-09-89
29.	श्री आर एस. वर्मा	"	03-09-91
30.	श्री एम. सी. उपाध्याय	"	17-07-93
31.	श्री सी. पी. पुरोहित	"	17-06-89
32.	श्री आई. पी गुप्ता	"	13-07-90
33.	श्री टी. सी. शर्मा	"	13-09-89
34.	श्री बी. आर. परिहार	"	07-01-90
35.	श्री डी. के गर्ग	"	01-11-92
36.	श्री ईश्वर रंगनानी	"	15-05-92
37.	श्री महेन्द्र कुमार	"	01-01-94
38.	श्री सर्वेश शर्मा	"	26-07-93
39.	श्री आर. पी. सिंह	"	01-11-91
40.	श्री के. सी. जैन/श्री एम. एल. जैन	"	21-04-92
41.	श्री आर. के. गुप्ता	"	23-06-93
42.	श्री एस. एम. सक्सेना	"	28-09-92
43.	श्री डी. सी. खत्री	"	28-04-92
44.	श्री एम. एल. विश्नोई	"	25-12-93
45.	श्री एस. डी. माथुर	"	27-05-93
46.	श्री जे एस. नागपाल	"	28-05-91

240

2A6

1	2	3	4
47.	श्री के. एस. चौधरी	परि. अभि. (व.)	
48.	श्री विनोद लाल माथुर	परि. अभि. (क.)	16-01-95
49.	श्री राकेश सिंह	(व.)	31-05-93
50.	श्री आर. पी. शर्मा	लेखाधिकारी	18-07-92
51.	श्री एस. बी देशपाण्डे	स. लेखाधिकार	19-08-89
52.	श्री सी. पी. सिंह	"	15-07-93
53.	श्री सी. एस. शर्मा	"	30-12-89
54.	श्री बी. एल. बंसल	"	07-12-94
55.	श्री के. सी. जैन	"	01-04-91
56.	श्री एम. एल. वर्मा	"	01-02-90
57.	श्री एल. सी. कोठारी	"	13-03 91
58.	श्री जी. जी. माथुर	लेखाकार	
59.	श्री रघुनन्दन प्रसाद	"	
60.	श्री ओ. पी. पुरोहित	"	
61.	श्री जे. के. गंगवाल	"	
62.	श्री जसमीत सिंह	क. लेखाकार	01-01-90
63.	श्रीमति निर्मला कल्ला	निजी सहायक	08-08-94
64.	श्री विमल माथुर	"	23-07-94
65.	श्रीमोजी राम	"	27-07-94
66.	श्री एस. एन. शर्मा	"	29-04-89
67.	श्री एस. पी. बिस्सा	व. प्रारूपकार	03-12-93
68.	श्री एस. सी. मोयल	हैल्पर	01-05-90
69.	श्री बी. सी. पुरोहित	व. सुपरवाईजर	20-12-94

1	2	3	4
70.	श्री अनिल सक्सैना	परि. अभि. (वं.)	का.आ. क्रमांक 2621 दि. 30-3-95 के द्वारा आ. वि. स. में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।
71.	श्री के. के. दीक्षित	"	"
72.	श्री एस. वार्ष्णे	"	"
73.	श्री ए. के. लाकोटिया	"	"
74.	श्री संजय शर्मा	"	"
75.	श्री ए. के. मेहता	"	"
76.	श्री आर. एस. भाटी	"	"
77.	श्री पी. पी. गर्ग	"	"
78.	श्री सत्यवीर सिंह	"	"
79.	श्री बी. डी शर्मा	"	"
80.	श्री वी. के. शर्मा	"	"
81.	श्री सुनील कुमार	"	"
82.	श्री एम. सी गुप्ता	"	"
83.	श्री आर. सी. शर्मा	"	"
84.	श्री रमेश कुमार वर्मा	"	"

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 501 की सूची

न्यायालय अपीलीय अधिकरण में लम्बित प्रकरणों की सूची

क्रमांक	जविप्रा रजि. नं.	न्यायालय नं.	उनवान	जगह का नाम	कब से लम्बित है
1.	156 /92	307/82 रे. 396/92 टी.आई.	उषा विरानी बनाम् जविप्रा	भू. सं. 100, शान्ति नगर, गोपालपुरा, टोंक रोड, जयपुर	1992
2	1567/92	308/92 रे. 391/92 टी.आई.	प्रमोद कुमार विरानी बनाम् जविप्रा	भू सं. 101, शान्ती नगर, गोपालपुरा टोंक रोड, जयपुर	1992
3.	2269/94	59/94 रेफरेन्स 92/94 टी.आई.	रामेश्वर व अन्य बनाम् जविप्रा	शान्ती नगर, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के सामने, जयपुर।	1994

परिशिष्ट – 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 511 का विवरण

बेयली परियोजना पर खरीदे गये सामानों का विवरण

परिशिष्ट–"अ"

क्र. सं.	सामान का विवरण	मात्रा	आदेश क्रमांक/ दिनांक	राशि	खरीद का तरीका	फर्म का नाम	भुगतान की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
1	त्रिपाल 20" × 19" वाटरप्रूफ	6	3743-44/	29,600/-	निविदा	मै. पोयनियर एसोसियेट्स	8-12-93
	त्रिपाल 12" × 12"	5	2-12-93			रूड़की (यू पी)	
	सर्वे अम्ब्रेला	5					
	जी. आई. बकेट 14"	12					
2.	लेवलिंग फोल्डींग स्टाफ एल्यूमिनियम	20					
	पेरेलल रूलर	2	3741-42/	29,400/-	"	"	8-12-93
	ड्राईगइन्स्ट्रूमेंट	2	2-12-93				
3.	छोलदारी डबलफलाई 12" × 12" × 7"	2	200-201/	9,780/-	कोटेशन	मै. डी. सी. सैल्स कोटा	8-12-93
	फोल्डींग चेयर	8	2-11-93				
4.	जी आई. बॉक्स 4¾' × 2¼' × 1¾	5	203-204/	9,934/-	"	मै. एस. वाई. ट्रेडर्स, कोटा	8-12-93
	लेन्टर्न सुपीरियर क्वालिटी	8	3-11-93				

२४९

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	स्टील फोल्डिंग चेयर	12	205-206/	9,986/-	कोटेशन	मै. मेघा सेल्स कोरपोरेशन,	8-12-93
	स्टील फोल्डिंग कोट 6' × 3½	10	16-11-93			कोटा	
6.	गैस पेट्रोमेक्स	3	209-210/	9,957/-	"	"	8-12-93
	लेन्टर्न सुपीरियर	6	18-11-93				
	स्टोव ब्रास	4					
	रिचार्जेबल किसान टार्च	6					
	टार्च 3 सेल	4					
7.	वुडन पेरस 25-30 से. मी. लम्बाई 2.5 से 3.0 से. मी. मोटाई	4,500	213-14/ 19-11-93	7,200/-	"	श्री जगदीश प्रसाद छबड़ा	21-12-93
8.	इण्डियन ऑफिस पेटर्न लेवल 228	2	4317-18/	28,922/-	निविदा	मै. पायोनियर एसोसियेट्स	4-1-94
	एम. एम. बॉक्स व स्टेंड सहित	2	20-12-93			रूड़की (यू पी.)	
	डम्पी लेवल 300 एम. एम. बॉक्स व स्टेंड						
	रेंजिग रोड स्टील फोल्डिंग 3 मी. ल.	30					
	मेटेलिक टेप 30 मी.	10					
	मेटेलिक टेप 15 मी.	10					
	प्रिज्मेटिक कम्पास 100 एम. एम. बॉक्स स्टेंड	4					

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	छोलदारी डबल फ्लाई 12' × 12' × 7'	2	244-45/	9,990/-	कोटेशन	मै. शाह इन्जीनियरिंग कम्पनी,	4-1 94
	जी. आई. बकेट 14"	8	24-11-93			कोटा	
	लोक्स	2					
10.	स्टील फोल्डिंग टेबल, सनमाइका	10	246-47/	9,945/-	"	"	4-1-94
	टोप 3, × 2'	5	25-11-93				
	स्टील फोल्डिंग कोट 6, × $3\frac{1}{2}$'						
11.	जी. आई. बॉक्स $4\frac{3}{4}$' × $2\frac{1}{4}$' × $1\frac{3}{4}$'	4	248-49/	9,977/-	"	मै. मेघा सेल्स कोरपोरेशन, कोटा	4-1-94
	लैदर बेग्स सुपीयिर	5	30-11-93				
	प्लम बोब	1					
	प्लबिंग फोर्क	1					
12.	पी. बी. सी. वाटर टैंक 500 ली.	2	250-51/	9,978/-	"	"	4-1-94
	जी. आई. बॉक्स $4\frac{3}{4}$' × $2\frac{1}{4}$' × $1\frac{3}{4}$	1	2-12-93				
	स्टील फोल्डिंग चेयर	12					

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	ट्रांजिट थियोडोलाइट 175 एम. एम.	2	938-39/ 15-1-94	29,925/-	निविदा	मै. पोयनियर एसोसियेट्स, रूड़की (यू. पी.)	4-2-94
	ड्राइंग बोर्ड 1500 × 1000	1					
	केलकुलेटर 10 डिजिट	6					
	प्लेन टेबल 750 × 600 एम. एम.	2					
	आयरन चैन 30 मी.	5					
	प्लानी मीटर	2					
	पेन्टाग्राफ	1					
14.	तिरपाल 20' × 20'	4	316-17/ 15-1-94	9,600/-	कोटेशन	मै. राजेश कन्सट्र. कम्पनी, कोटा	9-2-94
15.	मेन ड्राइव वाटर कार्ट 100 ली.	4	318-19/ 15-1-94	9,960/-	"	"	25-3-94
16.	वुडन कोर बॉक्स 5' × 2' × .75'	8	127-28/ 16-7-94	9,970/-	"	मै. ईशा एन्टर प्राइजेज, कोटा	9-8-94

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	साइन बोर्ड 3' × 2'	12	324–25 10-10-94	9,990/-	"	मै. अकलाख मोहम्मद, बांरा	24-12-94
18.	हैन्ड कार्ट 5' × 3'	4	267–68 23-11-94	9,800/-	"	मै. जेनेन्द्र कुमार पोरवाल, छबड़ा	30-12-94
19.	विट्रियस एनामल गेज प्लेट	12	259–60 2-11-94	9,600/-	"	मै. राजेश कन्सट्र. कम्पनी, कोटा	2-1-95
20.	डिस्टेन्स स्टोन 60 × 23 × 7.50 से. मी.	150	308–09 15-12-94	8,850/-	"	मै. जेनेन्द्र कुमार पोरवाल, छबड़ा	4-1-95
21.	वुडन कोर बॉक्स 5' × 2 × .75'	8	203–04 7-10-94	9,960/-	"	मै. ईशा इन्टर प्राइजेज, कोटा	4-3-95
22.	साइन बोर्ड 3' × 2' एंगल 60 × 60 × 8–2.5 मी.	12	157–58 18-1-94	9,600/-	"	मै. जेनेन्द्र कुमार पोरवाल,	22-10-94

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 513 का विवरण

माही बजाज सागर परियोजना पर निविदा आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रदत्त शक्तियों का विवरण

लोक लेखा नियम 357 (बी) के अन्तर्गत सामान्यत: निविदाएं खण्डीय कार्यालय स्तर पर आमन्त्रित की जाती हैं। निविदाएं जिनकी स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा की जानी हैं, उनकी निविदाएं वृत्त कार्यालय द्वारा प्राप्त की जावेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली निविदाएं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता द्वारा प्राप्त की जावेगी।

राज्य सरकार द्वारा शिड्यूल आफ पावर के बिन्दु संख्या 28 में दी गयी शक्तियों के अनुसार निविदाएं स्वीकृत करने का निम्नानुसार प्रावधान हैं :—

1.	मुख्य अभियन्ता	रु. 200.00 लाख तक
2.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	रु. 100.00 लाख तक
3.	अधीक्षण अभियन्ता	रु. 25.00 लाख तक
4.	अधिशाषी अभियन्ता	रु. 7.00 लाख तक
5.	सहायक अभियन्ता	रु. 0.25 लाख तक

उक्त शक्तियां प्रत्येक अधिकारी को तखमीना की 20 प्रतिशत तक अधिक दरों पर स्वीकृत करने के लिये अधिकृत किया गया है। यदि दर 20 प्रतिशत से अधिक हैं तो निविदाएं स्वीकृत करने की शक्तियां उनसे उच्च अधिकारी को प्रदत्त हैं।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 515 का विवरण एवं सूची

अनूपगढ़ क्षेत्र में 1-7-1993 से आज तक जिन-जिन काश्तकारों की पानी की बारी काटी गयी, उसकी सूची

क्र. सं.	नाम काश्तकार	चक
1	2	3
1.	श्री जनकराज सिंह	14 ए. पी. डी.
2.	श्री जनकराज सिंह तहसीलदार, अनूपगढ़ (रिसीवर)	16 ए. पी. डी. ए.
3.	श्री किशनलाल	1 यू. डी. एम एम.
4.	श्री प्रहलाद सिंह	4 यू डी. एस. एम.
5.	श्री नाजरखां/यूसुफखां	18 ए. पी. डी. बी.
6.	श्री पीथाराम	1 एस. जे. एम. ए.
7.	श्री डूंगरराम	11 एस. जे. एम. ए.
8.	श्री गुरनामकौर	15 एस. जे. एम.
9.	श्री सादूसिंह	28 ए. पी. डी. बी.
10.	श्री बालकृष्ण	31 ए. पी. डी. बी.
11.	श्री चंद सिंह	31 ए. पी डी. बी.
12.	श्री रमेश चन्द्र	1 यू. डी. एम. ए.
13.	श्री मातादीन	31 ए. पी. डी. ए.
14.	श्री अलादीन	31 ए. पी. डी. ए.
15.	श्री जीवाराम	2 बी. एस. एम.
16.	श्री श्योकरण	2 बी. एन. एम.
17.	श्री रामरख	2 बी. एन. एम.
18.	श्री पूरणसिंह	32 ए. पी. डी.
19.	श्री चमनसिंह	32 ए. पी. डी.
20.	श्री मनोहरलाल	33 ए. पी. डी.

1	2	3
21.	श्री पठान सिंह	33 ए. पी. डी.
22.	श्री पठान सिंह	" "
23.	श्री मोहन सिंह	6 एम डी. बी.
24.	श्री नारायण सिंह	5 एम. डी. ए.
25.	श्री दलीप सिंह	4 एम. डी.
26.	श्री दलीप सिंह	6 एम. डी. ए.
27.	श्री नादर चंद	21 एम. डी.
28.	श्री रेलू	24 एम. डी. बी.
29.	श्री अजायब सिंह	24 एम. डी. बी.
30.	श्री नानकचन्द	24 एम. डी. बी.
31.	श्री तोताराम	24 एम. डी. बी.
32.	श्री मिलखीराम	25 एम. डी.
33.	श्री बांगड फर्म पुरुषोतम वगैरह	26 एम. डी
34.	श्री मलूख सिंह	28 एम. डी.
35.	श्रीमती गुराबाई	8 एच.
36.	श्री ज्ञानचन्द	8 पी.
37.	श्री हरीराम	8 पी.
38.	श्री खरौदी	15 पी.
39	श्री देवीशरण	16 पी. बी.
40.	श्री शेरसिंह	17 पी
41.	श्रीमती महेन्द्र कौर	20 पी. ए.
42.	श्री महेन्द्र सिंह	20 पी. ए.
43.	श्री मेहरचन्द	19 पी
44.	श्री दीवानसिंह	21 पी
45.	श्री दीवानसिंह	21 पी
46.	श्री ख्याली	21 पी
47.	श्री नत्थू	2 पी. एम.

1	2	3
48.	श्री रामसिंह	16 ए
49.	श्री मंगतराम	19 ए. ए.
50.	श्री किशनचन्द	17 ए. बी.
51.	श्री मिश्रासिंह	22 ए. ए.
52.	श्री सूरजाराम	4 एम. एस. आर.
53.	श्री रामसिंह	31 ए.
54.	श्री देवराज	31 ए.
55.	श्री मोतीलाल	7 पी.
56.	श्री तोताराम	4 के. ए.
57.	श्री लाभसिंह	7 के. ए.
58.	श्री मलकीयत सिंह	1 के. बी.
59.	श्री पन्ना	4 एम. डी.
60.	श्री पृथ्वीराम	25 एम. डी. बी.
61.	श्री रमेश कुमार	21 पी.
62.	श्री संतोष कुमार	21 पी.
63.	श्री हंसराज	21 पी.
64.	श्री बेगराज	21 पी.
65.	श्री रलियाराम	21 पी.
66.	श्रीमती चिड़िया देवी	22 पी. ए.
67.	श्री बृजलाल	22 पी. ए.
68.	श्री सोहनलाल	22 पी. ए.
69.	श्री कानाराम	22 पी. ए.
70.	श्री हस्तूरराम	22 पी. ए.

1	2	3
71.	श्रीमती लक्ष्मी	22 पी. ए.
72.	श्री भूरसिंह	22 पी. ए.
73.	श्री सोहनलाल	22 पी. ए.
74.	श्री इशरराम	22 पी. ए.
75.	श्री निर्मल सिंह	22 पी. ए.
76.	श्री साधूसिंह	23 पी.
77.	श्री जोधालाल	24 पी.
78.	श्री महालसिंह	24 पी.
79.	श्री इन्द्रसिंह	24 पी.
80.	श्रीमती लहरी	1 पी. एम.
81.	श्री अर्जुनसिंह	3 एम. एस. आर.
82.	श्री जसकरण	3 एम. एस. आर.
83.	श्री सोहनसिंह	3 एम. एस. आर.
84.	श्री रामलाल	33 ए.
85.	श्री साधूराम	5 एन. एम.
86.	श्रीमती सरोज	19 ए. ए.
87.	श्री साधूसिंह	77 जे. बी.

परिशिष्ट "ब"

तहसील अनूपगढ़ क्षेत्र में एक जुलाई 1993 से आज तक जिन काश्तकारों की पानी की बारी काटी गई उनमें से पुनः बारी चालू की गई।

क्र. सं. 1	काश्तकार का नाम 2	चक 3
1.	जनकराज सिंह	14 ए. पी. डी ए.
2.	पीथाराम	1 एस. जे. एम. ए.
3.	डूंगरराम	11 एस. जे. एम.
4.	गुरनामकौर	15 एस. जे. एम.
5.	साबूसिंह	28 ए. पी. डी बी.
6.	बालकृष्ण	31 ए. पी. डी. बी.
7.	चंदसिंह	31 ए. पी. डी. बी.
8.	रमेश चंद	1 यू. डी. एम. ए.
9.	मातादीन	31 ए. पी. डी. ए.
10.	अलादीन	31 ए. पी. डी. ए.
11.	जीताराम	2 बी. एस. एम.
12.	श्योकरण	2 बी. एन. एम.
13.	मोहलसिंह/चरणसिंह	6 एम. डी. बी.
14.	नारायणसिंह/तख्तसिंह स्टेट बनाम महेन्द्रसिंह/जोरासिंह	5 एम. डी. ए.
15.	दलीपसिंह/बारासिंह	4 एम. डी.
16.	दलीपसिंह/भारासिंह	6 एम. डी. ए.
17.	नानकचंद/भगताराम	24 एम. डी. बी.
18.	तोताराम/सुदामा.	24 एम. डी. बी.
19.	मलूखसिंह/गब्बरसिंह/हीरासिंह	28 एम. डी. बी.
20.	ज्ञानचंद/केसर	8 पी.
21.	हरीराम/संतराम	8 पी.
22.	शेरसिंह/रतीराम	17 पी.

1	2	3
23.	महेन्द्रकौर/शंभूराम	20 पी. ए.
24.	महेन्द्रसिंह/अजायबसिंह	19 पी.
25.	मेहरचंद/धन्नूराम	19 पी.
26.	दीवानसिंह/सावनसिंह	21 पी.
27.	ख्याली/अंतराम	21 पी.
28.	नत्थू/रसीला	2 पी. एम.
29.	रामसिंह	16 ए.
30.	मंगतराम	19 ए. ए.
31.	नादरचंद/श्यामसिंह	
	स्टेट बनाम प्रीतमसिंह	21 एम. डी.
32.	किशनचंद	17 ए. बी.
33.	मिश्रासिंह	22 ए.
34.	सुरजाराम	4 एम. एस. आर.
35.	रामसिंह	31 ए.
36.	देवराज	31 ए.
37.	मोतीलाल	7 पी.
38.	तोताराम	4 के. ए.
39.	लाभसिंह	7 के. ए.
40.	मलकीयत सिंह	1 के. बी.
41.	श्री पृथ्वीराम/सहीराम	25 एम. डी. बी
42.	रमेशकुमार/बीरेन्द्रसिंह	21 पी.
43.	संतोषकुमार/सोहनलाल	21 पी.
44.	हंसराज/शिवनाथ	21 पी.
45.	बेगराज/खजाना	21 पी.
46.	खुलियाराम/नंदराम	22 पी.
47.	चिड़ियादेवी/रोड़ा	22 पी. ए.
48.	बृजलाल/मंगतराम	22 पी. ए.

1	2	3
49.	सोहनलाल/रूपाराम	22 पी. ए.
50.	कानाराम/रूपाराम	22 पी. ए.
51.	हस्तूराम/रोड़ा	22 पी. ए.
52.	लक्ष्मी/सुच्चासिंह	22 पी. ए.
53.	भूरीसिंह/घीसूराम	22 पी. ए.
54.	सोहनलाल/रूपाराम	22 पी. ए.
55.	इशरराम/मायाराम	22 पी. बी.
56.	निर्मलसिंह/चूहड़सिंह	22 पी. बी.
57.	साधसिंह/बख्शीशसिंह	23 पी.
58.	जोधीलाल/नोरंग	24 पी.
59.	लहरी/नत्थू	1 पी. एम.
60.	अर्जुनसिंह	3 एम. एस. आर.
61.	जसकरण	3 एम. एस. आर.
62.	सोहनसिंह	3 एम. एस. आर.
63.	रामलाल	33 ए.
64.	साधूराम	5 एन. एम.
65.	साधूसिंह	77 जी. बी.

(२६२)

260

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 519 की सूची

पंचायत समिति धोद — जिला—सीकर

क्र. सं.	प्राथमिक विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापकों की संख्या
1	2	3	4
1.	कूदन	75	2
2.	बालिका कूदन	139	4
3.	नाडी जोहडा कूदन	34	2
4.	कोराना जोहडा कूदन	23	2
5.	सुण्डो की ढाणी	47	3
6.	अजीतपुरा	91	3
7.	थोरासी	154	4
8.	खरगाडू	96	3
9.	ढाणी अजीतपुरा	35	2
10.	बालिका जेरठी	212	6
11.	रेवाडिया जोहडा जेरठी	36	2
12.	रेल्वे स्टेशन जेरठी	92	3
13.	गोठडा भूकरान	177	4
14.	नागाणा जोहडा	46	2
15.	हरिजन बस्ती गोठडा भूकरान	66	2
16.	बालिका पलथाना	206	5
17.	भूकरान का बास	95	3
18.	सांवलोदा लाडखानी	250	5
19.	पूर्वी ढाणी मैलासी	104	3
20.	परडोली छोटी	114	2
21.	सावलोदा धायलान	103	3

1	2	3	4
22.	पीलो की ढाणी	75	2
23.	श्यामाणां जोहडा	154	3
24.	बालिका रसीदपुरा	24	1
25.	बालिका किरडोली	34	2
26.	पूरा की ढाणी	101	3
27.	भोजाणा जोहडा भैरूपुरा	49	1
28.	ढाका की ढाणी	95	3
29.	बालिका सबलपुरा	176	5
30.	सबलपुरा छात्र	159	4
31.	मैलासी	142	3
32.	ओला की ढाणी भीगर छोटी	52	2
33.	दूदाना जोहडा भीगर	87	2
34.	भीगर बडी	109	3
35.	बालिका भीगर छोटी	28	2
36.	दूजोद	261	7
37.	कदमा का बास	113	3
38.	खोरी	230	4
39.	पण्डावरा	190	4
40.	काशी का बास	199	5
41.	मूण्डवाडा	185	4
42.	बालिका मूण्डवाडा	124	3
43.	मीखनवासी	103	2
44.	कंवरपुरा	159	3
45.	ढाणी सवाईराम	55	2
46.	बालाजी की ढाणी	100	2
47.	कानोलाई तलाई 'नागवा'	69	2
48.	मामुओ की ढाणी 'नागवा'	16	1

1	2	3	4
49.	नागवा कन्या	91	1
50.	ताखेरो की ढाणी मूण्डवाडा	25	2
51.	चोखा का बास	118	3
52.	ग्रहीरों की ढाणी	154	3
53.	सियाखो की ढाणी	59	2
54.	ग्रर्जुनपुरा	123	2
55.	आन्तरी	117	2
56.	ताखरो की ढाणी	52	2
57.	गोठडा तगेलान	278	5
58.	गिठालो की ढाणी	118	2
59.	लोरा की ढाणी	27	1
60.	कासली	132	4
61.	फकीरपुरा	103	3
62.	उतरी ढाणी कासली	61	1
63.	उतरी ढाणी सन्तोषपुरा	163	3
64.	सन्तोषपुरा	63	2
65.	बालिका कासली	57	1
66.	नेतडवास	95	3
67.	गाजीपुरा	89	2
68.	रूपपुरा	106	2
69.	चारणवास	45	2
70.	लाडवा	133	2
71.	ग्रोला की ढाणी	61	2
72.	भावती बाई भुवाला	60	2
73.	पूर्वी ढाणी भुवाला	29	2
74.	कचोलिया जोहडा दूगोली	55	2
75.	घोद	172	4

1	2	3	4
76.	गुगा मेडी घोद	73	2
77.	उतरी ढाणी कीखरान घोद	68	2
78.	दीपपुरा चारणान	112	2
79.	बल्लुपुरा	127	2
80.	बालिका बोसाना	120	2
81.	पश्चिमी ढाणी पैवा	32	2
82.	रामबक्सपुरा	112	3
83.	भडकासली	150	2
84.	बालिका पैवा	50	2
85.	भापुओं की ढाणी अनोखू	21	2
86.	सिगरावट	165	4
87.	बालिका सिगरावट	114	3
88.	पश्चिमी ढाणी लोसल छोटी	50	2
89.	हुकमपुरा	63	2
90.	बगडियो की ढाणी	62	2
91.	बिजारनियो की ढाणी	51	2
92.	खोखरो की ढाणी	81	2
93.	गणेशपुरा	84	2
94.	भैरूपुरा जागीर	106	2
95.	जस्सुपुरा	156	2
96.	बालिका पूर्णपुरा	13	1
97.	शाहपुरा	118	2
98.	बालिका शाहपुरा	129	2
99.	भानीपुरा	111	2
100.	सुजानपुरा	164	2

1	2	3	4
101.	नागुओं की ढाणी	40	2
102.	तनाजा की ढाणी	22	1
103.	माण्डोली	161	2
104.	सिहोट बडी	102	3
105.	बालिका सिहोट बडी	106	3
106.	ढाणी फतेहसिंह	52	1
107.	रेवासी	130	2
108.	चन्द्रेली का बास	51	1
109.	श्योल्या का बास	104	2
110.	बालिका ढाणी बिजारसी	92	2
111.	खुर्द	203	3
112.	पालवास	219	4
113.	मालियो की ढाणी	113	3
114.	चैलासी	117	2
115.	जगतपुरा	81	2
116.	कुलहरियो की ढाणी	31	2
117.	तेतरवालो की ढाणी	72	1
118.	पूलकाणी तलाई श्यामपुरा	30	2
119.	पश्चिमी ढाणी चैलासी	21	2
120.	तास छोटी	67	2
121.	सेवद बड़ी	142	4
122.	गुजरो की ढाणी	105	3

1	2	3	4
123.	सेवद छोटी	209	3
124.	दीपपुरा राजाजी	139	2
125.	फागलवा	125	3
126.	ढाणी चुडोली	114	3
127.	परडोली बड़ी	84	3
128.	फागलवा कन्या	81	2
129.	कल्याणपुरा	198	4
130.	चुडाली खाखोली	170	4
131.	जाखडो की ढाणी	61	2
132.	चुडोली	113	2
		13526	335

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 520 का विवरण

सितम्बर, 94 से फरवरी, 95 तक

माह	नाम अध्यापक	विद्यालय का नाम	राशि	यात्रा का प्रयोग
1	2	3	4	5
9/94	जगदीश प्रसाद	अतेहपुरा	428/–	शिक्षा शीक्षा में कार्य किया
9/94	तारादेवी	सत्तरकापुरा	327/–	,, ,,
10/94	अनिल कुमार	सिघोरा	137/–	परिवार कल्याण
10/94	रामजीलाल	सिघोरा	164/–	,, ,,
10/94	सुरेश चन्द	सरकनखेड़ा	916/–	शिक्षा शीक्षा में कार्य किया
10/94	शहजाद खां	पुरेना	814/–	,, ,,
11/94	तारा देवी	सत्तरकापुरा	542/–	,, ,,
11/94	जगदीश प्रसाद	अल्हेपुरा	610/–	,, ,,
11/94	सुरेश चन्द	सरकनखेड़ा	740/–	फर्जी डिग्रीयों की जांच हेतु शिक्षा प्रसार अधिकारी के सहयोग के लिए । [गोरखपुर व बनारस]
11/94	पूरन चन्द	अल्हेपुरा	166/–	परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु ।
11/94	नेमी चन्द	मसुदपुर	206/–	,, ,,
11/94	सीमा भण्डारी	सुआ का बाग	144/–	,, ,,
11/94	रामनिवास शर्मा	पचगांव	188/–	,, ,,
12/94	विभीक्षण कुमार	पुरेनी	171/–	,, ,,
12/94	नरेन्द्र सिंह यादव	उमरारा	148/–	,, ,,
12/94	पातारामं	सरानी	147/–	,, ,,
12/94	केशवदेव	चेनाका पुरा	147/–	,, ,,
12/94	राजाराम	सरानी	192/–	,, ,,
12 94	हरिओम शर्मा	नोरंगाबाद	187/–	,, ,,
12/94	संतोष कुमार	विरोंध	174/–	,, ,,
12/94	बाबू खां	फैनपुर	171/–	,, ,,
12/94	रामवीर शर्मा	हिनोताचौकी	171/–	,, ,,
12/94	तारा चन्द	हिनौता	179/–	,, ,,
12/94	सुरेश चन्द	बाला का नगला	197/–	,, ,,
12/94	हाकिम सिंह	कासगंज	166/–	,, ,,

1	2	3	4	5	
2/94	तारा चन्द	बल्दियापुरा	223/-	"	"
2/94	विनोद कुमार	दुर्गपुरा	176/-	"	"
2/94	रमेश चन्द	सायपुरा	180/-	"	"
2/94	विश्वनाथ	सायपुरा	156/-	"	"
2/94	अनार सिंह	कृपा का पुरा	171/-	"	"
2/94	रामेश्वर भारती	भोजपुरा	206/-	परिवार कल्याण	कार्यक्रम हेतु
2/94	अब्दुल अजीज	फिरोजपुरा	200/-	"	"
2/94	रामबाबू शर्मा	फिरोजपुरा	188/-	"	"
2/94	पूनम अग्रवाल	ओडेंला	144/-	"	"
2/94	दुर्गेश शर्मा	ओडेंला	172/-	"	"
2/94	किरोड़ी लाल	भगपुरा	147/-	"	"
2/94	प्रभुलाल	पूठपुरा	166/-	"	"
2/94	महावीर प्रसाद	भूरा का पुरा	220/-	"	"
2/94	राजेश कुमार	बसइनवाव	183/-	"	"
2/94	रामनिवास	चमरपुरा	143/-	"	"
2/94	राजेन्द्र प्रसाद	चैना का पुरा	173/-	"	"
2/94	शहजाद खां	पुरैनी	172/-	"	"
1/95	चन्द्रपाल सिंह	सरानी	171/-	"	"
1/95	शंकर लाल	सरानी	171/-	"	"
1/95	मुकेश कुमार	भिलगवा	171/-	"	"
1/95	गोपाल प्रसाद	केथरी	191/-	"	"
1/95	सुरेश चंद्र शर्मा	बरेठा चौकी	189/-	"	"
1/95	रामकुमार शर्मा	लाडमपुर	151/-	"	"
1/95	लाखन सिंह	हाजीपुर	127/-	"	"
1/95	रामदास शर्मा	ओडेंला	194/-	"	"
1/95	दर्शन लाल	भोजपुर	193/-	"	"
1/95	कृष्णमुरारी मित्तल	भागीरथपुरा	192/-	"	"
1/95	धनवीर सिंह	एदलपुर	171/-	"	"
1/95	उर्मिला झा	सकतपुर	147/-	"	"
1/95	अनाशी बेगम	दरियापुर	149/-	"	"

माह फरवरी, 95 में की गई यात्राओं के बिल अभी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गये हैं।

ओप से की गई यात्रा का विवरण

माह	नाम अध्यापक	विद्यालय का नाम	राशि	यात्रा का प्रयोजन
1	2	3	4	5
9/94	राजेन्द्र सिह	पं स. धौलपुर	647/–	आई. आर. डी. के कार्य से ।
10/94	,,	,,	548/–	,,
10/94	शहजाद खां	पुरेनी	424/–	जे. आर. वाई. एवम् आई. आर. डी. पी. कार्य हेतु
11/94	,,	,,	265/–	,,
11/94	राजेन्द्र सिंह	पं. स. धौलपुर	855/–	आई आर. डी. के कार्य हेतु ।
12/94	जगदीश प्रसाद	अल्हेपुरा	660/–	परिवार कल्याण कार्य
12/94	राजेन्द्र सिह	पं. स. धौलपुर	795/–	आई आर. डी. पी. कार्य
12/94	सुरेश चन्द	सरकनहेड़ा	371/–	पेपर एवं चुनाव ड्यूटी आदि वितरण हेतु ।
12/94	शहजाद खां	पुरेनी	636/–	,,
12/94	,,	,,	583/–	आई आर. डी. पी. कार्य हेतु ।
1/95	दानवीरसिह	बोथपुरा	172/–	परिवार कल्याण कार्य
1/95	राजेन्द्र सिह	पं. स. धौलपुर	583/–	आई. आर. डी. पी. कार्य

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 526 का विवरण

परिवहन निगम द्वारा संचालित वाहन सेवाओं का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	सुपर डीलक्स वाहनें	डीलक्स वाहनें	एक्सप्रेस वाहनें	सामान्य श्रेणी की वाहनें	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर	7	88	133	575	803
2.	भरतपुर	—	—	46	110	156
3.	अलवर	—	—	78	175	253
4.	धौलपुर	—	—	27	40	67
5.	सवाई माधोपुर	—	—	31	63	94
6.	बीकानेर	—	6	41	71	118
7.	गंगानगर	—	5	68	138	211
8.	हनुमानगढ़	—	—	34	85	119
9.	चूरू	—	—	25	60	85
10.	सीकर	—	2	54	77	133
11.	झुन्झुनूं	—	—	76	92	168
12.	जोधपुर	—	37	70	117	224
13.	जालोर	—	4	36	33	73
14.	बाड़मेर	—	—	25	88	113
15.	सिरोही	—	5	46	66	117
16.	पाली	—	—	19	34	53
17.	उदयपुर	—	3	26	74	103

1	2	3	4	5	6	7
18.	बांसवाड़ा	—	—	30	42	72
19.	डूंगरपुर	—	—	26	62	88
20.	चित्तौड़गढ़	—	1	29	56	86
21.	कोटा	—	5	51	52	108
22	बारां	—	—	35	45	80
23.	बूंदी	—	—	31	46	77
24.	टोंक	—	—	44	55	99
25.	झालावाड़	—	—	29	69	98
26.	अजमेर	—	10	96	189	295
27.	भीलवाड़ा	—	2	34	43	79
28.	नागौर	—	—	42	44	86
	कुल योग	7	168	1282	2601	4058

271

273

परिशिष्ट —12

अतारांकित प्रश्न संख्या 529 की प्रति

कार्यालय : राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस, अलेब चौक, जयपुर

क्रमांक–वक्फ/258/त्रि/94 जयपुर, दिनांक 30–11–94

आदेश

वक्फ अधिनियम सं. 29 सन् 1954 और बोर्ड द्वारा तफ्वीज़शुदा इख्तयारात को बरूएकार लाते हुए वक्फ अधिनियम की धारा 36 (ए) के अन्तर्गत वक्फ सम्पत्ति खसरा नम्बर 4760 वाके सोजत के हस्तान्तरण की स्वीकृति सदर, वक्फ कमेटी सोजत को प्रदान की जाती है।

ह०/–

अध्यक्ष
राज. बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस
जयपुर

(२७५)

२७२

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 530 की प्रतियां

राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस
जलेब चौक, जयपुर—302002

फोन : 49470
फैक्स : 0141–49470

संदर्भ संख्या 1538/199 28/2/94

श्री अजीजुरहमान
मुतवल्ली
दरगाह अमानीशाह साहब
जयपुर ।

आपको जरिये हाजा हिदायत दी जाती है कि दरगाह अमानीशाह जयपुर से सम्बन्धित भूमि किसी भी तरह नहीं बेची जाये । आपको यह भी हिदायत दी जाती है कि दरगाह की भूमि बिना पूर्व अनुमति वक्फ बोर्ड जरिये बय, हीबा, तबादला या लीज व अन्य किसी रूप से हस्तान्तरित नहीं की जाये । इस हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाये ।

ह०/–

सचिव
राज. बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फस
जयपुर

(275)

273

सेवामें,

श्रीमान् जनाब चेयरमैन साहब,
राज. वक्फ बोर्ड, जयपुर

महोदय,

जयपुर की एक वक्फ जायदाद दरगाह अमानीशाह की जमीन मुतवल्ली के जरिये खुर्द बुर्द की जा रही है, मुतवल्ली ने यह जमीन रेवेन्यू, रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करा ली है और कुछ लोगों से मिलीभगत करके दरगाह की जमीन को लीज पर देने का मंसूबा बनाया है, और किसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी से बात कर ली है, इस बातचीत के तहत मुतवल्ली ने लोगों से लाखों रुपया वसूल कर लिया है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और ना ही यह रकम दरगाह के काम में लाई जा रही है, पता चला है कि वक्फ बोर्ड ने इस जमीन की मुन्तकली (हस्तान्तरण) और अलाटमेन्ट वगैरा पर पाबन्दी लगा रखी है, इस पाबन्दी के बावजूद भी मुतवल्ली अपने फायदे के लिये बराबर लोगों से रकम वसूल कर रहा है।

अतः निवेदन है कि कृपा करके इस मामले पर फौरी कार्यवाही की जावे, ताकि वक्फ जायदाद बरबाद होने से महफूज रहे।

भवदीय,

ह०/–

(सलीम खां)
हटवाड़ा बस्ती, हसनपुरा, जयपुर

(276)

राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस, अलेब चौक, जयपुर (राज)

नं. वक्फ/प्री./1040/95 जयपुर, दिनांक : 2-3-95

:— कार्यालय आदेश —:

श्री सलीम खाँ निवासी हसनपुरा जयपुर ने एक दरख्वास्त प्रस्तुत कर यह शिकायत की है कि वक्फ जांयदाद अमानीशाह के मुतवल्ली इस दरगाह की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहें हैं और उन्होंने राजस्व रिकार्ड में यह जमीन दर्ज करा ली है। यह शिकायत भी है कि मुतवल्ली ने दरगाह की जमीन को लीज पर देने का मंसूबा है और किसी कंस्ट्रक्शन कम्पनी से बात करली है इस बातचीत के तहत मुतवल्ली ने लोगों से लाखों रुपया वसूल कर लिया है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है और ना यह रकम दरगाह के काम में ली जा रही है यह भी शिकायत की गई है कि इस जमीन की मुन्तकली और अलाटमेन्ट पर वक्फ बोर्ड की पाबन्दी के बावजूद मुतवल्ली जमीन के अलाटमेन्ट के सिलसिले में कार्यवाही कर रहे है। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में फौरी कार्यवाही का अनुरोध किया है।

स्पष्टतः यह शिकायते निहायतें संगीन हैं और धारा 41 एवम् 43 वक्फ अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिये मामला बन सकता है। अतः धारा 45 वक्फ अधिनियम संख्या 29, 1954 के अन्तर्गत जांच का आदेश दिया जाता है और इस जांच के लिये श्री रामस्वरूप गुप्ता एडवोकेट जयपुर को जांच अधिकारी मुकर्रर किया जाता है। जांच अधिकारी इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

ह०/–

अध्यक्ष
राज. बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फस,
जयपुर

परिशिष्ट–14

–अतारांकित प्रश्न संख्या 535 की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	अधिकृत राशन विक्रेता का नाम
1	2	3
1.	2 के. डब्ल्यू. एम.	ग्राम सेवा सहकारी समिति
2.	3 पी. डब्ल्यू. एम.	ग्राम सेवा सहकारी समिति
3.	जयमलसर	श्री तुलसाराम डीलर
4.	करणीसर भाटियान	श्री दीपसिंह डीलर
5.	छत्तरगढ़	श्री तोलाराम डीलर
6.	2 के. एल. डी.	रिक्त
7.	डेली तलाई	1. विशालसिंह डीलर 2. ओम सिंह डीलर
8.	हंडी	रिक्त
9.	34 के. वाई. डी.	रिक्त
10	बैरियांवाली	ग्राम सेवा सहकारी समिति
11.	कावनी	श्री हीराराम डीलर
12.	दंतौर	श्री हीरालाल डीलर
13.	आडूरी	श्री तिलोक चन्द डीलर
14.	पहलवान का बेरा (मु. 2एल.डी.एम.)	श्री महावीर सिंह डीलर
15.	22 के. वाई डी.	रिक्त
16.	8 के. वाई. डी.	ग्राम सेवा सहकारी समिति
17.	घारूसर	श्री अमीर खां
18.	लूणखा	श्री अमीर खां
19.	मोतीगढ़	ग्राम सेवा सहकारी समिति
20.	बल्लर	ग्राम सेवा सहकारी समिति
21.	सत्तासर	ग्राम सेवा सहकारी समिति
22.	कुंडल	रिक्त

1	2	3
23	कालासर	श्री अमरराम
24.	17 के. वाई. डी.	ग्राम सेवा सहकारी समिति
25.	मकेरी	रिक्त
26.	जालवाली	ग्राम सेवा सहकारी समिति
27.	अमरपुरा	श्री शैतान सिंह
28.	गंगाजलि	श्री नत्थूखां
29.	पूंगल	1. श्री जीवन सिंह 2. क्रय विक्रय सह. समिति
30.	आनन्दगढ़	ग्राम सेवा सहकारी समिति
31.	खारवाली	श्री तोलाराम डीलर
32.	सियासर चौगान	ग्राम सेवा सहकारी समिति
33.	14 बी. डी.	रिक्त
34.	सामरदा (नौसेरा)	ग्राम सेवा सहकारी समिति
35.	गुल्लूवाली	ग्राम सेवा सहकारी समिति
36.	शिवनगर	रिक्त